आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

विद्युत हेतु वित्तपोषण
आलोकित सारा जनजीवन

43वीं वार्षिक रिपोर्ट 2011–12

कंपनी के बारे में सूचना

कॉरपोरेट कार्यालय	
प्रकार्यात्मक निदेशक	**श्री राजीव शर्मा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; **श्री प्रकाश ठक्कर** निदेशक (तकनीकी); **श्री अजीत कुमार अग्रवाल** निदेशक (वित्त)
मुख्य सतर्कता अधिकारी	**श्रीमती आभा आनन्द किशोर**
कार्यकारी निदेशक	**श्री विनोद बिहारी** कार्यकारी निदेशक (मा.सं.–नीति एवं प्रशिक्षण / सीसी; **श्री वी.के. अरोड़ा** कार्यकारी निदेशक (वित्त); **श्री पुनीत कुमार गोयल** कार्यकारी निदेशक (आरजीजीवीवाई / सीपी / जेन. विधि / सीएसआर; **श्री सुशील कुमार लोहानी** कार्यकारी निदेशक आरजीजीवीवाई / मा.सं.; **श्री डी.एस. अहलूवालिया** कार्यकारी निदेशक (वित्त); **श्री अशोक अवस्थी** कार्यकारी निदेशक (आईसी एंड डी / प्रशा. / आरईएन)
महाप्रबंधक	**श्री संजीव गर्ग** महाप्रबंधक (जेनरेशन); **श्री सुनील कुमार** महाप्रबंधक (आरजीजीवीवाई); **श्री एस.एन. गायकवाड़** महाप्रबंधक (रिन्यूएबल एनर्जी / आईसीएंडडी); **श्री आर.के मित्तल** महाप्रबंधक (विधि); **श्री एस.के. गुप्ता** महाप्रबंधक (पारेषण एवं वितरण); **श्री राकेश कुमार अरोड़ा** महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव; **श्री टी.एस.सी. बोस** महाप्रबंधक (आरजीजीवीवाई / एसटीडी / क्यूसी)
आंचलिक प्रबंधक	पश्चिमी अंचल, मुंबई **श्री एम. के मित्तल** आंचलिक प्रबंधक; पूर्वी अंचल, कोलकाता **श्री एस. घोष दस्तीदार** आंचलिक प्रबंधक; उत्तरी अंचल, पंचकुला **श्री जी.एस. भाटी** आंचलिक प्रबंधक; दक्षिणी अंचल, हैदराबाद **श्री पी.एस. हरिहरन** आंचलिक प्रबंधक (प्रभारी); पूर्व मध्य अंचल, पटना **श्री एन.के. मौर्या** आंचलिक प्रबंधक (प्रभारी)
पंजीकृत कार्यालय	कोर.4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003, दूरभाषः 91 11 24365161, फैक्सः 91 11 24360644, ई–मेलः reccorp@recl.nic.in वेबसाइटः www.recindia.nic.in
कंपनी सचिव	**श्री राकेश कुमार अरोड़ा**
कंपनी सचिव पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट	कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट 17 से 24, विट्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद.500081,भारत, दूरभाषः 91 40 23420815–824 फैक्सः 91 40 23420814, ई.मेलः einward.ris@karvy.com, वेबसाइटः www. karvy.com
शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड; बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
डिपाजिटरी	नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड; सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक	बंसल एंड कंपनी सनदी लेखाकार; पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी सनदी लेखाकार
सचिवालयी लेखापरीक्षक	चंद्रशेखरन असोशिएट, कंपनी सचिव
बैंकर्स	भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, विजया बैक; देना बैंक, कारपोरेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक; आईडीबीआई बैंक, इंडस इंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया; यैस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऐक्सिस बैंक
सहायक कंपनियां	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड; आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड; विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लि. के पूर्ण स्वामित्व में)
संयुक्त उद्यम	एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

विषय सूची

1. शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र 05
2. वार्षिक महासभा की सूचना 10
3. निदेशकों का विवरण 17
4. निदेशकों की रिपोर्ट 20
5. प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 43
6. निगमित सुशासन पर रिपोर्ट 50
7. निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र 66
8. सचिवालयी लेखा परीक्षा 67
9. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1)(ई) के अनुसरण में विवरण 68
10. स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 69
11. तुलन पत्र 72
12. लाभ एवं हानि विवरण 73
13. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 74
14. खातों पर टिप्पणियां 78
15. नकदी प्रवाह विवरण 107
16. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 110
17. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 111
18. समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 112
19. समेकित वित्तीय विवरण 113
20. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में विवरण 148
21. आरईसी कार्यालयों के पते 149

कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य–मुख्य बातें

पिछले 10 वर्षों के दौरान सतत् विकास

विवरण	2011–12	2010–11	2009–10	2008–09	2007–08	2006–07	2005–06	2004–05	2003–04	2002–03
संसाधन										
(वर्ष के अंत तक)										
इक्विटी पूंजी (लाख ₹)	**98746**	98746	98746	85866	85866	78060	78060	78060	78060	78060
उधार (लाख ₹)										
भारत सरकार से	**2464**	3613	4942	6474	8192	10048	11997	14017	118336	220341
बांड जारी करके	**7137220**	5119525	4086101	3263148	2408962	2248372	1675724	1360591	1197511	1049404
भारतीय जीवन बीमा निगम से	**250000**	285000	320000	335000	350000	350000	350000	350000	150000	–
विदेशी मुद्रा उधार	**1069809**	758332	207637	149368	104845	87209	–	–	–	–
कमर्शियल पेपर	**–**	–	245000	129500	–	–	–	–	–	–
अन्य बैंक	**109154**	646914	644143	610105	556280	332471	366200	213200	44000	20000
आरक्षित एवं अधिशेष (निवल)	**1375746**	1180116	1009288	533142	450904	323211	341773	299830	248377	208105
आईआईएफसीएल से	**187000**	187000	87000	–	–	–	–	–	–	–
बैंकों से आहरित कार्यशील पूंजी	**250000**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
वित्तीय प्रचालन										
(वर्ष के दौरान (लाख ₹)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**1091**	658	492	506	881	748	661	1523	1322	1060
स्वीकृत वित्तीय सहायता	***5129677**	*6641998	*4535736	*4074584	*4676976	*2862985	*1659689	1631636	1597791	1212534
संवितरण	**3059330**	2851711	2712714	2227786	1630370	1373299	800658	788509	601704	660664
उधारकर्ताओं द्वारा वापस–अदायगी	**811969**	877258	580654	511936	560024	403444	350646	468324	358732	471594
वर्ष के अंत में बकाया	**10142626**	8172545	6597875	5065281	3861483	3126218	2456368	2106218	1830470	1593565
उपलब्धियां										
विद्युतीकृत गांव										
वर्ष के दौरान	****66898**	@95293	^53370	^^48533	#38262	✦40233	181	765	122	–
वर्ष के अंत तक	**648599**	581701	486408	433038	384505	⅄346243	306010	305829	305064	304942
ऊर्जायित पंपसेट										
वर्ष के दौरान	**329022**	318176	240020	188743	181244	174750	182239	175772	132914	134583
वर्ष के अंत तक	**9997448**	9668426	9350250	9110230	8921487	8740243	8565493	8383254	8207482	8074568
कार्यकारी परिणाम										
(वर्ष के लिए) (लाख ₹)										
कुल आय	**1050907**	849527	670760	493128	353766	285399	224506	230209	199671	205389
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	**22932**	16436	14467	10924	11110	6416	5770	4434	4659	5866
उधारों पर ब्याज	**626879**	478092	389120	288735	206365	174089	133913	120475	114220	120274
मूल्यह्रास	**327**	304	216	136	139	113	110	115	103	104
कर–पूर्व लाभ	**379286**	347663	264919	192011	131242	100619	82983	103665	80154	76663
कर के लिए प्रावधान	**97583**	90670	64778	64803	45228	34593	19232	23590	18915	18811
कर–पश्चात लाभ	**281703**	256993	200142	127208	86014	66026	63751	80075	61239	57852
इक्विटी पर लाभांश	**74059**	74059	60321	38640	25760	17700	19126	23450	18300	17400
निवल मूल्य	**1474492**	1278862	1108033	619008	536771	401271	419833	377890	326437	286165

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनुदान को छोड़कर

** इसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 7934 अविद्युतीकृत गांव और 58964 अंशतः गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

@ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 76987 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

^ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2009–10 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 34996 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

^^ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 36477 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 28961 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

✦ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2006–07 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया इसमें 11,527 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

⅄ वर्ष 2005–06 के दौरान, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 10169 गांवों का कार्य (350 विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण सहित) पूरा किया गया, भी शामिल है।

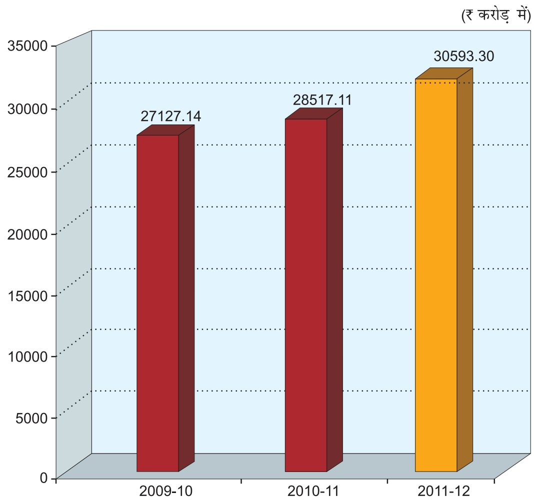

संवितरण (आरजीजीवीवाई सब्सिडी सहित)

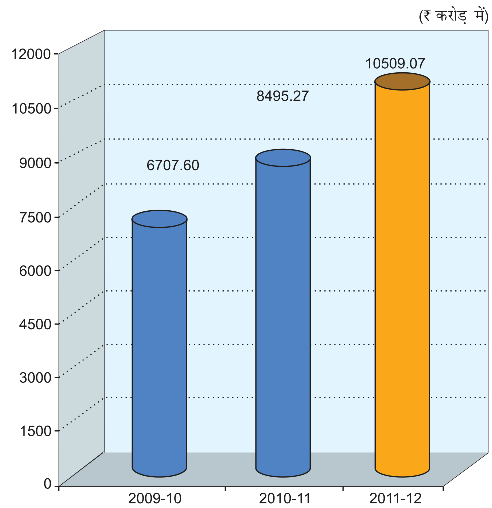

कुल आय

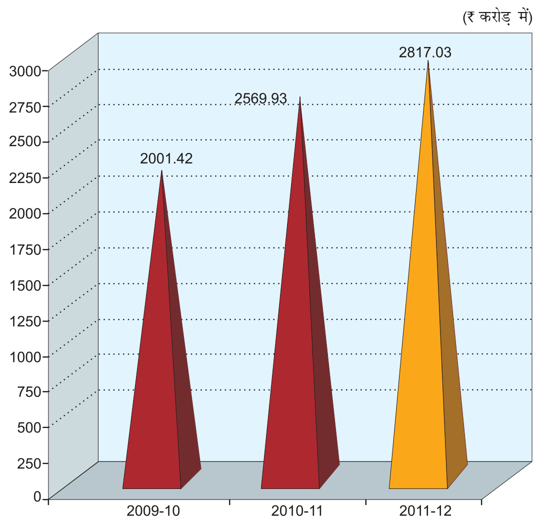

कर पश्चात लाभ

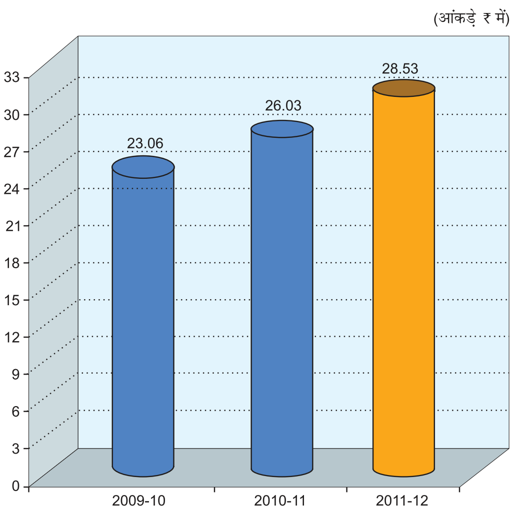

₹ 10 के प्रति शेयर पर अर्जन

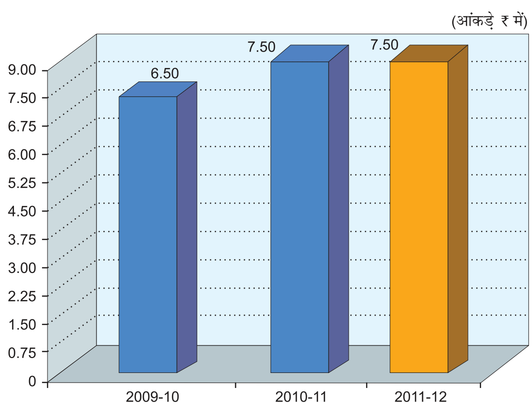

₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश

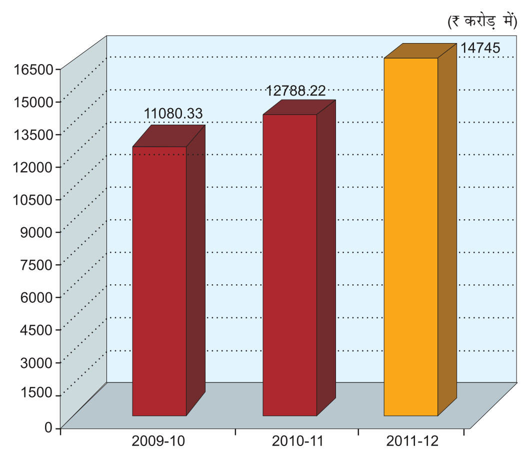

नेटवर्थ

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन

- ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरचना, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहकों का ध्यान रखने वाली विकास परक संस्था के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेन्द्रित एवं ऊर्जा के गैर–पारम्परिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत की बुनियादी सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन करना।
- दूर.दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन (जुटाना) और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।
- निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना, साथ ही निम्नलिखित जैसे निगमित लक्ष्य पूरे करना :

(i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना

(ii) बिजली की मांग का विकास;

(iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक.आर्थिक विकास; और

(iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

- प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र

देवियो और सज्जनो

आरईसी के निदेशक मंडल की तरफ से एवं अपनी ओर से मुझे आपकी कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

मैंने, नवंबर 2011 में इस 'नवरत्न' कंपनी, जिसने अपने उत्कृष्ट और बहुमुखी उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के द्वारा विशेषकर पिछले पांच वर्षों के दौरान सतत् विकास और लाभकारिता के क्षेत्र में एक रिकार्ड कायम किया है तथा देश के विद्युत क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। वर्ष 1969 में मुख्यतः पंपसेट ऊर्जायन और ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के वित्तपोषण से मामूली शुरूआत के साथ, आज आरईसी लगभग समग्र विद्युत मूल सुविधाओं की जरूरतों के वित्तपोषण प्रबंधन के द्वारा देश के प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में गिना जाने लगा है। आपकी कंपनी 'सभी के लिए बिजली' के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है तथा भारत में विद्युत की व्यापक मूल सुविधाओं के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 कुछ समय से आपके पास है और आपकी अनुमति से मैं यह मान लेता हूं कि आपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा निदेशक की रिपोर्ट को पढ़ लिया है।

मैं आपके सामने आर्थिक और विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य पर अपने विचारों को रखना तथा आपकी कंपनी की कार्य–निष्पादन विशेषताओं एवं भावी संभावनाओं को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

आर्थिक परिवेश

विश्व अर्थव्यवस्था, वर्ष 2008–09 के दौरान आई वित्तीय मंदी, जब आर्थिक संकट का प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, जो अभी अनिश्चित बना हुआ है, के पश्चगामी प्रभाव से फिलहाल पूर्णतया मुक्त नहीं हुई है। हालांकि, तब से आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हुआ है तथा यूरो क्षेत्र में वित्तीय बाजारों पर आसन्न दबाव यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) द्वारा लाई गई तरलता के द्वारा बहुत हद तक कम हुआ है। अभी भी, विकसित देशों में सामान्यतः इसकी भरपाई तब तक मंद रहेगी जब तक यूरो क्षेत्र की ऋण समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता। परिणामस्वरूप, राजकोषीय चिंताएं विश्व के लिए गंभीर विषय बनी हुई हैं। संबद्ध सरकारों और उनके बैंकों की सतर्क वित्तीय अनुशासन के लिए राजकोषीय और आर्थिक नीति में जोरदार कोशिशों के परिणाम स्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार देखने को मिला है।

विश्व अर्थव्यवस्था में इस उठापटक के सोपानी प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था अछूती नहीं रही जिसके फलस्वरूप वर्ष 2010–11 में सकल घरेलू उत्पाद के विकास का प्रतिशत 8.4% से वर्ष 2011–12 में घटकर लगभग 6.5% पर आ गया। इसके बावजूद भी, वर्ष 2012–13 के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.3% वृद्धि होने की उम्मीद है। दीर्घकालिक मूलभूत बातों जैसे आय में वृद्धि, बढ़ता खपत आधार, अनुकूल जनसांख्यिकीय स्थिति और व्यापक मूल सुविधा विकास को विस्तृत रूप से जारी रखे जाने तथा मध्यम से दीर्घकाल तक बनाए रखने की जरूरत है। विकास को मुख्यतः घरेलू निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी आर्थिक गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव के साथ खपत द्वारा जारी रखा जा रहा है। तथापि, बढ़ी खाद्य कीमतों को कम करना तथा खाद्य पदार्थों पर मुद्रास्फीति के दबाव जैसे मामले सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। यद्यपि, इन चुनौतियों के प्रभाव कम अवधि के लिए चंचलता पैदा कर सकते हैं, हमें आशा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी सशक्त मूलभूत सुविधाओं के आधार पर मध्यम से दीर्घकालिक अवधि में उच्च विकास दर को बनाए रखेगी।

विद्युत क्षेत्र

अन्य बुनियादी क्षेत्रों की तुलना में, विद्युत क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनिवार्य मूल सुविधा के मुख्य घटकों में से एक है, वित्त वर्ष 2012 के दौरान विद्युत क्षेत्र का कार्य–निष्पादन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्ष 2011–12 में 17,601 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि की तुलना में 20,501 मेगावाट विद्युत क्षमता का आवर्धन किया गया जो एक रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित विद्युत क्षमता में 54,964 मेगावाट की वृद्धि की गयी, जो कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जोड़ी गई अतिरिक्त विद्युत क्षमता से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में देश की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 199.87 जीडब्ल्यू थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 24,000 मेगावाट तक बढ़ गया है, जो देश में विद्युत उत्पादन संसाधनों के लिए मिश्रित ईंधन में प्रमुख बदलाव सन्निकटता का स्वतः एक संकेत है। वर्तमान में विद्युत ग्रिड संस्थापित क्षमता का 12% से अधिक पर्यावरण अनुकूल है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र द्वारा इस समय सामना की जा रही मुख्य चुनौतियों अर्थात् आंतरिक इस्तेमाल के लिए लगाए गए बिजलीघरों हेतु दीर्घकालिक कोयला संयोजन की विफलता, बंधुआ खानों से कोयला प्राप्त करने के लक्ष्य पूरे न होना, आयातित ईंधन मूल्यों का बढ़ना, भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर और पर्यावरणीय मामले, अर्हक बीओपी पूर्तिकर्ताओं का अभाव तथा वित्तीय समापन में विलंब न होता तो विद्युत क्षमता आवर्धन बहुत अधिक होता।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के परिलक्षित प्राक्कलनों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 88,425 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने की जरूरत है। परिलक्षित विद्युत क्षमता वृद्धि के लिए समग्र निधि की आवश्यकता अनुमानित रूप से लगभग 16 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें पारेषण और वितरण नेटवर्क में अनुरूप निवेश शामिल है।

विद्युत उत्पादन क्षेत्र, कोयले की कमी और बंधुआ कोयला खानों से नियोजित लक्ष्यों को प्राप्त करने की विफलता के कारण परेशानियों का सामना कर चुका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 842 मीट्रिक टन की कुल अनुमानित कोयला मांग में से लगभग 238 मीट्रिक टन कोयले की कमी है। कुल जितनी संस्थापित क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, उसका 80% कोयले से तैयार किया जाएगा। कोयले की समस्या का हल करने के लिए, सक्षम जनशक्ति के साथ खनन हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग, कोयला खनन कंपनियों के लिए आर एवं आर नीति, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए कार्य बल का सृजन, वन विभाग से अनुमति, कोयला खनन परियोजनाओं की प्रगति मॉनीटरिंग और उच्च कुशलता परियोजनाओं के लिए नये संयोजनों को निर्धारित करने पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इन अड़चनों के परिणामस्वरूप नियोजित विद्युत क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका और उत्पादन की लागत पर एक सोपानी प्रभाव वाले आयातित कोयले पर विद्युत उत्पादन कंपनियों की निर्भरता बढ़ी है।

विद्युत का वितरण, विद्युत मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी है, जिसमें एक ओर विद्युत उत्पादन एवं पारेषण क्षमताओं में वृद्धि के अनुरूप मजबूत बनाए जाने तथा दूसरी ओर उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। अगले दो दशकों में नियोजित क्षमता विस्तार के साथ, न्यूनतम चार गुणा बड़ा और कुशल वितरण तंत्र बनाना पहली आवश्यकता होगी, जिसके लिए उपस्करों, कुशल जनशक्ति तथा नवीनतम प्रयोगशालाओं के रूप में भली प्रकार से सुसज्जित मूल सुविधाओं के अलावा बड़ी मात्रा में पूंजी व्यय की जरूरत है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली विकास हेतु कुल निधियों की आवश्यकता अनुमानित रूप से रु. 3,25,000 करोड़ है, जिसमें पुनर्रचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शामिल है। भारत सरकार का पुनर्रचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी), राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों के दो मुद्दों–नामतः सीमित संसाधन उपलब्धता और अप्रचलित तकनीक का निवारण करना चाहता है। फीडर पृथक्करण का क्रियान्वयन, ऊर्जा लेखांकन और लेखा–परीक्षण, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100% मीटरिंग, कुशल ग्रिड टेक्नालाजी, सूचना प्रौद्योगिकी अंतःक्षेपण और ऊर्जा दक्षता उपस्करों का प्रयोग वितरण प्रणाली में कुशलता लाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो राज्य विद्युत यूटिलिटियों की समस्याओं पर विचार करेगी।

इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) नाम की एक ब्याज सब्सिडी योजना सक्रिय की गई है। वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। यह योजना, वितरण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सरकारी एवं निजी वितरण विद्युत यूटिलिटियों द्वारा ऋण लेने पर सुधारात्मक उपायों सहित ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि, 2 वर्षों अर्थात 2012–13 तथा 2013–14 के दौरान स्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए रु. 25,000 करोड़ की राशि ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों के दौरान समग्र रु. 8466 करोड़ (उधारकर्ताओं के लिए ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा शुल्क, स्वतंत्र मूल्यांककों को अदायगी तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। आरईसी को पूरे देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना चलाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। हालांकि, चल रहा आरजीजीवीवाई कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण का सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्व लेने के लिए जारी रहेगा।

इस प्रकार विद्युत क्षेत्र जीवंत बना रहेगा और भविष्य में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने की स्थिति में होगा।

कार्य–निष्पादन की मुख्य.मुख्य बातें

इससे पहले कि मैं आपके समक्ष बीते वर्ष की विभिन्न मुख्य–मुख्य बातों को रखूं, मैं सर्वप्रथम आपको डिबेंचरों के रूप में कर–मुक्त प्रतिभूति वाले विमोचनीय अपरिवर्तनीय बॉण्डों के पहले पब्लिक इश्यू का माकूल जवाब देने, विशेषकर अर्हक संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) और उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तिगत निवेशकों (एचएनआई), जिनकी बदौलत इश्यू 1.58 गुणा अभिदत्त किया जा सका, के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। कंपनी में आपका सतत् विश्वास, आपकी कंपनी के आगामी दीर्घकालीन हितों के लिए, हमें विभिन्न निवेश कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता देगा।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2011–12 के दौरान मुख्य क्षेत्रों में अर्थात् ऋण संवितरणों, वसूलियों, प्रचालन आय और लाभ इत्यादि में लगातार उच्च वृद्धि तथा रिकार्ड कार्य–निष्पादन दर्ज किया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुल रु. 30593.30 करोड़ की राशि संवितरित की गयी, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 28517. 11 करोड़ थी। इस राशि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत संवितरित की गयी सब्सिडी शामिल है। आपकी कंपनी की गैर–कार्यनिष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) निम्न स्तर पर बनी रहीं। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय 25% वृद्धि के साथ रु. 10337.59 करोड़ हुई है जबकि पिछले वाले वर्ष के दौरान यह रु. 8256.91 करोड़ थी। कर पश्चात लाभ रु. 2817.03 करोड़ रहा, जबकि इससे पिछले वर्ष में यह रु. 2569.93 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 10% की वृद्धि हुई है।

आपकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडी और फिच से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग क्रमशः ''बीएए3'' तथा 'बीबीबी' प्राप्त है जो भारत की सावरेन रेटिंग के समकक्ष है। 'बीएए3' श्रेणीकृत बाध्यताएं मामूली क्रेडिट जोखिम निर्दिष्ट करती हैं तथा 'बीबीबी' श्रेणीकृत बाध्यताओं से तात्पर्य है कि व्यतिक्रम जोखिम की प्रत्याशाएं वर्तमान में कम हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान भी, आपकी कंपनी ने क्रिसिल, केयर, फिच एवं इकरा जैसी घरेलू रेटिंग एजेंसियों से अपने विशिष्ट संसाधन जुटाव कार्यक्रम के लिए सर्वोच्च रेटिंग एएए प्राप्त करना बरकरार रखा। निरंतर उच्च रेटिंग प्राप्त करना, सुदृढ़ मूलभूत और अंतर्निहित वित्तीय शक्ति के साथ एक संस्था के रूप में आरईसी के ऊंचे रुतबे का सबूत है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान अपनी प्रचालन आवश्यकताओं के लिए बाजार से रु. 29709.36 करोड़ जुटाए। इसमें पूंजीगत लाभ कर–छूट बॉण्ड के रूप में रु. 5239.36 करोड़, आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80सीसीएफ के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड के रूप में रु. 157.59 करोड़, आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10(15)(iv)(एच) के तहत कर–मुक्त प्रतिभूत विमोचनीय अपरिवर्तनीय बॉण्डों के रूप में रु. 3000 करोड़, गैर–प्राथमिकता क्षेत्र के बॉण्डों के रूप में रु. 17465.60 करोड़, बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में रु. 3231.46 करोड़ और केएफडब्ल्यू, जर्मनी एवं जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जापान से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के रूप में रु. 615.35 करोड़ की राशि का जुटाना शामिल है।

लाभांश

फरवरी, 2012 में प्रदत्त रु. 5/– प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2011–12 के लिए रु. 2.50 प्रति शेयर के हिसाब से अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जोकि वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन की शर्त पर है। वित्त वर्ष के लिए कुल लाभांश रु. 7.50 प्रति शेयर बैठता है तथा जो पिछले वर्ष दिए गए लाभांश के बराबर है।

विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण

यह कंपनी ग्राम विद्युतीकरण और पंपसेट ऊर्जायन के अलावा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती रही है। इस कंपनी ने देश में नयी विद्युत मूल सुविधा के सृजन और मौजूदा पारेषण एवं वितरण तंत्र के सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा है। वर्ष 2012 तक ''सबके लिए बिजली'' सुलभ करवाने और तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों को कम करने के देश के उद्देश्य की तर्ज पर, इस कंपनी ने वर्तमान पारेषण तंत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की परियोजनाओं का वित्तपोषण जारी रखा है और इसके लिए उसने ट्रांसफार्मरों, मीटरों, और कैपेसिटरों आदि की परियोजनाओं का वित्तपोषण किया तथा निम्न–वोल्टता वितरण को उच्च–वोल्टता वितरण प्रणाली में बदलने के लिए वित्तीय सहायता दी।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण

वर्ष 2011–12 के दौरान, आपकी कंपनी ने अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोगी रूप में वित्तपोषण करने सहित रु. 23176.53 करोड़ की कुल वित्तीय परिव्यय वाली 24 विद्युत उत्पादन/नवीकरणीय ऊर्जा/आर एवं एम परियोजनाओं और 01 को अतिरिक्त ऋण सहायता स्वीकृत की तथा चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए रु. 12349.12 करोड़ की राशि संवितरित की। वर्ष 2002–03 से 31 मार्च 2012 तक, आपकी कंपनी ने आर एंड एम, थर्मल, हाइड्रो उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल रु. 167081.29 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण

आपकी कंपनी देश में नयी विद्युत मूल सुविधाओं के सृजन और मौजूदा पारेषण एवं वितरण तंत्र में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती रही है। वर्ष 2012 तक सबको बिजली उपलब्ध करवाने और तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों को कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य की तर्ज पर, इस कंपनी ने वर्तमान पारेषण तंत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की परियोजनाओं का वित्तपोषण करना जारी रखा है। वर्ष 2011–12 के दौरान, कंपनी ने रु. 23540.24 करोड़ (सरकारी विकास सहायता के तहत पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए रु. 33.6 करोड़ सहित) की कुल राशि को स्वीकृत किया तथा पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए रु. 11434.23 करोड़ की कुल राशि संवितरित की।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ''सबके लिए बिजली'' के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने प्रमुख कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के नेतृत्व में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 90% पूंजीगत सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम के तहत, 31 मार्च, 2012 तक संचयी रूप से 104496 अविद्युतीकृत गांवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 1.94 करोड़ बीपीएल आवासों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान, कंपनी ने कुल रु. 3049.81 करोड़ की राशि संवितरित की (सरकार की रु. 2772.81 करोड़ की सब्सिडी सहित)।

अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की चार अनुषंगी कंपनियां हैं, जो विशिष्ट कारोबारी क्रियाकलापों में लगी हुई हैं अर्थात् (1) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (2) आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (3) वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) (आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) (4) विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी)।

वर्ष के दौरान, आरईसीटीपीसीएल ने, वेमागिरी क्षेत्रः पैकेज–ए, प्रति वर्ष रु. 119.74 करोड़ के न्यूनतम संतुलित पारेषण प्रशुल्क के साथ प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया आधारित प्रशुल्क के माध्यम से, आईपीपी के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) को सफल बोलीदाता के रूप में चुना। इसके अतिरिक्त, एसपीवी विशिष्ट परियोजना नामतः वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) को रु. 18.28 करोड़ के अधिग्रहण मूल्य लागत की अदायगी पर 18.04.2012 को पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया, इस भुगतान में रु. 15.00 करोड़ का व्यावसायिक शुल्क भी शामिल है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 07 अक्तूबर, 2011 को आरईसीटीपीसीएल को 'विजाग–वेमागिरी परियोजनाएं–हिंदुजा (1040एमडब्ल्यू) के लिए निकास प्रणाली' नामक अन्य परियोजना आबंटित की है, जिसमें आरईसीटीपीसीएल को परियोजना हेतु विकासकर्ता के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजनार्थ, 30 नवंबर, 2011 को एक एसपीवी विशिष्ट परियोजना नामतः विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल), आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कंपनी को उक्त परियोजना के विकास के लिए निगमित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने तीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और पीएफसी की समान भागीदारी के साथ, 10 दिसंबर 2009 को एक संयुक्त कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) का गठन किया। ईईएसएल की व्यापार योजना में ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड, कृषि मांग पक्ष प्रबंधन, निगम मांग पक्ष प्रबंधन, बचत लैम्प योजना, जो ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग को प्रोन्नत करती है, तथा ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) की अवधारणा आदि में परिकल्पित परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा निष्पादित किए जा रहे वर्तमान व्यावसायिक कार्यों को संभाल लेना भी शामिल है।

केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

इस कंपनी ने 32 वर्ष पूर्व हैदराबाद में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की थी, जिसे सायर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र तथा बिजली एवं ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गयी थी। यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजली क्षेत्र के कार्यपालकों तथा कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालता है और इस उद्देश्य से पारेषण एवं वितरण से जुड़े क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इक्कीसवीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने सायर को और आधुनिक बनाने की योजना बनायी है। इसके परिसर में एक 'एनर्जी पार्क' बनाने की भी योजना है, जो प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक अनुभव देने के काम आएगा।

मानव संसाधन प्रबंधन

कर्मचारियों को नये–नये कौशलों से लैस करने और कारगर ढंग से जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देना जारी है। उन्हें संतुष्ट करने के लिए अनुमानित जरूरतों और साधनों के आधार पर इस कंपनी ने अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देश–विदेश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं आदि में भेजा। इसके अलावा, आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित भी किया गया। इनमें से कुछ कार्यक्रम कंपनी के हैदराबाद स्थित, सायर में आयोजित किए गए।

ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली

आपकी कंपनी ने अपने प्रमुख व्यापारिक कार्यों को शामिल करते हुए ओरेकल आधारित एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली को कार्यान्वित किया है। इस प्रणाली में कंपनी के सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्य जैसे केंद्रीय लेखांकन, परियोजना मूल्यांकन एवं स्वीकृति, संवितरण और ऋण खाते का प्रबंधन, रोकड़ प्रबंधन एवं कोषागार कार्य, वेतनपत्रक एवं खरीद इत्यादि शामिल हैं। इससे आंतरिक कुशलता और उपभोक्ता हितैषी वातावरण में बेहतर सुधार हुआ है। बेहतर ई–गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए आपकी कंपनी ने ऑन–लाइन प्रापण प्रणाली 'ई–प्रापण' को भी लागू कर दिया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने कागजरहित कार्यालय पर्यावरण बनाने के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू किया है।

निगमित सुशासन

एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, आपकी कंपनी, सूचीकरण करार के अनुसार निर्धारित निगमित सुशासन की अपेक्षाएं पूरी करती रही है और इस संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचित उपबंधों का भी अनुपालन कर रही है। निगमित सुशासन के नवीनतम उपायों के एक अंश के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को अनुमति दी है कि वे अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नोटिस/दस्तावेज भेज सकते हैं। एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 'ग्रीन इनिशिएटिव' से संबंधित जारी परिपत्रों के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है तथा कंपनी ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी द्वारा उन सभी शेयरधारकों, जिनके ई–मेल पते आपकी कंपनी के पंजीयक और अंतरण एजेंट (आरएंडटीए)/न्यासी भागीदार के पास पंजीकृत हैं और जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट को पिछले वर्ष के अनुसार फिजिकल रूप में प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया है, को प्रेषित किया है। कंपनी के पास ई–मेल पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान प्रदत्त अंतिम/अंतरिम लाभांश की सूचना भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गयी थी। इस बात के लिए मैं सभी शेयरधारकों को बधाई और धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगामी वर्षों में और अधिक लोग इस पर्यावरण हितैषी प्रयास में शामिल होंगे।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी ने अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति को लागू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण परिस्थितियों से समझौता किए बिना, व्यापक स्तर पर समाज के जीवन की गुणवत्ता की दिशा में सहयोग देने वाली सामाजिक रूप से उत्तरदायी कारपोरेट कंपनी बने रहना सुनिश्चित किया है। वित्त वर्ष 2011–12 के लिए कर उपरांत लाभ (पीएटी) की 0.5% की दर से सीएसआर बजट आबंटित किया गया था। वर्ष के दौरान, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनेक उपाय किए गए और इनमें से एक पहल, राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम को एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीतने तथा लंदन ओलम्पिक, 2012 के लिए चुने जाने पर, मान्यता देने के स्वरूप थी।

समझौता ज्ञापन के अनुसार रेटिंग एवं पुरस्कार

वित्त वर्ष 2010–11 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, आपकी कंपनी के कामकाज को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रदान की गयी है। वर्ष 1993–94, जब सरकार के साथ पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, से यह लगातार 18वाँ वर्ष है जब आरईसी ने ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त की है। वर्ष 2011–12 के लिए भी, निष्पादन के आधार पर यह कंपनी ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त करने की स्थिति में है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग द्वारा ''श्रेष्ठ सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम'' के लिए समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार 2009–10 दिया गया। यह पुरस्कार भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया था।

अन्य पहल

आपकी कंपनी ने बेहतर निगमित सुशासन परिपाटियों के अनुसरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक ''व्हिसॅल ब्लोअर पॉलिसी'' अपनाई है, जो सूचीकरण करार के खंड 49 तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी निगमित सुशासन पर दिशानिर्देश के खंड 8 के अनुरूप है ताकि कर्मचारी, निदेशक, लेखापरीक्षक आदि ऐसी सूचना का प्रकटन कर सकें जो कंपनी की प्रतिष्ठा अथवा कारोबार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो या जिससे कथित कदाचार किए जाने का कारण समझा जाए।

कंपनी के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रस्तुत करने और उनके साथ एक दीर्घकालिक लाभकारी संबंध बनाये रखने के मूलभूत उद्देश्य के साथ, कारोबार प्रोन्नति कार्यनीति के एक अंश के रूप में, आपकी कंपनी ने ''विद्युत क्षेत्र में श्रेष्ठ वैश्विक संव्यवहारों'' पर 11 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया था।

अन्य महत्वपूर्ण पहल, वर्ष 2011–12 के लिए पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा आयोजित सचिवालयी लेखा.परीक्षा स्वैच्छिक रूप से कराया जाना था, जिसे पिछले वर्ष भी कराया गया था।

आपकी कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी ''सतत विकास'' नीति, जो कि चालू वित्त वर्ष से लागू है, को भी अपनाया है। सतत विकास में आर्थिक गतिविधि, सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के लिए एक स्थायी एवं संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना शामिल है तथा इसके लिए अनुमानित रूप से रु. 3.23 करोड़ का बजट आबंटित किया गया। प्रथमतः पांच परियोजनाओं को केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान ''सायर'', हैदराबाद के परिसर में लागू किए जाने के लिए तय किया गया है, जिसमें ऊर्जा लेखा–परीक्षा, सोलर लाइटिंग का संस्थापन, सोलर/विंड हाइब्रिड पॉवर प्लांट, हरियाली एवं वृक्षारोपण और वर्षा जल संरक्षण के उपाय शामिल हैं।

भावी योजना

आपकी कंपनी विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को लक्ष्य बना कर उत्पादों की व्यापक रेंज प्रस्तुत कर रही है ताकि उपभोक्ता अपनी विशिष्ट वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें। नई विद्युत परियोजना में इक्विटी लाने के प्रयोजनार्थ अथवा एक विद्यमान विद्युत परियोजना के अधिग्रहण के लिए प्रोन्नतकर्ता के अंशदान के वित्तपोषण हेतु उधारकर्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने एक ''इक्विटी वित्तपोषण हेतु कारपोरेट ऋण पर नीति'' तैयार की है। आरईसी भविष्य में विस्तृत कारोबार स्थापित करने की स्थिति में है।

आपकी कंपनी को, भारत सरकार ने राज्य सरकार की यूटिलिटियों को ब्याज सब्सिडी राशि दिए जाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। इससे भविष्य में नए व्यापारिक अवसर मिलने की संभावना है।

आपकी कंपनी त्वरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शितायुक्त प्रबंधन की स्वतंत्रता एवं प्राधिकार, उनके कार्य में उत्तरदायित्व और व्यावसायिकता पर बल देने के साथ निगमित सुशासन के सर्वोच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए सतत् रूप से प्रयास करती रहेगी। इस कंपनी का उद्देश्य विस्तृत रूप से सभी हितधारकों तथा समाज के दीर्घकालिक आर्थिक मूल्यों का संवर्धन करना है।

भावी अवलोकन

विद्युत मूल सुविधा में 11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों तथा मेल खाती पारेषण एवं वितरण मूल सुविधा के साथ 88,425 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विकास के निधियन हेतु अनुमानित राशि के संदर्भ में, विद्युत क्षेत्र देश के बुनियादी विकास की दिशा में सार्थक सहयोग देने के लिए सदैव बड़े अवसर प्रदान करता रहेगा। वित्त वर्ष 2012 के अंत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कंपनी ने परिसंपत्ति परिमाण में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की है। आपकी कंपनी, अपनी ओर से, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रु. 7.7 लाख करोड़ की अनुमानित ऋण आवश्यकता के निधियन कारोबार के इष्टतम अंश को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करेगी और अपने सभी संसाधनों का उपयोग करेगी। यह कंपनी सतत् विकास दर को और कार्य–निष्पादन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने की गति को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहेगी ताकि यह अपने सभी हितधारकों की अपेक्षाओं पर खरी उतर सके।

आभार

माननीय विद्युत मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत), संयुक्त सचिव (ग्रामीण विद्युतीकरण) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों से आपकी कंपनी को प्राप्त असीम समर्थन और मार्गदर्शन के लिए, मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कंपनी का सुचारु और सफल प्रचालन सुनिश्चित करने में वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और सचिवालयीय लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सभी सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं उनका आभारी हूं। इस कंपनी में विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं ऋणदाताओं और निवेशकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं।

निदेशक मंडल के अपने सम्मानित सहकर्मियों और आरईसी के उन सभी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने कार्य के प्रति अथक प्रतिबद्धता दिखाई है। उन सभी हितधारकों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समर्थन और सहयोग दिया है तथा कंपनी के कार्य–निष्पादन में अपना विश्वास बनाए रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारियों के समर्पित एवं प्रतिबद्ध सहयोग और हमारे सम्मानित हितधारकों के सतत सहयोग से आपकी कंपनी अपनी जिम्मेदारियों का निरंतर निर्वाह और अपने हितधारकों का सम्मान करती रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** की 43वीं वार्षिक आम बैठक **बृहस्पतिवार, 20 सितंबर, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली–110010** में निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगीः

सामान्य कार्य

1) 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलन.पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते तथा उनके संबंध में निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें स्वीकृत करना।

2) वित्त वर्ष 2011–12 के लिए इक्विटी शेयर पर अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना और अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3) श्री प्रकाश ठक्कर के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना। श्री ठक्कर क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण वे अपनी पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव दे रहे हैं।

4) डॉ. देवी सिंह के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना। श्री देवी सिंह क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण वे अपनी पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव दे रहे हैं।

5) वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

6) निम्नलिखित पर **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उसके बिना पारित करनाः

संकल्प किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

7) निम्नलिखित संकल्प पर **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उसके बिना पारित करनाः

संकल्प किया जाता है कि डॉ. सुनील कुमार गुप्ता को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

8) निम्नलिखित संकल्प पर **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उसके बिना पारित करनाः

संकल्प किया जाता है कि श्री अजीत कुमार अग्रवाल को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के अधीन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2012 से अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें निदेशक (वित्त) के रूप में पदनामित किया जाए। वे इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर कार्य करते रहेंगे और उनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के प्रावधानों के अनुसरण में एक सदस्य से लिखित रूप में कंपनी को एक नोटिस प्राप्त हुआ है और उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

9) निम्नलिखित संकल्प पर **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उसके बिना पारित करनाः

संकल्प किया जाता है कि कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 38 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के अनुसरण में 08 सितंबर, 2010 को आयोजित कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा पहले पारित प्रस्ताव के अधिक्रमण में कंपनी की सहमति ली जाए और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में एतद्द्वारा स्वीकृति दी जाती है कि कंपनी प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति के बिना अपने विवेक पर समय–समय पर और ऐसी शर्तों पर जैसे कि कंपनी के कारोबार के प्रयोजन के लिए वह उपयुक्त समझे, ऐसी रकम या धनराशि उधार ले सकती है, भले ही यह धनराशि कंपनी द्वारा पहले ही उधार ली गई धनराशि के साथ–साथ हो (जिसमें सामान्य कारोबार के दौरान कंपनी के बैंकरों से लिया गया अस्थायी ऋण शामिल नहीं है, जिससे कंपनी की प्रदत्त पूंजीगत पूंजी और इसकी निर्बंध आरक्षित निधि बढ़ सकती है। परंतु कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधि किसी एक समय पर उधार ली गई और बकाया रकम की कुल धनराशि 1,45,000/– करोड़ रुपए (केवल एक लाख पैंतालीस हजार करोड़ रुपए) से अधिक न हो।

यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (जिसमें उसकी समिति भी शामिल है) को उपर्युक्त प्रस्ताव लागू करने के लिए यथा आवश्यक सभी क्रियाकलाप, कार्य और बातें निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

10) निम्नलिखित संकल्प पर **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उसके बिना पारित करनाः

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(क) और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, के अनुसरण में 08 सितंबर, 2010 को आयोजित कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा पहले पारित प्रस्ताव के अधिक्रमण में कंपनी की सहमति ली जाए और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में एतद्द्वारा स्वीकृति दी जाती है कि कंपनी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कंपनी की चल और अचल संपत्ति, भले ही कहीं भी स्थित हो, विद्यमान और भावी किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, किराया खरीद/पट्टा कंपनियों/निगमित निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के पास कंपनी के हित के लिए निदेशक मंडल जैसा उपयुक्त समझे, ऐसी शर्तों पर प्रभार पैदा करने, आडमान, बंधक, गिरवी रख सकती है और समय–समय पर कंपनी के कारोबार के प्रयोजन के लिए निधियां उधार लेने के संबंध में निदेशक मंडल और उधारदाता द्वारा किए जाने वाले करार के अनुसार यह रकम कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधि के मुकाबले किसी एक समय पर 1,45,000/– करोड़ रुपए (केवल एक लाख पैंतालीस हजार करोड़ रुपए) से अधिक न हो।

यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (जिसमें उसकी समिति भी शामिल है) को उपर्युक्त प्रस्ताव लागू करने के लिए यथा आवश्यक सभी क्रियाकलाप, कार्य और बातें निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लिए

(राकेश कुमार अरोड़ा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 06 अगस्त, 2012

टिप्पणियांः

1. **बैठक में भाग लेने के लिए तथा मतदान करने के पात्र सदस्य अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के अधिकारी हैं और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।** विधिवत भरे गए और हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराए जाने चाहिए। **कोरा प्रॉक्सी फार्म इसके साथ संलग्न है।** इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में बैठक में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्यों से संबंधित **एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।**

3. निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित पुनः नियुक्ति चाहने वाले और पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है और इस नोटिस का भाग है।

4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण बहियां **बृहस्पतिवार 06 सितंबर, 2012 से बृहस्पतिवार 20 सितंबर, 2012 तक** (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 206क के उपबंधों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, **यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशियों को, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में 20 सितंबर, 2012 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान हैं, बृहस्पतिवार, 04 अक्तूबर, 2012 को अदा किया जाएगा। डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में लाभांश शेयरों के उन लाभार्थी स्वामियों को देय होगा, जिनके नाम 05 सितंबर, 2012 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामित्व विवरण में विद्यमान होंगे।**

5. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में उनकी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामे की एक विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वेः.

   क. **नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी तथा उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति स्वयं लानी होगी;**

   ख. **बैठक स्थल के प्रवेश पर विधिवत भरी तथा हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची प्रस्तुत करें, क्योंकि आडिटोरियम में प्रवेश, स्थल काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;**

   ग. सभी पत्राचार में अपना फोलियो/क्लाइंट आईडी तथा डीपी आईडी संख्या का उल्लेख करें;

   घ **नोट करें कि सुरक्षा कारणों से ब्रीफ केस, खाने का सामान तथा अन्य सामान ऑडिटोरियम के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा**

   ड. **नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।**

7. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) अधिदेश प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से लाभांश भुगतान का प्रेषण कर सके। प्रत्यक्ष रूप से (फिजिकल) शेयरधारण करने वाले धारक कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) अर्थात प्लाट सं.17–24, विट्ठल राव नगर, मढ़ापुर, हैदराबाद–500081, भारत में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड से ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्राप्त करके उन्हें भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले धारक अपने ईसीएस अधिदेश प्रपत्र डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से प्राप्त करें और सीधे उन्हें ही भेजें जिन्होंने पहले ही पूर्ण विवरणों के साथ कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट/डीपी को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें पुनः भेजने की आवश्यकता नहीं है।

8. लाभांश के कपटपूर्ण नकदीकरण की घटनाओं को रोकने के लिए, जो सदस्य ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक के ब्योरे अर्थात बैंक का नाम और शाखा का पता, बैंक खाता संख्या, शाखा का नौ अंकों वाला एमआईसीआर कोड और खाते का प्रकार **20 सितंबर, 2012** तक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को अवश्य भेज दें ताकि मांग ड्राफ्ट के रूप में ऐसे वारंटों के बदले वारंटों या अदायगी को पुनः विधिमान्य किया जा सके ताकि वे लाभांश के वारंट पर इन विवरणों को मुद्रित करवा सकें।

9. जिन सदस्यों के पास वास्तविक रूप में (फिजिकल मोड में) कई शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संगत शेयर प्रमाण–पत्रों सहित कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को समेकन के लिए आवेदनपत्र भेजें।

10. निदेशक मंडल ने 25 जनवरी, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 5 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जो 07 फरवरी, 2012 को अदा किया गया था। कंपनी अधिनियम की धारा 205ग के साथ पठित धारा 205क के अनुसरण में 7 वर्ष से अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी लाभांश की रकम को केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना है। ऐसे अंतरण के बाद किसी भी सदस्य का उस रकम पर दावा नहीं रहेगा। अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे लाभांश वारंट प्राप्त करते ही उनका नकदीकरण करवा लें।

11. जिन सदस्यों को उनके लाभांश वारंट विधिमान्य अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए हों/जिन्होंने उनका नकदीकरण नहीं करवाया हो, वे इस संबंध में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लिमिटेड को लिखें ताकि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऐसे वारंटों के बदले पुनः विधिमान्य वारंट जारी किए जा सकें या अदायगी की जा सके। जिन सदस्यों के पास वास्तविक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, उप–विभाजन, समेकन के रजिस्ट्रीकरण या शेयर से संबंधित किसी मामले और/या पते और बैंक खाते में परिवर्तन से संबंधित सभी पत्राचार कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लिमिटेड को भेजें और यदि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेयर धारण किए गए हों तो उन्हें उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को भेजें।

12. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसरण में, सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अथवा पुनः नियुक्त किया जाएगा तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से तय किया जाएगा, जो कंपनी, आम बैठक में तय करे। इसी के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स बंसल एंड कंपनी तथा मैसर्स पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों को वर्ष 2011–12 के लिए सांविधिक संयुक्त लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

    17 सितंबर, 2011 को आयोजित 42वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनयम, 1956 की धारा 619(2) के साथ पठित धारा 224(8)(कक) के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 10नवंबर, 2011 को आयोजित अपनी निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्रत्येक संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए 6,25,000 (रुपए छह लाख पच्चीस हजार) और लागू सेवा कर पारिश्रमिक की अदायगी के रूप में अनुमोदित किया है। निदेशक मंडल ने 25 जनवरी, 2012 को आयोजित अपनी की बैठक में इस बारे संशोधन किया और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्रत्येक संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए 8,50,000 (रुपए आठ लाख पच्चास हजार) और लागू सेवा कर पारिश्रमिक की अदायगी के रूप में अनुमोदित किया है। बोर्ड ने उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, यह भी अनुमोदित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों को समुचित यात्रा भत्ता और बाह्य स्टेशन पर लेखापरीक्षा कार्य के लिए जेब खर्च की ऐसी वास्तविक समुचित अदायगी की जा सकती है, जैसाकि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) द्वारा तय किया जाए।

    वित्त वर्ष 2012–13 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जानी है। बेहतर निगमित सुशासन परिपाटी के अनुसार यह प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए आम बैठक में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए, जैसाकि पिछले वर्षों में किया जाता रहा है। **अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मंडल को इस बात के लिए प्राधिकृत करें कि वे वित्त वर्ष 2012–13 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जैसे ही लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जैसा उचित समझें, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करें।**

13. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109ए के अंतर्गत तथा अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (केंद्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र, 1956 में यथानिर्धारित प्रपत्र 2ख में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को लिखें। डिमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के मामले में नामांकन पत्र सीधे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास जमा कराया जाना अपेक्षित है।

14. **इस बैठक की कार्यवाही की किसी भी मद पर कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व भेजें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध कराई जा सके।**

15. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 08 फरवरी, 2011 के सामान्य परिपत्र के जरिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के तहत स्वामित्व कंपनियों के तुलन–पत्र के साथ अनुषंगी कंपनियों के तुलन–पत्र आदि को संलग्न करने से सामान्य छूट दी है, परंतु कंपनियों द्वारा इस परिपत्र में निर्धारित कुछ शर्तों का पालन किया जाना होगा। तदनुसार, आपकी कंपनी ने प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के खाते का ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ण पाठ के साथ कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध करा दिया है।

16. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 21 अप्रैल, 2011, और 29 अप्रैल, 2011 के अपने सामान्य परिपत्र के जरिए (कारपोरेट सुशासन में ग्रीन इनीशिएटिव) शुरूआत की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कानून का कागज–रहित अनुपालन करने की अनुमति दी है। इन परिपत्रों के माध्यम से कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे शेयरधारकों के ई–मेल पते पंजीकृत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके के माध्यम से अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिस/दस्तावेज भेजें। मंत्रालय की इस पहल का स्वागत किया गया क्योंकि इससे कागज की खपत काफी हद तक कम करने में समाज को लाभ होगा और इससे पर्यावरण हितैषी वातावरण बनाने में सहयोग मिलेगा। इससे सूचनाएं तुरंत प्राप्त होने में भी सुविधा होगी और इस प्रकार डाक के माध्यम से सूचनाओं का आदान–प्रदान करने में होने वाली हानियां भी कम होंगी। इस संबंध में इस कंपनी की पहल को जारी रखते हुए, यह कंपनी अपने शेयरधारकों को सभी दस्तावेज अर्थात नोटिस, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेगी। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर

भी उपलब्ध होंगे। कृपया नोट करें कि कंपनी के सदस्य के रूप में आप कंपनी से प्राप्त होने वाले उपर्युक्त और सभी अन्य अपेक्षित दस्तावेज कानून के अधीन अपनी मांग पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित सदस्य की कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रजिस्ट्रार एंड शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) के पास अपना–अपना ई–मेल पता पंजीकृत करवाएं और कंपनी की ग्रीन इनीशिएटिव में अपना योगदान दें।

17. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 307 के अधीन रखे जाने वाले निदेशकों के शेयरधारण का रजिस्टर, धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले संविदा के रजिस्टर और इस नोटिस तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज वार्षिक आम बैठक तक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न के बीच सभी कार्यदिवसों में (शनिवार और रविवार को छोड़कर) वार्षिक आम बैठक/पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होंगे।

18. कंपनी इस बैठक के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध नहीं कर रही है।

नोटिस में निर्धारित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 6

कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(1) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश सं.46/8/2011–आरई दिनांक 29 नवंबर, 2011 के जरिए श्री राजीव शर्मा को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद पर इस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या अधिवर्षिता की तारीख तक या अगला आदेश जारी किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है। श्री राजीव शर्मा ने 29 नवंबर, 2011 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर श्री राजीव शर्मा के कार्यकाल की सेवानिवृत्ति कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82(1), जिसके संबंध में आम बैठक का अनुमोदन प्राप्त करना होता है, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर नहीं होगी।

श्री राजीव शर्मा के अलावा, किसी अन्य निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई हित या संबंध नहीं है।

मद संख्या 7

कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(2) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश सं.46/2/2010.आरई दिनांक 16 मार्च, 2012 के अनुसरण में डॉ. सुनील कुमार गुप्ता को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख (अर्थात 16 मार्च, 2012) से तीन वर्ष की अवधि या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के पद पर डॉ. सुनील कुमार गुप्ता की उपर्युक्त नियुक्ति कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(3), जिसके संबंध में आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होता है, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 के अनुसार की गई है और उनकी सेवानिवृत्ति क्रमावर्तन आधार पर की जाएगी। डॉ.सुनील कुमार गुप्ता का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

डॉ सुनील कुमार गुप्ता के अलावा, किसी अन्य निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई हित या संबंध नहीं है।

मद संख्या 8

कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(2) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश सं.46/8/2011.आरई दिनांक 17 मई, 2012 के जरिए श्री अजीत कुमार अग्रवाल को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति इस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से या 01 अगस्त, 2012 के बाद से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की तारीख या अगला आदेश जारी किए जाने, इनमें से जो भी घटना पहले घटित हो, तक के लिए की गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के प्रावधानों के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल को 01 अगस्त, 2012 से इस कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था।

निदेशक (वित्त) के पद पर श्री अजीत कुमार अग्रवाल की उपर्युक्त नियुक्ति कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(2), जिसके संबंध में आम बैठक में सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करना होता है, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति/क्रमावर्तन के आधार पर तय नहीं की जाएगी। श्री अजीत कुमार अग्रवाल का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

श्री अजीत कुमार अग्रवाल के अलावा, किसी अन्य निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई हित या संबंध नहीं है।

मद सं.9

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1) (घ) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल आम बैठक में कंपनी की सहमति के सिवाय कंपनी की प्रदत्त पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधि से अधिक धनराशि उधार नहीं लेगा, जिसमें कंपनी द्वारा पहले उधार ली गई धनराशि भी शामिल है।

08 सितंबर, 2010 को आयोजित कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों ने संकल्प द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को 1,00,000 करोड़ रुपए (केवल एक लाख करोड़ रुपए) की कुल रकम तक धनराशि उधार लेने का अधिकार दिया है। 31 मार्च, 2012 तक कंपनी द्वारा लिया गया कुल उधार 87,082 करोड़ रुपए है और वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि उधार लिए जाने की संभावना है।

ऐसी संभावना है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत तक कुल उधार 1,04,342 करोड़ रुपए हो जाएगा। अतः उधार की और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार की रकम 1,00,000 करोड़ रुपए से 1,45,000 करोड़ रुपए बढ़ाए जाने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के अधीन सदस्यों की अनुमति ली जा रही है।

30 मार्च, 2012 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया है और नोटिस में दिए गए अनुसार कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित साधारण संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है।

किसी अन्य निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई हित या संबंध नहीं है।

मद संख्या 10

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(क) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल आम बैठक में कंपनी की सहमति के सिवाय कंपनी की सभी या किसी अचल और/या चल संपत्तियों, वर्तमान और भावी दोनों को कंपनी के समस्त वचनपत्र के अनुसार कंपनी की पूरी या पूरी के अधिकांश भाग को बंधक नहीं रखेगा और/या उसे प्रभारित नहीं करेगा।

कंपनी के कार्य काफी बढ़ गए हैं और कंपनी की निधि संबंधी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी की अचल/चल संपत्तियों के प्रतिभूति द्वारा अतिरिक्त निधियां बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अतः कंपनी के निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है कि वह कंपनी के कारोबार के प्रयोजन के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी तथा निर्बंध आरक्षित निधि तक प्रतिभूत ऋण कंपनी के अचल/चल संपत्तियों, वर्तमान और भावी दोनों को बंधक रख सकती है/प्रभार सृजित कर सकती है।

30 मार्च, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया है और इस नोटिस में दिए गए अनुसार कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित साधारण संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

किसी अन्य निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई हित या संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लिए

(राकेश कुमार अरोड़ा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोर.4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 06 अगस्त, 2012

17 सितंबर, 2011 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से नियुक्त किए गए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री राजीव शर्मा	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	श्री अजीत कुमार अग्रवाल
जन्म तिथि	01 जून, 1960	15 नवंबर, 1966	30 मई, 1960
नियुक्ति की तारीख	29 नवंबर, 2011	16 मार्च, 2012	1 अगस्त, 2012
योग्यता	• गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, पंत नगर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरी में स्नातक डिग्री। • स्नातकोत्तर डिप्लोमा (इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरी) • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की से इंजीनियरी (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी) में मास्टर डिग्री • दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री	• वाणिज्य में स्नातक डिग्री। • इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य। • इंस्टीच्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य। • चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से (आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अध्ययन) विषय में पीएच.डी.।	• दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक डिग्री। • इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य
विशिष्ट कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता	आरईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री शर्मा ने पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड में निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्य किया है। निदेशक (परियोजना), पीएफसी में उनका दायित्व परियोजना प्रभाग के सभी कार्यों के लिए था, जिनमें उस कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन भी शामिल है। अगस्त, 2005 से पीएफसी में कार्यपालक निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वे कृष्णापट्टम अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजना के विकास के लिए निदेशक (प्रभारी) थे और आपका दायित्व भारत में आर.एपीडीआर का कार्यान्वयन था। इसके अलावा, आप पीएफसी के मानव संसाधन और प्रशासन के परियोजना मूल्यांकन और कार्यों के लिए दक्षिणी राज्यों का कार्य भी देखते थे।	श्री गुप्ता देना बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। देना बैंक में उन्हें विभिन्न समितियों के अध्यक्ष /सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नामित किया है और स्टील कंज्यूमर्स काउंसिल, इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार) के सदस्य के रूप में नामित किया है। वे कई प्राइवेट कंपनियों के निदेशक मंडल में भी हैं। आप एफआईसीसीआई की राष्ट्रीय कार्यपालक परिषद् के निर्वाचित सदस्य भी हैं। आप कई सामाजिक संगठनों, शैक्षिक समितियों और क्लबों के सदस्य के साथ–साथ, एसोचैम, सीआईआई और पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सहयोजित सदस्य भी हैं।	श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों में 29 वर्ष का अनुभव है। आरईसी में महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर अपने कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न वित्त संबंधी कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधन जुटाना, ऋण संवितरण और कॉरपोरेट लेखा तथा कराधान भी शामिल है। 29 मार्च, 2007 को हमारी कंपनी में कार्यभार संभालने से पहले आप टेलीकम्यूनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) में महाप्रबंधक थे।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक का पद	• आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड • आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और • इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	• पंजाब नेशनल बैंक • जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया • एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.
आरईसी के अलावा सभी सरकारी कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया . सदस्य, लेखापरीक्षा समिति	शून्य
इस कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	60	शून्य	242

43वीं आम बैठक में पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री प्रकाश ठक्कर	डॉ. देवी सिंह
जन्म तिथि	20 अक्तूबर, 1955	02 सितंबर, 1952
नियुक्ति की तारीख	02 मई, 2011	10 जून, 2011
योग्यता	महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री	• राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातक • राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर • भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से पीएचडी (अध्येता)
विशिष्ट कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री ठक्कर को विद्युत क्षेत्र में 33 वर्ष से अधिक का विविध एवं समृद्ध अनुभव है, जिसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं एवं हाइड्रो जेनरेटर्स के संस्थापन और बिजलीघरों के संचालन एवं अनुरक्षण का अनुभव शामिल है। उन्होंने वर्ष 1985–86 में देवीघाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए नेपाल सरकार के सलाहकार के रूप में सेवा की है। आप सीआईजीआरई और एआईएमए के सदस्य हैं और विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। आप विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए तकनीकी लेखों के लेखक/सह–लेखक रहे हैं।	डॉ. देवी सिंह अंतरराष्ट्रीय वित्त एवं कारोबार क्षेत्र के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। आपको शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव है और आपको अग्रणी संस्थान निर्माता के रूप में जाना जाता है। आप पिछले आठ वर्षों से भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के निदेशक रहे हैं। आपने प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। आप 1990–1996 के दौरान, प्रबंधन संकाय, मैकगिल विश्वविद्यालय, मांट्रियल में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने विकासशील देशों, ल्युबियाना, स्लोवेनिया के अंतरराष्ट्रीय लोक उद्यम केंद्र में, ईएससीपी यूरोप, पैरिस, एसकेके ग्रेज्युएट बिजनेस स्कूल, सिओल और अन्य कई अग्रणी बिजनेस स्कूलों में अध्यापन किया है। आपको अन्य सम्मानों के साथ–साथ 'बेस्ट बी स्कूल निदेशक.1999', 'यूपी रत्न–2008', 'आईएसटीई फेलो–2007', जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हैं। आपको वर्ष 2000 में अमेरिकी बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट, यूएसए में 'मैन ऑफ दॅ मिलेनियम अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक का पद	• आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड; और • आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	• मुंजाल शोवा लिमिटेड • फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड • फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड • हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
आरईसी के अलावा सभी सरकारी कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड–अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
इस कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	4030	शून्य

निदेशकों का परिचय

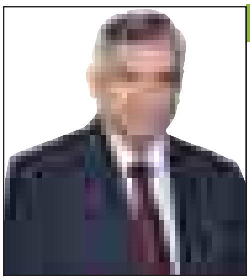

श्री राजीव शर्मा, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

श्री राजीव शर्मा, आयु 52 वर्ष, 29 नवंबर, 2011 से हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वह गोविन्द बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, पंतनगर, से वैद्युत इंजीनियरिंग के स्नातक हैं और इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, रुड़की से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशंस इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी प्राप्त है। श्री शर्मा को विद्युत क्षेत्र में 27 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। आरईसीएल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले श्री शर्मा मार्च, 2009 से पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) में निदेशक (प्रोजेक्ट्स) थे।

पीएफसी में निदेशक प्रोजेक्ट्स के रूप में उन पर परियोजना प्रभाग के सारे क्रियाकलापों, जिनमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन शामिल है, का उत्तरदायित्व था। अगस्त, 2005 से पीएफसी में कार्यकारी निदेशक की सेवा अवधि के दौरान, वे भारत में आर–एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के प्रभारी थे और कृष्णापटनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास हेतु निदेशक (प्रभारी) थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने पीएफसी में मानव संसाधन और प्रशासन के कार्यों तथा दक्षिणी राज्यों के परियोजना मूल्यांकन की भी देखरेख की।

31 मार्च 2012 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने के समय श्री राजीव शर्मा के पास कंपनी के 60 इक्विटी शेयर थे।

श्री प्रकाश ठक्कर, *निदेशक (तकनीकी)*

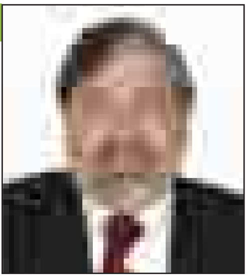

श्री प्रकाश ठक्कर, उम्र 56 वर्ष, 02 मई 2011 से हमारी कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्हें महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त है। श्री ठक्कर को विद्युत क्षेत्र में 33 वर्षों का विविध एवं समृद्ध अनुभव है, जिसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं एवं हाइड्रो जनरेटर्स के संस्थापन और बिजलीघरों के संचालन एवं अनुरक्षण का अनुभव शामिल है। वे विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के सभी तकनीकी एवं प्रचालन संबंधी पक्षों के प्रभारी हैं।

निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभालने से पहले वे कंपनी में कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण/आरजीजीवीवाई) के पद पर सेवारत थे। उन्होंने 19 सितंबर, 2005 को प्रतिनियुक्ति के आधार पर हमारी कंपनी में महाप्रबंधक (तकनीकी) का कार्यभार संभाला और 18 सितंबर, 2007 को इस कंपनी की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित हो गए। इस कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे 15 वर्ष तक पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर सेवारत थे। वह उस टीम में भी शामिल थे जिसने भारत में पहली बार 400 केवी की थ्रिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कंपनसेशन परियोजना (टीसीएससी) लागू की थी। वह 800/400/220/132 केवी स्विचगीयर उपकरण विनिर्देशन के कोर मेंबर थे। वर्ष 1985–86 में उन्होंने देवीघाट हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण के बारे में नेपाल सरकार के सलाहकार के रूप में सेवा की।

श्री ठक्कर सीआईजीआरई और एआईएमए के सदस्य हैं और वे विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। वे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए तकनीकी पेपर्स के लेखक/सह–लेखक रहे हैं।

उनकी नियुक्ति की तारीख को और 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार श्री प्रकाश ठक्कर के पास कंपनी में 4030 इक्विटी शेयर थे।

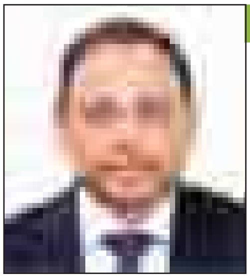

श्री अजीत कुमार, *अग्रवाल निदेशक (वित्त)*

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, उम्र 52 वर्ष, 01 अगस्त, 2012 से हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक डिग्रीधारक स्नातक हैं। वे सनदी लेखाकर संस्थान के फेलो सदस्य हैं। श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों में 29 वर्ष का अनुभव है। आरईसी में महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने विभिन्न वित्तीय कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधनों का सृजन, ऋण संवितरण और कारपोरेट लेखा और कराधान भी शामिल है। 29 मार्च, 2007 को हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे टेलीकॉम कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक थे ।

उनका दायित्व वित्तीय कार्य नीतियां तैयार करना है, ताकि कंपनी अपने सपनों को साकार कर सके। वह संगठन के वित्तीय प्रबंधन और उनके कार्य प्रबंधन से जुड़े हैं। संगठनात्मक और वित्तीय योजना, वित्तीय नीति तैयार करना, वित्तीय लेखाकरण, प्रबंधन नियंत्रण, प्रणाली रोकड़ और निधि, प्रबंधन, कर योजना, संसाधनों का सृजन और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार व्यवसायियों के साथ संपर्क करना भी उनके दायित्वों में शामिल है। वे खजाना संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों पर सलाह देते हैं।

01 अगस्त, 2012 निदेशक (वित्त) के पद का कार्यभार संभालते समय श्री अजीत कुमार अग्रवाल के पास इस कंपनी के 242 इक्विटी शेयर थे।

निदेशकों का परिचय

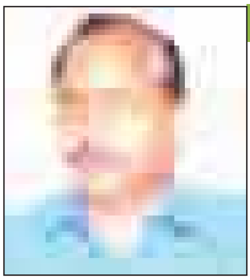

श्री देवेन्द्र सिंह, *सरकारी नामिती निदेशक*

श्री देवेन्द्र सिंह, उम्र 49 वर्ष, 29 अगस्त 2007 से हमारी कंपनी में सरकारी नामिती निदेशक हैं। उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वह वर्ष 1987 से हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और लगभग 23 वर्षों से सिविल सेवा में हैं। वे वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जहां वे ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण के प्रभारी हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने उपायुक्त, गुड़गांव, हरियाणा, उपायुक्त करनाल, निदेशक, उद्योग तथा प्रबंध निदेशक, हरियाणा आपूर्ति और विपणन परिसंघ के पद पर कार्य किया है। वे हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं।

31 मार्च, 2012 को श्री देवेन्द्र सिंह के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

डॉ. देवी सिंह, *अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक*

डॉ. देवी सिंह, उम्र 59 वर्ष, हमारी कंपनी के बोर्ड में 10 जून, 2011 से अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्हें पहले भी 7 जनवरी, 2008 को आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 6 जनवरी, 2011 को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वह भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में पीएचडी (फेलो) रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं कारोबार क्षेत्र के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव है और उन्हें अग्रणी संस्थान निर्माता के रूप में जाना जाता है। वह आठ वर्ष से भी अधिक समय तक भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक रहे हैं। उन्होंने 1999–2003 से प्रबंधन विकास संस्थान, गुडगांव के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वे फोर्ड फाउंडेशन एवं यूएनडीपी अध्येता (अंतरराष्ट्रीय प्रबंध शिक्षा) रहे हैं। स्लोवेनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम केन्द्र, ईएससीएपी यूरोप, एसकेके ग्रेज्युट बिजनेस स्कूल, सिओल में विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। उन्होंने भारत के अग्रणी बिजनेस स्कूलों में अध्यापन किया है। उन्हें ''आईएसटीई नेशनल फैलो 2007'' ''यूपी रत्न 2008'' तथा ''ईशान नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर आफ ए बिजनेस स्कूल 1999'' और अन्य कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें वर्ष 2000 में अमरिकी बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट, यूएसए में ''मैन ऑफ दि मिलेनियम अवार्ड'' से सम्मानित किया गया था। आरईसी के साथ–साथ वे अग्रणी भारतीय निगमों के बोर्ड में भी रह चुके हैं। वे अग्रणी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के बोर्ड/कार्यकारी परिषद में भी रहे हैं।

नियुक्ति के समय तथा 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार श्री देवी सिंह के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

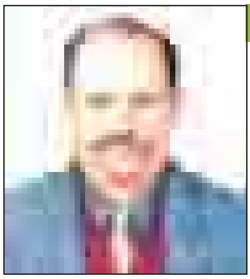

डॉ. गोविन्द मारापल्ली राव, *अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक निदेशक*

डॉ. गोविन्द मारापल्ली राव, उम्र 65 वर्ष, हमारी कंपनी के बोर्ड में 10 जून, 2011 से अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्हें पहले 20 दिसंबर, 2007 को आरईसी के निदेशक मंडल के अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया था और उन्होंने 19 दिसंबर, 2010 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था। उनके पास अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की डिग्री है। वे भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। इस समय वे राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के निदेशक हैं। इससे पहले वे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान(एनआईपीएफपी), बेंगलूर के निदेशक (1998–2002), रिसर्च स्कूल ऑफ पेसिफिक एंड एशियन स्टडीज, आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया के फेलो (1995–1998), एनआईपीएफपी के प्रोफेसर (1985–1995) तथा वित्त आयोग, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार (1987–1990) रहे। वे आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलूर और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनामिक्स, चेन्नई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं। डॉ. गोविन्द राव, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा यूएनडीपी के परामर्शदाता रहे हैं और उन्होंने कई विकासशील देशों में विकास के विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया है। वे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक भी हैं। डॉ. राव भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिणी अंचल के स्थानीय बोर्ड के सदस्य हैं। वे 17 पुस्तकों और मोनोग्राफ के लेखक हैं और उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में विभिन्न आर्थिक नीति संबंधी मुद्दों पर कई अनुसंधान लेख लिखे हैं।

नियुक्ति के समय तथा 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार डॉ. गोविंद मारापल्लीराव के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

निदेशकों का परिचय

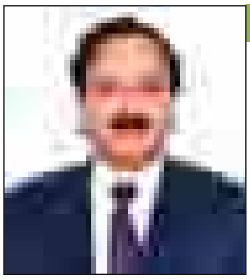

श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन, *अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक*

श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन, उम्र 64 वर्ष, हमारी कंपनी के निदेशक मंडल में 10 जून, 2011 से अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने 1971 में भारत सरकार की भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार संभाला। सरकार के सचिव के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जून, 2008 में सेवानिवृत्त होने से पहले वे पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। कार्यान्वयन और नीति निर्धारण दोनों स्तरों पर वित्त, विमानन, ऊर्जा, श्रम इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनका व्यापक अनुभव रहा है। श्री सुब्रामणियन का 1980 के दशक में वित्त मंत्रालय में विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग सृजन में काफी योगदान रहा है और उन्होंने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कई नवाचारी वित्तीय डील की हैं। वे 1990 से 1993 तक मोजाम्बीक सरकार में तीन वर्षों के लिए सलाहकार रहे हैं। वे विद्युत और श्रम मंत्रालय में राज्य सरकार के सचिव रहे हैं। नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में अपर सचिव और वित्त सलाहकार (2000–2005) रहते हुए वे विमानन और पर्यटन नीति के निर्माण से सतत रूप से जुड़े रहे हैं। वे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेलीकाप्टर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन और कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों में रहे। वे भारत में विमानन के विकास के लिए रोडमैप की सिफारिश हेतु उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव थे। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों पर अब कार्रवाई की जा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के रूप में, उन्होंने कई नई पहलें कीं, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्ष से कम समय में ग्रिड संयोजित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता में दुगुनी से भी ज्यादा वृद्धि हुई। इस समय वे इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के महासचिव हैं। वे कुछ समय पहले तक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च) में व्यवसाय विकास सलाहकार भी थे। वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के निदेशक मंडल में हैं। फ्रीलांस सलाहकार होने के साथ–साथ, वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में (नवीकरणीय ऊर्जा) विषय के सुप्रसिद्ध वक्ता हैं।

नियुक्ति के समय तथा 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार डॉ. वेंकटरमन सुब्रामणियन के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, *अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक*

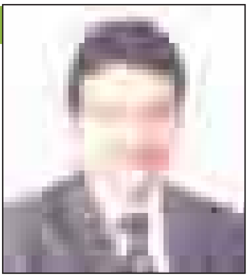

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, उम्र 45 वर्ष, आरईसी के निदेशक मंडल में 16 मार्च, 2012 से अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। वे व्यवसाय से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और मैसर्स सुनील राम एंड कंपनी, गाजियाबाद के वरिष्ठ भागीदार हैं। वे वाणिज्य स्नातक हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो हैं तथा ''स्टडी ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम'' विषय में पीएच.डी. प्राप्त की है।

वे 21 मार्च 2012 से पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में शेयरधारकों के निदेशक निर्वाचित किए गए हैं और उन्हें बोर्ड की ''जोखिम प्रबंधन समिति'' तथा ''आईटी समिति'' के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है। उन्होंने 16 मार्च, 2012 को देना बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के निदेशक के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। देना बैंक में वे प्रबंध समिति, लेखा परीक्षा समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति नामक विभिन्न समितियों के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में सहयोजित किए गए थे।

भारत सरकार ने उन्हें जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया का निदेशक और इस्पात उपभोक्ता परिषद्, इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार) का सदस्य नामित किया है। आप फिक्की की राष्ट्रीय कार्यपालक परिषद् के निर्वाचित सदस्य हैं। आप कई प्राइवेट कंपनियों के निदेशक मंडल में भी हैं, जिनमें मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मैसर्स सुविप्रा इफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लिमिटेड आदि शामिल हैं। आप एसोचैम, सीआईआई और पीएच डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सहयोजित सदस्य भी हैं। इसके अलावा, आप कई सामाजिक संगठनों, शैक्षिक समितियों और क्लबों के सदस्य हैं।

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के गाजियाबाद चैप्टर के संस्थापक सदस्य हैं और अलग–अलग समय पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की गाजियाबाद शाखा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी रहे हैं। डॉ. सुनील कुमार गुप्ता वर्ष 1998–2000 तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद् के निर्वाचित सदस्य रहे हैं।

आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी और पुस्तकों के लेखक हैं और आपने विभिन्न समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे हैं। आप जिज्ञासु और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के हैं तथा व्यक्तिगत साक्षात्कारों और सामूहिक चर्चाओं के माध्यम से ज्ञान का आदान–प्रदान करने के लिए समय निकालने में कभी भी संकोच नहीं करते हैं। आप सुविप्रा शैक्षिक न्यास और सुविप्रा शिक्षा संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं। आपकी तमाम उपलब्धियों में एक विशिष्ट गुण यह है कि आपने समाज से जो कुछ प्राप्त किया है उसके बदले बहुत कुछ देने का हौसला रखते हैं और इस प्रकार विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को भी ऐसा ही करने को प्रोत्साहित करते हैं।

नियुक्ति के समय तथा 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार डॉ. सुनील कुमार गुप्ता के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

निदेशकों की रिपोर्ट 2011–12

सेवा में,
शेयरधारक,

आपके निदेशक मंडल को लेखा परीक्षित खातों के विवरण सहित 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हमें हर्ष हो रहा है।

1. कार्य निष्पादन संबंधी मुख्य बातें

1.1 पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वर्ष 2011–12 के संबंध में कंपनी के कार्य–निष्पादन की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:–

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2011–12	2010–11
स्वीकृत ऋण (आरजीजीवाई के तहत सब्सिडी को छोड़कर)	51296.77	66419.98
संवितरण (आरजीजीवीवाई के तहत सब्सिडी सहित)	30593.30	28517.11
वसूलियां (ब्याज सहित)	18440.09	16951.31
कुल प्रचालन आय	10337.59	8256.91
कर–पूर्व लाभ	3792.86	3476.63
कर–पश्चात् लाभ	2817.03	2569.93

1.2 वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी की कुल प्रचालन आय पहले की अपेक्षा 25% बढ़ी है और यह ₹ 8256.91 करोड़ से बढ़कर ₹ 10337.59 करोड़ हो गई। कर–पश्चात लाभ पिछले वर्ष ₹ 2569. 93 करोड़ की तुलना में 10% बढ़कर ₹ 2817.03 करोड़ हो गया है।

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की ऋण संपत्ति बही में 24% की सुदृढ़ वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष के ₹ 81725 करोड़ से बढ़कर ₹ 101426 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया उधार राशि ₹ 89968 करोड़ थी।

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अर्जन प्रति शेयर (ई पी एस) ₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर ₹ 28.53 था। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी के नेटवर्थ में 15% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के ₹ 12788 करोड़ से बढ़कर ₹ 14745 करोड़ हो गया है।

1.3 लाभांश

फरवरी 2012 में प्रदत्त ₹ 5.00 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा आपके निदेशकों ने वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 2.50 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सहर्ष सिफारिश की है, जो वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के शर्ताधीन है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2011–12 के लिए कुल लाभांश ₹7.50 प्रति शेयर हो जाएगा तथा पिछले वर्ष इतना ही दिया गया था। वर्ष के लिए कुल ₹ 740.60 करोड़ की राशि (लाभांश कर को छोड़कर) लाभांश के रूप में दी जाएगी।

आरईसी अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा 7 फरवरी 2012 को केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे को रुपये 329 करोड़ का लाभांश चेक प्रस्तुत करते हुए

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च 2012 के अनुसार ₹ 1200 करोड़ की प्राधिकृत पूंजी की तुलना में जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 987.46 करोड़ है जिसमें प्रत्येक ₹ 10/- के 98,74,59,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। इक्विटी शेयर प्रदत्त पूंजी का 66.80% भारत सरकार के पास है।

2. स्वीकृत ऋण

वर्ष 2011–12 के दौरान, कंपनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंर्तगत, सब्सिडी को छोड़कर ₹ 51296.77 करोड़ के ऋण मंजूर किए, जबकि पिछले वर्ष के लिए यह राशि ₹ 66419.98 करोड़ थी। वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋणों के राज्यवार और श्रेणीवार विवरण को क्रमश **सारणी–1 और सारणी–2** में दिया गया है। कंपनी की स्थापना से 31.03.2012 तक संचयी रूप से कुल स्वीकृत ऋण ₹ 404376.79 करोड़ हो गया है, जिसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी भी शामिल है। वित्त वर्ष 2011–12 के अंत तक स्वीकृत ऋण की राज्यवार संचयी स्थिति को **सारणी–3** में दर्शाया गया है।

3. संवितरण

वर्ष 2011–12 के दौरान कुल ₹ 30593.30 करोड की राशि संवितरित की गई, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 28517.11 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी। इसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी शामिल थी। स्थापना से 31.3.2012 तक संचयी रूप से ₹ 165872.91 करोड की राशि संवितरित की जा चुकी है, जिसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी शामिल नहीं है। वर्ष के दौरान राज्यवार संवितरण और देनदारों द्वारा ऋण चुकौती विवरण के संचयी आंकड़ों और 31.3.2012 के अनुसार बकाया राशि को **सारणी–4** में दर्शाया गया है।

4. वसूलियां

4.1 वर्ष 2011–12 के दौरान ब्याज सहित वसूली के लिए प्राप्य राशि ₹ 18528.61 करोड़ थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि ₹ 16979.84 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 18440.09 करोड़ की वसूली की जबकि पिछले वर्ष में यह वसूली ₹ 16951.31 करोड़ थी। 31.3.2012 के अनुसार चूककर्ता देनदारों की ओर से अतिदेय राशि ₹ 283.64 करोड़ थी। ब्यौरा निम्नवत है–

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल राशि
1.4.2011 के अनुसार अतिदेय	195.13
वर्ष के दौरान प्राप्य राशि	18528.61
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	18440.09
31.3.2012 के अनुसार अतिदेय	283.64

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार, ₹ 11591 करोड़ के बकाया ऋण वाली तीन राज्य क्षेत्र की यूटिलिटियों की और ₹ 375 करोड़ के बकाया ऋण वाले एक प्राइवेट सेक्टर के उधारकर्ता की अपनी परियोजनाओं की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) बढ़ाए जाने के कारण मूलधन की चुकौती की अनुसूची पुनः तैयार की गई।

4.2 31.3.2012 के अनुसार ₹ 283.64 करोड़ की राशि अतिदेय थी जिसमें से 31.05.2012 तक ₹ 69.89 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी।

4.3 आपकी कंपनी गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी लाने के लिए प्रयासरत है। 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी की सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्ति ₹ 490.40 करोड़ (अर्थात सकल ऋण परिसंपत्तियों के 0.48% के बराबर) थी जबकि 31.3.2011 के अनुसार यह ₹ 19.54 करोड़ (सकल ऋण परिसंपत्तियों का 0.02%) थी। परियोजनाओं के सामने आई क्रमशः पुनर्वास/पुनर्स्थापना संबंधी मामलों और गैस की कम उपलब्धता आदि की समस्या के कारण वर्ष के दौरान ऋण प्रदान न किए जाने के फलस्वरूप श्री माहेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और कोनासीमा गैस पावर लिमिटेड को प्रदान किए गए हमारे ऋणों को मानक से नीचे की संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करना पड़ा है।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दर्शाया गया है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंड अलोन		समेकित	
	2011–12	2010–11	2011–12	2010–11
सकल आय	**10509.07**	8495.26	**10553.62**	8532.20
कर–पूर्व लाभ	**3792.86**	3476.28	**3825.80**	3498.80
मूल्यह्रास	**3.27**	3.03	**3.34**	3.06
आयकर आस्थगित कर एवं एफबीटी के लिए प्रावधान	**975.83**	906.35	**987.14**	913.91
विनियोजन के लिए उपलब्ध निवल लाभ	**2817.03**	2569.93	**2838.66**	2584.89
विनियोजनः				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित कोष में अंतरण	**681.70**	610.11	**681.70**	610.11
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक) के अंतर्गत अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों हेतु आरक्षित कोष में अंतरण	**159.59**	144.09	**159.59**	144.09
अंतरिम लाभांश	**493.73**	345.61	**493.73**	345.61
अंतरिम लाभांश पर लाभांश कर	**80.09**	57.39	**80.09**	57.39
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	**246.86**	394.98	**246.86**	395.03
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर लाभांश कर	**40.05**	64.08	**40.08**	64.09
संदेहास्पद ऋणों हेतु आरक्षित कोष में अंतरण	**-**	-	**0.43**	0.20
डिबेंचर विमोचन आरक्षित कोष में अंतरण	**113.99**	-	**113.99**	-
सामान्य आरक्षित कोष में अंतरण	**281.73**	260.00	**289.73**	263.00
अग्रेनीत शेष	**719.29**	693.67	**732.46**	705.37

टिप्पणी: *कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित अनुसूची–VI की अधिसूचना के उपरांत, 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण संशोधित अनुसूची–VI के अनुसार तैयार किए गए हैं। तदनुसार, इस वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।*

5.2 संसाधन संग्रहण

आपकी कंपनी ने प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान बाजार से ₹ 29709.36 करोड़ की रकम जुटायी। इसमें पूंजीगत लाभ कर मुक्त बांडों के रूप में ₹ 5239.36 करोड़, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीएफ के अंतर्गत इंफास्ट्रक्चर बांडों से ₹ 157.59, करोड़ आयकर अधिनियम की धारा 10(15)(iv)(ज) के तहत कर मुक्त सुरक्षित विमोच्य अपरिवर्तनीय बांडों के द्वारा ₹ 3000 करोड़, गैर–प्राथमिकता क्षेत्र के बांडों से ₹ 17465.60 करोड़, बाह्य वाणिज्यिक उधार से ₹ 3231.46 करोड तथा जर्मनी के क्रेडिटांस्टैट फर विडेराफबो (केएफडब्ल्यू) तथा जापान की जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के रूप में ₹ 615.35 करोड़ की प्राप्त राशि शामिल है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ₹ 670 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹ 3231.46 करोड़) जुटाए थे। इनमें से 220 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर स्विस बांडों से 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर सिंडिकेट आवधिक ऋण के जरिए जुटाए गए थे।

नकद उधार सुविधाएं

दिन प्रतिदिन के प्रचालन के लिए आपकी कंपनी ने विभिन्न बैंकों से नकद उधार सुविधाओं का प्रबंध किया है, जिनकी परिसीमा ₹ 2500 करोड़ है।

5.3 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों–क्राइसिल, केयर, फिच एवं इकरा से "एएए" रेटिंग प्राप्त होना जारी है। यह इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

कंपनी को मूडी तथा फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से भारत को मिली सॉवरेन रेटिंग के समान अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट प्राप्त है जो क्रमश "बीएए3" और "बीबीबी" है। "बीएए3" संतुलित क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है और "बीबीबी" यह दर्शाती है कि चूक जोखिम की संभावनाएं वर्तमान में कम हैं।

5.4 उधार की लागत

वर्ष 2011–12 के दौरान निधियों की समग्र वार्षिकीकृत औसत लागत 8.05% थी। परिणामस्वरूप, आरईसी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर वित्तपोषण करने में सक्षम था। वित्त अधिनियम, 2006 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के तहत केवल आरईसी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआईए) ही बांन्डों को जारी करके धन जुटाने के पात्र हैं।

5.5 विमोचन और पूर्व–भुगतान

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 12483.22 करोड़ की राशि चुकायी थी। इसमें भारत सरकार को ₹ 11.48 करोड़, गैर प्राथमिकता/प्राथमिकता क्षेत्र के बान्ड धारकों को ₹ 2759.22 करोड़, बांन्डों पर पूंजीगत लाभ का छूट के धारकों को ₹ 2995.11 करोड़ मूल्य की राशि बाह्य वाणिज्यिक उधार की ₹ 870.26 करोड़ की राशि, तथा सरकारी

विकास सहायता ऋणों (ओडीए) की 119.56 करोड़ की चुकौती भी शामिल है। कंपनी ने बैंकों से दीर्घावधि ऋणों के ₹ 5727.29 करोड़ की राशि भी विमोचित की।

5.6 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर, कंपनी के कुल संसाधन ₹ 108728.59 करोड़ के थे। इसमें इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 987.46 करोड़, आरक्षित एवं अधिशेष 13757.46 करोड़, भारतीय जीवन बीमा निगम, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण तथा बाजार से उधार ₹ 90056.47 करोड़ तथा अन्य देयताएं और प्रावधान ₹ 3927.20 करोड़ शामिल हैं। इन निधियों में से दीर्घावधि/अल्पावधि ऋणों के रूप में ₹ 101361.74 करोड़ तथा अचल परिसंपत्तियों के लिए ₹ 78.48 करोड़ (इसमें प्रगति में पूंजीगत निर्माण और विकासाधीन अप्रत्यक्ष संपत्ति शामिल है) ₹ 757.59 करोड़ निवेश, आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में ₹ 10.05 करोड़ की राशि को परिनियोजित किया गया, नकदी और नकदी समकक्ष ₹ 5311.48 करोड़ और अन्य संपत्ति ₹ 1209.25 करोड़ की राशि है।

5.7 नीतिगत पहल

आपकी कंपनी, बाज़ार की अपेक्षाओं के साथ अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपनी उधार और प्रचालन नीतियों/क्रियाविधियों तथा अपने कारपोरेट उद्देश्यों की सतत् रूप से समीक्षा तथा उनमें संशोधन करती रहती है।

बाज़ार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा अत्यधिक सरकारी उधार, भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार दरों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति बढ़ने आदि जैसे घटकों से संबंधित विषयों के बावजूद, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कारोबार के विकास और लाभकारिता के अपने उद्देश्यों के लाभप्रद विस्तार को संतुलित रूप से बनाये रखा है।

6 वर्तमान वितरण परिदृश्य और प्रमुख चुनौतियां

विद्युत उत्पादन की सुविधाओं से सब–स्टेशनों तक अथवा सब–स्टेशनों और उपभोक्ताओं के बीच विद्युत के समुचित एवं कुशल स्थानान्तरण के लिए विश्वसनीय पारेषण और वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। किसी पारेषण और वितरण प्रणाली में विशेष रूप से पारेषण लाइनें, सब–स्टेशन, स्विचिंग स्टेशन, ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें शामिल होती है। विभिन्न कारणों से पारेषण की तुलना में वितरण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है तथा आपकी कंपनी ने क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए देश के वितरण क्षेत्र में सदैव नई अवसंरचना का सृजन करने और मौजूदा संरचना में सुधार लाने के साथ–साथ विभिन्न सुधारात्मक उपाय करने और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

वितरण क्षेत्र उपभोक्ताओं से राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होता है और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

बिजली अधिनियम 2003 के साथ–साथ राष्ट्रीय टैरिफ नीति, राष्ट्रीय बिजली नीति, ग्राम विद्युतीकरण नीति आदि जैसी विभिन्न नीति संबंधी उद्घोषणाएं विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एक विस्तृत ढांचा और रूप–रेखा प्रस्तुत करते हैं। पिछले दशक में सुधार कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई दी है–अधिकांश राज्यों में कई हिस्सों में बांटने, निगमीकरण करने और नियामक आयोग स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अर्थात् शहरी इलाकों में सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने का पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) तथा ग्रामीण अवसंरचना को प्रोत्साहन देने के लिए अति आवश्यक आरजीजीवीवाई, पूरी गति से आगे बढ़ रहे हैं। वितरण में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए ओपन ऐक्सेस कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया गया है। आरईसी ने आर–एपीडीआरपी परियोजनाओं के एक बड़े भाग के लिए प्रतिस्थानी निधियन (काउंटर फंडिंग) की व्यवस्था की है जिसका उद्देश्य विभिन्न शहरों में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) क्षतियों को पर्याप्त रूप से कम करना है।

राज्य क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की वितरण शाखा के लिए निधियों की भारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के संभावित सुधार और पुनर्गठन के लिए एक सक्षम एवं व्यवहार्य ढांचा सृजित करने को प्रारंभिक स्फूर्ति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय बिजली निधि (एनईएफ), ब्याज सब्सिडी योजना की परिकल्पना की गई है। इस महत्वपूर्ण योजना को कार्यान्वित करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और विद्युत वितरण के क्षेत्र में कुशल ग्रिडों का विकास

प्रौद्योगिकी से बिजली प्रणाली में ''कुशलता'' आती है। अत्यधिक वास्तविक सूचना प्राप्त होने से यूटिलिटियां संपूर्ण विद्युत प्रणाली का एक समेकित ढांचे के रूप में प्रबंधन कर सकती हैं। विद्युत की मांग, आपूर्ति, लागत, गुणवत्ता और विभिन्न स्थानों एवं उपकरणों में प्रेषण में परिवर्तनों का पता लगा सकती हैं और अनुकूल कार्रवाई कर सकती हैं। बेहतर सूचना प्राप्त होने से उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के उपयोग की प्रबंध व्यवस्था कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुदृढ़ विद्युत प्रणाली अधिक कुशल होगी, उसका ऐसा उपयोग किया जा सकता है जिससे ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण कम किया जा सकता है। इससे विद्युत की उपलब्धता में सुधार होगा। तथापि, स्थानीय वितरण के स्तर पर कुशल ग्रिड का विकास पूरे नेटवर्क में समय पर आंकड़े प्राप्त करने और पर्यवेक्षी नियंत्रण करने के लिए मौजूदा ग्रिड में आईटी/इंटरनेट/संचार प्रौद्योगिकियां समाविष्ट करना अंतिम सिरे तक विद्युत का कुशल एवं अबाधित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें एकीकृत संचार प्रणाली, विवेकपूर्ण एवं युक्तियुक्त प्रौद्योगिकी, विद्युत के व्यवहार नियंत्रित और निर्धारित करने के लिए उन्नत घटक तथा वितरण ट्रांसफार्मर स्तर और उपभोक्ता स्तर तक ग्रिड का ऑनलाइन प्रबंधन शामिल है।

आर-एपीडीआरपी और एटी एंड सी क्षतियां कम करना

10वीं योजना में एपीडीआरपी के अनुभव से पता चलता है कि केवल सुशासन, वाणिज्यिक कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करके और प्रौद्योगिकी अपनाकर तथा अवसंरचना का आधुनिकीकरण करके ही सतत क्षतियों को कम किया जा सकता है। इसलिए एपीडीआरपी को अधिक कार्यनिष्पादन आधारित और वित्तीय दृष्टि से आकर्षक बनाकर इसे आर–एपीडीआरपी के रूप में पुनः आरंभ किया गया। कार्यक्रम की सफलता समस्या वाले क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करने और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी।

यह भी सूचित किया गया है कि विद्युत वितरण के क्षेत्र में ऊर्जा की कार्यकुशलता में सुधार लाने के सर्वोत्तम परिणाम अक्सर अलग–अलग फीडरों के जरिए कृषि उपभोक्ताओं को घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों को पृथक करके और ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में चोरी के संभावित

क्षेत्रों में निम्न वोल्टता वितरण प्रणालियों को उच्च वोल्टता वितरण प्रणालियों (एचवीडीएस) में बदल कर प्राप्त हुए हैं।

राष्ट्रीय बिजली निधि

वितरण क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार लाने के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), सार्वजनिक एवं प्राइवेट दोनों क्षेत्रों को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बिजली निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना स्थापित की गई है।

राष्ट्रीय बिजली निधि (एनईएफ) योजना के तहत ब्याज सब्सिडी समस्त वितरण क्षेत्र की अवसंरचना पूंजी परियोजनाओं के लिए वितरण क्षेत्र की प्राइवेट और सार्वजनिक यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रदान की जाएगी परंतु शर्त यह हैं कि प्रस्तावित कार्यों का वित्तपोषण आर–एपीडीआरपी या आरजीवीवाई योजनाओं के जरिए न किया गया हो।

राष्ट्रीय बिजली निधि दो वर्षों अर्थात 2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रूपए की राशि के ऋण संवितरण के लिए 14 वर्ष की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 8466 करोड़ रूपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय बिजली निधि योजना में गठित छानबीन समिति के अनुमोदन से राज्य यूटिलिटियों को भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराने के लिए योजना को प्रचालित करने हेतु आपकी कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

एनईएफ (ब्याज सब्सिडी) योजना के वित्तीय सहायता के लिए राज्यों को "विशेष श्रेणी" और "फोकस्ड राज्य" तथा "विशेष श्रेणी और फोकस्ड राज्यों के अलावा राज्यों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पात्रता के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों को राज्यों द्वारा हाथ में लिए सुधार के उपायों से सम्बद्ध किया गया है तथा ब्याज सब्सिडी की राशि को सुधार संबंधी पैरामीटरों में प्राप्त की गई सफलता से सम्बद्ध किया गया है।

ब्याज पर आर्थिक सब्सिडी के लिए पात्र विद्युत यूटिलिटियों को आधारभूत मापदंडों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इन पैरामीटरों के अनुसार प्राप्त समेकित अंकों के आधार पर यूटिलिटियों का वर्गीकरण किया जाएगा और वे "विशेष श्रेणी और फोकस्ड राज्यों" के अलावा राज्यों में ब्याज दरों में 3% से 5% तक की सब्सिडी के पात्र होंगे तथा "विशेष श्रेणी और फोकस्ड राज्यों" में 5% से 7% तक की सब्सिडी के पात्र होंगे। इनकी मानीटरिंग वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा यूटिलिटी की पात्रता और ब्याज में सब्सिडी का परिकलन तदनुसार किया जाएगा।

7. वित्तपोषण गतिविधियां

आरईसी, गांवों के विद्युतीकरण के अलावा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करता रहा है। वित्त वर्ष, 2011–12 के दौरान वित्तपोषण की मुख्य गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

7.1 विद्युत उत्पादन

वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी ने अतिरिक्त ऋण सहायता वाली 16 विद्युत उत्पादन/ आर एंड एम ऋण वाली योजनाएं स्वीकृत कीं। इनके लिए रुपये 22834.34 करोड़ मंजूर किये गए जिसमें अन्य संस्थानों के साथ मिल कर (कंसोर्टियम फाइनैंसिग के जरिये) किया गया वित्तपोषण शामिल है। इसमें से चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को रुपये 12349.12 करोड़ संवितरित किये गये।

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत ऋणों का क्षेत्रवार विवरण निम्नवत है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र		
नए ऋण	3	12486.22
अतिरिक्त ऋण	1	
निजी क्षेत्र		
नए ऋण	12	10348.12
योग:	16	22834.34

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तपोषण के अपने कार्यकलापों को जारी रखते हुए आपकी कंपनी ने कुल 70 मेगावाट प्रतिस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता की ग्रिड–सम्बद्ध आठ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 342.19 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की जिनकी कुल परियोजना लागत ₹ 685.47 करोड़ थी। वर्तमान लघु जल विद्युत परियोजना और सौर फोटोवोल्टाइक परियोजना के अलावा इन परियोजनाओं में 5 सौर फोटोवोल्टाइक परियोजनाएं, 2 बायो–मास परियोजनाएं और एक लघु जल विद्युत परियोजना शामिल है। आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 144.54 करोड़ की राशि संवितरित की।

7.3 पारेषण एवं वितरण

आरईसी ने अपने पारेषण एवं वितरण पोर्टफोलियो के अंतर्गत देश में नवीन मूल सुविधाएं सृजित करने तथा पारेषण एवं वितरण तंत्र के अंतर्गत पहले से मौजूद अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी है। वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने तथा साथ ही समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) क्षतियों को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार आपकी कंपनी पारेषण तंत्र के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए तथा उससे भी महत्वपूर्ण वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने की योजनाओं का वित्तपोषण करती रही है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹ 23506.64 करोड़ की कुल ऋण सहायता के साथ पारेषण एवं वितरण की 1033 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों के साथ संबद्ध प्रमुख विद्युत निकासी की योजनाएं, आर–एपीडीआरपी सहित तंत्र सुधार योजनाएं, बल्क लोन योजनाएं, गहन विद्युतीकरण योजनाएं और पंपसेट ऊर्जायन योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्रमश **सारणी 1 और 2** के अनुसार है।

तंत्र सुधार

वर्ष 2010–11 के दौरान, ₹ 19998 करोड़ के ऋण परिव्यय वाली तंत्र सुधार एवं बल्क ऋण की कुल 830 तंत्र सुधार योजनाओं को मंजूर किया गया। इनमें (1) ट्रांसफार्मर, मीटर, कैपेसिटर आदि जैसे जरूरी उपकरणों की स्थापना के रूप में वितरण प्रणाली में वित्तपोषण निवेश के लिए ₹ 2203.91 करोड़ की ऋण सहायता वाली 63 योजनाएं, (2) निम्न वोल्टता वितरण से उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) में रूपांतरण हेतु ₹ 742.24 करोड़ की ऋण

सहायता वाली 24 योजनाएं, (3) वितरण तंत्र के सुधार हेतु 2634.86 करोड़ की 101 योजनाएं, (4) आर–एपीडीआरपी परियोजनाओं के भाग–ख के प्रतिस्थानी निधियन (काउंटर फंडिंग) की दिशा में ₹ 5898.70 करोड़ की 369 योजनाएं तथा (5) पारेषण नेटवर्क में सुधार के लिए ₹ 8518.44 करोड़ की ऋण सहायता हेतु 273 योजनाएं शामिल हैं।

फीडर पृथककरण स्कीम

भारत में कृषि क्षेत्र के लिए बिजली सप्लाई पर काफी ज्यादा सब्सिडी दी जाती रही है और कृषि उपभोक्ताओं से समान्यतः सप्लाई की आने वाली लागत का लगभग दस प्रतिशत ही प्रभारित किया जाता है। अनेक राज्यों में इस वर्ग के उपभोक्ता प्रति यूनिट हार्स पावर के हिसाब से लैट रेट पर प्रति पम्प प्रति हार्सपावर के हिसाब से अदायगी करते हैं और कितनी बिजली की खपत करते हैं– ये मीटर करने की व्यवस्था वहां नही है। इन वर्गों को बिजली सप्लाई की बाकी दर का भुगतान राज्य सरकार कृषि सब्सिडी के रूप में करती है। यही नही, बिजली की फीडर वार खपत का ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि और कृषि खपत के रूप में अनुमान नही लगाया जा सकता।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोड शेडिंग के घंटें ज्यादा होते हैं क्योंकि बिजली की कमी है और वहां बिजली की खपत का कोई हिसाब किताब नही रखा जा सकता। प्रायः राज्य विद्युत संगठन कृषि उपभोक्ताओं को 6–8 घंटे तक की सप्लाई देते हैं और आमतौर पर ये सप्लाई रात में दी जाती है। इस संदर्भ में भारत के अनेक राज्यों ने ग्रामीण फीडर पृथक्करण का कार्यक्रम शुरू किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को अलग अलग फीडर द्वारा सप्लाई दी जाती है। ऐसे तंत्र के जरिये विद्युत संगठन ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली बिजली को सिंचाई के लिए निशुल्क देने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई लम्बे समय तक मिल सके। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान ने इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग अलग करने की स्कीमें शुरू कर दी है।

वित्त वर्ष 2011–12 की समाप्ति तक आरईसी ने 7079 करोड़ रुपये की सहायता फीडर पृथक्करण/पृथक्करण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को मंजूर किये हैं। आरईसी देश में वितरण मूल सुविधायें सुधारने की कोशिश की रूप में विद्युत संगठनों को इन वर्गों की स्कीमों के लिए भविष्य में सहायता देना जारी रखेगा।

पंपसेट ऊर्जायन

वर्ष 2011–12 के दौरान, आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत 329022 विद्युत सिंचाई पंपसेटों को ऊर्जायित किया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत वर्ष के दौरान, ₹ 1911.42 करोड़ की वित्तीय सहायता वाली 149 नई योजनाओं को मंजूर किया। दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार इसके राज्यवार ब्यौरे और संचयी स्थिति **सारणी–5** में दी गई है।

7.4 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण गतिविधियां

वर्ष 2011–12 के दौरान पारेषण एवं वितरण, विद्युत उत्पादन और आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को ₹ 519.52 करोड़ की राशि ऋण सहायता के रूप में वितरित की गई। साथ ही, ₹ 9634 करोड़ ऋण परिव्यय की 14 स्कीमें नगालैंड की टी एंड डी परियोजनाओं के लिए मंजूर की गईं।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

पवन विद्युत/छोटी पन बिजली/बायोमास सह उत्पादन/बायोमास विद्युत/सौर पीवी/सौर ताप और ऊर्जा कुशलता के क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए आरईसी ने 100 मिलियन ईयूआर (लगभग ₹ 700 करोड़) का ओडीए ऋण प्राप्त करने के लिए 30.3.2012 को केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ तीसरे ऋण करार पर हस्ताक्षर किए थे। ऋण अगले पांच वर्ष तक अर्थात दिसम्बर, 2017 तक प्राप्त किए जाएंगे।

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, ने केएफडब्ल्यू के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर 30 मार्च 2012 को हस्ताक्षर किए

70 मिलियन ईयूआर (लगभग ₹ 480.97 करोड़) का केएफडब्ल्यू–2 ओडीडी ऋण वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया। जेआईसीए–। और ओडीए ऋण जेपीवाई 16356 मिलियन (लगभग ₹ 778.17 करोड़) और जेपीवाई 9735 मिलियन (लगभग ₹ 520.64 करोड़) के 31.3.2012 को आहरित किए गए थे तथा केफडब्ल्यू–। के तहत यूरो 70 मिलियन (₹ 454.02 करोड़) 31.3.2012 को प्राप्त किए गए।

9. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 मार्च 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/19/2004/डी(आरई) द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)–ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और आवास विद्युतीकरण की योजना– प्रारंभ की, ताकि सभी ग्रामीण आवासों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। योजना को आरईसी के जरिए लागू किया जा रहा है। योजना के अधीन, परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए भारत सरकार द्वारा 90% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

9.1 गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासों और गांवों का विद्युतीकरण

10वीं योजना अवधि के दौरान प्रारंभ में ₹ 5000 करोड़ राशि की पूंजीगत सब्सिडी के लिए योजना के चरण–1 के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन किया गया था। इसके बाद, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना को जारी रखने के लिए विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 फरवरी 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/37/07–डी(आरई) द्वारा पूंजीगत सब्सिडी के रूप में ₹ 28000 करोड़ की मंजूरी दी गयी थी।

120142 अविद्युतीकृत/विद्युतविहीन गांवों तथा गरीबी रेखा से नीचे के 2.84 करोड़ आवासों को विद्युतीकृत करने की ₹40942.95 करोड़ की लागत वाली 645 परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया। राज्यवार ब्यौरों को **सारणी–6** में दर्शाया गया है।

संचयी रूप से योजना के अंतर्गत, 31 मार्च, 2012 के अनुसार, 104496 अविद्युतीकृत गांवों में योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 1.94 करोड़ बीपीएल आवासों को बिजली के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरों को **सारणी–7** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, यह सूचित किया गया है कि 7934 अविद्युतीकृत गांवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 3444902

बीपीएल आवासों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ₹ 2237.31 करोड़ की आरजीजीवीवाई सब्सिडी राशि को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरईसी को संवितरित किया गया।

10. आरजीजीवीवाई विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी)

10.1 आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जहां ग्रिड से कनेक्षन देना व्यवहार्य अथवा लागत प्रभावी नहीं होता, वहां डीडीजी परियोजनाओं के लिए परंपरागत अथवा नवीकरणीय गैर परंपरागत जैसे बायोमास, बायोगैस, लघु पनबिजली, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि के कनेक्षन दिए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आरजीजीवीवाई के तहत 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है जो इस स्कीम की डीडीजी परियोजनाओं की लागत के लिए होती है। लेकिन इसमे स्थानीय कर अथवा राज्य कर की राशि शामिल नहीं है जो संबद्ध राज्य/राज्य बिजली संगठन द्वारा वहन की जाती है। परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान राज्यों का होता है जो वे अपने संसाधनों से अथवा वित्तीय संस्थानो से ऋण लेकर दे सकते है। ग्यारहवीं योजना के दौरान सब्सिडी के लिए रुपये 540 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

10.2 आरजीजीवीवाई के तहत डीडीजी परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश विद्युत मंत्रालय द्वारा 12.1.2009 को जारी किए गए थे। डीडीजी परियोजनाओं को अधिक कवरेज देने और इनके तीव्र कार्यान्वयन के लिए तथा साथ ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में डीडीजी को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 5.1.2011, 17.3.2011 और 18.3.2011 को विद्युत मंत्रालय द्वारा डीडीजी दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किए गए।

10.3 वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की कुल ₹ 151.85 करोड़ की लागत की 234 डीडीजी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये अधिकांशतः उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई कर रहे हैं तथा कुछ राज्य डीडीजी परियोजनाओं का कार्य आवंटित करने एवं क्रियान्वयन संबंधी काम कर रहे हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत की गई डीडीजी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल किए गए अविद्युतीकृत गांवों/बस्तियों की संख्या	शामिल किए बीपीएल आवासों की संख्या	कुल स्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ ₹ में)
1.	आंध्र प्रदेश	76	2	95	2735	21.07
2.	बिहार	48	2	175	10143	37.85
3.	मध्य प्रदेश	48	4	170	3367	28.83
4.	उत्तर प्रदेश	62	5	103	4821	64.10
	कुल	**234**	**13**	**543**	**21066**	**151.85**

11. समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्त वर्ष 2010–11 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार आपकी कंपनी का कार्यनिष्पादन "उत्कृष्ट" आंका गया है। यह लगातार 18वीं बार है जब वर्ष 1993–94 में सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब से आपकी कंपनी ने "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है। वर्ष 2011–12 के लिए भी, कार्यनिष्पादन की उपलब्धि के आधार पर, कंपनी "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने की स्थिति में है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया **"सर्वोत्तम सूचीबद्ध सीपीएसई"** के लिए **"वर्ष 2009–10 का समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार"** प्राप्त किया है। यह पुरस्कार 31 जनवरी, 2012 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रदान किया गया।

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबध निदेशक, आरईसी, भारत सरकार के सचिव (विद्युत), श्री पी.उमाशंकर के साथ समझौता ज्ञापन 2012–13 के दस्तावेजों का आदान प्रदान करते हुए

12. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

कंपनी राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण तंत्र में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रही है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी विद्युत वितरण क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए नवीन अनुसंधान और विकास का प्रयोग करते हुए नवाचारों की खोज करती रही है।

आरजीजीवीवाई की 11वीं योजना की स्कीमों के कार्यान्वयन में सामग्री और निर्माण की उचित गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए त्रि–स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुरूप, (1) आरईसी ने गुणवत्ता मॉनीटरों (आरक्यूएम) को नियुक्त किया है, जिन्हें 25 राज्यों में 339 परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, तथा (2) देश के 24 राज्यों की 332 परियोजनाओं के लिए स्तर–2 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) नियुक्त किए गये हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011–12 के दौरान, कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आरईसी के मॉनीटरों ने 2001 सामग्री निरीक्षण तथा 6316 गांवों/सब–स्टेशनों का निरीक्षण किया तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों ने 1260 गांवों/सब–स्टेशनों का निरीक्षण किया।

13. व्यापार विकास

प्राथमिकता वाली ग्राहक नीति

व्यापार प्रोन्नति कार्यनीति के भाग के रूप में, एक प्राथमिकता वाली ग्राहक नीति 2008 में बनाई गयी। इसका मूल उद्देश्य कम्पनी के ग्राहकों को बेहतर सेवायें प्रदान करना था और उनके साथ लम्बे समय तक एक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाना था। इस नीति में पात्रता की व्यवस्था बताई गयी है जिसमें बकाया ऋण राशि, संबंध की अवधि, ऋण वापसी का पिछला रिकार्ड आदि जैसी बातें ध्यान में रखी जाती है और उन्हीं के अनुसार ग्राहक संबंध तय किये जाते हैं। तदनुसार ग्राहकों को क्षमता निर्माण/घरेलू अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/प्रशिक्षणों कार्यक्रमों में और हैदराबाद स्थित सायर में प्रायोजित किया जाता है।

वित वर्ष 2011–12 के दौरान इस नीति के अंतर्गत पंजाब ट्रांसमिशन कारपोरेशन, पंचकूला, महाराष्ट्र बिजली वितरण कम्पनी मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य पारेषण कम्पनी लिमिटेड मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कम्पनी लिमिटेड मुम्बई, दामोदर घाटी निगम कोलकाता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड चेन्नई आदि के ग्राहकों को आरईसी द्वारा एमडीआई गुड़गांव, भारत, रोम, मिलान और पेरिस के 11 दिवसीय कार्यक्रम में प्रायोजित किया गया।

14. संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स

14.1 संयुक्त उद्यम

आरईसी ने 10 दिसम्बर 2009 को तीन अन्य विद्युत क्षेत्र के उद्यमों यानी पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी को समान भागीदार बनाकर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी गठित की है जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल)। इस नई कम्पनी के लिए कुल अंश पूंजी की जरुरत 190 करोड़ रुपये है जिसके लिए सभी चार उद्यम बराबर योगदान करेंगे। ईईएसएल से उम्मीद है कि वह ऊर्जा कुशलता परियोजनाओं को लागू करने के लिए आगे आयेगी और ऊर्जा कुशल उपकरणों के इस्तेमाल के लिए एक बाजार का सृजन करेगी, और इस तरह से एनर्जी सर्विस कम्पनियों की अवधारणा आगे बढ़ायेगी तथा इस तरह की कम्पनियों के जोखिम प्रशमन के लिए एक अंशतः जोखिम गारंटी कोष का प्रबंध करेगी। इसके अलावा ये नई कम्पनी वे व्यापारिक काम भी करेगी जो वर्तमान में ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशियेंसी द्वारा किये जा रहे हैं। इस प्रकार से ईईएसएल से उम्मीद की जाती है कि वो नेशनल मिशन फार इन्हैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (एनएमईई) की सभी सिफारिशें लागू करेगी। यह मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यवाई योजना का एक अंग है। इस कम्पनी की व्यापार योजना में बिल्डिंग कोड और ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं की शुरुआत और कृषि मांग पक्ष प्रबंधन शामिल हैं। म्युनिसपल डीएसएम, बचत लैम्प योजना, और अन्य इसी तरह के कार्य भी ये कम्पनी करेगी।

14.2 एसोसिएट कम्पनी

आप की कम्पनी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) में 31 मार्च 2012 तक 1.25 करोड़ रुपये का अंशदान किया है जो इस नई कम्पनी की चुकता पूंजी के 4.68 प्रतिशत के बराबर है। आईईएक्स की राष्ट्र व्यापी उपस्थिति है।

15. ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली

15.1 आपकी कंपनी के सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जैसे केंद्रीय लेखांकन, परियोजना मूल्यांकन और मंजूरी, ऋण खातों का प्रबंधन और संवितरण, रोकड़ प्रबंधन तथा खजाना प्रकार्य आदि ईआरपी के माध्यम से कर रही है जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक दक्षता में सुधार हुआ है और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सुविधा हुई है। डाटा केंद्र ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूशन (या बीएसआई) द्वारा आईएसओ/आईईसी 27001:2005 सुरक्षा मानक प्रमाणित है। अधिक कुशल ई–गवर्नेंस और पारदर्शिता के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आरईसी ने "ई–प्रोक्योरमेंट" (ऑनलाइन प्राक्योरमेंट प्रणाली) लागू की है।

15.2 कार्यालय में कागज–विहीन प्रणाली लागू करने की दिशा में एक कदम के रूप में आपकी कंपनी ने डाक्यूमेंट मैनेजमेंट प्रणाली लागू करके दस्तावेजों के अंकीकरण (डिजिटाइजेशन) की परियोजना शुरू की है। कारपोरेट कार्यालय के महत्वपूर्ण डिवीजनों को इस प्रणाली के तहत लाया गया है। इस प्रणाली का विस्तार कारपोरेट कार्यालय के अन्य डिवीजनों और आंचलिक और परियोजना कार्यालयों में किया जा रहा है। ईआरपी के प्रचालन के लिए वर्तमान कोल्ड डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी) को हॉट डीआरसी के रूप में उन्नयन करने का कार्य भी शुरू किया गया है।

16. केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

16.1 आरईसी के संरक्षण में केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) की स्थापना वर्ष 1979 में हैदराबाद में की गयी थी, ताकि विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र के इंजीनियरों एवं प्रबंधकों तथा विद्युत और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों की प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसमें अत्याधुनिक विषयों और महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

16.2 विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय फ्रैंचाइजियों के कार्यान्वयन तथा मानव संसाधन विकास घटक के अधीन समूह ग एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सायर को नोडल एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 40,000 फ्रैंचाइजियों तथा समूह ग एवं घ श्रेणी के 75,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्ष 2011–12 के दौरान सायर/आरईसी के लिए 44 विद्युत यूटिलिटियों के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न किए गए हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान, 12431 फ्रैंचाइजी कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 16051 लोगों ने भाग लिया तथा समूह ग एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 1076 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें देश की विभिन्न यूटिलिटियों के 24782 कर्मियों ने भाग लिया। एक मार्च, 2012 तक 3204 सी एंड डी कार्यक्रम और 1107 फ्रैंचाइजी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें क्रमशः 76793 और 40843 कर्मचारियों ने भाग लिया।

16.3 नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सायर ने 16 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया, जिनमें विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों/वितरण कंपनियों के 345 कर्मियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषयों में ऊर्जा की चोरी–तकनीकी और विधिक उपाय, वितरण प्रणालियों में लाइनों और सबस्टेशनों के लिए निर्माण मानक, ओपन ऐक्सेस, पावर ट्रेडिंग एंड टैरिफ–एबीटी परिदृष्य, मीटर लगाने की अद्यतन प्रवृत्तियां, ईएचटी पारेषण लाइन–डिजाइन और ओएंडएम, विद्युत प्रतिष्ठानों में अर्थिंग की पद्धतियां और सुरक्षा संबंधी सावधानियां, सब–स्टेशनों में सुरक्षा प्रणाली, रिऐक्टिव पावर मैनेजमेंट, ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों का प्रचालन और अनुरक्षण, वितरण स्वचालन और विद्युत यूटिलिटियों के लिए एससीएडीए, विद्युत खरीद करार, ईएचटी सब–स्टेशनों का डिजाइन, उत्थापन, ओएंडएम, विद्युत और वितरण ट्रांसफार्मर–कुशल ओएंडएम, विद्युत वितरण का अनुरक्षण, प्रबंधन, पन बिजली घरों का डिजाइन और ओएंडएम शामिल हैं।

16.4 प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर ने 4 अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) कार्यक्रम आयोजित किए तथा 113 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। एक कार्यक्रम "अर्थिंग प्रैक्टिसेज" टोरेंटो पावर लिमिटेड, अहमदाबाद के कार्यपालकों के लिए आयोजित किया गया था तथा तीन कार्यक्रम "ऊर्जा की चोरी–विधिक उपाय", "वितरण प्रणालियों में लाइनों और सब–स्टेशनों के लिए निर्माण मानक", और "33/11 केवी सबस्टेशनों का प्रचालन एवं अनुरक्षण" के बारे में बिजली विभाग, अंडमान एवं निकोबार, पोर्ट–ब्लेयर के कार्यपालक अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए।

16.5 नियमित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

आईटीईसी/एससीएएपी के तहत विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सायर को पैनल में शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान सायर ने 7 अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 82 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों के विषय थे: आईटी/ऑटोमेटेड सोल्युशनों के जरिए विद्युत यूटिलिटियों का व्यवसाय प्रबंधन; विद्युत वितरण क्षेत्र का आधुनिकीकरण; विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली की योजना और प्रबंधन; विद्युत परियोजनाओं की योजना और वित्तीय प्रबंधन; विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन और ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबंधन; विद्युत उत्पादन और पारेषण प्रणाली में उत्तम पद्धतियां तथा विद्युत कंपनियों के लिए वित्तीय प्रबंधन और लेखाकरण प्रणाली।

इन कार्यक्रमों में अनेक देशों ने हिस्सा लिया अर्थात अफगानिस्तान, मिस्र, मॉरीशस, नाइजीरिया, सूडान, ग्वाटेमाला, म्यांमार, बंगलादेश,

इथोपिया, इराक, कोमोरोस, नामीबिया, उजबेकिस्तान, तंजानिया, फिलिस्तीन, कजाकिस्तान, रूस, सीरिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, यमन, वियतनाम, घाना, जिम्बाब्वे, फिलिपीन्स, केन्या आदि।

16.6 सहयोग से आयोजित कार्यक्रम

सायर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के साथ यूएसएआईडी के सहयोग से विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित डीआरयूएम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान उसके 5 कार्यक्रमों, यथा विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन और कार्मिक प्रबंधन; विद्युत वितरण यूटिलिटियों के लिए वित्तीय प्रबंधन; गैर–वित्त कार्यपालकों के लिए वित्त; विद्युत यूटिलिटियों के लिए संविदा प्रबंधन और सामग्री प्रबंधन एवं ई–प्रापण आयोजित किए। इनमें विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के 66 कर्मियों ने भाग लिया।

16.7 वितरण सुधार, उन्नयन तथा प्रबंधन (ड्रम) कार्यक्रम

पावर फाइनेंस कारपोरेशन के जरिये यूएसएआईडी की वित्तीय सहायता से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ड्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए सायर को एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पैनल में शामिल किया गया है। सायर ने 17 कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें अधिकांश ऑफसाइट कार्यक्रम (यूटिलिटियों के परिसरों में) थे तथा इनमें देश की विभिन्न यूटिलिटियों के 483 प्रतिभागियों को अनेक विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न विषय थे– विद्युत प्रणालियों में उत्तम पद्धतियां; प्रचालन और अनुरक्षण; वितरण कुशलता और मांग पक्ष का प्रबंधन; वितरण क्षति कम करने में उत्तम पद्धतियां; संचार कौशल; कर्मचारियों को प्रेरित करना और नैतिक विकास; आपदा प्रबंधन; विद्युत सुरक्षा की पद्धतियां और दुर्घटना निवारण एवं वितरण व्यवसाय में वित्तीय प्रबंधन।

16.8 आर–एपीडीआरपी कार्यक्रम

सायर एक भागीदार संस्थान के रूप में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. के जरिए विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आर–एपीडीआरपी कार्यक्रम आयोजित करता है। सायर ने एपीडीसीएल, एपीईपीडीसीएल, डीएचबीवीएन और केएसईबी के लिए "33/11 केवी सब–स्टेशनों के प्रचालन और अनुरक्षण" के बारे में चार आर–एपीडीआरपी कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

16.9 पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सायर द्वारा एनटीपी कार्यक्रमों का आयोजन

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान सायर ने, पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थान के रूप में, विभिन्न यूटिलिटियों के लिए 49 फ्रैंचाइजी कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 2011 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा 7 सी एंड डी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 165 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सायर ने विद्युत यूटिलिटियों के नोडल अफसरों के लिए "नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम वेब पोर्टल" के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के 22 कार्यपालकों ने इसमें भाग लिया।

16.10 कुल मिलाकर वर्ष 2011–12 के दौरान, सायर ने फ्रैंचाइजियों तथा समूह ग एवं घ श्रेणी के कर्मियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय और मॉनीटरिंग करने के अलावा, 115 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया तथा 3485 कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:–

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	नियमित–राष्ट्रीय कार्यक्रम	16	345
2.	प्रायोजित–राष्ट्रीय कार्यक्रम	4	113
3.	नियमित–अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	7	82
4.	आईपीई के सहयोग से कार्यक्रम	5	66
5.	यूएसएआईडी द्वारा प्रायोजित ड्रम कार्यक्रम	17	483
6.	विद्युत मंत्रालय/पीएफसी द्वारा प्रायोजित आर–एपीडीआरपी कार्यक्रम	4	135
7.	फ्रैंचाइजियों हेतु सायर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	49	2011
8.	समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों हेतु सायर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	7	165
9.	आंतरिक और अन्य कार्यक्रम	6	85
	जोड़	115	3485

17. जोखिम प्रबंधन

17.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसके अंतर्गत संपत्ति देयता प्रबंधन और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। वर्तमान में आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति क्रियाशील है। इसमें निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), कार्यकारी निदेशक (वित्त), वित्त, उत्पादन, पारेषण एवं वितरण शाखा के महाप्रबंधक तथा आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा नामित एक अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है। यह समिति जोखिम के संदर्भ में नकदी, ब्याज दरों तथा मुद्रा दरों पर नजर रखती है। नकदी अंतराल विश्लेषण की सहायता से नकदी जोखिम पर नजर रखी जा रही है तथा यह समिति मिश्रित नीतियों, जैसे पूर्वानुमानित संवितरण एवं परिपक्वता देयताओं पर आधारित भावी संसाधन जुटाने के कार्यक्रम, के द्वारा नकदी जोखिम प्रबंधन करती है। ब्याज दर जोखिम को ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के जरिए मॉनीटर किया जाता है तथा उधार दरों और उधार की लागत तथा ऋण एवं उधार की शर्तों की समीक्षा के द्वारा उसका प्रबंध किया जाता है।

17.2 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विभिन्न डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम से संबद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा उधार के साथ संबद्ध जोखिम का प्रबंध करने के लिए एक हेजिंग नीति स्थापित की है।

31 मार्च, 2012 के अनुसार बकाया कुल विदेशी मुद्रा देयताओं में से, 66% का पूरा हेजिंग कर लिया गया है, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:

मुद्रा	कुल		हेज्ड (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अनहेज्ड	
	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	आईएनआर समकक्ष (करोड़ में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	आईएनआर समकक्ष (करोड़ में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन में)	आईएनआर समकक्ष (करोड़ में)
जेपीवाई	35669.38	1969.21	23144.38	1187.28	12525.00	781.93
यूरो	121.58	818.03	51.58	339.65	70.00	478.38
यूएसडी	1470.00	6778.29	1220.00	5499.38	250.00	1278.91
सीएचएफ	200.00	1132.56	–	–	200.00	1132.56
कुल	–	**10698.09**	–	**7026.31**	–	**3671.78**

17.3 उद्यम वार एकीकृत जोखिम प्रबंधन

कंपनी के एकीकृत जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ने निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) तथा एक अंशकालिक गैर–सरकारी, स्वतंत्र निदेशक की सदस्यता वाली एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य संभावित विभिन्न जोखिमों को मॉनीटर करना तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों और कंपनी द्वारा अपनायी गई पद्धतियों की जांच, तथा कंपनी के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न जोखिम का प्रशमन करने के लिए कार्रवाई शुरू करना है।

18. आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण

आपकी कंपनी ने अपने कारपोरेट कार्यालय के छह बड़े प्रभागों और देश भर में स्थित सभी परियोजना कार्यालयों में आईएसओ 9001:2008 के मानकों के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था लागू कर दी है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आईएसओ 9001:2008 के दो बैचों का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण से कुल 33 प्रतिभागियों ने लाभ उठाया।

19. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी के कार्यपालकों को व्यवसायीकृत करने तथा नये युवा लोगों को शामिल करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान 10 कार्यपालक खुले विज्ञापन के जरिए नियुक्त किये गये। 12 कार्यपालकों को इस प्रयोजनार्थ पैनलबद्ध प्रमुख संस्थाओं से कैंपस के माध्यम से नियुक्त किया गया। 31.3.2012 को निगम की कुल जनशक्ति 678 थी, जिसमें 432 कार्यपालक और 246 गैर–कार्यपालक कर्मचारी शामिल हैं।

19.1 रोजगार में आरक्षण

कंपनी द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति आदि के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नवत है:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति
क	378(366)	36(32)	9(9)
ख	123(137)	15(18)	3(3)
ग	83(87)	15(17)	0(0)
घ	94(98)	28(30)	2(2)
कुल	**678(688)**	**94(97)**	**14(14)**

(कोष्ठक में दी गयी संख्या पिछले वर्ष की स्थिति दर्शाती है)

19.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में समर्थ बनाने, उन्हें अनेक कौशलों से लैस करने के लिए प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देना जारी रहा। आरईसी प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास नीति का उद्देश्य प्रबंधकीय कौशल में अभिवृद्धि करना तथा कर्मचारी के कार्य–निष्पादन एवं उत्पादकता को उन्नत करने के लिए उनको यथासंभव सहायता एवं अवसर प्रदान करना है।

अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर तथा उन्हें पूरा करने के माध्यम के रूप में कंपनी ने देश–विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में शामिल होने के लिए अपने 211 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा 20 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया, जिनमें 381 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें "प्रबंधन प्रणाली की प्रबंधकीय प्रभावकारिता और कार्यनिष्पादन विषय पर भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ द्वारा आयोजित चार कार्यक्रम शामिल हैं।

19.3 कर्मचारी कल्याण और खेलकूद

आपकी कंपनी कर्मचारियों को कल्याणकारी सुविधाओं की एक विस्तृत रेंज के कार्यकलाप उपलब्ध करा रही है, ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने को देखते हुए उनकी विविध आवश्यकताओं का प्रबंध किया जा सके।

वित्त वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यकलापों में आरईसी ने विद्युत खेल–कूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय, के संरक्षण में 22 से 25 नवंबर, 2011 तक नई दिल्ली में 14वें इंटर–सीपीएसयू कैरम (पुरूष एवं महिला) टूर्नामेंट, 2011–12 की मेजबानी की और साथ ही विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न सीपीएसयू द्वारा आयोजित इंटर-सीपीएसयू (शतरंज/टेबल टेनिस/कबड्डी) टूर्नामेंटों के लिए अपनी टीमें भेजी।

19.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करती है। महिला कर्मचारियों से संबंधित मामलों का ध्यान रखने और कंपनी में उनके लिए काम का सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दो अलग-अलग समितियां अर्थात् (1) "महिला सेल" और (2) "शिकायत समिति" कार्य कर रही हैं, जिनमें एक स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधित्व है। आरईसी के महिला सैल ने 6 मार्च, 2012 को "अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनाया।

19.5 औद्योगिक संबंध

कंपनी में औद्योगिक संबध सद्भावनापूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे। सुदृढ़ औद्योगिक संबंध सहभागितापूर्ण एवं सार्थक निर्णय लेने तथा कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच सूचना के आदान–प्रदान पर निर्भर करते हैं जिससे संगठन में औद्योगिक लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। कर्मचारियों के कल्याण और लाभ से संबधित महत्वपूर्ण विषयों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी संघ के साथ सलाह करके भागीदारी का निर्णय लेने की प्रक्रिया जारी रखी है। उक्त संतुलित प्रक्रिया से अधिकांश मामलों में आम सहमति प्राप्त की गई जो कंपनी में व्याप्त परस्पर विश्वास एवं सदभावनापूर्ण संबंधों को दर्शाता है।

सही मायनों में भागीदारी की संस्कृति के अनुरूप, जिसे संगठन में गंभीरता से प्रोत्साहित और व्यवहार में लाया जाता है, कर्मचारी यूनियन और अधिकारी संघ के साथ समय-समय पर पारस्परिक संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

19.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। इस समिति के कार्यक्षेत्र को और अधिक बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें लोक शिकायतों को भी शामिल किया जा सके। कारपोरेट कार्यालय तथा आंचलिक/परियोजना कार्यालयों और सायर में प्रभागाध्यक्षों द्वारा

शिकायतों को सुनने के लिए सप्ताह के एक दिन को बैठक दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है।

20. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

20.1 वर्ष के दौरान, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलों का सभी हितधारकों के सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आरईसी के कारोबार प्रचालन को एकीकृत करने को ध्यान में रखते हुए, सक्रिय रूप से अनुसरण किया गया। आरईसी द्वारा इस कार्य पर रणनीतिक ध्यान दिया गया। सीएसआर कार्यक्रमों की पहचान करते हुए आरईसी ने सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरण से संबधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया।

वर्ष 2011–12 के लिए सीएसआर बजट करोपरान्त लाभ (पीएटी) के 0.50% की दर से आवंटित किया गया था जो ₹12.85 करोड़ बैठता है। व्यावहारिक सीएसआर परियोजनाओं का पता लगाया गया और कुल मिलाकर ₹14.10 करोड़ की सहायता स्वीकृत की गई। समझौता ज्ञापन के ₹12.85 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान ₹12.99 करोड़ की राशि संवितरित की गई है। इस प्रकार सीएसआर कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांगों के आरईसी–अमर सेवा संगम केन्द्र का भारत सरकार के विद्युत सचिव, श्री पी.उमाशंकर और आरईसी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव शर्मा द्वारा उद्घाटन

आधारभूत सर्वेक्षणों और आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर आधारित निम्नलिखित परियोजनाएं आरंभ की गई:

(i) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) द्वारा भारत सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रम "साक्षर भारत मिशन" को कार्यान्वित करने के लिए साक्षरता की निम्न प्रतिशतता वाले अभिज्ञात छह राज्यों को ₹10.50 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। इन राज्यों में साक्षर भारत मिशन के तहत 1.61 लाख से अधिक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र (एईसी) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आईसीटी अवसंरचना अर्थात कंप्यूटर, फर्नीचर और श्रव्य एवं दृश्य उपकरण उपलब्ध करा कर वर्तमान प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों (एईसी) का आदर्श एईसी के रूप में उन्नयन करने का प्रस्ताव है। अवसंरचना के सृजन सहित शिक्षा को बढ़ावा देने के सीएसआर उद्देश्य और आरईसी की सीएसआर नीति के अनुरूप आपकी कंपनी ने ₹ 2.5 लाख प्रति केंद्र की दर से ग्रामीण इलाकों में 220 प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के उन्नयन की स्वीकृति दी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्लेटफार्म/हब तैयार किया जाएगा जिनमें साक्षर व्यक्ति उच्च कौशल प्राप्त करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे और इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में आजीविका एवं रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों/जिला मुख्यालयों में राज्य संसाधन केंद्रों (एसआरसी) द्वारा ₹ 5 लाख की दर से 100 नए एमएईसी एवं व्यावयायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे निरक्षरों और साक्षरों दोनों के लिए शिक्षा का एक हब स्थापित होगा, जिनमें विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेकर उच्च कौशल प्राप्त करेंगे जिसके फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों में आजीविका और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

(ii) डा. रेड्डी फाउंडेशन को ₹ 1.63 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो डा. रेड्डी लेबोरेटरीज़, हैदराबाद की सीएसआर शाखा है। यह कौशल को उन्नत करती है और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करती है जिससे छह राज्यों अर्थात् ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में स्थित 15 केंद्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2400 ग्रामीण/उपनगरीय युवाओं के लिए आजीविका एवं रोजगार के अवसरों का सृजन होता है।

(iii) निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) को ₹1.53 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो कि उद्दिष्ट प्रशिक्षण केंद्रों अर्थात फरीदाबाद (हरियाणा), गाजियाबाद, सिधौली और रामशाहपुर (उत्तर प्रदेश) और पावापुरी (बिहार) में निर्माण उद्योग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 500 ग्रामीण/उपनगरीय युवाओं के लिए आजीविका एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल का उन्नयन करती है और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है।

(iv) इसके अलावा, एशियाई चैम्पियनशिप ट्राफी 2011 जीतने के लिए ₹ 1.15 लाख प्रति खिलाड़ी और लंदन ओलंपिक 2012 के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक लाख रूपए प्रति खिलाड़ी पुरस्कार देकर देश की हॉकी टीम का सम्मान किया गया।

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान आरंभ की गई सभी सीएसआर परियोजनाओं का समवर्ती एवं अंतिम मूल्यांकन डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में वित्त वर्ष 2011–12 में एक बाह्य एजेंसी को नियोजित करके सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

माननीय केंद्रीय शिक्षामंत्री श्री कपिल सिब्बल की उपस्थिति में आरईसी अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा और राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण के सीईओ श्री जगमोहन सिंह राजू (बायें) ने भारत सरकार के **साक्षर भारत अभियान** में आरईसी सीएसआर द्वारा अंशदान देने के समझौता ज्ञापन पर 13 मार्च 2012 को हस्ताक्षर करते हुए।

21. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को बनाये रखा है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न संव्यवहारों की परिशुद्ध और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालनों की कुशलता तथा सांविधिक नियमों, विनियमों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सका है। सभी जांच और संतुलन के बिंदु सही होने तथा सभी आंतरिक नियंत्रणों की सुव्यवस्थितता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित और व्यापक रूप से विभागीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित की जाती है तथा कुछ चुनिंदा परियोजना कार्यालयों की लेखापरीक्षा अनुभवी चार्टर्ड लेखाकार फर्मों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा समिति सांविधिक रूप से विभिन्न लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों की सार्थक रूप से समीक्षा करती है। यह कंपनी अधिनियम और सूचीकरण अनुबंध में विनिर्दिष्ट नियमानुसार किया जाता है।

22. सतर्कता कार्यकलाप

22.1 सतर्कता प्रभाग ने प्रणालियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। इस प्रयोजन से उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कार्यात्मक प्रभागों के साथ नियमित रूप से बैठकें की गईं जिनमें सुधार करने की जरूरत थी। आरईसी के सीडीए नियमों की समीक्षा की गई और उन्हें अधिक व्यापक बनाने के लिए उनमें संशोधन किया गया। भर्ती की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसेकि विज्ञापन पात्रता संबंधी मानदंड, आवेदकों के विवरण, लघु सूची में शामिल उम्मीदवारों, साक्षात्कार की तारीख और समय परिणाम आदि का अपेक्षित ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर डालकर एचआर प्रभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया। कंपनी ने आईटी आधारित बिल ट्रैकिंग प्रणाली लागू की है ताकि थर्ड पार्टियों के बिलों पर कार्रवाई 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर की जा सके। इससे थर्ड पार्टियों को अपने बिलों को कंपनी की वेबसाइट पर ढूंढने में भी सहायता मिलेगी। विभिन्न श्रेणियों अर्थात विद्युत उत्पादन और पारेषण और वितरण के लिए कंपनी में प्राप्त ऋण के आवेदनपत्रों की स्थिति कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है जिससे उधारकर्ताओं को अपने ऋण प्रस्तावों की स्थिति जानने में सुविधा हो। आईटी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के फलस्वरूप सुरक्षित सूचना उपलब्ध हो जाती है और ग्राहकों को उत्तर देने के समय में सुधार होता है जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है और औसत संवितरण की अवधि कम होती है।

22.2 निवेशकों/ऋणों की सर्विसिंग के तंत्र और संसाधन जुटाने की नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋण जुटाने के लिए अपनाई गई पद्धतियों/प्रक्रियाविधि की भी समीक्षा की गई और बाह्य एजेंसियों अर्थात् व्यवस्थापकों, प्रबंधकों, वित्त एजेंटों आदि की नियुक्ति के कार्यों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव दिए गए। सभी प्रभागाध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों–आरईसी पीडीसीएल/आरईसीटीपीसीएल को केंद्रित शिकायत हैंडलिंग प्रणाली का अनुपालन करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि विभिन्न प्रभागों में प्राप्त शिकायतों को सतर्कता प्रभागों को भेजा जाए।

22.3 कंपनी में ₹10 लाख से अधिक की खरीद के लिए ई–प्रापण प्रक्रिया लागू की गई है। सीवीसी/विद्युत मंत्रालय के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रापण संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है तथा विभिन्न निविदा प्रक्रियाविधियों के तहत प्रत्येक चरण के लिए सुनिश्चित समय–सीमा निर्धारित कर इन्हें और व्यापक बनाया गया है। इसके अलावा, वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है तथा कर्मचारियों की अचल/चल संपत्ति का ब्यौरा ऑन–लाइन दर्ज कर दिया है जिनकी सुव्यवस्थित ढंग से जांच की गई थी तथा जहां आवश्यक था, स्पष्टीकरण मांगे गए थे। विद्युत मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, कंपनी के सभी कार्यपालक अधिकारियों की अचल संपत्तियों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है तथा सतर्कता अनुमति को आईपीआर को समय पर प्रस्तुत करने से जोड़ दिया गया है।

22.4 सतर्कता प्रभाग द्वारा निरीक्षण और फील्ड के दौरे नियमित रूप से किए गए। लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सतर्कता की दृष्टि से संवीक्षा की गई। सतर्कता के बारे में कारपोरेट कार्यालय तथा फील्ड कार्यालयों के सतर्कता और गैर–सतर्कता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सम्मत सूचियां और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करते हुए कारपोरेशन में संवेदनशील पदों का पता लगाया गया तथा लम्बे समय से इन पदों पर कार्य करने वाले अधिकांश अधिकारियों को बारी–बारी से बदल दिया गया। निर्धारित आवधिक सांख्यिकीय विवरणियां सीवीसी, सीबीआई, विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी गईं।

22.5 31 अक्तूबर से 5 नवंबर, 2011 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवधि में भ्रष्टाचार दूर करने तथा निवारक सतर्कता को बढावा देने के विभिन्न प्रकार के पोस्टरों को कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजना कार्यालयों में प्रदर्शित किया गया। कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए निबंध लेखन और वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान देने के लिए प्रतिष्ठित संकाय को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल करते हुए भागीदारी सतर्कता पर विशेष बल देना शामिल था। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता प्रभाग के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की गई। इसके अलावा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी, आरईसी द्वारा सतत् रूप से समीक्षा करने के अलावा, सतर्कता प्रभाग के कार्य–निष्पादन की केंद्रीय सतर्कता आयोग, निदेशक मंडल तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नियमित रूप से जांच की गयी।

23. राजभाषा कार्यान्वयन

23.1 कंपनी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम 2011–12 में निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सभी प्रोत्साहन योजनाओं को कंपनी में लागू किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों और स्टाफ ने हिंदी में कार्य करने के प्रति रुचि दिखाई, जिसके फलस्वरूप आरईसी के दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि हुई।

23.2 ''विद्युत मंत्रालय'' के संरक्षण में 16 मई 2011 को नई दिल्ली में कंपनी द्वारा "अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन" आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने किया। बड़ी संख्या में संसद सदस्यों, विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, सुविख्यात हिंदी विद्वानों, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों ने भी इसमें भाग लिया।

23.3 राजभाषा के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा कंपनी को "राजभाषा श्री" से सम्मानित किया गया।

23.4 वर्ष के दौरान, हिंदी के प्रयोग की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कारपोरेट कार्यालय के 11 प्रभागों और 12 परियोजना कार्यालयों

का निरीक्षण किया गया तथा उन्हें कमियां दूर करने के लिए सुझाव दिए गए। वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों ने भी दो परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2011–12 में 25% कारपोरेट कार्यालय के प्रभागों और परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ परियोजना कार्यालयों के दो गुणा निरीक्षण किए। 14.9.2011 से 28.9.2011 तक हिंदी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया।

23.5 वर्ष 2011–12 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की गई जिनमें हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करने और कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देने की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

23.6 कंपनी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई है और इसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है। सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी काम करने की सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकाशन, रिपोर्टें, ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, समझौता ज्ञापन, निविदाएं, वार्षिक रिपोर्टें आदि द्विभाषी रूप में जारी की गईं। हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए मानक प्रपत्र इंटरानेट पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं।

24. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के तहत वित्तीय विवरण/दस्तावेज

कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने अपने दिनांक 08 फरवरी 2011 के परिपत्र द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (8) के अनुसरण में सभी कंपनियों को उनकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संलग्न करने की सामान्य छूट प्रदान की है बशर्ते कि कंपनियों द्वारा निश्चित शर्तों का अनुपालन किया गया हो जैसा कि इस परिपत्र में निर्धारित है। तदनुसार, अनुषंगी कंपनियों के तुलनपत्र, लाभ और हानि खाते तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें कंपनी के तुलनपत्र के साथ संलग्न नहीं की गयी हैं। तथापि, यदि कंपनी का कोई सदस्य चाहे तो ये दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जा सकते हैं। केंद्र सरकार के निदेशानुसार, अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय आंकड़े समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के रूप में दिए गए हैं और ये वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से हैं। सहायक कंपनियों सहित कंपनी के वार्षिक खाते किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। लेखांकन मानक–21 (एएस 21) जिसे कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के जरिए निर्धारित किया गया है, के अनुसरण में कंपनी ने जो समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं, उनमें अनुषंगी कंपनियों के बारे में वित्तीय विवरण भी शामिल है।

25. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय के संबंध में विवरण

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन), नियम, 1988 के अंतर्गत यहां ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित कोई सार्थक ब्यौरे नहीं हैं, क्योंकि आपकी कंपनी की अपनी कोई निर्माता सुविधाएं नहीं हैं। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने प्रचालनों में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई निर्यात कार्यकलाप/कार्यक्रम नहीं किए गए हैं तथा कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गयी है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के खर्च संबंधी ब्यौरा निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
रॉयल्टी, जानकारी (नो हाउ), व्यावसायिक परामर्श शुल्क	1.34
ब्याज	192.95
वित्तीय प्रभार	65.45
अन्य व्यय	0.69
जोड़	**260.43**

26. अनुषंगी कंपनियां

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, विशिष्ट व्यावसायिक कार्य करने के लिए आपकी कंपनी की चार अनुषंगी कंपनियां थीं। इन कंपनियों के नाम गठन की तारीख और उनमें शेयरधारिता के प्रतिशत का विवरण निम्नवत् है:–

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	गठन की तारीख	स्वामित्व हित की प्रतिशतता
1.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	08.01.2007	100%
2.	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	12.07.2007	100%
3.	वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल)* (आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	21.04.2011	100%
4.	विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल) (आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)	30.11.2011	100%

*आरईसीटीपीसीएल, वीटीसीएल, और पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में दी गई शर्तों और निबंधनों के फलस्वरूप वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) को 18 अप्रैल, 2012 को पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया गया है।

26.1 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

वर्ष के दौरान, आरईसी की अनुषंगी कंपनी आरईसीटीपीसीएल ने वेमागिरी एरिया– पैकेज–ए के आईपीपी के साथ सहयोजित पारेषण तंत्र के लिए विकासक की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रयोजन के लिए, उक्त परियोजना के विकास हेतु आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) को एक परियोजना–विशिष्ट एसपीवी के रूप में 21 अप्रैल 2011 को निगमित किया गया था। आरईसीटीपीसीएल ने पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में बोलीदाताओं के लघु–सूचीयन के लिए 'रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन' हेतु वैश्विक बोली आमंत्रित की। चयन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, 20.03.2012 को पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को लैटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया जो 119.74 करोड़

रू. प्रतिवर्ष के न्यूनतम स्तरीय पारेषण टैरिफ के साथ सफल बोलीदाता बना। 18.28 करोड़ रूपए की राशि के अर्जन मूल्य का भुगतान करने के बाद दिनांक 18.4.2012 को पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लि. के 100% शेयरों का अधिग्रहण कर लिया। उक्त राशि में ₹ 15.00 करोड़ की व्यावसायिक फीस शामिल है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने परियोजना के लिए विकासक का चयन करने के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए आरईसीटीपीसीएल को 7 अक्तूबर 2011 को एक नई परियोजना अर्थात् "इवेक्युएशन सिस्टम फॉर विजाग–वेमागिरी प्रोजेक्ट्स–हिंदुजा (1040 मेगावाट) आबंटित कर दी। इस प्रयोजन के लिए, उक्त परियोजना के विकास हेतु आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में 30 नवंबर, 2011 को एक परियोजना–विशिष्ट एसपीवी अर्थात् विजाग ट्रांसमिशन लि. (वीटीएल) निगमित की गई थी। आरईसीटीपीसीएल ने पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में बोलीदाताओं की लघु सूची तैयार करने के लिए रेसपोंस टु रिक्वेस्ट फॉर क्वालीफिकेशन (आरएफपी) हेतु दिनांक 7 दिसंबर, 2011 को विश्वव्यापी निविदा आमंत्रित कर ली। सीटीयू ने आरईसीटीपीसीएल को सलाह दी कि अगली सूचना तक विकासक के चयन की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। अन्य दो परियोजनाओं यानि ट्रांसमिशन सिस्टम एसोसिएटेड विद आईपीपीज ऑफ वेमागिरी एरिया, पैकेज बी एंड पैकेज सी, इन परियोजनाओं में पर्याप्त प्रगति होते ही शुरू कर दी जाएगी।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) ₹ 18.10 करोड़ की आय अर्जित करने में सक्षम हो गया। वर्ष के दौरान, कर–पूर्व लाभ तथा कर–उपरांत लाभ क्रमशः ₹ 18.09 करोड़ तथा ₹ 11.71 करोड़ था। आरईसीटीपीसीएल का नेटवर्थ ₹ 42.36 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि आरईसी द्वारा प्रारंभ में प्रदान की गयी पूंजी ₹0.05 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2011–12 के लिए निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन प्रति शेयर 20 रुपए की दर से लाभांश की सिफारिश की है।

26.2 आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

वर्ष के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और फीडर नवीकरण कार्यक्रम (एफआरपी) उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) निर्माण के तहत क्रमशः 9634 गांवों तथा 1489 फीडरों के तृतीय पक्ष निरीक्षण का कीर्तिमान हासिल किया है। कंपनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 15 वितरण कंपनियों में सामग्री निरीक्षण तथा उत्तर हरियाणा बिजली विद्युत निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन) का सामग्री निरीक्षण किया।

राजरत्न इनर्जी होल्डिंग प्राइवेट लि. द्वारा ओडिशा के बोलनगीर जिले में स्थापित किए गए एक मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन संयंत्र, स्विस पार्क वाणिज्य प्राइवेट लि. द्वारा तीनवाड़ी गांव, जोधपुर, राजस्थान में स्थापित किए गए पॉच मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन संयंत्र और अमृत जल वेंचर प्राइवेट लि. द्वारा आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में स्थापित किए गए। एक मेगावाट सौर उत्पादन संयंत्र के लिए उधारदाता इंजीनियर के कार्य निष्पादित किए हैं।

कंपनी ने नए कार्यक्रम आरंभ करके अर्थात् एमआरआई आधारित बिलिंग और आंकडों का विश्लेषण करना, आरजीजीवीवाई चरण–2 के कार्यों की संशोधित लागत का अनुमान लगाना और निविदाओं में भाग लेना शुरू करके अपने व्यवसाय के क्षेत्र को व्यापक बनाया है।

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ₹ 23.28 करोड़ की सकल आय अर्जित करने तथा कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) और करोपरान्त लाभ (पीएटी) क्रमश ₹ 12.86 करोड़ और ₹ 8.67 करोड़ कमाने में सफल रहा। कंपनी का नेटवर्थ इस वर्ष के दौरान दुगुना हो गया जो ₹ 16.12 करोड़ तक पहुंच गया। इसकी तुलना में आरईसी द्वारा शुरू में ₹0.05 करोड़ की पूंजी प्रदान की गई थी। वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन वित्त वर्ष 2011–12 के लिए प्रति शेयर ₹ 10 के लाभांश की सिफारिश की है।

27. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के तहत कर्मचारियों का ब्यौरा

कंपनी का ऐसा कोई कर्मचारी नहीं जो मासिक या वार्षिक आधार पर कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक ले रहा हो।

28. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में आपके निदेशक पुष्टि करते हैं किः

(i) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करने के लिए लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है और इनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है।

(ii) कंपनी को उक्त अवधि के लाभ तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया तथा ऐसे फैसले एवं आकलन किए हैं, जो विवेकपूर्ण हैं;

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने एवं धोखेबाजी तथा अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुरूप यथेष्ट लेखा अभिलेख के अनुरक्षण पर यथोचित ध्यान दिया है;

(iv) वार्षिक खाते ऑन–ए–गोइंग कंसर्न बेसिस पर तैयार किए गए हैं।

29. निगमित सुशासन में ग्रीन इनीशिएटिव

निगमित सुशासन में ग्रीन इनीशिएटिव के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने अपने क्रमश दिनांक 21 और 29 अप्रैल, 2011 के परिपत्र संख्या 17/2011 तथा 18/2011 के द्वारा कंपनियों को अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सरकारी नोटिस/दस्तावेज भेजने की अनुमति दे दी है।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में हमारी कंपनी ने पिछले वर्ष कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 'ग्रीन इनीशिएटिव' परिपत्रों के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और वार्षिक आम

बैठक की सूचना तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा उन हितधारकों को वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान भुगतान किए गए अंतिम/अंतरिम लाभांश की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन शेयरधारकों को भेजी गई जिनके ई–मेल पते संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों के पास दर्ज थे और डिपोजिटरियों अर्थात् एनएसडीएल/ सीएसडीएल से डाउनलोड किया गया था। वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 उन शेयरधारकों को, जिनके ई-मेल पते कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, आरईसी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टी ए)/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पहले से पंजीकृत हैं, भेजी जा रही है तथा यह आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध होगी।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलैक्ट्रॉनिक पत्र प्राप्त करने के लिए ई–मेल पते पंजीकृत/अद्यतन करके कंपनी के "थिंक ग्रीन, गो ग्रीन" कार्यक्रम का समर्थन करें।

यह पुनः अवगत कराया जाता है कि इन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी के विकल्प का प्रयोग करने वाले सदस्यों सहित किसी सदस्य से मांग प्राप्त होने पर कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के तुलनपत्र तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाले विधिपरक अन्य अपेक्षित दस्तावेजों तथा कंपनी के लाभ एवं हानि खाते और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति को निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार है।

30. निदेशक मंडल

30.1 आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति की तारीख
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	29.11.2011
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	02.05.2011
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	01.08.2012
4.	श्री देवेन्द्र सिंह	सरकारी नामित निदेशक	29.08.2007
5.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	10.06.2011
6.	डॉ.गोविन्द मारापल्ली राव	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	10.06.2011
7.	श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	10.06.2011
8.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	16.03.2012

30.2 वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन आएः

30.2.1 विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 46/8/2011–आरई, दिनांक 29 नवंबर, 2011 के अनुसरण में श्री राजीव शर्मा ने 29 नवंबर, 2011 (अपराह्न) से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।

30.2.2 डॉ.ज.मो. फाटक ने 15 जून, 2010 को आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला और 16 अप्रैल, 2011 (पूर्वाह्न) को कार्यभार छोड़ दिया। श्री हरिदास खुंटेटा, निदेशक (वित्त), आरईसी 16 अप्रैल, 2011 से 29 नवंबर, 2011 (पूर्वाह्न) तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए थे।

30.2.3 विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 46/9/2010–आरई, दिनांक 2 मई 2011 के द्वारा श्री प्रकाश ठक्कर को आरईसी के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

30.2.4 विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 46/2/2010–आरई, दिनांक 10 जून, 2011 के अनुसरण में डा. देवी सिंह, डा. गोविन्द मारापल्ली राव और श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन को उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

30.2.5 श्री राकेश जैन, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, जिन्हें 20 जनवरी 2011 को कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं विद्युत मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई, 2011 से आरईसी के निदेशक मंडल से वापस ले ली गई।

30.2.6 विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 46/2/2010–आरई, दिनांक 16 मार्च, 2012 के अनुसरण में डा. सुनील कुमार गुप्ता को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

30.2.7 श्री हरि दास खुंटेटा, निदेशक (वित्त) का कार्य काल 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अधिवर्षिता पर 31 जुलाई 2012 को पूरा हो गया।

30.2.8 श्री अजीत कुमार अग्रवाल इस कम्पनी के बोर्ड में निदेशक (वित्त) नियुक्त किये गये हैं। उनका कार्यकाल पांच वर्ष होगा जो उस तारीख से प्रभावी होगा जिससे वे पदभार ग्रहण करेंगे अथवा 1 अगस्त 2012 से अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। यह विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 46/9/2011–आरई दिनांक 17 मई 2012 के अनुसरण में है।

30.3 कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82 (4) के उपबंधों के अनुसार श्री प्रकाश ठक्कर और डॉ. देवी सिंह निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो जाएंगे तथा उन्होंने, योग्य होने पर, स्वयं की पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखा है।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में "सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005" को लागू करने के लिए कंपनी ने आवश्यक कार्रवाई की है तथा

आवेदनों की प्राप्ति तथा उनसे संबंधी जानकारी प्रेषित करने से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। द्विभाषी आरटीआई पुस्तिका (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है, जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है। वर्ष 2011–12 आरटीआई से संबंधित आवेदनों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1.	आवेदन प्राप्त	104
2.	आवेदनों का निपटान	101
3.	बाद में निपटाये गए आवेदन	2
4.	अपीलीय प्रधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	5
5.	अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी, द्वारा निपटायी गई अपीलें	5
6.	सीआईसी से प्राप्त अपीलें	1
7.	सीआईसी द्वारा निपटायी गई अपीलें	सीआईसी के पास लंबित है और सीआईसी से नोटिस अभी प्राप्त होना है।

आरईसी में सूचना का अधिकार तंत्र

कारपोरेट कार्यालय

(क) सहायक जन सूचना अधिकारी
सुश्री सुरक्षा
प्रबंधक

(ख) जन सूचना अधिकारी
श्री आर.के मित्तल
महाप्रबंधक

(ग) अपीलीय प्रधिकारी
श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक

32. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 24 जुलाई 2012 के जरिये आपकी कम्पनी के 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के बारे में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत शून्य टिप्पणियां दी हैं। वर्ष 2011–12 के लिए सीएंडएजी की टिप्पणियों को आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के सामने इसी वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत किया गया है।

33. सांविधिक एवं अन्य आवश्यक सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण अनुबंध, सरकारी दिशानिर्देशों आदि के अनुसार भेजी जाने वाली अपेक्षित सूचना, इस रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार संलग्न है:–

विवरण	संलग्नक
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन के संबंध में रिपोर्ट	II
कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी निगमित सुशासन रिपोर्ट	III
कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा जारी सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	IV
अनुषंगी कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (1) (च) के अनुसरण में विवरण	V

34. सांविधिक लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने बंसल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली और पी.के चोपड़ा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को आपकी कंपनी का वर्ष 2011–12 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के खातों की लेखापरीक्षा कर ली है। रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं:–

(क) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

(ख) कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

(ग) गैर–बैंकिग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

(घ) 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण,

(ड.) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित लेखापरीक्षित तुलनपत्र और उनके साथ नत्थी किए जाने वाला संलग्नक, और

(च) 31 मार्च, 2012, को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण।

34.1 संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की आपत्तियों/टिप्पणियों के प्रत्युत्तर

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (3) के अनुसार, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की मद संख्या–3 में संदर्भित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संलग्नक के अनुच्छेद (iv) में संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के लिए सूचना/स्पष्टीकरण को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है:

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
"हमारी राय में और दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण कारपोरेशन के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप है। हालांकि, कुछ निश्चित क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रणों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदानों/सब्सिडियों का उपयोग, दिए गए ऋणों के बदले में लगाए गए प्रभारों के लिए खोज रिपोर्ट प्राप्त करने सहित विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों/ट्रांसकोस/जेनकॉस, को दिए गए ऋणों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण, ऋण परिसंपत्तियों पर बेहतर नियंत्रण बनाये रखने के लिए ईआरपी में ऋण मॉड्यूल से विभिन्न रिपोर्टों का सृजन। लेखापरीक्षा किए जाने के दौरान, हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी प्रमुख विफलता को नहीं देखा है।"	"उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ बनाये जाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

35. सचिवालयी लेखापरीक्षा

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए आपकी कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

36. आभार

निदेशकगण भारत सरकार विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत् सहयोग, समर्थन और कंपनी के कार्यों और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और अन्य ऋण लेने वालों के प्रति कंपनी में निरंतर रुचि और विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण सम्मानित शेयरधारकों, आरईसी के बांडों में निवेशकों, कंपनी के निधि संग्रहण कार्यक्रमों में बैंकों, जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सतत् समर्थन एवं सदभाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों बंसल एंड कंपनी एवं पी. के चोपड़ा, संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों, चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, सचिवालयी लेखापरीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण लगातार एक और वर्ष उत्कृष्ट निष्पादन करने के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को, उनके समर्पित प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
3 अगस्त, 2012

सारणी–1 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत 2011–12 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

रू. लाख में

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि
क.	**पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	161	279258
2	हरियाणा	41	71984
3	हिमाचल प्रदेश	28	57144
4	जम्मू और कश्मीर	4	1092
5	कर्नाटक	79	69246
6	छत्तीसगढ़	4	15489
7	मध्य प्रदेश	60	132516
8	महाराष्ट्र	157	545817
9	नगालैंड	14	9634
10	पंजाब	13	175736
11	राजस्थान	118	343110
12	तमिलनाडु	134	214849
13	उत्तर प्रदेश	181	278755
14	उत्तराखंड	7	2772
15	पश्चिम बंगाल	32	153261
	उप–जोड़ (क)	1033	2350664
ख.	**उत्पादन परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	1	272958
2	बिहार	2	967500
3	छत्तीसगढ़	2	239000
4	गुजरात	2	192000
5	झारखंड	2	180000
6	महाराष्ट्र	2	197626
7	मध्य प्रदेश	1	85000
8	पंजाब*	0	*538
9	तमिलनाडु	2	48812
10	पश्चिम बंगाल	1	100000
	उप–जोड (ख)	15	2283434
ग.	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश*	2	*5326
2	गुजरात	2	10200
3	हरियाणा	1	3644
4	हिमाचल प्रदेश*	1	*10118
5	महाराष्ट्र	1	3920
6	तमिलनाडु	1	1011
	उप–जोड़. (ग)	8	34219
घ.	**लघु अवधि ऋण**		
1	आंध्र प्रदेश	1	8000
2	हरियाणा	4	75000
3	महाराष्ट्र	2	25000
4	पंजाब	3	50000
5	राजस्थान	7	105000
6	तमिलनाडु	2	30000
7	उत्तर प्रदेश	13	105000
8	उत्तरांचल	1	10000
9	पश्चिम बंगाल	2	50000
	उप–जोड़ (घ)	35	458000
ड.	**आईसी एंड डी परियोजनाएं**		
1	हरियाणा*	0	*3360
	उप–जोड़ (घ)	0	3360
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ड.+च)	1091	5129677

*इसमें पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण शामिल है।

सारणी–2 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत 2011–12 के दौरान श्रेणीवार स्वीकृत परियोजनाएं

रु. लाख में

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड़	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि
क	**टी एंड डी परियोजनाएं**			
1	परियोजना : गहन विद्युतीकरण	पी:आईई	54	159707
2	विशेष परियोजना कृषि : पंपसेट ऊर्जायन	एसपीए: पीई	149	191142
3	परियोजना : तंत्र सुधार	पी:एसआई–वितरण	101	263486
4	परियोजना : तंत्र सुधार	पी: एसआई–वितरण (एचवीडीएस)	24	74224
5	एपीडीआरपी	एपीडीआरपी	369	589870
6	तंत्र सुधार : बल्क	बल्क	63	220391
7	परियोजना : तंत्र सुधार	पी: एसआई–पारेषण	273	851844
	उप–जोड़ (क)		1033	2350664
ख.	**परियोजना : उत्पादन**	पी: उत्पादन	15	2283434
ग.	**परियोजना : नवीकरणीय ऊर्जा**	पी: नवीकरणीय ऊर्जा		
1	बायोमास / बगैस	पी: आरईएन (बायोमास / बगैस)	2	7564
2	लघु जल विद्युत	पी: आरईएन (लघु जल विद्युत)	1	10118
3	सौर	पी: आरईएन (सौर)	5	16537
	उप–जोड़ (ग)		8	34219
घ.	**अल्पकालिक ऋण**	एसटीएल	35	458000
ङ	**परियोजना: आईसी एंड डी**	पी: आईसीएंडडी	0	3360
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)		1091	5129677

सारणी–3 : वर्ष 2011–12 तक आरईसी वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत राज्यवार संचयी स्वीकृत परियोजनाएं

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2001–02 तक		दसवीं पंचवर्षीय योजना		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना		2011–12 तक संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	4810	440263	1104	1209532	558	1300954	6472	2950750
2	अरुणाचल प्रदेश	159	29954	54	104020	16	73949	229	207923
3	असम	393	32984	33	30404	20	150197	446	213585
4	बिहार	1664	55272	73	189857	78	1671582	1815	1916710
5	छत्तीसगढ़	0	0	22	516315	63	486756	85	1003071
6	दिल्ली	2	817	6	47323	1	363707	9	411847
7	गोवा	16	2007	0	0	0	0	16	2007
8	गुजरात	1784	253470	124	527966	42	726832	1950	1508268
9	हरियाणा	1209	116989	148	395304	253	957795	1610	1470088
10	हिमाचल प्रदेश	419	52240	37	116177	125	215489	581	383906
11	जम्मू और कश्मीर	500	67243	34	93792	69	162057	603	323091
12	झारखंड	0	0	27	147602	12	255581	39	403183
13	कर्नाटक	2384	307390	472	388445	213	1276890	3069	1972726
14	केरल	1454	242741	297	241884	20	104897	1771	589522
15	मध्य प्रदेश	5111	236175	133	235711	255	971789	5499	1443675
16	महाराष्ट्र	4602	440595	833	1516910	418	2753167	5853	4710672
17	मणिपुर	146	20696	3	9463	2	9169	151	39328
18	मेघालय	105	19351	4	31571	10	44645	119	95567
19	मिजोरम	46	7879	24	20360	7	14343	77	42582
20	नगालैंड	71	7791	23	5648	36	28108	130	41547
21	ओड़िशा	1624	77691	21	120627	55	408199	1700	606517
22	पंजाब	1303	259737	216	657148	125	1161462	1644	2078347
23	राजस्थान	3012	382940	597	556042	449	2902506	4058	3841487
24	सिक्किम	36	2910	4	5626	2	3101	42	11637
25	तमिलनाडु और पुडुचेरी	3003	175458	597	380610	364	2604368	3964	3160436
26	त्रिपुरा	172	15732	6	36374	3	11189	181	63295
27	उत्तर प्रदेश	3027	223840	102	670277	557	2146380	3686	3040497
28	उत्तरांचल	0	0	84	306792	20	172884	104	479676
29	पश्चिम बंगाल	1256	59750	198	442875	78	1126536	1532	1629161
30	पुडुचेरी–संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	2	12507	2	12507
31	पारेषण एवं वितरण निजी	0	0	9	4955	10	107085	19	112040
32	उत्पादन निजी	6	3347	19	602003	64	5066680	89	5672030
	योग	**38314**	**3535262**	**5304**	**9611614**	**3927**	**27290803**	**47545**	**40437679**

टिप्पणी : स्वीकृत राशि में आरजीजीवीवाई और डीडीजी परियोजना लागत (पूंजी सब्सिडी और ऋण) शामिल है।

सारणी–4 : वर्ष 2011–12 के दौरान राज्यवार एवं कार्यक्रमवार संवितरण तथा ऋण लेने वालों द्वारा अदायगी और 31.03.2012 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(रू. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	पारेषण एवं वितरण	विद्युत उत्पादन	आरजीजीवीवाई	एसटीएल/ऋण पुनर्वित्तपोषण	वर्ष 2011–12 के दौरान कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी वर्ष के दौरान	अदायगी वर्ष के अंत तक	वर्ष 2011–12 के अंत में बकाया राशि
1	आंध्र प्रदेश	99237	94332	578	8000	202147	1772654	86331	806746	965908
2	अरुणाचल प्रदेश	280	633			913	24302	1961	15990	8312
3	असम			5392		5392	50238		26477	23761
4	बिहार		15000	2968		17968	89055	5034	29750	59304
5	छत्तीसगढ़	9775	158160			167935	502223	32729	139644	362578
6	दिल्ली		1093			1093	1093		0	1093
7	गोवा					0	1479		1479	0
8	गुजरात		3200	352		3552	646704	4481	618640	28063
9	हरियाणा	48345	103353	182	70000	221880	982907	37803	269318	713590
10	हिमाचल प्रदेश	20286	6884	214		27384	277704	74493	179452	98253
11	जम्मू और कश्मीर	3482		714		4196	122753	7204	61465	61289
12	झारखंड		29320	498		29818	200492	3919	19253	181239
13	कर्नाटक	502		580		1082	421645	14674	311075	110570
14	केरल					0	371723	6015	341736	29987
15	मध्य प्रदेश	61956	65987	4669		132612	496237	10153	167167	329070
16	महाराष्ट्र	293145	228117	556	15000	536818	2586427	86936	747978	1838449
17	मणिपुर			864		864	18308	660	3786	14523
18	मेघालय		1136	1099		2235	45794	63	12342	33452
19	मिजोरम					0	26519	5494	23558	2961
20	नगालैंड	1677		265		1942	21270	968	8456	12814
21	ओड़िशा	8016	75016	2998		86030	240312	2070	94542	145771
22	पंजाब	171240	9025		50000	230265	1274147	57919	544700	729447
23	राजस्थान	179267	48201	2142	78000	307610	1785048	114340	695236	1089812
24	सिक्किम		39798	398		40196	236815	126	3257	233558
25	तमिलनाडु	56014	229986	509	30000	316508	1786503	63022	428817	1357686
26	त्रिपुरा			410		410	12751		11055	1696
27	उत्तर प्रदेश	165968	84890	955	105000	356813	1601140	118217	673880	927260
28	उत्तरांचल	5448	23361		10000	38809	370970	36722	121141	249829
29	पश्चिम बंगाल	18786	17422	1370	10000	47578	617065	40637	86436	530630
30	विंड एनर्जी					0	3013		1291	1722
	कुल	**1143423**	**1234912**	**27714**	**376000**	**2782050**	**16587291**	**811969**	**6444665**	**10142626**
	आरजीजीवीवाई सब्सिडी					**277281**				
	समग्र योग					**3059330**				

सारणी–5 : वर्ष 2011–12 के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत ऊर्जायित पंपसेट और 31.03.2012 तक की संचयी स्थिति

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य	2011–12 के दौरान उपलब्धि (संख्या)	31–03–2012 तक संचयी उपलब्धि (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	137297	2033727
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3	असम	–	1922
4	बिहार	–	113354
5	दिल्ली	–	–
6	गोवा	–	–
7	गुजरात	–	420456
8	हरियाणा	2389	233570
9	हिमाचल प्रदेश	–	5935
10	जम्मू और कश्मीर	577	14090
11	झारखंड	–	–
12	कर्नाटक	–	862387
13	केरल	–	340882
14	मध्य प्रदेश	–	1054106
15	छत्तीसगढ़	–	–
16	महाराष्ट्र	154960	2259570
17	मणिपुर	–	29
18	मेघालय	–	58
19	मिजोरम	–	–
20	नगालैंड	–	164
21	ओड़िशा	–	63015
22	पंजाब	–	501913
23	राजस्थान	2279	496707
24	सिक्किम	–	–
25	तमिलनाडु	31520	1132287
26	त्रिपुरा	–	1530
27	उत्तर प्रदेश	–	379544
28	उत्तराखंड	–	–
29	पश्चिम बंगाल	–	82202
	कुल	**329022**	**9997448**

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

सारणी–6 आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएं (दसवीं और ग्यारहवीं योजना मिलाकर)					
		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल किए गए अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	कुल प्रदत्त/संशोधित परियोजना लागत (रु. करोड़ में)	शामिल किए गए अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)
1	आंध्र प्रदेश	26	22	0	2592140	902.40	3954128
2	अरुणाचल प्रदेश	16	16	2129	40810	944.33	76407
3	असम	23	23	8525	991656	2754.59	1414828
4	बिहार	43	38	23211	2762455	4495.82	6022036
5	छत्तीसगढ़	16	14	1188	799735	1172.73	1285545
6	गुजरात	25	25	0	955150	352.24	1595853
7	हरियाणा	18	18	0	224073	223.42	569686
8	हिमाचल प्रदेश	12	12	93	12448	342.03	36479
9	जम्मू और कश्मीर	14	14	283	136730	917.02	295221
10	झारखंड	22	22	19737	1691797	3380.82	2926260
11	कर्नाटक	25	25	132	891939	890.13	1932797
12	केरल	7	7	0	56351	149.52	92736
13	मध्य प्रदेश	32	32	806	1376242	1853.60	2653536
14	महाराष्ट्र	34	34	6	1876391	807.93	2633742
15	मणिपुर	9	9	882	107369	381.83	192148
16	मेघालय	7	7	1943	116447	441.99	188648
17	मिजोरम	8	8	137	27417	268.58	44334
18	नगालैंड	11	11	105	69900	264.71	142992
19	ओड़िशा	32	30	17895	3242789	3690.34	4858292
20	पंजाब	17	17	0	148860	183.91	405023
21	राजस्थान	40	33	4454	1750118	1331.75	2229442
22	सिक्किम	4	4	25	11458	196.54	28166
23	तमिलनाडु	26	26	0	545511	447.41	1692235
24	त्रिपुरा	4	4	160	194730	199.49	228759
25	उत्तर प्रदेश	64	65	30802	1120648	3822.05	1694075
26	उत्तरांचल	13	13	1469	281615	767.34	357309
27	पश्चिम बंगाल	28	17	4573	2699734	2738.48	3974005
	कुल	**576**	**546**	**118555**	**24724513**	**33921.00**	**41524682**
आरजीजीवीवाई के चरण–2 के अंतर्गत स्वीकृत नई परियोजनाएं							
1	छत्तीसगढ़	2	2	126	84334	175.03	126554
2	हरियाणा	3	3	0	21432	17.02	21432
3	कर्नाटक	2	2	0	27782	81.04	41733
4	केरल	7	7	0	18839	89.83	76427
5	मध्य प्रदेश	16	16	41	440049	734.96	1040977
6	तमिलनाडु	3	3	0	24369	37.27	122236
	उप–जोड	**33**	**33**	**167**	**616805**	**1135.15**	**1429359**
आरजीजीवीवाई के चरण–2 के अंतर्गत स्वीकृत पूरक परियोजनाएं							
1	बिहार	8	8	1016	1993750	2187.67	1993750
1	मध्य प्रदेश	4	4	142	56665	107.40	132280
2	महाराष्ट्र	1	1	0	19279	35.00	39407
3	पश्चिम बंगाल	1	1	17	24423	103.38	50746
4	उत्तर प्रदेश	22	22	245	943641	3453.35	4427545
	उप–जोड	36	36	1420	3037758	5886.80	6643728
	कुल	**69**	**69**	**1587**	**3654563**	**7021.95**	**8073087**
	कुल योग	**645**	**581**	**120142**	**28379076**	**40942.95**	

सारणी–7 : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संचयी उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा

(31.3.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	2010–11 तक उपलब्धि		वित्त वर्ष 2011–12 में उपलब्धि		संचयी उपलब्धि	
		अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास
1	आंध्र प्रदेश	0	2604041	0	98232	0	2702273
2	अरुणाचल प्रदेश	679	10172	634	11474	1313	21646
3	असम	6019	574771	1810	232519	7829	807290
4	बिहार	20981	1744098	1048	405736	22029	2149834
5	छत्तीसगढ़	175	433436	682	481971	857	915407
6	गुजरात	0	700684	0	102134	0	802818
7	हरियाणा	0	183825	0	10617	0	194442
8	हिमाचल प्रदेश	26	4177	52	5901	78	10078
9	जम्मू और कश्मीर	113	30601	35	13413	148	44014
10	झारखंड	17181	1161158	724	111597	17905	1272755
11	कर्नाटक	59	784592	2	49604	61	834196
12	केरल	0	17238	0	0	0	17238
13	मध्य प्रदेश	276	364418	228	352976	504	717394
14	महाराष्ट्र	0	1034415	0	126317	0	1160732
15	मणिपुर	271	9393	345	19421	616	28814
16	मेघालय	150	31976	1022	30792	1172	62768
17	मिजोरम	36	8507	53	6236	89	14743
18	नगालैंड	57	17802	22	10712	79	28514
19	ओड़िशा	13187	2229813	1039	518324	14226	2748137
20	पंजाब	0	48397	0	5528	0	53925
21	राजस्थान	3817	957739	182	85783	3999	1043522
22	सिक्किम	20	7187	5	2179	25	9366
23	तमिलनाडु	0	498873	0	4083	0	502956
24	त्रिपुरा	78	58971	49	22015	127	80986
25	उत्तर प्रदेश	27759	871920	0	172574	27759	1044494
26	उत्तरांचल	1509	225270	2	5288	1511	230558
27	पश्चिम बंगाल	4169	1366907	0	559476	4169	1926383
	कुल	**96562**	**15980381**	**7934**	**3444902**	**104496**	**19425283**

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

अनुबंध–I

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

(सूचीबद्धता करार के खंड 49 (IV)(एफ) के अनुसरण में)

कंपनी के प्रबंधन को वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. औद्योगिक ढांचा और विकास

उद्योग सिंहावलोकन

इस वर्ष के दौरान उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि 11वीं योजना में सर्वाधिक रही और वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन इस वर्ष के लिए तय 855 बिलियन यूनिट के लक्ष्य से 2.5% अधिक रहा। वित्त वर्ष 2012 के दौरान, विद्युत उत्पादन में वित्त वर्ष 2011 के उत्पादन के मुकाबले 8.1% की वृद्धि हुई जो दीर्घकालीन वार्षिक औसत वृद्धि दर (2001–02 से 2011–12 की अवधि के दौरान 5.21% के सीएजीआर) से 55% अधिक था। वित्त वर्ष 2012 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 811.1 बिलियन यूनिट के उत्पादन की तुलना में 876.8 बिलियन यूनिट रहा।

वित्त वर्ष 2012 के दौरान कुल ऊर्जा घाटा 10.2% था जबकि पीक विद्युत घाटा 11.1% रहा। वित्त वर्ष 2011 में कुल ऊर्जा घाटा 7.5% रहा था जो वित्त वर्ष 2010 और 2009 में क्रमशः 10.1% और 11.1% था। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2011 में पीक ऊर्जा घाटा 10.3% रहा था जबकि वित्त वर्ष 2010 में 12.7% और 2009 में 12.0% था।

ग्यारहवीं योजनावधि के अंत में कुल संस्थापित क्षमता 199877 मेगावाट थी जिसमें 54964 मेगावाट इसी योजनावधि के दौरान जोड़ी गई थी। वित्त वर्ष 2012 के दौरान, 20501 मेगावाट क्षमता बढ़ाई गई जिसमें 5482 मेगावाट अकेले मार्च 2012 में बढ़ाई गई। योजना आयोग के अनुसार, वित्त वर्ष 2032 तक 8.0% की सतत आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, भारत को अपने विद्युत उत्पादन को कई गुणा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए वित्त वर्ष 2032 तक विद्युत उत्पादन क्षमता को लगभग 8,00,000 मेगावाट तक बढ़ाना अनिवार्य होगा।

हाल ही के वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथापि, 10वीं योजना तक लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियों का स्तर काफी निम्न रहा है। पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दौरान, क्षमता 19,015 मेगावाट (लक्ष्य का 47.5%) बढ़ाई गई और पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के दौरान, क्षमता बढ़ाने के मामले में उपलब्धि 21,180 मेगावाट (लक्ष्य का 51.6%) रही थी। तथापि, योजना की उपलब्धियां पिछली दोनों पंचवर्षीय योजनाओं को मिलाकर उनसे कहीं अधिक रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए 78,700 मेगावाट के क्षमता वृद्धि के लक्ष्य को मध्यावधि समीक्षा के दौरान योजना आयोग ने संशोधित कर 62,374 मेगावाट कर दिया था। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, 54,964 मेगावाट (लक्ष्य के 88.1%) वृद्धि की गई है। बारहवीं योजना के दौरान लक्ष्यों में 88,425 मेगावाट क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इस तथ्य के मद्देनजर कि विद्युत क्षेत्र ने यह दर्शाया है कि यह प्रतिवर्ष 20000 मेगावाट क्षमता बढ़ा सकता है, ये लक्ष्य प्राप्य प्रतीत होते हैं। बारहवीं योजना के लिए भारत सरकार के विद्युत संबंधी कार्य समूह (वित्त वर्ष 2013 से 2017 तक) की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत क्षेत्र के लिए निधियों की अनुमानित आवश्यकता ₹ 16 लाख करोड़ है। 13वीं योजनावधि के लिए योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि 9% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पर 2022 तक अनुमानित मांग की जरूरत को पूरा करने की दिशा में 94,000 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के साथ–साथ पारेषण तथा वितरण तंत्रों में भी सापेक्ष विस्तार अपेक्षित होगा।

औद्योगिक ढांचा

उत्पादन

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, देश में स्थापित उत्पादन क्षमता 1,99,877 मेगावाट है जिसमें 85,918 मेगावाट (42.99%) राज्य क्षेत्र में, 59,683 मेगावाट (29.86%) केंद्रीय क्षेत्र में और 54,276 मेगावाट (27.15%) निजी क्षेत्र में है।

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, विद्युत प्रकारों के मुताबिक उत्पादन के मामले में यह ताप में 1,31,603 मेगावाट (65.8%), न्यूक्लियर में 4,780 मेगावाट (2.4%), हाइड्रो में 38,990 मेगावाट (19.5%) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में 24,504 मेगावाट (12.3%) रही।

क्षमता में वृद्धि के होते हुए भी, भारतीय विद्युत उत्पादन का क्षेत्र अभिचिह्नित परियोजनाओं में दीर्घकालीन कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफलताएं, कैप्टिव कोयला खदान ब्लॉकों से नियोजित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों, ईंधन की बढ़ती कीमतों, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर तथा पर्यावरणगत मुद्दों आदि जैसी बड़ी बाधाओं के कारण बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि 2017 तक उत्पादन क्षमता में लगभग 88.4 गीगावाट की वृद्धि की जानी है ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना की आर्थिक वृद्धि में सहायता की जा सके। योजना आयोग के अनुसार, 8% की सतत आर्थिक वृद्धि से 2032 तक विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 800 गीगावाट की वृद्धि होगी।

पारेषण एवं वितरण

पारेषण

विगत में देश में पारेषण तंत्र की आयोजना को परंपरागत रूप से विद्युत निकासी तंत्र के भाग के रूप में उत्पादन परियोजनाओं से जोड़ा जाता रहा है। उत्पादन की रि–शिड्यूलिंग और लोड–शेडिंग किए बिना ऊर्जा तंत्र को सुरक्षित रूप से आकस्मिकता के लिए तैयार रहने के लिए सक्षम बनाना आयोजना और पारेषण तंत्र के लिए मुख्य मानदंड था। तथापि, नेटवर्क के लोड में भारी वृद्धि, मूल रूप से प्लान किए गए लोड सेंटर उत्पादक यूनिटों का चालू न होना तथा प्रतिक्रियात्मक क्षतिपूर्ति में कमी जैसे विभिन्न कारणों से ऊर्जा क्षेत्र के कतिपय क्षेत्र सामान्य दशाओं में भी सुरक्षापूर्वक कार्य नहीं कर सके। इससे उत्पादन को बैक डाउन करना तथा विगत के शेष निम्न लोड उत्पादन पर कार्य करना अनिवार्य हो गया। अतः दीर्घकालीन ऊर्जा परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पारेषण आयोजना को पूर्व की उत्पादन

निकासी तंत्र आयोजना के स्थान पर समेकित तंत्र आयोजना की ओर ले जाया गया।

भारत में पारेषण एवं वितरण तंत्र में क्षेत्रीय ग्रिडों, राज्य ग्रिडों और वितरण नेटवर्क की त्रिस्तरीय संरचना शामिल है। भौगोलिक संपर्क के आधार पर बनाए गए पांच क्षेत्रीय ग्रिड विद्युत के अभाव वाले राज्य से विद्युत अधिशेष वाले राज्य में पावर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं। क्षेत्रीय ग्रिड बाह्य अनुरक्षण की अभीष्ट समय–सूची बनाने तथा बिजलीघरों के बीच बेहतर समन्वय को सुसाध्य बनाते हैं। दक्षिणी ग्रिड को छोड़कर इन क्षेत्रीय ग्रिडों को अब 28,000 मेगावाट की अंतर–क्षेत्रीय अंतरण क्षमता वाले एक राष्ट्रीय ग्रिड में समेकित कर दिया गया है जिससे एक क्षेत्र से अधिशेष विद्युत को विद्युत के अभाव का सामना कर रहे अन्य क्षेत्र में भेजा जा सकेगा और इससे राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

वित्त वर्ष 2012 के अंत में पारेषण लाइनों की कुल लंबाई लगभग 2.68 लाख सर्किट किलोमीटर रही जो पिछले वर्ष के अंत में 2.54 लाख सर्किट किलोमीटर थी।

संस्थापित पारेषण लाइन तंत्र का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी के अनुसार है–

पारेषण लाइन	31.03.2012 स्थिति के अनुसार (सर्किट किलोमीटर)	31.03.2011 स्थिति के अनुसार (सर्किट किलोमीटर)	वृद्धि (सर्किट किलोमीटर)
765 केवी	5730	4641	1089
400 केवी	113367	106333	7034
220 केवी	140164	134638	5526
+/–500 केवी एचवीडीसी	9432	8924	508
कुल	**268693**	**254536**	**14157**

वित्त वर्ष 2012 के अंत में, 765केवी, 400 केवी और 220 केवी स्तर पर समेकित सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 3.99 लाख एमवीए रही। वित्त वर्ष 2011 के अंत में समेकित क्षमता 3.45 लाख एमवीए थी। ग्यारहवीं योजना अवधि में ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में 1,36,000 एमवीए की वृद्धि हुई।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, पारेषण तंत्र विकास तथा संबंधित योजनाओं के लिए लगभग ₹ 1.23 लाख करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया गया था जबकि केंद्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के लिए ₹ 1.4 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, 12वीं योजना के लिए योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, पारेषण तंत्र विकास के लिए ₹ 1.8 लाख करोड़ की निधियों की आवश्यकता होगी जिसमें केंद्रीय और राज्य क्षेत्र का भाग शामिल है। इसका उद्देश्य एक सुदृढ़ समेकित ग्रिड नेटवर्क बनाना है जो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बड़ी मात्रा में विद्युत के स्थानांतरण को संभव बनाएगा। सभी विकासकों, जिनमें सरकार के स्वामित्व वाली पावरग्रिड जैसी यूटिलिटियां शामिल हैं, के लिए अंतर–राज्य पारेषण सेक्टर में पारेषण के लिए बोली लगाने हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली रूट अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अंतः–राज्य सेक्टर के लिए प्रतिस्पर्धी बिडिंग को जनवरी 2013 से अनिवार्य बनाने की परिकल्पना की है।

वितरण

भारत का विद्युत उत्पादन क्षेत्र बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, अतः वर्तमान समय में वितरण क्षेत्र की दशा चिंता का वास्तविक कारण है।

घाटे के कारण समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों तथा अधिकांश राज्यों में लंबे समय से विद्युत दरों को संशोधित न किए जाने के कारण निम्न टैरिफों, बिलिंग में अकुशलता तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से अल्पावधि घाटे से बचने के लिए मंहगी विद्युत खरीदने की आवश्यकता के चलते विद्युत वितरण यूटिलिटियों की खराब होती हुई दशा नीतिगत उपायों के लाभों को समाप्त कर रही है। आज भारत में वितरण यूटिलिटियां बिना मीटर और बिना हिसाब किताब की आपूर्ति के कारण लगभग 30% घाटा उठाती हैं जबकि आठ राज्यों में सभी घरों में उपभोक्ता मीटरिंग मात्र 80% से भी नीचे है, कृषि उपभोक्ता मीटरिंग अधिकांश राज्यों में 5% से 50% के बीच है। सभी राज्य बिजली बोर्डों की संयुक्त वार्षिक क्षतियाँ भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है।

विद्युत वितरण क्षेत्र, जो उत्पादन–पारेषण–वितरण की श्रृंखला में राजस्व उत्पादन से जुड़ा है, स्पष्ट रूप से विद्युत क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी है और ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों की समूची प्रक्रिया को बाधित करने और भारत के विकास को पंगु बनाने का खतरा पैदा करती है। वितरण क्षेत्र उपभोक्ताओं से राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है और इस प्रकार पावर सैक्टर के संपोषण में अहम भूमिका निभाता है। एक कमजोर और लचर वितरण क्षेत्र विद्युत उत्पादन और पारेषण दोनों क्षेत्रों में निवेशों की गति को मंद कर देगा। अतः यह आवश्यक है कि अत्यधिक उच्च पारेषण और वितरण हानियों, विनियामक संस्थाओं के आंतरिक कार्यकरण के इष्टतम न होने, टैरिफों में बेमेल, उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं और किसानों को क्रॉस सब्सिडी देना आदि जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी कार्यक्रमों को जोड़ कर समेकित किया जाए ताकि विद्युत वितरण क्षेत्र को हानि से लाभ में लाया जा सके।

कुशल प्रबंधन और आयोजना से न्यूनतम क्षति और कम लागतों के साथ विद्युत की सुरक्षित एवं विश्वसनीय सुपुर्दगी सुनिश्चित होगी। 100% कवरेज के साथ टू–वे रीयल टाइम डिजिटल कम्यूनिकेशन तथा रिमोट मीटर रीडिंग की सुविधा वाली ऑटोमैटिक मीटर रीडिंग जैसी सस्ती, स्मार्ट ऊर्जा व्यवस्था का संस्थापन ऐसा ही एक कदम है। राज्य बिजली बोर्डों को फीडर पृथक्करण योजना, वितरण नेटवर्क में उच्च वोल्टेज वितरण तंत्रों के तथा, प्रचालन तथा अनुरक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा सर्वश्रेष्ठ प्रबंध कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि विद्युत वितरण क्षेत्र को घाटा करने की जगह लाभ कमाऊ तंत्र में बदला जा सके।

अन्य उपायों में खातों की समय पर रिपोर्टिंग और लेखापरीक्षा, हर साल टैरिफ याचिका की नियमित रूप से फाइलिंग, यूटिलिटीवार टर्नअराउंड योजना तैयार करना तथा उच्च स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग करना शामिल हैं। इस दिशा में विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को शामिल करते हुए एक समेकित रेटिंग पद्धति तैयार की है। इसका उद्देश्य यूटिलिटियों की उनके निष्पादन तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रचालनों को दीर्घकाल तक चलाने की क्षमता के आधार पर रेटिंग करना है। यह पद्धति वितरण यूटिलिटियों के प्रयासों को पुरस्कृत करने तथा इस प्रकार वितरण यूटिलिटियों के प्रकार्यात्मक

एवं वित्तीय निष्पादन में सुधार करने पर ध्यान देती है। निष्पादन के वर्तमान स्तरों तथा आधारभूत मापदंडों की तुलना में सुधार दोनों के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। यह निष्पादन के आधार पर भी यूटिलिटियों का वर्गीकरण करेगी। इस समेकित रेटिंग पद्धति से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्य यूटिलिटियों को उधार दिए जाने के साथ जुड़े जोखिमों का वास्तविक मूल्यांकन सुसाध्य होने की उम्मीद है। इससे प्रकार्यात्मक, वित्तीय एवं प्रबंधकीय निष्पादन में सुधार के लिए उपयुक्त पारस्परिक ऋण स्वीकृतियों के साथ वित्तपोषण किया जा सकेगा। अनियोजित खरीद के महंगे खर्चों को कम करने के लिए ऊर्जा के लघु अवधि के प्रापण हेतु नए दिशा निर्देश बनाए गए हैं।

विद्युत यूटिलिटियों को निधियां प्राप्त करने में सहायता देने के लिए, वितरण क्षतियों को कम करने तथा देश में वितरण अवसंरचना के सुधार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋणों पर सब्सिडी की नीति, राष्ट्रीय बिजली निधि बनाई गई है। यूटिलिटियों/डिस्कॉम को निष्पादन के आधार पर ब्याज दरों में छूट दी जाएगी।

उपभोक्ता और यूटिलिटी के बीच द्विमार्गी संवाद के अवसर पैदा करने के लिए इंटेलिजेंट स्मार्ट–ग्रिड प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से बिजली के उपयोग और सुपुर्दगी का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। भारतीय वितरण क्षेत्र विद्युत मूल्य श्रृंखला में कमजोर कड़ी है, अतः गुणवत्तापूर्ण विद्युत सुपुर्दगी की कुशल और विश्वसनीय व्यवस्था के लिए यूटिलिटियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्मार्ट–ग्रिड परियोजनाएं दीर्घकालीन व्यवसाय के अवसर प्रदान करेंगी।

सब–ट्रांसमिशन एवं वितरण तंत्र विकास के लिए, आर–एपीडीआरपी तथा आरजीजीवीवाई योजनाओं को शामिल करके, योजना के तहत ₹ 3.26 लाख करोड़ के परिव्यय की तुलना में केवल लगभग 33% का उपयोग किया गया है। बारहवीं योजना के लिए योजना आयोग ने इस सेक्टर के लिए ₹ 3.22 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया है।

विशाल पूँजीगत व्यय तथा इतनी ही विशाल प्रकार्यात्मक अवसंरचना दोनों मिलकर वितरण क्षेत्र में कंपनी के लिए एक बहुत ही आशावादी बिजनेस आउटलुक तैयार करती हैं। इसके अलावा, आर–एपीडीआरपी एवं एनईएफ में निर्मित निष्पादन प्रबोधन से वितरण अवसंरचना में निवेशों के प्रोत्साहित होने और गति प्राप्त होने तथा परिणामस्वरूप क्षति कम करने के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है।

विद्युत क्षेत्र नीतिगत परिवेश

पिछले कुछ वर्षों में, विद्युत की निरंतर कमी बने रहने तथा भारत में विद्युत की मांग में दी गई अनुमानित वृद्धि की दर को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना, क्षमता विस्तार, पारेषण, उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा की गई इन बड़ी नीतिगत पहलों ने विद्युत क्षेत्र को एक आकर्षक निवेश का क्षेत्र बनाने की क्षमता पैदा करने तथा इसे पुनः परिभाषित करने में सहायता की है।

अपने नए स्वरूप और संशोधित विधिक संरचना में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रवर्तन के साथ ही विद्युत क्षेत्र का अभिशासन, पूँजी का व्यवस्थापन तथा वृहद विद्युत परियोजनाओं का संस्थापन एक वास्तविकता बन गया। इस अधिनियम ने उन अनेक कानूनों की जगह ली जिनसे भारतीय बिजली क्षेत्र पहले अभिशासित होता था और इसने एक बहु–क्रेता और बहु–विक्रेता प्रणाली की शुरूआत की। इसके अलावा, विनियामक प्रशासन को रेट–ऑफ–रिटर्न विनियमों से बाधित हुए बिना प्रशुल्क निर्धारण में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। इसके बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित हुई। तत्पश्चात्, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, आरई नीति, राष्ट्रीय हाइड्रो नीति और मेगा पावर पॉलिसी अधिसूचित की गई।

भारत सरकार ने, 3,500 मेगावॉट अथवा उससे अधिक की प्रत्येक अनुबंधित क्षमता सहित, भारत में विस्तृत क्षमता विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य के साथ अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजना (यूएमपीपी) की शुरूआत की। एक एकल स्थिति के आधार पर विस्तृत उत्पादन क्षमताओं पर आधारित पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, उत्सर्जन कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक के उपयोग तथा विकासकर्ताओं के चयन हेतु अपनायी गयी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रियाओं पर आधारित प्रशुल्क से विद्युत उत्पादन प्रशुल्कों में महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना बनी है। प्रारंभिक स्थान जांच से लेकर उपयुक्त विनियामक तथा अन्य अनुमोदनों (भूमि, जल, पर्यावरण और विद्युत विक्रय सहित) को प्राप्त करने, बोली प्रक्रिया का संचालन करने और अंततः इन परियोजनाओं को सुपुर्द करने तक की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का सृजन किया गया है। विशेष प्रयोजन वाहनों की भूमिका परियोजना को सफल बोलीदाताओं को अंतरित किए जाने के साथ समाप्त हो जाती है। इनमें से चार विशेष प्रयोजन वाहनों को पहले से ही सफल बोलीदाताओं को अंतरित किया जा चुका है। विद्युत मंत्रालय ने यूएमपीपी के लिए अनुसरित तर्ज पर अंतर–राज्य और अंतः राज्य पारेषण तंत्रों के विकास हेतु स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनियों के लिए एक प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया भी शुरू की है। विद्युत पारेषण कंपनियों का उद्देश्य विद्युत की उत्पादन केंद्रों से स्वतंत्र निकासी करना तथा विद्युत को पूलिंग स्टेशनों तथा अन्य ग्रिड स्टेशनों तक पारेषित करना है जिसके परिणामस्वरूप भारत भर में तंत्र मजबूत होता है। गत 2–3 वर्षों में विकासकों को अनेक पारेषण परियोजनाएं अंतरित की गई हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में प्राइवेट सेक्टर से निधियों को आकर्षित करने के उपाय के रूप में, वर्ष 2008 में हाइड्रो विद्युत नीति कार्यान्वित की गई थी। नीति का उद्देश्य, विद्युत व्यापार को प्रोन्नत करने तथा सांविधिक मंजूरियों को प्राप्त करने में तेजी लाने के अलावा, निजी विकासकर्ताओं के साथ संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा आईपीपी मॉडल का उपयोग करके निजी क्षेत्र से निधियों को आकर्षित करना है। यह नीति भारत में, विशेषकर हिमालयवर्ती राज्यों में हाइड्रो–विद्युत उद्योग के त्वरित विकास के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है।

वितरण क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की वितरण कंपनियों को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने हेतु वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना बनाई है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना के अंतर्गत, सभी वितरण क्षेत्र अवसंरचना पूँजीगत परियोजनाओं के लिए वितरण क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि प्रस्तावित कार्यों का वित्तपोषण आर–एपीडीआरपी अथवा आरजीजीवीवाई योजनाओं के अंतर्गत न किया गया हो। वितरण योजनाओं के लिए दो वर्षों अर्थात् 2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वीकृत किए जाने वाले ₹ 25,000 करोड़ की राशि के ऋण

संवितरण के लिए 14 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि से कुल ₹ 8466 करोड़ की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना के लिए गठित परिचालन समिति के अनुमोदन से, यूटिलिटियों को ब्याज सब्सिडी की राशियों को चैनेलाइज करने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु हमारी कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना से वित्तीय सहायता के लिए राज्यों को 'विशेष श्रेणी के तथा विशेष ध्यान दिए जाने वाले राज्य' तथा 'विशेष श्रेणी के तथा विशेष ध्यान दिए जाने वाले राज्यों से इतर राज्य' की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पात्रता की पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों से जुड़ी हैं तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों के आधार पर की गई प्रगति से जुड़ी है।

विद्युत क्षेत्र, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में 88,000 मेगावाट से अधिक क्षमता विस्तार की उम्मीद है, को प्रभावित करने वाले ईंधन के गंभीर अभाव तथा वित्तपोषण संबंधी मुद्दों की पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने बजट 2012–13 में कुछ उपायों की घोषणा की है जिनमें विद्युत क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए आयातित ईंधन पर सीमा शुल्क से छूट तथा परियोजनाओं को विदेशी निधियों पर कम लेवी शामिल है। विद्युत कंपनियों को विद्युत संयंत्रों पर रुपया ऋण के अंश को पुनः आंशिक रूप से फाइनेंस करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार का मार्ग अपनाना तथा विद्युत क्षेत्र के कर–मुक्त बांडों की सीमा बढ़ाना बजट प्रस्तावों में शामिल हैं। इसके अलावा, समग्र ऋण लागत को कम करने के उपाय के रूप में बाह्य वाणिज्यिक उधार पर लगने वाले टैक्स को तीन वर्ष के लिए 20% से घटा कर 5% कर दिया गया है। आरंभिक वर्ष में 20% के अतिरिक्त मूल्यह्रास को विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत नई परिसंपत्तियों के लिए दे दिया गया है। भविष्य में ये बजट प्रस्ताव एक ओर तो विद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहित करके वास्तविक उपभोक्ता को लाभ प्रदान करेंगे, साथ ही, औसत अवधि में आपकी कंपनी के लिए बेहतर व्यावसायिक अवसर भी पैदा करेंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

जलवायु पर मँडराती चुनौतियों को कम करने के लिए, जून 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना की घोषणा की गई थी। यह प्रयास देश में कुल बिजली उपभोग में नवीकरणीय ऊर्जा के भाग में बढ़ोतरी करने के लिए किया गया है। इस पहल को गति प्रदान करने के लिए, आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों की क्रय संबंधी बाध्यताओं को राज्य यूटिलिटियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। यह कार्यतंत्र राज्य सीमाओं से बाहर कार्बन क्रेडिटों से अप्रभावित रहकर नवीकरणीय ऊर्जा घटक के क्रय–विक्रय को सक्षम बनाएगा।

राष्ट्रीय सौर मिशन

एमएनआरई ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन द्वारा भारत में सौर ऊर्जा के विकास की एक नई नीति को अनुमोदित कर दिया है। मिशन ने, 13वीं पंचवर्षीय योजना (2017–2022) के अंत तक तीन चरणों में 20,000 मेगावॉट की एक अधिष्ठापित क्षमता के कार्यान्वयन की सिफारिश की है। इसके अंतर्गत एक एकल विंडो निवेशक–मैत्रीपूर्ण तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इस तंत्र से जोखिम में कमी होगी तथा साथ ही यह ग्रिड से सौर विद्युत की खरीद हेतु एक आकर्षक, पूर्वानुमेय और पर्याप्त मात्रा में प्रशुल्क उपलब्ध करायेगा। सौर विद्युत को प्रोन्नत करने के लिए प्रमुख चालक, एक विशिष्ट सौर घटक के साथ, विद्युत यूटिलिटियों हेतु एक नवीकरणीय खरीद बाध्यता के द्वारा अधिदेशित होगा।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

भारत सरकार ने मार्च 2003 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) नामक एक योजना को मंजूरी दी, जिसे और अधिक निष्पादन–आधारित तथा वित्तीय रूप से आकर्षक बनाने के लिए आर–एपीडीआरपी के रूप में पुनः शुरू किया गया।

एपीडीआरपी कार्यक्रम की भारत सरकार द्वारा पुनर्संरचना की गई ताकि एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों में राजस्व तथा ऊर्जा के विश्वसनीय और सत्यापन योग्य आंकड़े एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर प्राप्त किए जा सकें और ए टी एंड सी क्षति को सतत रूप से कम किया जा सके। आर–एपीडीआरपी को योजना के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में जुलाई 2008 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अगस्त, 2006 में अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाना और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादनकारी उपयोगों के लिए एक निवेश के रूप में बिजली उपलब्ध कराने के द्वारा द्रुत आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की, जिसका उद्देश्य कम–से–कम एक 33/11केवी सब–स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण आधार (आरईडीबी), (ii) एक ग्राम या पुरवे में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर सहित ग्राम विद्युतीकरण ढांचा (वीईआई), तथा (iii) जहां पर ग्रिड व्यवहार्य नहीं है, वहां पर स्टैंड अलोन ग्रिडों की स्थापना करना है। पूंजीगत खर्च को वहन करने के लिए 90% सब्सिडी आरईसी, जो इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए एक नोडल एजेंसी है, के माध्यम से दी जाती है। अविद्युतीकृत बीपीएल आवासों के विद्युतीकरण के लिए 100% पूंजीगत सहायता दी जाती है। ग्रामीण वितरण का प्रबंधन फ्रैंचाइजियों के द्वारा किया जाता है। योजना में एक त्रि–स्तरीय गुणता मॉनीटरिंग का निर्माण किया गया है। इस प्रकार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश हुआ है।

2. अवसर

विद्युत अवसंरचना में निवेशों के लिए 12वीं योजना अवधि का लक्ष्य ₹ 16 लाख करोड़ था जिसमें सहयोजित पारेषण तथा वितरण तंत्र के साथ 88,425 मेगावाट की क्षमता वृद्धि शामिल है। 30,000 मेगावाट क्षमता की पर्यावरण हितैषी ऊर्जा इस अवधि के दौरान बढ़ाए जाने की योजना है। संवर्धित क्षमता को हैंडिल करने के लिए पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में लगातार विस्तार के साथ उत्पादन क्षमता में लगभग 94,000 मेगावाट (30,000 मेगावाट पर्यावरण हितैषी ऊर्जा से अलग) की वृद्धि की परिकल्पना 13वीं योजना में की गई है। राष्ट्रीय विद्युत निधि नाम की ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की गई है जो भविष्य में

आय का एक संभावित स्रोत होगी। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निधियों का अनुवीक्षण करने तथा उन्हें चैनेलाइज करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कंपनी ने ग्रामीण विद्युतीकरण के सामाजिक–आर्थिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है और 8% की जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त विद्युत, इष्टतम विद्युत लागत तथा सभी के लिए विद्युत के मुख्य लक्ष्य के साथ '2012 तक सभी के लिए विद्युत' के मिशन में भागीदार बन रही है। अतएव, विद्युत क्षेत्र के प्रफुल्ल रहने और निकट भविष्य में महत्वपूर्ण निवेश के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है।

इसके अलावा, अवसंरचना वित्त कंपनी के दर्जे ने आपकी कंपनी को इसकी कुछ प्रतिस्पर्धी कंपनियों से बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया है और इसके प्रचालनों में इसे अधिक सक्षमता प्रदान की है। इसने हमारी कंपनी की लागत–प्रतिस्पर्धी आधार पर निधियां जुटाने की क्षमता में वृद्धि की है और वैयक्तिक संस्थाओं, निगमों और समूहों आदि के लिए ऋण की संभावना में वृद्धि की है। यह वर्गीकरण आपकी कंपनी को भारत के विद्युत क्षेत्र में उपलब्ध वित्तपोषण के अवसरों को प्रभावशाली ढंग से बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

3. खतरे, जोखिम और चिंताएं

नए कारोबारियों और बैंकों (अधिकांशतः कंसोर्टियम के रूप में) के प्रवेश के साथ विद्युत क्षेत्र वित्तपोषण उद्योग निरंतर प्रतिस्पर्धी और व्यापक आधार वाला हो गया है और ये बातें हमारी कंपनी को कड़ी चुनौती दे रही हैं।

विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण में जोखिम काफी ज्यादा हैं। देशभर में कुछ को छोड़कर राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। हमारी कंपनी का इन संस्थाओं पर बड़ी मात्रा में ऋण बकाया है, हमारी कंपनी में जोखिम की संभावना अधिक है। संस्थाओं की ऋण संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने में विफलता हमारी कंपनी की निम्न लागत पर निधियां जुटाने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।

हमारी कंपनी प्रचलित प्रकटन मानदंडों, कर बचाने वाले बॉण्डों से धन एकत्र करने की सीमा संबंधी बाधा, राज्य वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति, नए कारोबारियों के प्रवेश तथा बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से प्रतिस्पर्धा, अस्थायी व्यावसायिक पर्यावरण, बढ़ती ब्याज दर के परिदृश्य, रूपये की कीमत में उतार–चढ़ाव तथा डांवाडोल बाजार दशाओं/निधियों की बड़ी मांग के कारण लागत में संभावित वृद्धि से चिंतित है।

लंबी विकास प्रक्रिया के कारण भारी मात्रा में पूँजीगत व्यय, ब्याज दरों, सांविधिक विनियमों और नीतियों जैसे विभिन्न कारकों में बदलाव, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, अन्य प्रमुख निवेश और सामान्य आर्थिक दशाएं कार्यान्वयन तथा प्रचालनात्मक चरणों में परियोजनाओं की व्यावहारिकता पर बुरा असर डाल सकते हैं जिससे उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, निम्न प्रभावी लागत पर प्रभावशाली और नवाचारी ढंग से संसाधन जुटाना तथा इन निधियों का सर्वाधिक उत्पादक स्थान पर लगाना सुनिश्चित करना ही हमारी कंपनी की लाभप्रदता तथा वृद्धि का सतत निर्धारक होगा।

4. खंड–वार अथवा उत्पाद–वार निष्पादन

प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में आरईसी के मुख्य उत्पादों में विद्युत अवसंरचना के सभी खंडों के लिए राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों, राज्य विद्युत विभागों और निजी क्षेत्र को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। हमारी कंपनी का कोई पृथक प्रतिवेदनीय घटक नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान, कंपनी ने ₹ 51296.77 करोड़ की ऋण सहायता संस्वीकृत की। उत्पादन क्षेत्र को ₹ 23176.53 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए गए। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दी गई ₹ 342.19 करोड़ की स्वीकृति शामिल है। विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन परियोजनाओं को आरजीजीवीवाई के अंतर्गत कुल ₹ 151.8 करोड़ के ऋण मंजूर किए गए। पारेषण एवं वितरण सेक्टर के अंतर्गत, कुल ₹ 23,540.24 करोड़ की संस्वीकृतियां दी गईं जिनमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास के अंतर्गत ₹ 33.60 करोड़ की स्वीकृति शामिल है। इसके अलावा, लघु अवधि ऋण उत्पाद के अंतर्गत ₹ 4,580 करोड़ स्वीकृत किए गए।

वित्त वर्ष 2012 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 30,593.30 करोड़ की राशि संवितरित की गयी (आरजीजीवीवाई के तहत ₹ 2,772.81 करोड़ की सब्सिडी सहित)। इसमें विद्युत उत्पादन के तहत ₹ 12,349.12 करोड़, पारेषण एवं वितरण योजनाओं में ₹ 11,434.23 करोड़, अल्पकालिक ऋण के अंतर्गत ₹ 3,760 करोड़ तथा आरजीजीवीवाई के तहत ₹ 3,049.95 करोड़ (₹ 2,772.81 करोड़ की सब्सिडी सहित) की राशि शामिल है।

5. दृष्टिकोण

देश में विद्युत उत्पादन की निरंतर कमी पर विचार करते हुए, वर्तमान में प्रति व्यक्ति पीछे ऊर्जा खपत के निम्न स्तरों तथा दीर्घकालिक अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विकास अनुमानों से यह महसूस किया गया है कि विद्युत अवसंरचना क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से लाभ में रहेगा। ₹ 34 लाख करोड़ से अधिक के अनुमानित निवेशों के साथ 12वीं और 13वीं योजना (वित्त वर्ष 2013 से 2022) के दौरान 180 गीगावाट की प्राक्कलित समग्र क्षमता वृद्धि देश में विद्युत क्षेत्र की संभावनाओं का संचालन करेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन से अन्य बातों के साथ–साथ देश में बिजली की पहुंच बढ़ेगी जिससे मांग भी बढ़ेगी। विद्युत उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुद्दों का समाधान करते हुए भारत सरकार द्वारा समय पर किए गए कार्यकलापों के साथ वित्तीय उत्पादों के लिए उपलब्ध पर्याप्त बाजार अवसरों से इस क्षेत्र का भविष्य पूरी तरह आशान्वित करने वाला है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने उपयुक्त मॉनीटरिंग क्रियाविधियों सहित आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को बनाए रखा है, जो विभिन्न संव्यवहारों की परिशुद्ध और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालनों की कुशलता तथा सांविधिक नियमों, विनियमों एवं कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। एकरूप अनुपालन के लिए शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है और लेखांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जांच और संतुलनकारी व्यवस्थाएं सही हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुव्यवस्थित हैं, कंपनी के

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है तथा कुछ चयनित परियोजना कार्यालयों की चार्टर्ड अकाउंटेंट की अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित रूप से लेखापरीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग में वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिनिर्धारित गंभीर/जोखिम के क्षेत्रों सहित प्रचालन के सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। लेखापरीक्षा समिति, कंपनी अधिनियम और सूचीबद्धता अनुबंध में निर्धारित विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की सावधिक रूप से समीक्षा करती है।

7. वित्तीय एवं प्रचालन निष्पादन

वर्ष 2011–12 के दौरान स्वीकृत ऋण ₹ 51296.77 करोड़ था, जबकि वर्ष 2010–11 में (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सब्सिडी को छोड़कर) यह ₹ 66419.98 करोड़ था। वर्ष के दौरान संवितरण भी बढ़कर ₹ 30593.30 करोड़ हो गया, जबकि वर्ष 2010–11 के दौरान यह (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सब्सिडी सहित) ₹ 28517.11 करोड़ था।

वर्ष 2011–12 के दौरान वसूल की जा सकने वाली रकम ₹ 18528.61 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 16979.84 करोड़ थी। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार चूक करने वाले उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली रकम ₹ 283.64 करोड़ थी। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने ₹ 18440.09 करोड़ की वसूली की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 16951.31 करोड़ की वसूली की गयी थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रचालन आय में ₹ 2080.68 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, जो कि वर्ष 2010–11 के दौरान के ₹ 8256.91 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 10337.59 करोड़ हो गयी। कंपनी का कर–पूर्व लाभ 2010–11 के ₹ 3476.63 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011–12 में ₹ 3792.86 करोड़ रहा। वर्ष 2011–12 में कंपनी का निवल लाभ ₹ 2817.03 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के दौरान से ₹ 247.10 करोड़ की बढ़ोतरी है। 31 मार्च, 2012 को कंपनी का नेटवर्थ ₹ 14744.92 करोड़ है।

8. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

आरईसी के कार्यपालकों में व्यावसायिकता बढ़ाने के लिए और उनमें युवा कार्यपालकों को शामिल करने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान खुले विज्ञापन के माध्यम से 10 कार्यपालकों को और इस प्रयोजन के लिए मुख्य पैनलबद्ध संस्थानों से कैंपस भर्ती के द्वारा 12 कार्यपालकों को नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर अर्थात् 31.3.2012 को कुल जनशक्ति 678 थी, जिनमें 432 कार्यपालक और 246 गैर–कार्यपालक शामिल हैं।

अनुमानित मांग के आधार पर तथा उन्हें संतुष्ट करने के उपाय के रूप में कंपनी ने देश और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में 211 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, कंपनी में ही 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 381 कर्मचारियों ने भाग लिया। वैश्विक पहचान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई अधिकारियों को विदेशों में अर्थात् इटली, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। कुल मिलाकर, इन उपायों ने कंपनी को समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को सार्थक रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे। अच्छे औद्योगिक संबंध कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सहभागितापूर्ण निर्णय प्रक्रिया पर आधारित हैं जो संगठन में औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होते हैं। यह वर्ष इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा कि कंपनी ने मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा का बड़ा कदम उठाया जिसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, बीमा, सामूहिक कार्मिक दुर्घटना बीमा आदि अनेक कर्मचारी केंद्रित कल्याणकारी नीतियां लागू हुई। समग्र प्रभाव यह है कि आरईसी के पास स्वप्रेरित कार्यबल है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक टीम की तरह कार्य करता है और इसीलिए हम निष्पादन के नए मानदंड स्थापित करने में सक्षम हुए हैं।

9. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलों का सक्रिय रूप से अनुसरण किया गया। तदनुसार, कर पश्चात लाभ के 0.5% की दर से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट को वित्त वर्ष 2011–12 के लिए आबंटित किया गया जो ₹ 12.85 करोड़ था। कुछ व्यवहार्य और निरंतर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं की पहचान की गई और ₹ 14.10 करोड़ की कुल सहायता स्वीकृत की गई। समझौता ज्ञापन के ₹ 12.85 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 12.99 करोड़ का संवितरण किया गया है, इस प्रकार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति उत्कृष्ट रूप से की गई।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण संबंधी प्रकटन

कॉरपोरेट सुशासन में 'पर्यावरण हितैषी पहल'

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में हमारी कंपनी ने पिछले वर्ष कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 'ग्रीन इनीशिएटिव' परिपत्रों के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट उन हितधारकों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई जिनके ई–मेल पते संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों के पास दर्ज थे और जिन्हें डिपोजिटरियों अर्थात् एनएसडीएल/सीएसडीएल से डाउनलोड किया गया। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान उन शेयरधारकों को अंतिम लाभांश/अंतरिम लाभांश की सूचना इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी गई जिनके ईमेल पते पंजीकृत थे।

प्रौद्योगिकीय संरक्षण

आपकी कंपनी की अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, इसलिए ऊर्जा के संरक्षण, तकनीकी आमेलन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण ब्यौरा नहीं है। हालांकि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने प्रचालनों में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग किया है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गयी। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के खर्च से संबंधी ब्यौरा निम्नवत है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
रॉयल्टी, नो हाउ, व्यावसायिक परामर्श शुल्क	1.34
ब्याज	192.95
वित्तीय प्रभार	65.45
अन्य खर्चे	0.69
कुल	**260.43**

अन्य पहलें

विद्युत वितरण में प्रौद्योगिकी कार्यकलाप और स्मार्ट ग्रिडों का आविर्भाव

प्रौद्योगिकी विद्युत तंत्र को 'स्मार्ट' बनने की क्षमता प्रदान करती है। स्थानीय वितरण स्तर पर इंटेलीजेंट ग्रिड का विकास पूरे नेटवर्क में रीयल टाइम आंकड़ा अधिग्रहण तथा पर्यवेक्षण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्रिड में सूचना प्रौद्योगिकी/ इंटरनेट/संचार प्रौद्योगिकी संयोजित करके सुदूर पहुँच के लिए विद्युत का प्रभावी और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। इसमें समेकित संचार तंत्र, सेंसिंग एवं मापन प्रौद्योगिकी, विद्युत संव्यवहार के नियंत्रण एवं निर्धारण के लिए प्रगत घटक तथा वितरण ट्रांसफार्मर स्तर तक और बाद में उपभोक्ता बिंदु तक ऑनलाइन ग्रिड प्रबंधन शामिल है।

सचेतक नोट

'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण' खंड में कतिपय कथन भविष्यलक्षी दृष्टिकोण के हो सकते हैं और लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार कहे गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी निष्पादन तथा दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

अनुबंध–II

निगमित सुशासन की रिपोर्ट

एक सूचीबद्ध कंपनी और एक अच्छी निगमित संस्था (एनटिटी) होने के नाते कंपनी विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व पर आधारित अच्छी निगमित परिपाटियों के लिए प्रतिबद्ध है ताकि निरंतर दीर्घकालिक समृद्धि और लाभकारिता प्राप्त करने के लिए उसके सभी हितधारकों में विश्वास पैदा करने का मार्ग प्रशस्त हो।

सूचीबद्धता करार के प्रावधानों का पालन करने के साथ–साथ हम लोक उद्यम विभाग (डीपीई); भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का भी अनुसरण कर रहे हैं। निगमित सुशासन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है और निगमित सुशासन के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र भी अलग से संलग्न किया गया है–

1. निगमित सुशासन संहिता पर कंपनी की विचारधारा

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड का निगमित सुशासन एक नीतिपरक और जिम्मेदार ढंग से व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है जो लागू विनियामक संरचना के भीतर हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए प्रयासरत है। कंपनी उन सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाने में विश्वास करती है जिन्हें दुनियाभर में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाया जाता है। कंपनी में अच्छी, पारदर्शी और नीतिपरक सरकारी परिपाटियों को अपनाने की मजबूत परंपरा है। आरईसी त्वरित वृद्धि तथा ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुसाध्य बनाने तथा देश में विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण तथा विद्युत वितरण नेटवर्क के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं उन्नयन हेतु प्रतिस्पर्धा, ग्राहक–अनुकूल तथा विकास–आधारित संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, आरईसी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री राजीव शर्मा को 31 जनवरी 2012 को "सर्वश्रेष्ठ सूचीबद्ध सीपीएसई" का समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार 2009–10 प्रदान करते हुए

आरईसी के निगमित सुशासन ढांचे का आधार वाक्य निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित है–

- कानून, नियमों और विनियमों का सही अर्थों में अक्षरशः पालन करना;
- अपने समस्त हितधारकों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित पारदर्शी तंत्र प्रणाली और प्रक्रियाविधियां अपनाना; और
- समस्त महत्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

2. निदेशक मंडल

(क) बोर्ड का आकार

हमारी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि कुल प्रदत्त शेयरपूंजी का 66.80 प्रतिशत हिस्सा भारत के राष्ट्रपति के नाम है। संस्था अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। निदेशक मंडल नेतृत्व और नीतिगत मार्गदर्शन, प्रबंधन से स्वतंत्र रहकर वस्तुपरक निर्णय करता है, साथ ही, कंपनी के नीतिगत निदेशों के परिपालन पर भी नजर रखता है।

संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी।

(ख) निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में आठ सदस्य शामिल हैं जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन प्रकार्यात्मक निदेशक हैं, चार अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक और एक सरकार द्वारा नामित निदेशक है।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल की संरचना नीचे दिए अनुसार हैः–

क्र. सं.	नाम	पदनाम
पूर्णकालिक निदेशक		
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
सरकार द्वारा नामित निदेषक		
4.	श्री देवेंद्र सिंह	निदेशक (सरकार द्वारा द्वारा नामित)
अंशकालिक और गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक		
5.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक
6.	डॉ. गोविंद मारापल्ली राव	स्वतंत्र निदेशक
7.	श्री वेंकटरमण सुब्रमणियन	स्वतंत्र निदेशक
8.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक

हम निदेशक मंडल की संरचना के बारे में सूचीबद्धता करार के प्रावधानों और लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन कर रहे हैं।

(ग) निदेशक मंडल और इसकी समितियों के बारे में अन्य प्रावधान

(i) वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा

कंपनी, निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रियाविधि का पालन करती है। बैठक की तारीखें आमतौर पर सभी निदेशकों के साथ परामर्श करके तय की जाती हैं ताकि इन बैठकों में पूरे निदेशक मंडल की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। निदेशक मंडल की अगली बैठक की कार्यसूची और उसके संबंध में स्पष्टीकरण टिप्पणियां निदेशक मंडल की बैठक की तारीख से पर्याप्त समय पूर्व परिचालित कर दी जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैठकें अल्प समय की सूचना पर भी बुलाई जाती हैं परंतु सूचना की न्यूनतम अवधि का पालन करने का हरसंभव प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित कराया जाता है। ऐसे संकल्पों को निदेशक मंडल की अगली बैठक में नोट किया जाता है। निदेशक मंडल की बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेता है। निदेशक मंडल की/निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों/वरिष्ठ प्रबंधकों के स्तर के अधिकारियों/वरिष्ठ प्रबंधकों के स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों पर निदेशक मंडल को भी विस्तृत प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) उपलब्ध कराया जाता है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं।

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान, कंपनी निदेशक मंडल की नौ बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें 24 मई, 2011, 4 जुलाई 2011, 10 अगस्त 2011, 10 नवम्बर 2011, 16 दिसंबर 2011, 25 जनवरी 2012, 16 फरवरी 2012, 2 मार्च, 2012 और 30 मार्च, 2012 को आयोजित की गईं।

निदेशक मंडल की किन्हीं भी दो बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 14 दिन और 91 दिन था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निगमित सुशासन संबंधी निर्देशों के अनुसार दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। निदेशक मंडल को कंपनी की समस्त प्रासंगिक सूचना पूर्ण रूप से सुलभ है। प्रबंधन द्वारा मंडल की उपलब्ध कराई गई सूचना की मात्रा एवं गुणता सूचीबद्धता करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है। कुछ जटिल मूल्य संबंधी संवेदनशील सूचना को छोड़कर समस्त सूचना निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों से पर्याप्त समय पूर्व निदेशकों को दे दी जाती है।

(ii) वर्ष 2011–12 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया, पिछली वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति, अन्य निदेशकों की संख्या (सरकारी लिमिटेड कंपनियों में) समितियों की सदस्यता (अर्थात लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निदेशक शिकायत समिति) (आरईसी से भिन्न) का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा हैं–

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकें			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (17.9.2011 को आयोजित)	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार		
						अन्य संस्थाओं की संख्या जिनमें वह निदेशक हैं	अन्य समितियों में सदस्यता की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	प्रतिशतता			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री राजीव शर्मा	5	5	100	*लागू नहीं	3	शून्य	शून्य
2.	श्री हरि दास खुंटेटा	9	9	100	हां	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री प्रकाश ठक्कर	9	8	88.88	हां	2	शून्य	शून्य
4.	श्री देवेंद्र सिंह	9	9	100	हां	1	शून्य	शून्य
5.	श्री राकेश जैन	2	2	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	डॉ. देवी सिंह	8	8	100	हां	4	1	1
7.	डॉ. गोविंद मारापल्ली राव	8	6	75	हां	1	शून्य	शून्य
8.	श्री वेंकटरमन सुब्रमणियन	8	6	75	हां	5	2	5
9.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	1	1	100	लागू नहीं	3	शून्य	1

टिप्पणी:

(क) विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 46/8/2011–आरई, दिनांक 29 नवंबर, 2011 के अनुसरण में श्री राजीव शर्मा ने कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार 29 नवंबर, 2011 (अपराह्न) से संभाला।

(ख) डा. जे.एम. फाटक ने 15 जून, 2010 को आरईसी के अध्यक्ष एवं निदेशक का कार्यभार संभाला और 16 अप्रैल, 2011 (पूर्वाह्न) को कार्यभार छोड़ दिया। श्री हरि दास खुंटेटा, निदेशक (वित्त) 16 अप्रैल, 2011 (अपराह्न) से 29 नवंबर, 2011 (पूर्वाह्न) तक कंपनी के निदेशक एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए थे।

(ग) विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 46/9/2010–आरई, दिनांक 2 मई, 2011 के अनुसरण में दिनांक 2 मई, 2011 से श्री प्रकाश ठक्कर ने कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार संभाला।

(घ) श्री राकेश जैन, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, विद्युत मंत्रालय की सेवाएं, जिन्हें 20 जनवरी, 2011 की कंपनी के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी के निदेशक मंडल से 5 जुलाई, 2011 से उनकी सेवाएं वापस ले ली गई।

(ड.) विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 46/2/2010–आरई, दिनांक 10 जून, 2011 के अनुसरण में डा. देवी सिंह, डा. गोविंद मारापल्ली राव और श्री वेंकटरमन सुब्रमणियन को उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

(च) विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 46/2/2010 दिनांक 16 मार्च 2012 के अनुसरण में डा. सुनील कुमार गुप्ता को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

छ) श्री हरिदास खुंटेटा, निदेशक (वित्त) का कार्यकाल 31 जुलाई, 2012 को अधिवर्षिता की आयु (60 वर्ष) प्राप्त करते ही खत्म हो गया।

ज) श्री अजीत कुमार अग्रवाल को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) के रूप में 1 अगस्त 2012 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 46/9/2011–आरई दिनांक 17 मई 2012 के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

* *'लागू नहीं से तात्पर्य यह है कि प्रासंगिक तारीख को संबंधित व्यक्ति आरईसी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं था।*

$ *सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुरूप, केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के निदेशकों की समिति की सदस्यता को इसके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में गिनती करने के लिए ध्यान में रखा गया है तथा निदेशक/समिति की सदस्यता संबंधित निदेशक से प्राप्त अद्यतन प्रटकन पर आधारित है।*

इसमें प्राइवेट कंपनियों, धारा 25 कंपनियों और विदेशी कंपनियों का निदेशन शामिल नहीं है।

निदेशक मंडल का कोई सदस्य भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के निदेशक मंडल स्तर की 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है तथा वे ऐसी कंपनियों की पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं जिनके वे सदस्य हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं।

(iii) लागू कानूनों का अनुपालन

निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी पर लागू कानूनों और ऐसे लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की एक संकेतक सूची की पहचान की थी। इसके अलावा, दिनांक 21.02.2009 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल ने उसमें दिए गए फार्मेट की समीक्षा की जिसमें लागू सांविधिक अनुपालनों की प्रकृति के वास्तविक विवरण और रिपोर्ट की विशेष अवधि के दौरान उनके अनुपालन की तारीख/विवरण भी दिए गए हैं। निदेशक मंडल अनुषंगी कंपनियों की अनुपालन रिपोर्टों की भी समीक्षा करता है। निदेशक मंडल ने प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के आधार पर लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा की और दिनांक 31.03.2012 में ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें पालन न किया गया हो।

(घ) निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए व्यापार एवं नैतिकता की आचार संहिता

निदेशक मंडल ने 8 सितंबर, 2010 को आयोजित अपनी 367वीं बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए व्यापार एवं नैतिकता की आचार संहिता अनुमोदित की है, जो लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में सुझाई गई सूची मदों को शामिल करने के बाद निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए वर्तमान आचार संहिता के अधिक्रमण में है और निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए आदर्श व्यापार एवं नैतिक संहिता के संदर्भ में हैं।

कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शिता प्रक्रिया बढ़ाने के कंपनी के मिशन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए व्यापार एवं नैतिकता की आचरण संहिता तैयार की है। इस व्यापार एवं नैतिकता की आचरण संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट, अर्थात् www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों की पुष्टि के आधार पर, आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा निम्नानुसार है:–

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अधीन अपेक्षित घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार एवं नैतिकता की आचार संहिता" के अधीन वित्त वर्ष 2011–12 के लिए उपर्युक्त आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ड.) आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भेदिया व्यापार रोकने के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार) विनियम, 1992 के अनुसार कंपनी ने गोपनीयता बनाए रखने और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का दुरुपयोग रोकने के लिए एक व्यापक भेदिया व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निवारण संहिता तैयार की है। कंपनी के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और पदनामित कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह कंपनी में अपने कार्य के दौरान प्राप्त ऐसी सूचना की पूर्ण गोपनीयता की सुरक्षा करे, कंपनी में अपने पद का दुरुपयोग न करे तथा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने अथवा किसी तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी से संबंधित सूचना अथवा अपने पद का दुरुपयोग न करे। संहिता में कंपनी के शेयरों से संबंधित कार्य करने और अनुपालन न करने के परिणामों के संबंध में अपनाए जाने वाले और प्रकटीकरणों के संबंध में दिशानिर्देश तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भेदिया व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकने संबंधी संहिता का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी है। संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार, जब भी कोई मूल्य संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई, तब व्यापार खिड़की (ट्रेडिंग विंडो) समय–समय पर बंद कर दी गई। व्यापार खिड़की बंद करने के बारे में सभी कर्मचारियों को सूचना पर्याप्त समय पहले जारी कर दी गई थी और जब खिड़की बंद हो जाए, तब कंपनी के शेयरों के लेन–देन रोकने के लिए संहिता के अधीन पदनामित कर्मचारियों को रोकते हुए उपयुक्त घोषणाएं भी की गई थीं।

आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भेदिया व्यापार को रोकने की संहिता के तहत **"नामोद्दिष्ट कर्मचारी"** का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशक (सरकारी तथा गैर–सरकारी) और मुख्य सतर्कता अधिकारी।

ख. कंपनी के सभी कार्यपालक और गैर–कार्यपालक अधिकारी

ग. अनुषंगी कंपनियों के निदेशक और कर्मचारी

घ. निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर नामोद्दिष्ट अनुषंगी कंपनियों सहित कंपनी के ऐसे अन्य अधिकारी, स्थाई/तदर्थ कर्मचारी जिन पर व्यापार संबंधी प्रतिबंध लागू होंगे।

जैसे कि सेबी (भेदिया व्यापार को रोकना) विनियम, 1992 के तहत परिकल्पना की गई, यदि कोई नामोद्दिष्ट कर्मचारी कंपनी की नौकरी छोड़कर चला जाता है तो उसे कंपनी की नौकरी छोड़ने की तारीख के बाद छह महीने आगे तक की अवधि के लिए नामोद्दिष्ट कर्मचारी माना जाता रहेगा।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल की समितियां उन्हें प्रत्यायोजित किए गए अधिकारों के अंदर विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देती हैं और सूचनाप्रद निर्णय लेती हैं। निदेशक मंडल की प्रत्येक समिति अपने विचारार्थ विषयों से संचालित होती है, जिसमें समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और अधिकारों को परिभाषित किया जाता है। समितियां समय–समय पर संबंधित मामलों पर निदेशक मंडल को विशिष्ट सिफारिशें भी करती हैं।

रिपोर्ट की तारीख की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियां इस प्रकार हैं:–

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप–समिति
3. अल्पकालिक/आवधिक ऋणों को उधार देने के लिए दर की समीक्षा संबंधी उप–समिति;
4. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति;

5. ऋण समिति;
6. मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और अद्यतन करने संबंधी उप–समिति;
7. पारिश्रमिक समिति;
8. जोखिम प्रबंधन समिति;
9. बोर्ड की कार्यकारी समिति;
10. बांड समिति;
11. नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में उप–समिति;
12. सीएसआर कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए समिति; और
13. सतत विकास पर निदेशकों की पदनामित समिति

बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 93 के अनुसार निदेशक मंडल को सूचना के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) निदेशक मंडल की वर्तमान लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डा. गोविंद मारापल्ली राव	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डा. देवी सिंह	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री वेंकटरमन सुब्रमणियन	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम अध्यक्ष सहित 2 सदस्यों का है। निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आमंत्रिती हैं। जब कभी समिति को आवश्यकता होती है, उसे सूचना प्रदान करने के लिए वरिष्ठ प्रकार्यात्मक कार्यपालकों को आमंत्रित किया जाता है। श्री राकेश कुमार अरोड़ा, महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:–

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन करना,

(ख) सूचीबद्धता करार के खंड 49 में यथा परिकल्पित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना,

(ग) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश–2010 का अनुपालन करना, और

(घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित लागू किसी अन्य प्रावधान का अनुपालन करना।

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं जो 24 मई, 2011, 4 जुलाई, 2011, 10 अगस्त 2011, 30 अगस्त, 2011, 10 नवंबर, 2011, 16 दिसंबर 2011, 25 जनवरी, 2012 और 16 फरवरी, 2012 को सम्पन्न हुई। सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 4 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2011–12 के दौरान प्रत्येक सदस्य की बैठकों में उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

समिति के सदस्यों/प्रतिभागियों का नाम	समिति में पद	बैठकें			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
		निदेशक/आमंत्रित अधिकारी के कार्यकाल में आयोजित	भाग लिया	कुल का प्रतिशत	
डॉ. गोविन्द मारापल्ली राव (5 जुलाई 2011 से)	अध्यक्ष	6	5	83.33	हां
डॉ. देवी सिंह (5 जुलाई 2011 से)	सदस्य	6	6	100	हां
श्री वेंकटरमण सुब्रमणियन (5 जुलाई 2011 से)	सदस्य	6	5	83.33	हां
श्री राकेश जैन (4 जुलाई, 2011 तक)	अध्यक्ष	2	2	100	लागू नहीं
श्री देवेंद्र सिंह (4 जुलाई, 2011 तक)	सदस्य	2	2	100	हां
श्री प्रकाश ठक्कर (4 जुलाई, 2011 तक)	सदस्य	2	2	100	हां

शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष डा. गोविंद मारापल्ली राव 17 सितंबर, 2011, को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

3.2 डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी निदेशक मंडल की उप–समिति

डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी निदेशक मंडल की उप–समिति का गठन निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 29.04.2005 की बैठक में किया। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी निदेशक मंडल की उप–समिति का गठन इस प्रकार है–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी उप–समिति की बैठक के लिए कोरम न्यूनतम 2 सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल हैं। वित्त वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.3 अल्पकालिक/दीर्घकालिक ऋणों के लिए उधार की दर की समीक्षा संबंधी उप–समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 21.07.2006 को आयोजित अपनी बैठक में अल्पकालिक ऋणों के उधार की दरों की समीक्षा करने के लिए उधार की दर की समीक्षा संबंधी उप–समिति का गठन किया था। इसके अतिरिक्त, सावधि ऋण संबंधी उधार दरों की समीक्षा करने के लिए समिति का कार्य क्षेत्र निदेशक मंडल द्वारा 26.10.2006 को हुई अपनी बैठक में बढ़ा दिया गया था। उधार दरों की समीक्षा करने संबंधी निदेशक मंडल की इस उप–समिति का गठन इस प्रकार है–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

अल्पकालिक/दीर्घकालिक ऋणों के लिए उधार की दरों की समीक्षा संबंधी उप समिति की बैठकों के लिए कोरम 2 सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान अल्पकालिक ऋणों/दीर्घकालिक ऋणों के लिए उधार की दरों की समीक्षा करने के लिए उप–समिति की 9 बैठकें आयोजित की गई जो दिनांक 19 मई, 2011, 6 जून, 2011, 22 जून, 2011, 8 अगस्त, 2011, 2 सितंबर 2011, 24 अक्तूबर, 2011, 7 दिसंबर, 2011, 31 जनवरी, 2012 और 20 मार्च 2012 को सम्पन्न हुई।

3.4 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

(i) शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन

निदेशक मंडल ने शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन 30 जुलाई, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में किया था। यह समिति शेयरों के अंतरण, तुलन–पत्र न मिलने, घोषित लाभांश आदि के प्राप्त न होने जैसी शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य विशेष रूप से देखती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक हैं। शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री देवेंद्र सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति की बैठक के लिए कोरम 2 सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल है। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान शेयरधारकों/निवेशकों की लंबित शिकायतों की प्रक्रियाविधि और स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24.5.2011, 10.8.2011, 10.11.2011 और 25 जनवरी 2012 को शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायत समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। श्री राकेश कुमार अरोड़ा, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) और कंपनी सचिव करार के खंड 47(ए) के अनुसरण में शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

(ii) विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निवेशक संबंधों के बारे में दिशानिर्देश

विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय ने सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निवेश संबंधों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की 16 दिसंबर 2011 को आयोजित इसकी 381वीं बैठक में इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया।

(iii) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत की स्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों का समीचीनता और शीघ्रता से निपटान किया है। दिनांक 01/4/2011 से 31/03/2012 की अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों/सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है–

वित्तीय वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतें	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	727
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	726
दिनांक 31.03.2012 को लंबित शिकायतें*	1

*सेबी के माध्यम से प्राप्त निवेशक की शिकायत का निपटान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

3.5 ऋण समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 26.05.2008 को आयोजित अपनी बैठक में ऋण समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन निम्नलिखित ऋणों की स्वीकृति के लिए किया गया–

(i) केंद्रीय/राज्य सरकार के विद्युत यूटिलिटीज़ अथवा केंद्र/राज्य पीएसयू को ₹ 25,000 करोड़ तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अंदर प्रत्येक मामले में ₹ 150 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 500 करोड़ तक के ऋण (निदेशक मंडल द्वारा 30 मार्च 2012, की आयोजित अपनी 385वीं बैठक में पूर्ववर्ती 20,000 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सीमा को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है); और

(ii) निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों को ₹ 6000 करोड़ तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अंदर प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक, लेकिन ₹ 500 करोड़ रुपए तक के ऋण (निदेशक मंडल द्वारा 30 मार्च 2012 को आयोजित अपनी 385वीं बैठक में पूर्ववर्ती 4000 करोड़ रुपए से 6000 करोड़ रुपए कर दिया गया है)।

वर्तमान स्थिति के अनुसार ऋण समिति का गठन इस प्रकार हैः–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री देवेंद्र सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

ऋण समिति की बैठक का कोरम तीन सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष और सरकारी नामिती निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान ऋण समिति की दिनांक 3 मई 2011, 1 जून 2011, 29 जून 2011, 10 अगस्त, 2011, 30 सितंबर, 2011, 10 नवंबर, 2011, 25 जनवरी, 2012, 2 मार्च, 2012, और 30 मार्च 2012 को कुल नौ बैठकें आयोजित की गई।

3.6 मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और अद्यतन करने संबंधी बोर्ड की उप–समिति

निदेशक मंडल ने मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए दिनांक 09.07.2008 को आयोजित अपनी बैठक में मानव संसाधन संबंधी उप–समिति का गठन किया। इसका गठन मानव संसाधन नीतियों के विकास, समीक्षा और संशोधन करने के लिए किया गया था, जिसमें सरकारी क्षेत्रक के तुलनीय उद्यमों की तर्ज पर मोटे तौर पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ/सुविधाओं से संबंधित नीतियां भी शामिल हैं। समिति अपनी सिफारिशें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है।

वर्तमान स्थिति के अनुसार मानव संसाधन संबंधी नीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए निदेशक मंडल की उप–समिति का गठन इस प्रकार है–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री वेंकटरमन सुब्रमणियन	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

समिति के लिए कोरम दो सदस्यों का है जिनमें समिति का अध्यक्ष शामिल है। ईडी (एचआर)/एजीएम (एचआर) उप समितियों की बैठकों में मानव संसाधन नीतियों के संबंध में अद्यतनीकरण के लिए स्थायी आमंत्रिती होते हैं। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए इस समिति की दिनांक 25 जुलाई, 2011 को एक बैठक आयोजित की गई।

3.7 पारिश्रमिक समिति

(i) सूचीबद्धता करार के अनुसार पारिश्रमिक समिति

आरईसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है तथा उसके निदेशकों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल तथा पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए, निदेशक मंडल निदेशकों के भत्तों को निर्धारित नहीं करता। अतः सूचीबद्धता करार के अनुसार इस किस्म की पारिश्रमिक समिति का कंपनी में गठन नहीं किया गया है।

निदेशकों का कंपनी से कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं है। निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

तथापि, निगमित सुशासन संहिता के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित अनिवार्य प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं–

(क) वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ	कार्य–निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन/एक्सग्रेशिया	जोड़
1.	श्री जयराज मोरेश्वर फाटक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (16.4.2011 तक)	67598	9894	0	77492
2.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, (29 नवंबर 2011 से)	778483	168583	0	947066
3.	श्री हरि दास खुंटेटा, निदेशक (वित्त)	2569919	516021	2834539	5920479
4.	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी), (2 मई 2011 से)	1993424	322603	1736736	4052763

(ख) अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों के साथ–साथ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित सीमा के अंदर निदेशक मंडल की 29 मार्च 2009 को आयोजित 347वीं बैठक में यथा निर्धारित निदेशक मंडल/इसकी समिति के प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 15000/– की दर से केवल सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग फीस के संबंध में किए गए भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(राशि रुपये में)

क्र सं.	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	सिटिंग फीस		जोड़
		निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	
1.	डॉ. देवी सिंह	1,20,000	2,10,000	3,30,000
2.	डॉ. गोविंद मारापल्ली राव	90,000	90,000	1,80,000
3.	श्री वेंकटरमन सुब्रमणियन	90,000	1,35,000	2,25,000
4.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	15,000	शून्य	15,000

(ग) सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक/सिटिंग फीस प्राप्त करने का हकदार नहीं होता।

(ii) लोक उद्यम विभाग के अनुसार पारिश्रमिक समिति:

लोक उद्यम विभाग ने कार्यालय ज्ञापन तारीख 26.11.2008, 9.2.2009 और 2.4.2009 के तहत 1.1.2007 से निदेशक मंडल स्तर तथा निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। लोक उद्यम विभाग ने पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के द्वारा यह भी निदेश दिया है कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम एक अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा, जो विहित सीमाओं के अंदर कार्यपालकों और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पूल तथा इसके वितरण के लिए नीति निर्धारण करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार, आरईसी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2009–10 से आगे के लिए निष्पादन से संबद्ध भुगतान का निश्चय करने के लिए 20.4.2009 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

वर्तमान स्थिति के अनुसार इस पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. गोविंद मारापल्ली राव	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री वेंकटरमण सुब्रमणियन	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

पारिश्रमिक समिति के लिए कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष शामिल हैं। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यकारी निदेशक (मा.सं.)/अपर महाप्रबंधक (मा.सं.) स्थायी आमंत्रिती है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान पारिश्रमिक समिति की दिनांक 25.7.2011 और 16.12.2011 को दो बैठकें आयोजित की गईं।

3.8 जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल की दिनांक 24.05.2011 को आयोजित 377वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इसका गठन इंटेग्रेटिड जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों और कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धतियों की जांच करना तथा कंपनी के प्रचालन के साथ अन्य संबद्ध मामलों में पैदा होने वाले जोखिमों के प्रशमन करने के लिए कार्रवाई करना है।

वर्तमान स्थिति अनुसार बोर्ड के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

वित्त प्रभाग (संसाधन संग्रहण) और सम्पत्ति दायित्व प्रबंधन प्रभाग के प्रचालन अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रिती हैं। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 30 अगस्त, 2011 को एक बैठक आयोजित की गई।

3.9 कार्यकारी समिति

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति का गठन केंद्रीय/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियों अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की वार्षिक अधिकतम सीमा के साथ (निदेशक मंडल द्वारा 30 मार्च, 2012 को आयोजित अपनी 385वीं बैठक में पूर्ववर्ती 16,000 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सीमा को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है) प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत करने और प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों को ₹ 5,000 करोड़ तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के साथ (निदेशक मंडल द्वारा 30 मार्च, 2012 को आयोजित अपनी 385वीं बैठक में पूर्ववर्ती ₹ 4,000 करोड़ की वार्षिक वित्तीय सीमा को बढ़ाकर ₹ 5,000 करोड़ कर दिया गया है) ऋण स्वीकृत करने की ये शक्तियां इस प्रयोजनार्थ गठित स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के अध्यधीन हैं। निदेशक मंडल ने 4 जुलाई, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में केवल प्रकार्यात्मक निदेशकों वाले बोर्ड की कार्यकारी समिति का पुनर्गठन अनुमोदित किया।

वर्तमान स्थिति के अनुसार बोर्ड की कार्यकारी समिति का गठन निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

बोर्ड की कार्यकारी समिति के लिए कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कार्यकारी समिति की 15.10.2011, 31.10.2011, 16.11.2011, 13.1.2012, 17.2.2012, 28.2.2012 और 31.3.2012 को आठ बैठकें आयोजित की गई।

3.10 बांड समिति

निदेशक मंडल द्वारा 16 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी 383वीं बैठक में बांड समिति का गठन किया गया था। निदेशक मंडल द्वारा बांड समिति को वित्त वर्ष 2011–12 में कंपनी के कर मुक्त प्रतिभूत विमोच्य अपरिवर्तनीय बांडों के सार्वजनिक निर्गम के लिए शर्तो और निबंधनों सहित विवरणिका को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

निदेशक मंडल की बांड समिति का गठन निम्नानुसार है–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

निदेशक मंडल की बांड समिति की बैठक के लिए कोरम दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान निदेशक मंडल की बांड समिति की 23.2.2012, 28.2.2012, 6.3.2012 और 27.3.2012 को चार बैठकें आयोजित की गईं।

3.11 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं संबंधी उप समिति

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का परियोजना मूल्यांकन, वित्त व्यवस्था और कार्यान्वयन करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए निदेशक मंडल की उप समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा 25 जनवरी, 2012 को आयोजित अपनी 382वीं बैठक में किया गया था।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं संबंधी उप समिति का गठन निम्नानुसार थी–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री वेंकटरमन सुब्रमणियन	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं संबंधी निदेशक मंडल की उप समिति की 22 फरवरी, 2012 को एक बैठक आयोजित की गई।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं संबंधी निदेशक मंडल की उप समिति का जिस प्रयोजन के लिए गठन किया गया था वह वर्ष के दौरान पूरा हो जाने के बाद निदेशक मंडल ने 2 मार्च, 2012 को आयोजित अपनी 384वीं बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं संबंधी मंडल की उप समिति को विघटित कर दिया।

3.12 सीएसआर पहल और परियोजनाओं की समीक्षा के लिए निदेशकों की समिति

सीएसआर परियोजनाओं की समीक्षा के लिए निदेशकों की समिति बोर्ड ने 30 मार्च 2012 को आयोजित अपनी 385वीं बैठक में गठित की थी। इसका काम आवधिक आधार पर कारपोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में उठाये गये कदमों की समीक्षा करना है।

सीएसआर परियोजनाओं की समीक्षा के लिए वर्तमान निदेशक समिति का गठन इस प्रकार है:–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

3.13 सतत विकास पर निदेशकों की पदनामित समिति

सतत विकास पर निदेशकों की पदनामित समिति का गठन बोर्ड ने 23 मई 2012 को आयोजित अपनी 386वीं बैठक में लोक उद्यम विभाग द्वारा लागू मार्गदर्शक निदेशों के अनुरूप किया था।

सतत विकास पर निदेशकों की पदनामित समिति का वर्तमान गठन निम्नलिखित प्रकार से है–

क्र. सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

4. शेयर अंतरण समिति

ऊपर 3.1 से 3.13 तक यथा उल्लिखित निदेशक मंडल की समितियों के अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिकारियों की भी एक शेयर अंतरण समिति है। निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 24 मई, 2011 को आयोजित 377वीं बैठक में शेयर अंतरण समिति का पुनः गठन किया था। इस समिति का गठन प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी से अधिक शेयरों के वास्तविक विभाजन/समेकन और अंतरण के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए किया गया है।

वर्तमान स्थिति के अनुसार शेयर अंतरण समिति का गठन इस प्रकार है:–

क्र.सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम
1.	श्री राकेश कुमार अरोड़ा	कंपनी सचिव
2.	श्री बी.के. जोहर	उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) संसाधन

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयरों तक शेयरों के विभाजन/समेकन और वास्तविक अंतरण के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग भाग के रूप में उपलब्ध कराई गई है।

6. सहायक कंपनियां

सूचीबद्धता करार के खंड 49 में परिभाषित के अनुसार कंपनी की कोई "महत्वपूर्ण गैर–सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी" नहीं है। गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त आरईसी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए थे। सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों की आरईसी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और इंतजाम कंपनी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाए गए थे। 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियां थी–

i. आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि. (आरईसीपीडीसीएल); और

ii. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसीटीपीसीएल के पास दो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) हैं अर्थात् वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) और विजाग ट्रांसमिशन लि. (वीटीएल)। इन दोनों एसपीवी में से वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लि. (वीटीएसएल) को इसकी समस्त सम्पत्तियों और देयताओं के साथ मैसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) और उनके नामितियों को अंतरित कर दिया गया था। यह अंतरण "वेमागिरि एरिया पैकेज–ए–वेमागिरि पूलिंग स्टेशन–खम्माम 765 केवी 1एक्स डी/सी (फर्स्ट सर्किट) लाइन" और खम्माम हैदराबाद 765 केवी 1एक्स डी/सी (फर्स्ट सर्किट) लाइन" के आईपीपी के साथ सम्बद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने के लिए आरईसीटीपीसीएलए वीटीएसएल और मैसर्स पीजीसीआईएल के बीच 18 अप्रैल, 2012 को संपन्न शेयर क्रय करार में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार किया गया।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसार, कंपनी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ सहायक कंपनियों की निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि संलग्न करनी होती है। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने परिपत्र सं. 2/2011 (सं. 51/12/2007 सीएल–III), दिनांक 8 फरवरी, 2011 के द्वारा धारा 212 का अनुपालन करने से कंपनियों को सामान्य छूट प्रदान की हैं बशर्ते कि उक्त परिपत्र में यथा निर्धारित कुछ शर्तों का अनुपालन किया जाए। कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 मार्च, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2011–12 के कंपनी के तुलन–पत्र के साथ सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के संलग्न नहीं करने के लिए अपनी सहमति दी है। तदनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 में हमारी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं। हमारी सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित खाते और प्रासंगिक सूचनाएं जहां लागू होगी, कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए हमारे नई दिल्ली, भारत स्थित पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएंगी। इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर "वित्तीय विशेषताएं" शीर्षक के तहत भी उपलब्ध कराया जाएगा।

7. वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली–110010 में आयोजित की गई थी जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है–

बैठक संख्या	वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
40वीं	2008–09	19 सितंबर, 2009	पूर्वाह्न 11.00 बजे	हां
41वीं	2009–10	8 सितंबर, 2010	पूर्वाह्न 11.00 बजे	हां
42वीं	2010–11	17 सितंबर, 2011	पूर्वाह्न 11.00 बजे	हां

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कोई संकल्प डाक मतपत्र के जरिए पारित नहीं किया गया। साथ ही, आगामी वार्षिक बैठक में किसी कार्य के लिए विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं है जिसे डाक मतपत्र के जरिए पास कराया जाना हो।

8. कारपोरेट सुशासन में इनिशिएटिव

(i) कारपोरेट सुशासन में इनिशिएटिव

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए "ग्रीन इनिशिएटिव" परिपत्रों के क्रियान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन किया हैं तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक की सूचना (एजीएम) और किए गए अंतरिम लाभांश की सूचना उन शेयरधारकों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से भेजी गई है जिनके ईमेल आई डी संबंधित डिपॉजिरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत थे और उन्हें डिपॉजिटरियों अर्थात् एनएसडीएल/सीडीएसएल से डाउनलोड किया गया था। वर्ष 2011–12 के लिए अंतिम/अंतरिम लाभांश देने की सूचना जिन शेयरधारकों के ईमेल आईडी पंजीकृत थे, उन्हे इलेक्ट्रानिक रूप से भेज दी गयी है।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करा कर कंपनी के "थिंक ग्रीन गो ग्रीन" कार्यक्रम को समर्थन दें।

(ii) सचिवालयी लेखापरीक्षा

31 मार्च, 2012 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सैक्रेटरीज़, दिल्ली द्वारा की गई और उन्होंने 11 जून, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों के सूचनार्थ अलग से दी गई है।

9. प्रकटन

(i) कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या उन कंपनियों या फर्मों के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से या निदेशकों तथा/अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई महत्वपूर्ण वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, सिवाय इसके कि मैसर्स इनर्जी इनफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड (ईआईपीएल) को उधारदाता इंजीनियर के रूप में पैनल में शामिल करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है, जिसमें डा. देवी सिंह, अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, आरईसी लिमिटेड भी स्वतंत्र निदेशक हैं।

(ii) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ–कंपनी शेयरों की खरीद–बिक्री करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक कार्य–व्यवहार करना जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके संबंधियों की शेयरधारिता हो।)

(iii) विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाजार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। इस संबंध में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई भर्त्सना की गई है। सभी विवरणियां/रिपोर्टें, स्टॉक एक्सचेंजों/ अन्य प्राधिकरणों के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करा दी गई थी।

(iv) संबंधित पार्टियों अर्थात् प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा अति महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया गया है, जिसका कंपनी हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(v) कंपनी ने जोखिम निर्धारण करने और न्यूनतम करने के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रियाविधि निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित पद्धति के माध्यम से किया जाए।

(vi) वित्त वर्ष 2011–12 के लिए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(vii) कंपनी ने सूचीबद्धता करार की गैर–अनिवार्य अपेक्षा के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है।

(viii) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के साथ संपर्क स्थापित करने से मना नहीं किया गया है।

(ix) कंपनी ने कारपोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल सुझाई गई सभी मदों को अपनाया है।

(x) प्राप्त घोषणापत्रों के अनुसार कंपनी के निदेशकों के बीच आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के अधीन यथापेक्षित अतिरिक्त प्रकटनः

(i) वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा कोई राष्ट्रपति दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए। 30.04.2009 को राष्ट्रपति के दिशानिर्देश अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, को यह निदेश देते हुए जारी किए थे कि लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शक नियमों का अनुपालन करते हुए आरईसी के बोर्ड स्तर और उससे निचले स्तर के कार्यपालकों के वेतन संशोधन और भत्ते लागू किए जाएं। बोर्ड स्तर और उससे निचले स्तर के कार्यपालकों के वेतन संशोधन और भत्ते 01.01.2007 से अनंतिम रूप से संशोधित कर दिए गए हैं।

(ii) लेखा बहियों में नामे डाले गए व्ययों की कोई भी मद ऐसी नहीं है जो कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं हैं। – शून्य

(iii) कोई भी उपगत व्यय ऐसा नहीं हैं जो व्यक्तिगत स्वरूप का हो और निदेशक मंडल तथा शीर्षस्थ प्रबंधन के लिए किया गया हो। – शून्य

(iv) वर्ष 2011–12 के लिए कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यय 0.87% हैं (पूर्व वर्ष का 0.68%) तथा वर्ष 2011–12 के लिए वित्तीय व्ययों की प्रतिशतता के रूप में 0.91% हैं (पहले वाले वर्ष का 0.70%)।

वित्त वर्ष 2011–12 में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं ₹ 12.99 करोड़ का सीएसआर व्यय, 1 अप्रैल 2011 से लागू सेनवेट क्रेडिट नियमों में परिवर्तन के कारण दरें एवं कर में बुक किए गए ₹ 5.04 करोड़ के सर्विस टैक्स उलटाव, और ₹ 3.42 करोड़ रुपए का अधिक आरजीजीवीवाई मानीटरिंग खर्च। अन्य विभिन्न शीर्षों के तहत खर्चों में मामूली वृद्धि या कमी हुई है।

10. संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय फीस

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय फीस का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:–

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ में)
1.	सांविधिक लेखा परीक्षा फीस वार्षिक	17,00,000
2.	अर्ध वार्षिक लेखा परीक्षा फीस	8,50,000
3.	कर लेखा परीक्षा फीस	5,00,000
4.	सीमित समीक्षा रिपोर्ट	5,25,000
5.	प्रमाणीकरण और अन्य मामलों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान#	25,48,189
	जोड़	**61,23,189**

इसमें कर मुक्त बांडों के सार्वजनिक निर्गम की दिनांक 2 मार्च, 2012 की विवरणिका का प्रमाणीकरण के लिए ₹ 15,00,000 और ईसीबी प्रलेखन के प्रमाणीकरण के लिए ₹ 9,00,000 शामिल हैं।

11. सूचीबद्धता करार की धारा 49 के तहत गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को अंगीकार करना

i. निदेशक मंडल

(क) कंपनी के प्रमुख एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं;

(ख) डा. गोविंद मारापल्ली राव और डा. देवी सिंह को क्रमशः 20 दिसंबर 2007 और 7 जनवरी, 2008 को तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था तथा इन्हें 10 जून, 2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक मंडल में पहली बार पुनः नियुक्त किया गया था;

(ग) श्री वेंकटरमन सुब्रमणियन और डा. सुनील कुमार गुप्ता को क्रमशः 10 जून, 2011 और 16 मार्च 2012 को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था;

(घ) किसी भी अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक ने 9 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए कंपनी में निदेशक का पद धारण नहीं किया है; और

(ङ) सभी अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास पर्याप्त अर्हताएं, सुविज्ञता और अनुभव है जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में कारगर योगदान देते हैं।

(ii) पारिश्रमिक समितिः निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्णय कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, सूचीबद्धता करार के अनुसार, वित्त वर्ष 2011–12 में कंपनी की कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है। तथापि, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2009 और 02.04.2009 के तहत लोक उद्यम विभाग के निदेशानुसार, आरईसी बोर्ड ने 20.04.2009 को वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पूल तथा विहित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के बीच उसके वितरण हेतु नीति का निश्चय करने के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की है।

iii. शेयरधारकों के अधिकारः कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों को निगमित सुशासन पर रिपोर्ट के मद 'संचार के साधन' के तहत उल्लिखित अग्रणी समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। ये परिणाम शेयरधारकों को अलग से परिचालित नहीं किए जाते।

iv. लेखापरीक्षा अर्हताः वित्त वर्ष 2011–12 के लेखापरीक्षा विश्लेषण/टिप्पणियां और प्रबंधन वर्ग के उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के पैरा 34.1 में दिए गए हैं।

v. निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षणः यह आवश्यकता आधारित है।

vi. निदेशक मंडल के गैर–प्रकार्यात्मक सदस्यों के मूल्यांकन की प्रणालीः कंपनी द्वारा ऐसी कोई प्रणाली नहीं अपनाई गई है।

vii. धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति

धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम करने, किसी पता लगाई गई या संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना देने और धोखाधड़ी संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए आरईसी में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नीति तैयार की गई है। नीति में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया गया है:–

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए प्रक्रियाविधि सुनिश्चित करने तथा/अथवा इसके धोखाधड़ी हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है;

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ कार्रवाई करने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना जिनमें उन्हें किसी धोखाधड़ी में शामिल होने से वर्जित किया गया हो तथा जहां धोखाधड़ी की कार्रवाई का संदेह हो,

वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो;

iii. धोखाधड़ी की छानबीन आयोजित करना; और

iv. यह आश्वासन देना कि समस्त संदिग्ध धोखाधड़ी के कार्यकलापों की पूर्णत: जांच की जाएगी।

viii. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी: आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय आदेश सं. 33/5/2004 दिनांक 17 मई, 2004 के जरिए जारी व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी (पीआईडीपीआई संकल्प) को अपना लिया है और इस पॉलिसी को सतर्कता प्रभाग ने अक्तूबर, 2010 में जारी की गई "सतर्कता पुस्तिका" में शामिल भी कर लिया है।

इसके अतिरिक्त सूचीबद्धता करार के खंड 49 और सीपीएसई के निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के खंड 8 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 नवंबर, 2011 को आयोजित अपनी 380वीं बैठक में "निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यवसाय आचरण एवं नीति संहिता" को पुष्ट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी अनुमोदित की। इस नीति से कर्मचारी, निदेशक, लेखापरीक्षक, परामर्शदाता और ठेकेदार ("व्यक्ति") आंतरिक रुप से ऐसी सूचना के बारे चिन्ता व्यक्त कर सकेगा जिसे व्यक्ति कथित रूप से ऐसा अनाचार या गलत कार्य समझता है जिससे कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की इस आशय की घोषणा कि उन्होंने किसी भी कार्मिक को सक्षम अधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया है तथा उन्होंने प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई से शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान की है, नीचे दी गई है:

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक अभिपुष्टि

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र प्रणाली स्थापित की गई है।

हस्ताक्षर
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

12. संचार के साधन

कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि संचार संपूर्ण निगमित सुशासन ढांचे का महत्वपूर्ण अंग होता है तथा इसलिए वह सतत्, कुशल और प्रासंगिक संचार पर बल देती है।

कंपनी अपने शेयरधारकों को वेबसाइट के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकों और प्रकटनों की संसूचना देती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल होती है जिसमें अन्य बातों के साथ, लेखा परीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट, गैर–बैंकिग वित्तीय कंपनी की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अंतर्विष्ट होती हैं, जिसे सदस्यों और उसके लिए अन्य हकदार व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

कंपनी निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से भी अपने संस्थागत निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखती है।

कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं और दि इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी और अंग्रेजी) मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। परिणाम निगम की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

13. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार अपेक्षित श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री हरि दास खुंटेटा, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिनांक 23 मई, 2012 को आयोजित 386वीं बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष तब प्रस्तुत किया गया जब 31.3.2012 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर विचार किया जा रहा था।

14. सामान्य शेयरधारक सूचना

(i) 2011–12 के लिए वार्षिक आम बैठक

दिनांक	समय	स्थान
20 सितंबर, 2012	11 बजे पूर्वाह्न	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली –110010

(ii) वित्त वर्ष 2012–13 तथा वित्त वर्ष 2011–12 के लिए वित्तीय कैलेंडर

विवरण	वित्त वर्ष 2011–12		वित्त वर्ष 2012–13	
लेखाकरण की अवधि	1 अप्रैल, 2011, से 31 मार्च 2012		1 अप्रैल, 2012, से 31 मार्च 2013	
अंतरिम लाभांश का भुगतान	7 फरवरी, 2012		फरवरी 2013 (अनंतिम)	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	10 अगस्त, 2011	पहली तीन तिमाही	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिन के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही	10 नवंबर, 2011		
	तीसरी तिमाही	25 जनवरी, 2012		
	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	23 मई, 2012	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 60 दिन के अंदर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	20 सितंबर, 2012		सितंबर 2013 (अनंतिम)	

(iii) लाभांश का भुगतान

क. वित्त वर्ष 2011–12 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 और कंपनी (लाभ का आरक्षित निधि में अंतरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 104 के अनुसरण में कंपनी ने वित्त वर्ष 2011–12 के लिए फरवरी 2012 में ₹ 5 प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य पर) का अंतरिम लाभांश अदा किया।

(2) अंतिम लाभांश का विवरण:

निदेशक मंडल ने दिनांक 23 मई, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 2.50 प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य पर) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिशें की हैं। यह सिफारिश दिनांक 20.09.2012 को आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए कुल लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) 7.50 प्रति शेयर (प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य पर) होगा।

(ख) पिछले पांच वर्षों के लिए लाभांश का विवरण

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	अदा किए गए लाभांश की कुल रकम	लाभांश की दर (प्रतिशत)	भुगतान की तारीख	
				अंतरिम	अंतिम
2006–07	780.60	177.00	22.67	लागू नहीं	5 अक्तूबर, 2007
2007–08	858.66	257.60	30	लागू नहीं	1 अक्तूबर, 2008
2008–09	858.66	386.40	45	5 मार्च, 2009	25 सितंबर, 2009
2009–10	987.46	603.21	65	12 जनवरी, 2010	15 सितंबर, 2010
2010–11	987.46	740.59	75	24 फरवरी, 2011	28 सितंबर, 2011

iv. खाता बंदी की तारीख :

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 06 सितंबर, 2012 से 20 सितंबर 2012 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रखे जाएंगे।

v. अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए पे आउट तारीख

निदेशक मंडल की सिफारिशों के अनुसार इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 206 ए के प्रावधानों के अनुसार 4 अक्तूबर, 2012 को उन सदस्यों अथवा उनके अधिदेश, जिनके नाम 20 सितंबर, 2012 को फिजिकल शेयर कंपनी रजिस्टर में दर्ज हैं, को किया जाएगा बशर्ते कि वार्षिक आम बैठक में यह अनुमोदित हो जाए। डिमेटिरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत हिताधिकारिक स्वामित्व विवरण में 5 सितंबर, 2012 को कारोबारी घंटे बंद होने तक दर्शाए नामों के अनुसार शेयरों के "बेनेफिशियल ओनर्स" को दिया जाएगा।

vi. इक्विटी शेयर संबंधी सूचीकरण

आरईसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

नाम और पता	टेलीफोन/फैक्स/ईमेल आईडी/वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स बांद्रा (ईस्ट) मुंबई–400051.	दूरभाष. (022) 26598100–8114 फैक्स. (022) 26598120 ई–मेल आईडी: cc_nse@nse.co.in वेबसाइट: www.nseindia.com	आरईसी लि.
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) (फिरोज जीजीभॉय टावर्स दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400001	दूरभाष. (022) 22721233/4 फैक्स. (022) 22721919 ई–मेल आईडी : info@bseindia.com वेबसाइट: www.bseindia.com	532955

vii. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आईएसआईएन बिक्री की जाने वाली स्क्रिप की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। यह संख्या कंपनी की डिमेटिरियलाइज की गई प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्येक लेनदेन में उद्धृत करनी होती है। कंपनी के शेयरों का आईएसआईएन आईएनई 020बी01018 है।

viii. वित्तीय वर्ष 2011–12 के बाजार मूल्य आंकड़े

एनएसई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन					निफ्टी		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति (₹)	बिक्री की गई कुल मात्रा	उच्च	निम्न	माह की समाप्ति
अप्रैल 11	269.60	232.00	238.60	5,21,16,121	5944.45	5693.25	5749.50
मई 11	240.65	191.15	212.85	4,63,71,659	5775.25	5328.70	5560.15
जून 11	218.60	177.35	195.90	4,86,62,021	5657.90	5195.90	5647.40
जुलाई 11	231.45	194.60	209.70	6,68,85,138	5740.40	5453.95	5482.00
अगस्त 11	214.50	162.15	174.60	4,46,90,869	5551.90	4720.00	4919.60
सितंबर 11	191.85	163.10	173.90	4,20,01,182	5169.25	4758.85	4943.25
अक्तूबर 11	187.00	153.60	180.55	3,42,03,475	5399.70	4728.30	5326.60
नवंबर 11	208.45	173.00	183.35	59,825,585	5326.45	4639.10	4832.05
दिसंबर 11	203.40	143.50	153.75	5,49,50,486	5099.25	4531.15	4624.30
जनवरी 12	205.80	149.65	190.50	4,58,60,989	5217.00	4588.05	5199.25
फरवरी 12	252.00	189.50	215.70	6,34,91,699	5629.95	5159.00	5385.20
मार्च 12	229.40	184.20	205.40	5,89,57,716	5499.40	5135.95	5295.55

बीएसई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन					सैनसैक्स		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति (₹)	बिक्री की गई कुल मात्रा	उच्च	निम्न	माह की समाप्ति
अप्रैल 11	269.85	232.35	238.75	61,06,973	19,811.14	18,976.19	19,135.96
मई 11	240.65	191.15	212.75	72,34,607	19,253.87	17,786.13	18,503.28
जून 11	220.00	178.50	195.80	69,73,738	18,873.39	17,314.38	18,845.87
जुलाई 11	231.85	194.70	209.45	1,02,63,415	19,131.70	18,131.86	18,197.20
अगस्त 11	214.50	162.50	174.35	69,01,333	18,440.07	15,765.53	16,676.75
सितंबर 11	191.70	163.35	173.10	63,04,253	17,211.80	15,801.01	16,453.76
अक्तूबर 11	187.00	155.00	180.00	51,34,960	17,908.13	15,745.43	17,705.01
नवंबर 11	208.25	175.00	183.85	81,44,700	17,702.26	15,478.69	16,123.46
दिसंबर 11	203.05	143.50	153.50	94,16,375	17,003.71	15,135.86	15,454.92
जनवरी 12	205.40	149.20	190.30	75,79,581	17,258.97	15,358.02	17,193.55
फरवरी 12	251.40	189.30	215.85	83,50,136	18,523.78	17,061.55	17,752.68
मार्च 12	229.40	190.20	205.55	1,03,98,670	18,040.69	16,920.61	17,404.20

आरईसी शेयर मूल्य और निफ्टी

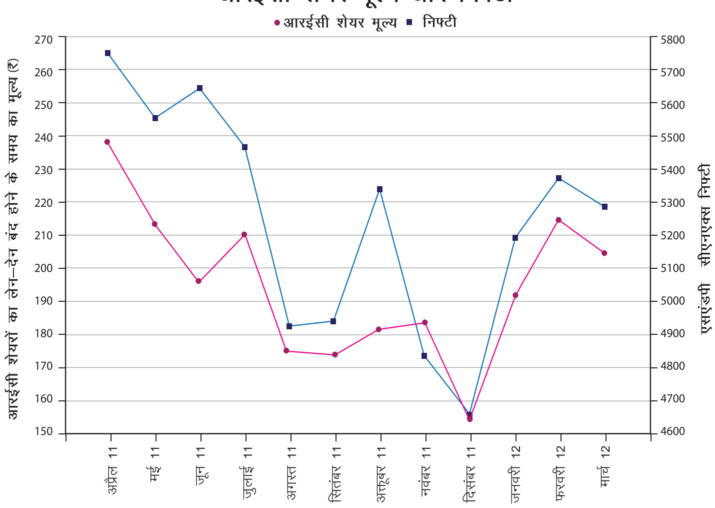

आरईसी शेयर मूल्य और बीएसई सेंसेक्स

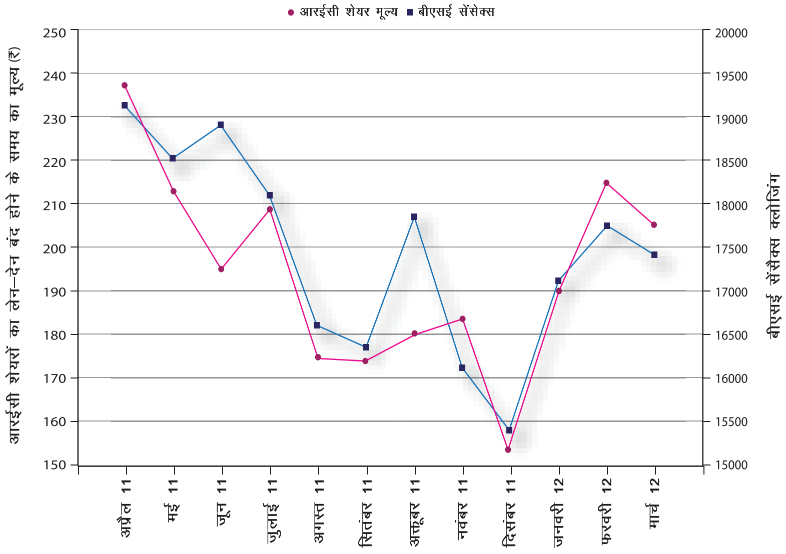

(ix) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लाट 17 से 24, विट्ठलराव नगर,
मढ़ापुर, हैदराबाद–500081, भारत
दूरभाष : 91 40 44655141/4465513
फैक्स : 91 40 23420814
ई–मेल : svraju@karvy.com/
sbreddy@karvy.com/
einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvy.com

(x) शेयर अंतरण प्रणाली

फिजिकल सेग्मेंट वाले शेयरों को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी, अंतरिती से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और इनका अंतरण ज्ञापन आदि तैयार करता है। प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक फिजिकल शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे ही अनुमोदित किया जाता है।

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुपालन में, प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन के अनुमोदन के लिए शेयर अंतरण समिति भी गठित की गई है।

सूचीबद्धता करार की धारा 47 (सी) के अनुसरण में अर्धवार्षिक आधार पर शेयर अंतरण औपचारिकताओं के कंपनी द्वारा अनुपालन की पुष्टि करते हुए किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से प्रमाण पत्र निर्धारित समय के अंदर स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(xi) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों की प्रतिशतता	राशि (₹)	शेयरों की प्रतिशतता
1-5000	264467	96.99	245443590.00	2.49
5001-10000	4971	1.82	35703980.00	0.36
10001-20000	1437	0.53	20893890.00	0.21
20001-30000	498	0.18	12516280.00	0.13
30001-40000	214	0.08	7578430.00	0.08
40001-50000	196	0.07	9133110.00	0.09
50001-100000	291	0.11	20992850.00	0.21
100001 से अधिक	605	0.22	9522327870.00	96.43
जोड़	**272679**	**100**	**9874590000.00**	**100.00**

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का पैटर्न

श्रेणी	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार		परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत	
भारत के राष्ट्रपति	659607000	66.80	659607000	66.80	शून्य
विदेशी सांस्थानिक निवेशक	192803883	19.53	205084533	20.77	(1.24)
कारपोरेट निकाय	34004753	3.44	43226161	4.38	(0.94)
निवासी व्यक्ति	32765736	3.32	30814356	3.12	0.20
बीमा कंपनियां	30049436	3.04	23794291	2.41	0.63
म्युचुअल फंड	16845852	1.71	17297827	1.75	(0.04)
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	15141623	1.53	1102901	0.11	1.42
क्लीयरिंग सदस्य	2321284	0.24	1568880	0.16	0.08
एच यू एफ हिंदू अविभाजित कुटुंब	1456227	0.15	1367388	0.14	0.01
बैंक	1149900	0.12	2650546	0.27	(0.15)
अनिवासी भारतीय	811852	0.08	737328	0.07	0.01
न्यास	501454	0.05	207589	0.02	0.03
विदेशी नागरिक	शून्य	शून्य	200	नगण्य	-
जोड़	**987459000**	**100**	**987459000**	**100**	**0.00**

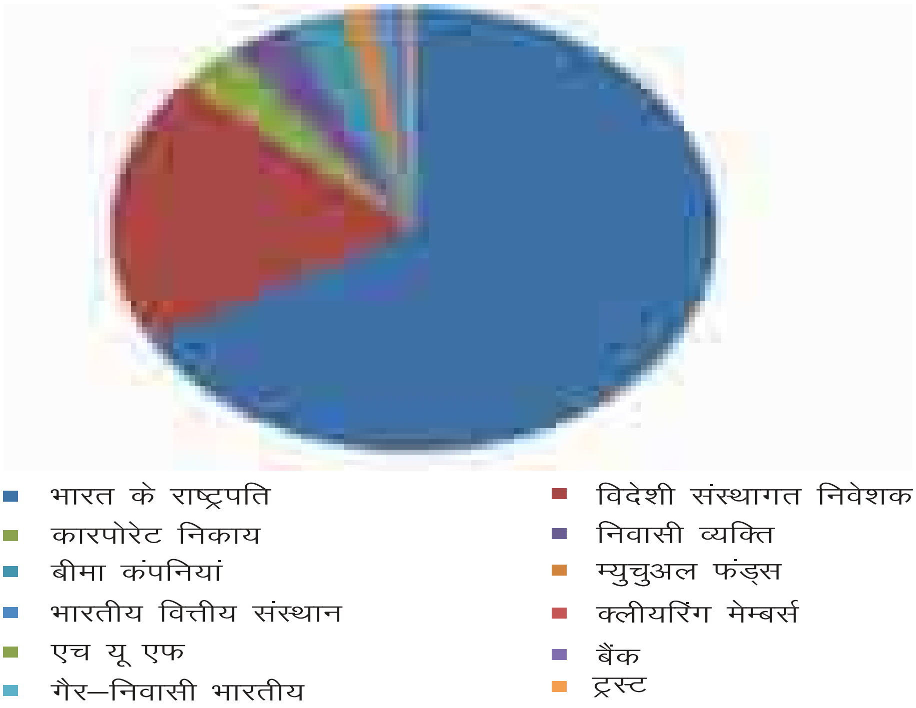

xii. शेयरों का डिमेटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमेटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं।

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार डिमेटीरियलाइज्ड और फिजिकल रूप में धारित शेयरों की संख्या:–

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
फिजिकल	6744	10241	नगण्य
एनएसडीएल	188300	977351884	98.97
सीडीएसल	77635	10096875	1.03
जोड़	272679	987459000	100.00

xiii शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का समाधान

वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति, कंपनी सचिव ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास प्रविष्ट, जारी और सूचीबद्ध कुल शेयर पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रत्येक तिमाही की शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान इस बात की पुष्टि करता है कि कुल निर्गमित/प्रदत्त शेयर पूंजी एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास उपलब्ध फिजीकल रूप में शेयरों की कुल संख्या और डिमेटिरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है। ये रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दी गई थी।

xiv. बिना दावे वाले शेयरों का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम शुरू किया, जिसमें कंपनी के 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल था और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित उतने ही शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम जारी किया, जिसमें कंपनी के 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति के 4,29,33,000 शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

सूचीबद्धता करार की धारा 5 ए के अनुसार बिना दावे के शेयरों की 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार संख्या निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
	आईपीओ–1.4.2011 से 31.3.2012		
1.	शेयरधारकों और बकाया दावारहित शेयरों की 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार कुल संख्या	318	26023
2.	जिन शेयरधारकों ने वर्ष के दौरान दावारहित शेयरों के अंतरण के लिए अनुरोध किया	12	1086
3.	शेयरधारकों की संख्या जिनको दावारहित शेयर अंतरित किए गए	12	1086
4.	शेयरधारकों और बकाया दावारहित शेयरों की 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार कुल संख्या	306	24937

क्र. सं.	विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
	एफपीओ–1.4.2011 से 31.3.2012		
1.	शेयरधारकों और बकाया दावारहित शेयरों की 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार कुल संख्या	8	690
2.	जिन शेयरधारकों ने वर्ष के दौरान दावारहित शेयरों के अंतरण के लिए अनुरोध किया	2	180
3.	शेयरधारकों की संख्या जिनको दावारहित शेयर अंतरित किए गए	2	180
4.	शेयरधारकों और बकाया दावारहित शेयरों की 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार कुल संख्या	6	510

उक्त शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकार उस समय तक बंद रखा जाएगा जब तक सही मालिक ऐसे शेयरों का दावा नहीं करता है।

xv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए गए हैं।

xvi. स्टॉक एक्सचेंजों के लिए वार्षिक सूचीबद्धता फीस

कंपनी ने एनएसई और बीएसई को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता फीस का भुगतान किया है।

xvii. डिपॉजिटरियों के लिए वार्षिक अभिरक्षक फीस

कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वार्षिक अभिरक्षक फीस का भुगतान किया।

xviii. संयंत्र की अवस्थिति: लागू नहीं। तथापि 5 आंचलिक कार्यालय, 18 परियोजना कार्यालय, 2 उप कार्यालय और 1 प्रशिक्षण केंद्र हैं।

xix. पत्राचार के लिए पता

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड
नई दिल्ली–110003, भारत

xx. अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता

श्री राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव
दूरभाष: +91 11 24367305
फैक्स: +91 11 24362039
ई–मेल : rkarora@recl.nic.in

अनुबंध–III

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

हमने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित सूचीबद्धता करार के खंड 49 और भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में उल्लेख किया गया है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी ने निगमित सुशासन की उन शर्तों का अनुपालन किया है, जिनका स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी के सूचीबद्धता करार के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है। लेकिन पिछले वर्ष में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों की सेवानिवृत्ति के कारण 1 अप्रैल 2011 से 4 जुलाई 2011 तक और 29 नवंबर 2011 से 15 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान निदेशक मंडल का गठन तथा 1 अप्रैल 2011 से 4 जुलाई 2011 तक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था, वह सूचीबद्धता करार के खंड 49 के उप–खंड (i) (क) और (ii) (क) और केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 और 4.1.1 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

हम यह और उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता अथवा दक्षता या प्रभावशीलता का कोई आश्वासन नहीं है, जिसके अनुसार प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001113एन

(आर.सी. पांडे)
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.006747एन

(के.एस. पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं.070276

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 जून 2012

अनुबंध–IV

सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

शेयरधारकगण
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर–4, स्कोप काम्प्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली

हमने, निम्नलिखित में अंतर्निहित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के रजिस्टरों, अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है:

- कंपनी अधिनियम,1956 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम,1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और निक्षेपागारों की उपविधि जिन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत पंजीकरण के अपेक्षित प्रमाण पत्र दिए हैं;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, दिशानिर्देश और विनियम जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
    - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) विनियम 1992
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्धता करार;

क. उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच और सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी द्वारा हमें प्रस्तुत की गई व्याख्याओं और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने निम्नलिखित के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू उपबंधों का सूचीकरण अनुबंध एवं कंपनी के संस्था अंतर्नियमों और ज्ञापन का अनुपालन किया है:

1. विभिन्न सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव और उनमें आवश्यकता के आधार पर जरूरी परिवर्तन करना।
2. कंपनियों के पंजीयक के पास फार्मों, रिटर्नों और संकल्पों को जमा करना।
3. कंपनी के सदस्यों और स्टॉक एक्सचेंजों को कंपनी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराना।
4. निदेशक मंडल का गठन, निदेशकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र।
5. कार्यपालक और गैर निदेशकों का पारिश्रमिक।
6. बोर्ड की बैठकों तथा निदेशकों की समिति की बैठकों की कार्यसूची और सूचना प्रेषित करना।
7. बोर्ड तथा इसकी समितियों की बैठक।
8. वार्षिक आम बैठक का आयोजन तथा उसमें विभिन्न रजिस्टरों को प्रस्तुत करना।
9. बोर्ड की बैठकों, समिति की बैठकों और आम बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त की रिकार्डिंग करना।
10. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक।
11. भौतिक रूप में धारित शेयरों की धारिता/पंजीकरण।
12. शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन एवं रिमैटेरियलाइजेशन।
13. कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 205 के प्रावधानों का पालन करते हुए लाभांश घोषित कर दिया है और पात्र शेयर धारकों को भुगतान कर दिया है।
14. कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 205ग के प्रावधानों का पालन करते हुए बेदावा/अदत्त लाभांश निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया है।
15. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 की अपेक्षाएं।
16. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) 1992 की अपेक्षाएं।
17. उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार में निर्धारित अपेक्षाएं।

ख. हम यह रिपोर्ट भी देते हैं कि वर्ष के दौरान–

(i) कंपनी के निदेशकों ने अपने अन्य निदेशक पदों, कंपनियों के बोर्ड, जिनमें वे निदेशक हैं, की समितियों की सदस्यताओं, उनकी शेयरधारिता और हित अथवा अपने सामान्य कारोबार के अनुसरण में कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों में अपने सरोकार से संबंधी अपनी घोषणाओं और प्रकटनों के संबंध में विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा

(ii) कंपनी के खिलाफ न तो कोई अभियोग कार्रवाई शुरू की गयी है और न ही किसी 'कारण बताओ' नोटिस प्राप्त हुआ है तथा उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों और इसके अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत कंपनी पर अथवा इसके निदेशकों तथा अधिकारियों पर कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया है।

कृते चंद्रशेकरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डॉ. एस चंद्रशेकरन
वरिष्ठ भागीदार
एफसीएस:1644
सीपी: 715

नई दिल्ली
दिनांक : 11.06.2012

अनुबंध-V

सहायक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(i)(ड़)के अनुसरण में विवरण

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि.	वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टमस लि.	विजाग ट्रांसमिशन लि.
1.	सहायक कंपनी के वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2012
2.	तारीख जब वे सहायक कंपनी बनी थीं	08 जनवरी, 2007	12 जुलाई, 2007	21 अप्रैल, 2011	30 नवबंर, 2011
3.	दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयर				
क)	संख्या और अंकित मूल्य	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर
ख)	शेयरधारण की सीमा	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
4.	जहां तक नियंत्री कंपनी के सदस्यों का संबंध है, सहायक कंपनियों के लाभ/(हानि) की निवल कुल रकम				
	(क) धारक कंपनी के खातों में नहीं है –				
	(1) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	11,69,00,977	8,66,09,900	(28,033)	(28,543)
	(2) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्त वर्ष तक	30,72,38,592	8,10,12,275	–	–
	(ख) धारक कंपनी के खाते में–				
	(1) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए –	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(2) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्त वर्ष के लिए जब से वे धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी बनी	शून्य	15,00,000	शून्य	शून्य

टिप्पणियां

(1) वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वी टी एस एल) और विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल) के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. के पास हैं, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के पूर्व स्वामित्व में हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 (1) (ग) के अंतर्गत ये कंपनियां भी 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार आरईसी की अनुषंगी कंपनियाँ थीं।

(2) वीटीएसएल 18 अप्रैल 2012 को मेसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित कर दिया गया है। इनकी शर्तें और निबंधन आरईसी टीपीसीएल, वीटीएसएल और पीजीसीआईएल के बीच हुए शेयर खरीद समझौते में दिए गए हैं।

(राकेश कुमार अरोड़ा)	(हरिदास खुंटेटा)	(राजीव शर्मा)
महाप्रबंधक (वित्त एंव लेखा) एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

1. हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2012 के संलग्न तुलन–पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधक वर्ग का है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजना के अनुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि वित्तीय विवरण में गलतबयानी न हो। लेखापरीक्षा में परख के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया कराती है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अनुसार, यथा अपेक्षित तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश 2003 (यथासंशोधित) के अनुसार कारपोरेशन पर जितना लागू हो सकता है, उसके अनुरूप उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण अनुबंध में संलग्न कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध में टिप्पणियों के अतिरिक्त हम प्रतिवेदित करते हैं कः

   (i) हमने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी इस लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

   (ii) हमारी राय में, और जहां तक इन बहियों की जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपर्युक्त खाता.बहियां ठीक ढंग से रखी गई हैं;

   (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण निगम की लेखा–बहियों से मेल खाते हैं;

   (iv) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप–धारा 3(ग) में दिए गए लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं;

   (v) भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना संख्या 2/5/2001.सीएल.वी के द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के उपबंधों को लागू करने की प्रयोज्यता से छूट दी गई है;

   (vi) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इसके संबंध में टिप्पणियों और लेखाकरण नीतियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित निम्नलिखित सूचना देते हैं, जिसमें सही तथा निष्पक्ष विचार व्यक्त किए गए हैं और जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप हैं;

      (क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति;

      (ख) लाभ एवं हानि खाते के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ; तथा

      (ग) नकदी प्रवाह के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह;

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001113एन

(आर.सी.पांडे)
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के खातों पर उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विवरण का अनुबंध

(i) (क) कारपोरेशन ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखा है जिसमें संपत्तियों की मात्रा का विवरण और अवस्थिति सहित पूरे ब्योरे दर्शाए जाते हैं।

(ख) कंपनी के प्रबंधन द्वारा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित करने के अनुसार उक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने इस वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का कोई बड़ा निपटान नहीं किया। अतः चालू प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(ii) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कारपोरेशन की कोई माल सूची नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

(iii) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकार को जमानती या गैर–जमानती ऋण प्रदान नहीं किया है। तदनुसार खंड 4(iii)(क), 4(iii)(ख) तथा 4(iii)(ग) और 4(iii)(घ) लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने सामान्यतः उन कंपनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कोई जमानती या गैर–जमानती ऋण नहीं लिया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत खोले गए रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं। तदनुसार, इस आदेश के खंड 4(iii)(ड.), 4(iii)(च) तथा 4(iii)(छ) कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार अचल परिसंपत्तियां खरीदने और वित्तीय सेवाओं के लिए आंतरिक नियंत्रण सामान्यतः कारपोरेशन के आकार और क्रियाकलाप के अनुरूप हैं। तथापि, कुछ क्षेत्रों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ये क्षेत्र हैंः विभिन्न स्कीमों के अधीन प्राप्त अनुदान/सब्सिडी, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों/उत्पादन कंपनियों को दिए गए ऋणों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण जिसमें दिए गए ऋणों पर सृजित प्रभारों की खोज (सर्च) रिपोर्ट प्राप्त करना भी शामिल है। ऋण संपत्तियों की भुगतान सूची फिर से तैयार करते समय संशोधित परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाना; ऋण संपत्तियों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए ईआरपी में ऋण मॉड्यूल से विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने पर भी बेहतर नियंत्रण की जरूरत है। लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कोई बड़ी असफलता हमें नहीं मिली।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों या संस्थाओं के साथ कोई करार नहीं किया है। तदनुसार आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने जनता से ऐसी कोई जमा स्वीकार नहीं की है जिस पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए तथा 58एए के उपबंध अथवा इसके अंतर्गत तैयार नियमावली के संबंधित उपबंध लागू होते हों।

(vii) हमारे विचार में कारपोरेशन का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो सामान्यतः कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के अनुरूप काफी है।

(viii) हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन के उत्पाद/सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्ड को रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश का यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता।

(ix) (क) कारपोरेशन, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा से रक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धनकर, सेवा कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रहा है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सेवा कर तथा धनकर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि 31.03.2012 को बकाया नहीं थी जो देय तारीख से छह महीने से अधिक से बकाया हो।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, धनकर, सेवा कर एवं उपकर से संबंधित ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

(x) कारपोरेशन को 31 मार्च, 2012 तक कोई संचयी हानि नहीं हुई है। हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारपोरेशन को नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(xi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने तुलन–पत्र की तारीख तक किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या बांडधारकों को देय राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, पारेषण, वितरण तथा उत्पादन कंपनियों जिनमें स्वतंत्र विद्युत उत्पादक शामिल हैं, को शेयर अथवा अन्य किसी प्रतिभूति रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋण के संबंध में अभिलेखों तथा दस्तावेजों का अनुरक्षण किया है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन चिट फंड या निधि या म्युच्युअल बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है। अतः यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता।

(xiv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन, शेयरों, प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों का किसी प्रकार का लेनदेन या व्यापार नहीं कर रहा है। तदनुसार, यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतः यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता।

(xvi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सावधि ऋण जिस प्रयोजन हेतु लिए गए, उसी के लिए इनका उपयोग किया गया।

(xvii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन के तुलनपत्र की समग्र जांच करने पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया गया है।

(xviii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में शामिल की जाने वाली कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को वर्ष के दौरान किसी तरह के अधिमानी शेयर आबंटित नहीं किए।

(xix) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कारपोरेशन की महाराष्ट्र, दिल्ली और चेन्नई की अचल संपत्तियों पर प्राप्य एवं पंजीकृत रेहन पर प्रभार के रूप में संस्थागत बांड, कर योग्य सुरक्षित बांड और पूंजीगत लाभ बांड के संबंध में प्रतिभूति सृजित की है।

(xx) इस निगम ने 1000 रुपए अंकित मूल्य वाले कर मुक्त बांडों का सार्वजनिक निर्गम जारी किया है और इसके जरिए वित्त वर्ष 2011–12 में कुल रूपए 3000.00 करोड़ की राशि जुटाई है। यह बांड 27 मार्च, 2012 को आबंटित किए जा चुके हैं और इनसे प्राप्त राशि निर्धारित सार्वजनिक निर्गम खातों में रखी गई है। इस निर्गम से प्राप्त राशि तुलन पत्र तैयार होने तक इस्तेमाल नहीं की जा सकी क्योंकि जो निधियां जुटाई गई वह इस निगम को 4 अप्रैल, 2012 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)में सूचीवबद्ध होने के बाद उपलब्ध हो पाई।

(xxi) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा की परिपाटी के अनुसार की गई लेखा बहियों की जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें वर्ष के दौरान कारपोरेशन के साथ या कंपनी द्वारा की गई कपट की कोई घटना न तो हमारे ध्यान में आई है और न ही हमें उसकी कोई सूचना मिली है। प्रबंधक वर्ग द्वारा भी ऐसे किसी मामले के बारे में हमें सूचित नहीं किया गया है।

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001113एन

(आर.सी.पांडे)
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार तुलनपत्र

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	टिप्पणी सं.	31.03.2012 की स्थिति	31.03.2011 की स्थिति
I. इक्विटी और देयताएं			
(3) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	1	987.46	987.46
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	13,757.46	11,801.16
उप–जोड़ (1)		14,744.92	12,788.62
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालिक उधार	3	76,553.68	61,173.02
(ख) अन्य दीर्घकालिक प्रावधान	4	26.19	-
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	61.78	49.76
उप–जोड़ (2)		76,641.65	61,222.78
(3) चालू देयताएं			
(क) अल्पकालिक उधार	6	2,500.00	375.00
(ख) अन्य चालू देयताए	7	14,502.37	11,625.58
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	5	339.65	500.69
उप–जोड़(3)		17,342.02	12,501.27
जोड़ (1+2+3)		108,728.59	86,512.67
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां	8		
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		68.24	62.17
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		2.22	3.08
(iii) कार्यकारी पूंजीगत कार्य		7.92	3.01
(iv) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		0.10	-
		78.48	68.26
(ख) गैर–चालू निवेश	9	710.43	789.65
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	10.05	12.77
(घ) विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद के अंतर का अंतरण लेखा	11	181.88	-
(ड़) दीर्घकालिक ऋण और पेशगियां	12	89,985.31	73,206.57
(च) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	13	247.92	364.18
उप–जोड़ (1)		91,214.07	74,441.43
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश	9	47.16	47.16
(ख) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	14	5,311.48	2,831.89
(ग) अल्पकालिक ऋण और पेशगियां	15	2,967.50	1,200.00
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	9,188.38	7,992.19
उप–जोड़ (2)		17,514.52	12,071.24
जोड़ (1+2)		108,728.59	86,512.67
आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं	17		

महत्वपूर्ण लेखाकरणनीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 46 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्या: 006747एन

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्या: 001113एन

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और कंपनी सचिव

हरिदास खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के.एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070276

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070811

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 मई, 2012

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि का विवरण

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	टिप्पणी सं.	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
I. प्रचालन से राजस्व	18	10,337.59	8,256.91
II. अन्य आय	19	171.48	238.35
III. कुल राजस्व (I+II)		10,509.07	8,495.26
IV. व्यय			
(i) वित्तीय लागत	20	6,378.80	4,851.01
(ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	21	170.97	127.47
(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन	8	3.27	3.03
(iv) अन्य व्यय	22	58.35	34.02
(v) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		49.09	0.22
(vi) पुनः अनुसूचित ऋणों का प्रावधान		3.18	-
(vii) विदेशी मुद्रा विनिमय लोच हानि		52.55	-
कुल व्यय (IV)		6,716.21	5,015.75
V. पिछली अवधि की मदें और कर–पूर्व लाभ (III-IV)		3,792.86	3,479.51
VI. पिछली अवधि की मदें	23	-	3.23
VII. कर–पूर्व लाभ (V-VI)		3,792.86	3,476.28
VIII. कर व्यय			
(i) चालू वर्ष		974.59	908.12
(ii) पिछले वर्ष/(प्रतिलाभ)		-1.48	3.64
(iii) आस्थगित कर		2.72	-5.41
कुल कर व्यय (i+ii+iii)		975.83	906.35
IX. सतत प्रचालन अवधि का लाभ (VII-VIII)		2,817.03	2,569.93
X. प्रचालन बंद करने से लाभ (कर–पश्चात)		-	-
XI. इस अवधि का लाभ (IX+x)		2,817.03	2,569.93
XII. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर के लिए रुपए में)			
(1) मूल	24	28.53	26.03
(2) डायल्यूटिड	24	28.53	26.03

महत्वपूर्ण लेखाकरणनीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 46 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 006747एन

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 001113एन

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और कंपनी सचिव

हरिदास खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के.एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070276

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखांकन परंपरा:** वित्तीय विवरण को लेखांकन की उपचित पद्धति पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा आधार पर तैयार किया जाता है और ये भारत में सामान्यतः स्वीकार्य तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग:** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाने के प्रबंधन के द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. राजस्व मान्यता

निगम ने स्वयं के विस्तृत विवेकसम्मत मानदंडों का निरूपण किया है। लेखांकन आरईसी के इन विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान किए जाने हेतु इनकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

2.1 आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाही अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया हो, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे उलट कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (1) आरईसी की लागत तथा व्यय (2) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (3) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (4) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे ऋणों के संबंध में जहां शर्तों पर पुनः बातचीत/पुनः निर्धारण/पुनः संरचना की जा रही हो, आय की पहचान उपचित आधार पर तब की जाती है जब संगत रूप से यह आशा की जाती है कि कर्जदारों से देय राशियों की प्राप्ति में कोई अनिश्चितता नहीं है और कानूनी रूप से बाध्यकारी एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा चुका है तथा तदनुरूपी समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रभावी तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक पुनर्विचार विमर्श अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्संरचना शर्तों के अनुसार कार्य–निष्पादन संतोषजनक रहा है।

ख. आरजीजीवीवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

घ. **निवेशों से आय**

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाएगा;

परंतु कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से आय को उपचित आधार पर तब हिसाब में लिया जाएगा जब कारपोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में इसे घोषित किया गया हो और यह सुनिश्चित हो गया हो कि आरईसी को इसकी अदायगी प्राप्त करने का अधिकार है।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु यह तब जब कि इन लिखतों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित है और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता है, और बकाया नहीं है।

(3) कारपोरेट निकायों या सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय, उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में ली जाएगी।

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋण तथा अग्रिम और ऋण के किसी अन्य रूप को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नामशः

(i) **मानक परिसंपत्तियां** : मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन और ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा न हुई हो और जो कारोबार से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(ii) **उप–मानक परिसंपत्तियां**: 'उप–मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य है:

(क) ऐसी परिसंपत्तियां जो 18 महीने से अनधिक अवधि तक अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई हों;

(ख) ऐसी परिसंपत्तियां जिनके संबंध में ब्याज और/या मूलधन के बारे में करार की शर्तों के संबंध में पुनः बातचीत की गई हो या जिन्हें पुनः अनुसूचित किया गया हो या जिन्हें पुनर्गठित किया गया हो बशर्ते कि बातचीत या पुनः अनुसूची या पुनर्गठन की शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्यनिष्पादन का एक वर्ष समाप्त न हुआ हो।

(ग) ऋण परिसंपत्तियों के मानक ढांचों का पुनः सूचीकरण या पुनर्गठन या पुनः बातचीत को उस स्थिति तक पुनः वर्गीकृत नहीं समझा जाएगा, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित परियोजना को व्यवहार्य पाया गया हो।

(iii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां**: संदिग्ध परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो 18 माह से अधिक अवधि तक उपमानक परिसंपत्ति रही हो।

(iv) **हानि परिसंपत्तियां**: हानि वाली परिसंपत्ति से तात्पर्य है–

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिन्हें आरईसी द्वारा उस सीमा तक हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया हो जिस सीमा तक आरईसी द्वारा इसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो या ऐसी परिसंपत्ति जो 5 वर्ष से अधिक अवधि तक संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में रही हो, इनमें से जो भी पहले हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

विवेकसम्मत मानदंडों तथा प्रावधान किए जाने के मानदंडों के उपयोग के प्रयोजन हेतु,

(i) राज्य/केंद्रीय क्षेत्र के निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को ऋण–वार लिया जाता है।

(ii) अन्य निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को कर्जदार–वार लिया जाता है।

2.3 ऋणों के विरुद्ध प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

(i) **हानि वाली परिसंपत्तियां**: समूची परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा:–

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां**:

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस तक उस प्रतिभूति की वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर लगाया जाएगा। केंद्रीय योजना आवंटन अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋण में से कटौती के संबंध में केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी अथवा राज्य सरकार के वचनपत्र वाले ऋण को प्रतिभूत माना जाएगा;

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया है:	प्रावधान का %
1 वर्ष तक	20 प्रतिशत
1 से 3 वर्ष	30 प्रतिशत
3 वर्ष से अधिक	50 प्रतिशत

(iii) **उप–मानक परिसंपत्तियां**– 10 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा।

कोई परिसंपत्ति जिस पर पुनः विचार–विमर्श अथवा पुनः निर्धारित अथवा जिसकी अदायगी की समय तालिका फिर से बनाई गई है, एक उप–मानक परिसंपत्ति होगी अथवा उसी श्रेणी में परिसंपत्ति अथवा संदिग्ध परिसंपत्ति अथवा एक हानि परिसंपत्ति के रूप में, जैसा भी मामला हो, बनी रहेगी जिसमें वह पुनः विचार–विमर्श अथवा पुनः निर्धारण से पूर्व थी। ऐसी उक्त परिसंपत्ति पर उसे उच्चीकृत किए जाने तक आवश्यक प्रावधान को लागू किए जाने की आवश्यकता होती है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रो–राटा आधार पर मुहैया कराया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के रूप में 16.12.1993 से पूर्व पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को तब प्रचलित दरों पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा प्रभारित किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है बशर्ते कि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया गया हो। इस पर क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई 5,000/– रुपए तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

एक अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को आएंगे। इन परिसंपत्तियों का 5 वर्ष की अवधि हेतु परिशोधन किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेशों को लागत घटाएं प्रावधान (म्युचुअल निधियों, जिनका हिसाब एनएवी पर लगाया जाता है, को छोड़कर), यदि कोई हो, पर ऐसे निवेश के मूल्य में कमी के साथ दिखाया जाता है। वर्तमान निवेश को, लागत अथवा उचित मूल्य, जो कोई भी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं, (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा करयोग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभावों को दर्शाने वाला) को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक–22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है, आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है जिन्हें तुलन–पत्र तारीख को पारित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों को क्षति

प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो क्षति हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूलीयोग्य राशि परिसंपत्ति की निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलनपत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10 बांड/ऋण निर्गम

10.1 बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2 निगम बांड के संबंध में ब्याज वारंट के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित ब्याज वारंट बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये नामित लेखे बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3 निधियों को जुटाए जाने पर हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परंतु कमर्शियल पेपरों/आरईजी–एस बांडों (विदेशी वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है जो उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है जिसमें कर–पूर्व लाभ को एक गैर–नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचय के प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग अलग रखा जाता है।

12. पूर्वावधि/पूर्व प्रदत्त समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षों की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया हो।

12.2 अन्य मदों पर 5,00,000/– रुपए से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बीमांकक के मूल्यांकन पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को बीमांकक लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

14.1 विदेशी मुद्रा में लेनदेन को शुरू शुरू में लेनदेन की तारीख को विद्यमान विदेशी मुद्रा दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्‌गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक होती है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उद्धृत उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरू के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद के अंतर का अंतरण लेखा'' में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्‌गम की तारीख से 12 माह से कम हो) को, प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों, तो ब्लूमबर्ग पर उद्धृत उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामतः विनिमय में होने वाली घट–बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

14.2 भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा ऋण के भाग का उल्लेख विनिमय लेन–देनों में निर्धारित दर पर किया जाता है न कि वर्ष के अंत की दरों में अंतरित किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो यदि अनुदान की शर्तों में अपेक्षित हो तो उसे संबंधित अनुदान में जमा किया जाता है या 'अन्य आय' में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन

16.1 व्युत्पन्न लेनदेन में अग्रेषण, ब्याज दर की अदला बदली, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेनदेन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	शेयरों की सं.	रकम	शेयरों की सं.	रकम
प्राधिकृतः				
प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर	**1,200,000,000**	**1,200.00**	1,200,000,000	1,200.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्तः				
प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**987,459,000**	**987.46**	987,459,000	987.46
जोड़	**987,459,000**	**987.46**	987,459,000	987.46

1.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम के अधीन, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीकरण करारों के अनुसार और हमारे संस्था ज्ञापन के अनुसार उपलब्ध ऐसे सभी अधिकार होंगे।

1.2 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकः

नाम	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	659,607,000	66.80	659,607,000	66.80

2. आरक्षित और अधिशेष निधि

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
		रकम		रकम
आरक्षित पूंजी		**105.00**		**105.00**
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 2.1 देखें)				
वर्ष के शुरू में शेष		**3,222.43**		3,222.02
जोड़ें वर्ष के दौरान परिवर्धन		**-**		0.46
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन		**-**		0.05
वर्ष के अंत में शेष		**3,222.43**		3,222.43
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 2.2 देखें)				
वर्ष के शुरू में शेष		**-**		-
जोड़ें अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		**113.99**		-
वर्ष के अंत में शेष		**113.99**		-
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि				
वर्ष के शुरू में शेष		**3,905.94**		3,295.83
जोड़ें अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		**681.70**		610.11
वर्ष के अंत में शेष		**4,587.64**		3,905.94
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viia) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि				
वर्ष के शुरू में शेष		**595.38**		451.29
जोड़ें अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		**159.59**		144.09
वर्ष के अंत में शेष		**754.97**		595.38

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति रकम		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति रकम	
सामान्य आरक्षित निधि				
वर्ष के शुरू में शेष		**2,447.67**		2,187.67
जोड़े अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		**281.73**		260.00
वर्ष के अंत में शेष		**2,729.40**		2,447.67
अधिशेष लेखा				
वर्ष के शुरू में शेष		**1,524.74**		831.07
जोड़े वर्ष के दौरान लाभ		**2,817.03**		2,569.93
घटाएं: विनियोजन				
– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विषेश आरक्षित निधि में अंतरण	**681.70**		610.11	
– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiक) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**159.59**		144.09	
– लाभांश				
– अंतरिम लाभांश	**493.73**		345.61	
– प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**246.86**		394.98	
– लाभांश वितरण कर				
– अंतरिम लाभांश	**80.09**		57.39	
– प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**40.05**		64.08	
– डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**113.99**		-	
– सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**281.73**	**2,097.74**	260.00	1,876.26
वर्ष के अंत में शेष		**2,244.03**		1,524.74
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि		**13,757.46**		11,801.16

2.1 वर्ष 2011–12 के दौरान ऐसे इक्विटी शेयरों के हाल के अनुवर्ती पब्लिक ऑफरिंग के संबंध में इस वर्ष खर्च की गई शुल्क/कमीशन की रकम की 29,791.50/– रुपए की कटौती की गई है, जिसे ऊपर दर्शाई गई गतिविधियों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसे करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है। वित्त वर्ष 2010–11 के प्रतिभूति प्रीमियम लेखे में परिवर्धन आरईसी के शेयरों को जारी करने का वह व्यय दर्शाया गया है, जिसका पहले प्रावधान किया गया था और जो शेयरों का अनुवर्ती पब्लिक ऑफर देने के संबंध में एनएसई/बीएसई/सेबी द्वारा समायोजित किया गया है/से वापस प्राप्त हुआ है और वित्त वर्ष 2010–11 की कटौतियों में इक्विटी शेयरों के अनुवर्ती पब्लिक ऑफर के संबंध में इस वर्ष के दौरान खर्च की गई शुल्क/कमीशन की रकम दर्शाई गई है।

2.2 सेबी ऋण विनियम के विनियम 16 और कंपनी अधिनियम की धारा 117–ग के अनुसरण में, कंपनी ने, ऐसे बांडों/डिबेंचरों की परिपक्वता की अवधि के दौरान, सेबी के दिशानिर्देशों के अधीन पब्लिक इश्यू के माध्यम से जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों के मूल्य के 50% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित किए हैं। तदनुसार इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने 113.99 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) के डीआरआर सृजित की है।

कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार ने पत्र सं.6/3/2001–सीएल.वी 5, दिनांक 18.4.2002 के जरिए जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा प्राईवेट प्लेसमेंट द्वारा जारी डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि सृजित नहीं की जानी है।

2.3 प्रस्तावित लाभांश

इस वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश इस प्रकार है

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
10/– रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर		
- प्रस्तावित लाभांश की रकम (रुपए करोड़ों में)	**246.86**	394.98
- लाभांश की दर	**25.00%**	40.00%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए)	**2.50**	4.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3. दीर्घावधि उधार

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(ए) प्रतिभूत उधार		
(क) बांड		
- संस्थागत बांड	**21,123.70**	26,699.52
- 54 ईसी पूंजी लाभ पर करमुक्त बांड	**10,283.25**	8,101.53
- कर–मुक्त बांड	**3,000.00**	-
(ख) आवधिक ऋण		
- बैंकों से	**38.80**	547.08
- वित्तीय संस्थाओं से	**4,020.00**	4,370.00
(ग) अन्य ऋण और पेशगियां		
- बांड आवेदन–पत्र धनराशि	-	1.72
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि उधार (क+ख+ग)	**38,465.75**	39,719.85
(बी) अप्रतिभूत उधार		
(क) बांड		
- संस्थागत बांड	**25,756.10**	9,770.50
- बुनियादी सुविधा बांड	**376.32**	216.80
(ख) आवधिक ऋण		
- बैंकों से	**750.00**	4,161.01
- भारत सरकार से	**15.14**	24.65
(ग) अन्य ऋण और पेशगियां		
- विदेशी मुद्रा उधार	**10,471.14**	6,616.08
- जीरो कूपन बांड	**719.23**	663.77
- बांड आवेदन–पत्र धनराशि	**-**	0.36
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि उधार (क+ख+ग)	**38,087.93**	21,453.17
कुल दीर्घावधि उधार (ए+बी)	**76,553.68**	61,173.02

3.1 उधार का विवरणः

उधार के गैर–चालू अंश को उपर्युक्त दीर्घावधि उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और टिप्पणी 7 "अन्य चालू देयताओं" में उधार के चालू अंश को "दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आरक्षित दीर्घावधि उधार का विवरणः

(प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 3.3 देखें)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.1.1 बांड (संचयी और गैर–संचयी)

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
3.1.1.1 संस्थागत बांड				
92–II श्रृंखला 8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	945.30	-	945.30	-
91–II श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2019 को विमोचनीय	995.90	-	995.90	-
90–ग–II श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2019 को विमोचनीय	1,040.00	-	1,040.00	-
90–ख–II श्रृंखला 8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	868.20	-	868.20	-
90वीं श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	2,000.00	-	2,000.00	-
88वीं श्रृंखला 8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय	1,495.00	-	1,495.00	-
87–क–II श्रृंखला 11.20% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय	36.40	-	36.40	-
87–क–III श्रृंखला 11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय	61.80	-	61.80	-
87–II श्रृंखला 10.85% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2018 को विमोचनीय	657.40	-	657.40	-
86–ख–III श्रृंखला 10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय	432.00	-	432.00	-
86–क श्रृंखला 10.70% सममूल्य पर दिनांक 29.07.2018 को विमोचनीय	500.00	-	500.00	-
85वीं श्रृंखला 9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय	500.00	-	500.00	-
83वीं श्रृंखला 9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय	685.20	-	685.20	-
82वीं श्रृंखला 9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय	883.10	-	883.10	-
81वीं श्रृंखला 8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय	314.80	-	314.80	-
80वीं श्रृंखला 8.20% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2016 को विमोचनीय	500.00	-	500.00	-
79वीं श्रृंखला 7.85% सममूल्य पर दिनांक 14.03.2016 को विमोचनीय	500.00	-	500.00	-
78वीं श्रृंखला 7.65% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2016 को विमोचनीय	1,795.70	-	1,795.70	-
93–II श्रृंखला 8.45% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2015 को विमोचनीय	443.10	-	443.10	-
90–ख–I श्रृंखला 8.35% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2014 को विमोचनीय	883.90	-	883.90	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
90–ए–II श्रृंखला 8.00% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2014 को विमोचनीय	**1,000.00**	**-**	1,000.00	-
89–II श्रृंखला 7.70% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2014 को विमोचनीय	**255.00**	**-**	255.00	-
87–ग–III श्रृंखला 11.50% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2013 को विमोचनीय	**860.00**	**-**	860.00	-
87–I श्रृंखला 10.90% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2013 विमोचनीय	**370.20**	**-**	370.20	-
86–ख–II श्रृंखला 10.90% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2013 को विमोचनीय	**354.10**	**-**	354.10	-
86वीं श्रृंखला 10.75% सममूल्य पर दिनांक 24.07.2013 को विमोचनीय	**727.90**	**-**	727.90	-
84वीं श्रृंखला 9.45% सममूल्य पर दिनांक 04.04.2013 को विमोचनीय	**1,000.00**	**-**	1,000.00	-
93–I श्रृंखला 7.65% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2013 को विमोचनीय	**-**	**141.50**	141.50	-
69वीं श्रृंखला 6.05% सममूल्य पर 133.84 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 23.01.2013 को देय	**133.84**	**133.84**	267.68	133.84
92–I श्रृंखला 7.60% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2013 को विमोचनीय	**-**	**924.60**	924.60	-
91–I श्रृंखला 7.75% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2012 को विमोचनीय	**-**	**943.00**	943.00	-
73वीं श्रृंखला 6.90% सममूल्य पर 46.78 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 08.10.2012 को देय	**93.56**	**46.78**	140.34	46.78
90–ग–I श्रृंखला 7.90% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2012 को विमोचनीय	**-**	**1,417.50**	1,417.50	-
75वीं श्रृंखला 7.20% सममूल्य पर 50.00 करोड़ रुपए की समान छमाही किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 17.09.2012 को देय	**200.00**	**100.00**	300.00	100.00
90–क–I श्रृंखला 7.15% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2012 को विमोचनीय	**-**	**1,000.00**	1,000.00	-
77वीं श्रृंखला 7.30% सममूल्य पर 197.10 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 30.06.2012 को देय।	**591.30**	**197.10**	788.40	197.10
89–I श्रृंखला 7.00% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2012 को विमोचनीय	**-**	**671.50**	671.50	-
87–ख श्रृंखला 11.75% सममूल्य पर दिनांक 03.11.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	940.90
72वीं श्रृंखला 6.60% सममूल्य पर दिनांक 18.08.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	113.70
86–ख–I श्रृंखला 10.95% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	924.20
87–क–I श्रृंखला 11.35% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	249.70
जोड़ संस्थागत बांड	**21,123.70**	**5,575.82**	26,699.52	2,706.22

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.1.1.2 54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांड (टिप्पणी 3.4 देखें)

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
श्रृंखला–VIII (2011-12) 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान विमोचनीय	**5,239.36**	**-**	-	-
श्रृंखला–VIII (2010-11) 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विमोचनीय	**5,043.89**	**-**	5,043.75	-
श्रृंखला–VIII (2009-10) 6.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान विमोचनीय	**-**	**3,057.78**	3,057.78	-
श्रृंखला–VIII 5.75%/6.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विमोचनीय	**-**	**-**	-	2,525.23
श्रृंखला–IV 5.60% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विमोचनीय	**-**	**-**	-	0.97
श्रृंखला–VI 5.50% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विमोचनीय	**-**	**-**	-	468.91
जोड़ – 54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांड	**10,283.25**	**3,057.78**	8,101.53	2,995.11
3.1.1.3 कर–मुक्त बांड				
श्रृंखला 2011–12 हर वर्ष देय 7.93% से 8.32% तक ब्याज वाले रु. 839.67 करोड़ के बांड 27.03.2022 को और रु.2,160.33 करोड़ के बांड 27.03.2027 को विमोचनीय हैं।	**3,000.00**	**-**	-	-
जोड़ – करमुक्त बांड	**3,000.00**	**-**	-	-

3.1.2 आवधिक ऋण

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
बैंक से आवधिक ऋण				
– स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	**38.80**	**19.40**	58.20	19.40
9.70 करोड़ रुपए की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय अगली किस्त दिनांक 24.09.2012 को देय				
– सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**50.00**	50.00	50.00
50.00 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय अगली किस्त दिसंबर 2012 में देय				
– बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**-**	**33.34**	33.34	33.33
33.34 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त दिनांक 12.12.2012 को देय				
– स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	**-**	**-**	97.50	57.50
– सिंडीकेट बैंक	**-**	**-**	37.50	50.00
– केनरा बैंक	**-**	**-**	100.00	150.00
– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**-**	56.25	106.25
– स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	**-**	**-**	114.29	28.57
वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण				
– भारतीय जीवन बीमा निगम	**2,150.00**	**350.00**	2,500.00	350.00
दिनांक 01.10.2008 और दिनांक 01.10.2010 से शुरू 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय क्रमशः 1500.00 करोड़ रुपए (अब 900.00 करोड़ रुपए शेष) और 2000.00 करोड़ रुपए (अब 1,600.00 करोड़ रुपए)				
– आईआईएफसीएल	**1,870.00**	**-**	1,870.00	-
दिनांक 19.03.2014 और दिनांक 21.01.2014 को प्रतिदेय क्रमशः 870.00 करोड़ रुपए 1,000.00 करोड़ रुपए का ऋण				
कुल आवधिक ऋण	**4,058.80**	**452.74**	4,917.08	845.05

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.1.3 अन्य ऋण और पेशगियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
बांड आवेदन–पत्र धनराशि				
पूंजी लाभ बांड	-	-	1.72	-
जोड़: बांड आवेदन–पत्र धनराशि	-	-	1.72	-

3.2 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधार के विवरण:

3.2.1 बांड

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
3.2.1.1 संस्थागत बांड				
95–II श्रृंखला 8.75% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2025 को विमोचनीय	**1,800.00**	**-**	1,800.00	-
94वीं श्रृंखला 8.75% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2025 को विमोचनीय	**1,250.00**	**-**	1,250.00	-
105वीं श्रृंखला 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	**3,922.20**	**-**	-	-
101वीं–III श्रृंखला 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	**3,171.80**	**-**	-	-
100वीं श्रृंखला 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	**1,500.00**	**-**	-	-
98वीं श्रृंखला 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
97वीं श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2020 को विमोचनीय	**2,120.50**	**-**	2,120.50	-
96वीं श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 25.10.2020 को विमोचनीय	**1,150.00**	**-**	1,150.00	-
95वीं–I श्रृंखला 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	**200.00**	**-**	200.00	-
106वीं श्रृंखला 9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय	**1,500.00**	**-**	-	-
104वीं श्रृंखला 9.30% सममूल्य पर दिनांक 03.11.2016 को, दिनांक 03.05.2013 को पुट/कॉल विकल्प सहित विमोचनीय	**1,025.00**	**-**	-	-
103–I श्रृंखला 9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को, दिनांक 19.10.2013 को पुट/कॉल विकल्प सहित विमोचनीय	**915.00**	**-**	-	-
103–II श्रृंखला 9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को, दिनांक 19.10.2013 को पुट/कॉल विकल्प सहित विमोचनीय	**500.00**	**-**	-	-
102वीं श्रृंखला 9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय	**2,216.20**	**-**	-	-
101–II श्रृंखला 9.45% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय	**394.60**	**-**	-	-
74वीं श्रृंखला 7.22% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2014 को विमोचनीय	**250.00**	**-**	250.00	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्यौरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
101–I श्रृंखला 9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2014 को विमोचनीय	**395.60**	**-**	-	-
99–II श्रृंखला 9.75% सममूल्य पर दिनांक 07.06.2014 को विमोचनीय	**445.20**	**-**	-	-
99–I श्रृंखला 9.70% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2012 को विमोचनीय	**-**	**1,480.00**	-	-
23–II श्रृंखला 12.00% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2012 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	30.35
23–I श्रृंखला 12.00% सममूल्य पर दिनांक 05.12.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	22.65
जोड़: संस्थागत बांड	**25,756.10**	**1,480.00**	9,770.50	53.00
3.2.1.2 **बुनियादी सुविधा बांड**				
श्रृंखला–II सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.5 देखें	**157.59**	**-**	-	-
श्रृंखला–I **सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.5 देखें**	**218.73**	**-**	216.80	-
जोड़: बुनियादी सुविधा बांड	**376.32**	**-**	216.80	-

3.2.2 आवधिक ऋण

(रुपए करोड़ों में)

ब्यौरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
3.2.2.1 **बैंकों से आवधिक ऋण**				
– सेंट्रल बैंक	**500.00**	**-**	500.00	-
दिनांक 27.02.2014 को प्रतिदेय				
– बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**250.00**	**200.00**	450.00	-
दिनांक 18.08.2012 और दिनांक 31.10.2012 को प्रतिदेय 100.00 करोड़ –100 करोड़ रुपए के दो आवधिक ऋण, 50.00 करोड़ रुपए का एक आवधिक ऋण दिनांक 29.06.2014 और दिनांक 29.06.2015 को समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय है और 200.00 करोड़ रुपए का एक आवधिक ऋण दिनांक 27.07.2014 और 27.07.2015 को दो समान किस्तों में प्रतिदेय है।				
– केनरा बैंक	**-**	**-**	-	40.00
– बैंक ऑफ बडौदा	**-**	**-**	1,000.00	175.00
– यूको बैंक	**-**	**-**	350.00	-
– इलाहाबाद बैंक	**-**	**-**	76.01	76.00
– एचडीएफसी बैंक	**-**	**-**	-	500.00
– आंध्रा बैंक	**-**	**-**	-	100.00
– पंजाब एंड सिंध बैंक	**-**	**-**	435.00	-
– यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**-**	850.00	-
– बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**-**	500.00	-
3.2.2.2 **– भारत सरकार से** मूलधन के संबंध में 30 वर्ष की मूल अवधि और पांच वर्ष के ऋण स्थगन सहित विभिन्न खंडों में ऋण और अवरोही छठी वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय	**15.14**	**9.50**	24.65	11.48
जोड़ – आवधिक ऋण	**765.14**	**209.50**	4,185.66	902.48

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.2.3 अन्य ऋण और पेशगियां

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
		गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
3.2.3.1	**विदेशी मुद्रा उधार**				
	सीएचएफ बांड – सीएचएफ 200 मिलियन 3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय	1,132.56	-	-	-
	आरईजी एस बांड – 500 मिलियन अमरीकी डालर 4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचनीय	2,417.73	-	2,232.50	-
	जेआईसीए ऋण – भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत जेआईसीए–I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 20.09.2012 को देय हो रही है और जेआईसीए–II ऋण दिनांक 20.03.2013 से शुरू होकर दिनांक 20.03.2023 तक ¥995.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय	1,059.02	128.26	1,080.07	45.20
	केएफडब्ल्यू ऋण – भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत दिनांक 30.12.2018 तक € 3.68 मिलियन की छमाही किस्तों में प्रतिदेय अगली किस्त दिनांक 30.06.2012 को देय है।	294.09	45.55	310.48	74.36
	ईसीबी– बैंक–II से सिंडिकेट ऋण 400 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 22.09.2015 को प्रतिदेय	1,788.96	-	1,787.48	-
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण – मारीशस – 70 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 28.10.2015 को प्रतिदेय	311.36	-	312.55	-
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण – मिजुहो – 100 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय	446.50	-	446.50	-
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण – बीटीएमयू– 100 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय	446.50	-	446.50	-
	सिंडिकेटेड ऋण – अप्रतिभूत – 300 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय	1,367.24	-	-	-
	केएफडल्यू–II ऋण–भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत दिनांक 30.06.2012 से शुरू होने वाली 18 छमाही किस्तों में प्रतिदेय	425.24	53.14	-	-
	सिंडिकेटेड ऋण – अप्रतिभूत – 12.525 बिलियन दिनांक 27.03.2017 को प्रतिदेय	781.94	-	-	-
	ईसीबी – बैंकों से सिंडिकेटेड ऋण दिनांक 26.03.2012 को प्रतिदेय	-	-	-	870.26
	जोड़ः विदेशी मुद्रा उधार	10,471.14	226.95	6,616.08	989.82
3.2.3.2	**जीरो कूपन बांड**				
	जैडसीबी–श्रृंखला–II दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय (दिनांक 03.02.2021 को प्रत्येक 30,000 रुपए के अंकित मूल्य सहित 89,510 बांडों के सममूल्य पर निवल परिशोधित बट्टा) सममूल्य पर विमोचनीय	127.97	-	117.66	-
	जैडसीबी–श्रृंखला–I दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय (दिनांक 15.12.2020 को प्रत्येक 30,000 रुपए के अंकित मूल्य सहित 3,92,700 बांडों के सममूल्य पर निवल परिशोधित बट्टा)पर सममूल्य पर 15.12.2020 को विमोचनीय	591.26	-	546.11	-
	जोड़ः जीरो कूपन बांड	719.23	-	663.77	-
3.2.3.3	**बांड आवेदन–पत्र धनराशि**				
	बुनियादी सुविधा बांड	-		0.36	
	जोड़ः बांड आवेदन–पत्र धनराशि	-	-	0.36	-

3.3 प्रतिभूत उधार की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बांडों के बांड श्रृंखला 69,73,75 को (क) 51 और 52/58–ख, 5वी मंजिल, मित्तल टावर, ब्लॉक–II, बैकवे स्कीम, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400005, महाराष्ट्र, भारत के परिसरों के बंधक रखकर और (ख) दिनांक 24 सितंबर, 2010 के संयुक्त आडमान करार के आधार पर हमारी कंपनी के वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त होने वाली रकम प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

संस्थागत बांडों और सभी 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांडों की बांड श्रृंखला 77 से 93 को (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड खेल गांव, नई दिल्ली–110049, भारत को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी के वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त होने वाली रकम को प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है, लेकिन दिनांक 24 सितंबर, 2010 के संयुक्त आडमान करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पास आडमान रखी गई रकम इसमें शामिल नहीं है।

कर–मुक्त बांडों को शॉप संख्या 12, भूतल, ब्लॉक सं.35, चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नै–600004 के परिसरों को प्रथम सममूल्य पर प्रभारित करके और आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में 4,998.66 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की कुछ विशिष्ट प्राप्त होने वाली रकम को आडमान करके प्रतिभूत किया गया है।

सभी आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त होने वाली रकम को प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। लेकिन दिनांक 24 सितंबर, 2010 को अद्यतन किए गए संयुक्त आडमान करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पास आडमान रखी गई रकम इसमें शामिल नहीं है।

3.4 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांड वार्षिक रूप से देय 5.50% से 6.25% की ब्याज दर पर 3/5/7 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। इन बांडों का 3/5 वर्ष पर पुट/कॉल का विकल्प होगा। चालू वर्ष 2011–12 में 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड–श्रृंखला–VIII 2011–12 वार्षिक रूप से देय 6.00% की ब्याज दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए थे। ये बांड 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के अंत में स्वतः विमोचित हो जाएंगे।

3.5 बुनियादी सुविधा बांडों का विवरण इस प्रकार है

(रुपए करोड़ों में)

दिनांक 31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला 2010–11

ब्याज दर	रकम	विमोचन का विवरण
8.00%	61.60	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक द्वारा पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	151.74	
8.10%	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.78	
	218.73	

दिनांक 15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला 2011–12

ब्याज दर	रकम	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	95.23	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक द्वारा पुनः खरीद का विकल्प
8.95% वार्षिक	32.85	
9.15% संचयी	13.43	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बांडधारक द्वारा पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	5.01	
8.95% संचयी	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	
9.15% संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	
	157.59	

4. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
– उधार पर उपचित लेकिन उधारकर्ताओं को देय नहीं ब्याज का गैर–चालू अंश	23.01	-
– पुनः अनुसूचीबद्ध ऋण के लिए छूट	3.18	-
जोड़	26.19	-

4.1 विवेकपूर्ण उपाय के रूप में मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत दो पुनः अनुसूचीबद्ध बुनियादी सुविधा ऋणों के संबंध में 3.18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त छूट दी गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

5. दीर्घावधि और अल्पावधि संबंधी प्रावधान

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
		गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
(क)	**कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान**				
	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**-**	**23.45**	-	21.50
	सेवा–निवृत्ति के बाद स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान	**45.39**	**1.43**	36.06	1.35
	चिकित्सा छुट्टी के लिए प्रावधान	**10.84**	**1.15**	9.60	1.02
	निपटान भत्ते के लिए प्रावधान	**1.02**	**0.10**	0.19	0.02
	आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए प्रावधान	**1.95**	**0.24**	1.84	0.22
	दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	**2.58**	**0.43**	2.07	0.30
	उप–जोड़	**61.78**	**26.80**	49.76	24.41
(ख)	**अन्य**				
	– गैर–चालू		**-**		-
	प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	**-**	**25.10**	-	16.40
	अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	**-**	**0.10**	-	0.10
	धन कर के लिए प्रावधान	**-**	**0.38**	-	0.36
	एफबीटी के लिए प्रावधान	**-**	**0.36**	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	**-**	**246.86**	-	394.98
	कारपोरेट लाभांश कर के लिए प्रावधान	**-**	**40.05**	-	64.08
	उप–जोड़	**-**	**312.85**	-	476.28
	जोड़	**61.78**	**339.65**	49.76	500.69

5.1 एएस–29 के अधीन यथाअपेक्षित प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है

(रुपए करोड़ों में)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त समायोजित	अंतशेष
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	21.50	5.00	3.05	**23.45**
पिछले वर्ष	18.34	4.70	1.54	**21.50**
सेवा–निवृत्ति के बाद स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान	37.40	12.18	2.76	**46.82**
पिछले वर्ष	27.41	12.42	2.43	**37.40**
चिकित्सा छुट्टी के लिए प्रावधान	10.62	2.18	0.81	**11.99**
पिछले वर्ष	8.65	2.16	0.19	**10.62**
निपटान भत्ते के लिए प्रावधान	0.22	0.94	0.04	**1.12**
पिछले वर्ष	0.19	0.05	0.02	**0.22**
आरईसी के कर्मचारियों की पेंशन योजना के लिए प्रावधान	13.31	2.96	13.00	**3.27**
पिछले वर्ष	-	13.31	-	**13.31**
आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए प्रावधान	2.06	0.27	0.14	**2.19**
पिछले वर्ष	-	2.06	-	**2.06**
दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	2.37	3.91	3.27	**3.01**
पिछले वर्ष	-	2.37	-	**2.37**
देय उपदान के लिए प्रावधान	2.90	2.38	2.90	**2.38**
पिछले वर्ष	4.65	2.90	4.65	**2.90**
प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	16.40	23.60	14.90	**25.10**
पिछले वर्ष	33.36	16.40	33.36	**16.40**
अनुग्रह राशि अदायगी के लिए प्रावधान	0.10	-	-	**0.10**
पिछले वर्ष	6.39	-	6.29	**0.10**
धन कर के लिए प्रावधान	0.36	0.40	0.38	**0.38**
पिछले वर्ष	0.36	0.35	0.35	**0.36**
एफबीटी के लिए प्रावधान	0.36	-	-	**0.36**
पिछले वर्ष	0.36	-	-	**0.36**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(रुपए करोड़ों में)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त समायोजित	अंतशेष
अंतरिम लाभांश के लिए प्रावधान	-	493.73	493.73	**-**
पिछले वर्ष	-	345.61	345.61	**-**
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	394.98	246.86	394.98	**246.86**
पिछले वर्ष	345.61	394.98	345.61	**394.98**
कारपोरेट लाभांश कर के लिए प्रावधान	64.08	120.14	144.17	**40.05**
पिछले वर्ष	57.40	121.48	114.80	**64.08**
आयकर के लिए प्रावधान	2,699.82	974.84	1,786.92	**1,887.74**
पिछले वर्ष	1,791.71	908.11	-	**2,699.82**
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	-	12.99	12.99	**-**
पिछले वर्ष	-	-	-	**-**

6. अल्पावधि उधार

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क)	**बैंकों से अल्पावधि ऋण – अप्रतिभूत**	**2,500.00**	375.00
	जोड़	**2,500.00**	375.00

7. अन्य चालू देयताएं

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क)	**दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता**		
	– संस्थागत बांड	**7,055.82**	2,759.22
	– पूंजीगत लाभ बांड	**3,057.78**	2,995.11
	– बैंकों और अन्यों से आवधिक ऋण	**662.24**	1,747.53
	– विदेशी मुद्रा उधार	**226.95**	989.82
	उप–जोड़(क)	**11,002.79**	8,491.68
(ख)	**उधार पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज**	**2,934.39**	2,043.09
(ग)	**उधार पर उपचित और देय ब्याज**	**1.24**	1.20
(घ)	**अग्रिम रूप में प्राप्त आय**	**0.01**	1.48
(ड.)	**अप्रदत्त लाभांश**	**1.25**	1.23
(च)	**अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर और उन पर ब्याज**	**113.98**	153.24
(छ)	**अन्य देय रकम**		
	– भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/अनुदानः	**26,661.76**	24,445.22
	जोड़े सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज	**82.79**	61.05
	घटाएंः हिताधिकारियों को संवितरित	**-26,390.56**	-23,623.63
	असंवितरित सब्सिडी/अनुदान	**353.99**	882.64
	– भविष्य निधि और टीडीएस सहित देय सांविधिक रकम	**10.56**	8.82
	– फंडेड स्टाफ हितलाभ के संबंध में देय	**5.65**	16.21
	– अन्य देयताएं	**78.51**	25.99
	उप–जोड़(छ)	**448.71**	933.66
	जोड़ (क+ख+ग+घ+ड़+च+छ)	**14,502.37**	11,625.58

लेखा संबंधी टिप्पणियां

7.1 त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन सब्सिडी (एजीएंडएसपी):

कारपोरेशन एक ब्याज सब्सिडी निधि लेखा रखता है और उसे भारत सरकार के पत्र अ.शा.सं.32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और का.ज्ञा. सं.32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.03 के अनुसार, सूचक दर और वर्ष पर अभिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एण्ड एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरित करने के लिए) दी गई थी, भले ही वास्तविक प्रतिअदायगी अनुसूची, परिशोधित वर्ष और पात्र योजनाओं की प्रतिअदायगी की अवधि कुछ भी हो। आहरण के समय सुनिश्चित सूचक दर और वर्ष के बीच अंतर के प्रभाव और वास्तविक प्रभाव को संबंधित योजना की समाप्ति के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

शीर्ष 'अनुदान' – (एजी एंड एसपी) प्राप्त ब्याज सब्सिडी' और 'अनुदान (एजी एण्ड एसपी) संवितरित ब्याज सब्सिडी' के अधीन दिनांक 31.03.2012 के अनुसार 4.24 करोड़ रुपए (पहले वाले वर्ष रु. 5.53 करोड) की निवल रकम में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सब्सिडी की शेष रकम दर्शाई गई है, जो त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अधीन भविष्य में पैदा होने वाली उनकी ब्याज देयता के अनुसार उधारकर्ताओं को दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का प्रारंभिक शेष	5.53	32.06
जोड़ें वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण उधारकर्ता द्वारा की गई वापसी	-	-
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	1.29	2.15
विद्युत मंत्रालय को वापस की गई सब्सिडी	-	24.38
ब्याज सब्सिडी निधि का अंत शेष	4.24	5.53

7.2 भारत सरकार ने आरईसी को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियां एक अलग बैंक खाते में रखी जाती हैं। ऐसी योजनाओं और अन्य अनुदानों की असंवितरित निधियों और उन पर अर्जित ब्याज को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

चालू वर्ष के दौरान शून्य टीडीएस (पिछले वर्ष शून्य) सहित 22.59 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 11.43 करोड़ रुपए) का अर्जित ब्याज को आरजीवीवीवाई सब्सिडी खाते में रखा गया ।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8. 31 मार्च, 2012 को अचल परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ों में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2011 को	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2012 को बंद	31.03.2011 तक	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2012 को मूल्यह्रास	31.03.2012 की स्थिति	31.03.2011 की स्थिति
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.17	0.58	-	**34.75**	-	-	-	**-**	**34.75**	34.17
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	**1.45**	0.17	0.01	-	**0.18**	**1.27**	1.28
भवन	22.27	2.17	-	**24.44**	5.67	0.38	-	**6.05**	**18.39**	16.60
फर्नीचर और जुड़नार	6.19	1.33	0.22	**7.30**	3.63	0.52	0.19	**3.96**	**3.34**	2.56
वाहन	0.68	-	0.11	**0.57**	0.53	0.02	0.10	**0.45**	**0.12**	0.15
ईडीपी उपस्कर	11.27	3.03	0.55	**13.75**	5.61	1.32	0.31	**6.62**	**7.13**	5.66
कार्यालय उपस्कर	4.14	1.71	0.09	**5.76**	2.39	0.15	0.02	**2.52**	**3.24**	1.75
जोड़	**80.17**	**8.82**	**0.97**	**88.02**	**18.00**	**2.40**	**0.62**	19.78	68.24	**62.17**
पिछले वर्ष	79.05	1.21	0.09	**80.17**	18.04	2.17	2.21	**18.00**	**62.17**	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	4.33	0.01	-	**4.34**	1.25	0.87	-	**2.12**	**2.22**	3.08
जोड़	**4.33**	**0.01**	**-**	4.34	**1.25**	**0.87**	**-**	2.12	2.22	**3.08**
पिछले वर्ष	4.33	-	-	**4.33**	0.39	0.86	-	**1.25**	**3.08**	
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	3.01	5.49	0.58	**7.92**	-	-	-	**-**	**7.92**	3.01
पिछले वर्ष	3.01	-	-	**3.01**	-	-	-	**-**	**3.01**	
विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	-	0.10	-	**0.10**	-	-	-	**-**	**0.10**	-
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	

8.1 कारपोरेशन द्वारा 4.59 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.59 करोड़ रुपए) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं की जा रही हैं

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9. निवेश

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	सं.	रकम	सं.	रकम
लागत पर मूल्य				
(1) गैर–चालू निवेश				
(क) व्यापार निवेश (अनकोटेड)				
(i) इक्विटी लिखतों में निवेश				
– सहायक कंपनियां				
– आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.लि.	50,000	0.05	50,000	0.05
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
– आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड	50,000	0.05	50,000	0.05
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
– संयुक्त उद्यम				
– इनर्जी एफीशियंसी सर्विसेज लिमिटेड	625,000	0.63	625,000	0.63
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
– अन्य				
– इंडिया इनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	1,250,000	1.25	1,250,000	1.25
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
– यूनिवर्सल कामोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	16,000,000	16.00	-	-
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
- 8% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड–II	14	660.24	16	754.56
दिनांक 01.04.05 से प्रत्येक एक बांड 30 समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहे हैं				
(प्रत्येक 47.16 करोड़ रुपए अंकित मूल्य के बांड)*				
(iii) म्युचुअल फंड में निवेश				
– केएसके इनर्जी वेंचर लिमिटेड				
10.00 रुपए प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर "स्माल इज ब्यूटीफुल्" निधि के यूनिट	78,25,127	7.83	8,733,787	8.73
10.33 रुपए प्रति यूनिट के एनएवी (पिछले वर्ष 10.08 रुपए)				
(iv) आबंटन होने तक आवेदन धनराशि		24.38		24.38
जोड़ गैर–चालू निवेश(1)		710.43		789.65
(2) चालू निवेश				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनकोटेड)				
– 8% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड–II				
दिनांक 01.04.05 से प्रत्येक एक बांड 30 समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है (प्रत्येक 47.16 करोड़ रुपए अंकित मूल्य के बांड)*	1	47.16	1	47.16
जोड़: चालू निवेश (2)		47.16		47.16
जोड़		757.59		836.81

*चालू अंश में बांडों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 मास के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर–चालू अंश है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे		दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
(i)	उल्लिखित निवेशों की कुल रकम और उसका बाजार मूल्य	-	-
(ii)	अनकोटेड निवेशों की कुल रकम		
	– गैर–चालू निवेश	710.43	789.65
	– चालू निवेश	47.16	47.16
(iii)	निवेश के मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान	-	-

9.1 निवेश में 7.83 करोड़ रुपए (पहले वाले वर्ष 8.73 करोड़ रुपए) शामिल हैं, जो केएसके इनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत 'स्माल इज ब्यूटीफुल' (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड' के यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है। वर्ष के दौरान, 9,08,660 यूनिटों (पिछले वर्ष 33,51,613 यूनिटें) को विमोचित किया गया था।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास का देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके इनर्जी केएसआईबी निधि	₹ 7.83 करोड़	भारत	9.74%

9.2 भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक–27 के अधीन यथा अपेक्षित संयुक्त उद्यम में कारपोरेशन के हित से संबंधित सूचना:

1. इनर्जी ऐफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

हित का अनुपात	25%
निगमन का देश	भारत

दिनांक 31.03.2012 को परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं और पूंजीगत प्रतिबद्धता और संयुक्त उद्यम के संबंध में उनके लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर कंपनी का हिस्सा नीचे दिया गया है

(रुपए करोड़ों में)

कुल परिसंपत्तियां	31.17
कुल देयताएं	4.37
कुल आरक्षित और अधिशेष	1.80
आकस्मिक देयताएं	शून्य
पूंजीगत प्रतिबद्धता	शून्य
कुल आय	3.17
कुल व्यय	1.17

कंपनी ने 24.38 करोड़ रुपए के और इक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए आवेदन–पत्र दिया है, जिसके संबंध में अभी शेयरों का आबंटन किया जाना है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान	7.61	7.14
बीमारी की छुट्टी के लिए प्रावधान	3.48	3.11
सेवा–निवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभों के लिए प्रावधान	2.51	2.57
पेंशन योजना के लिए प्रावधान	1.06	4.42
जोड़	14.66	17.24
आस्थगित कर देयता		
मूल्यह्रास	4.61	4.47
जोड़	4.61	4.47
आस्थगित कर संपत्ति (निवल)	10.05	12.77

10.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण का कंपनी का कोई इरादा नहीं है। अतः आरक्षित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रत्यावर्तन योग्य नहीं है और इस प्रकार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक–22 के अनुसार यह स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार कंपनी उक्त आरक्षित निधि के संबंध में किसी आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं कर रही है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतर का अंतर लेखा

लेखाकरण मानक 11 "विदेशी मुद्रा दरों में घट बढ का प्रभाव" के पैरा 46–क के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि में दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विदेशी मुद्रा लोच हानि (लाभ) के लिए कंपनी ने अप्रतिसंरणीय विकल्प का चयन किया है। 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण के अंतर लेखे' में परिशोधित किए जाने के लिए शेष रकम 181.88 करोड़ रुपए है।

12. दीर्घावधि ऋण और पेशगियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क) पूंजीगत पेशगियां (अप्रतिभूत, शोध्य समझी गई)	**24.54**	24.24
(ख) प्रतिभूति जमा (अप्रतिभूत शोध्य समझी गई)	**3.87**	0.76
(ग) संबंधित पक्षकारों को ऋण और पेशगियां		
– निदेशकों को	**0.05**	0.05
	0.05	0.05
घ) अन्य ऋण और पेशगियां		
– कर्मचारियों को ऋण और पेशगियां (निदेशकों से भिन्न)	**12.74**	3.29
– ऋण परिसंपत्तियां	**89,944.11**	73,178.23
	89,956.85	73,181.52
जोड़1 (क+ख+ग+घ)	**89,985.31**	73,206.57

संबंधित पक्षकारों को ऋण और पेशगियों और अन्य ऋण और पेशगियों का विवरण

12.1 कर्मचारी ऋण और पेशगियां

कर्मचारी ऋण और पेशगियों के गैर–चालू अंश को उपर्युक्त "दीर्घावधि ऋण और पेशगियों" में वर्गीकृत किया गया है और कर्मचारी ऋण और पेशगियों के चालू अंश को टिप्पणी 16 "अन्य चालू परिसंपत्तियों" के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
कर्मचारियों को ऋण और पेशगियां (प्रतिभूत, शोध्य समझी गई)				
– कर्मचारियों को (निदेशकों से भिन्न)	**1.64**	**0.64**	2.12	0.53
उप–जोड़	**1.64**	**0.64**	2.12	0.53
कर्मचारियों को ऋण और पेशगियां (अप्रतिभूत, शोध्य समझी गई)				
– निदेशकों को	**0.05**	**0.04**	0.05	0.03
– कर्मचारियों को (निदेशकों से भिन्न)	**11.10**	**5.95**	1.17	1.93
उप–जोड	**11.15**	**5.99**	1.22	1.96
जोड़	**12.79**	**6.63**	3.34	2.49

लेखा संबंधी टिप्पणियां

12.2 ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियों के गैर–चालू अंश को "दीर्घावधि ऋण और पेशगियों" के अधीन वर्गीकृत किया गया है और ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी 16 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
(क) प्रतिभूत ऋण				
(क1) राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों की सामग्री/परिसंपत्तियों का आडमान करके प्रतिभूत)				
(क) शोध्य समझी गईं	57,402.83	4,814.02	45,778.95	3,964.49
(क2) अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों का आडमान करके प्रतिभूत)				
(क) शोध्य समझा गया	10,803.99	1,099.90	7,014.43	827.58
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	427.71	62.69	-	17.22
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	42.77	21.77	-	17.22
	384.94	40.92	-	-
उप–जोड़ (क1+क2)	68,591.76	5,954.84	52,793.38	4,792.07
(ख) अप्रतिभूत ऋण				
(ख1) राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों/ सहकारी समितियों को ऋण (संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा				
(क) शोध्य समझा गया	17,664.20	2,266.46	16,194.56	2,242.71
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	-	-	-	2.21
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट।	-	-	-	0.44
	-	-	-	1.77
(ख2) राज्य सरकारों को ऋण				
(क) शोध्य समझा गया	3,350.91	223.60	3,294.45	172.43
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	-	-	-	0.10
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	-	-	0.10
	-	-	-	-
(ख3) अन्यों को ऋण				
(क) शोध्य समझा गया	337.24	5.23	895.84	120.48
उप–जोड़ (ख1+ख2+ख3)	21,352.35	2,495.29	20,384.85	2,537.39
जोड़ (क+ख)	89,944.11	8,450.13	73,178.23	7,329.46

13. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क) कर्मचारी पेशगियों पर उपचित ब्याज का गैर–चालू अंश	2.24	2.21
(ख) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर उपचित ब्याज	231.88	344.08
(ग) अपरिशोधित व्यय का गैर–चालू अंश:		
– बांड के निर्गम पर बट्टा	13.80	17.89
जोड़ (क+ख+ग)	247.92	364.18

लेखा संबंधी टिप्पणियां

14. नकदी और नकदी समतुल्य

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क) बैंकों में शेष	3,685.48	685.41
(ख) चैक/ड्राफ्ट शेष	-	626.06
(ग) रोकड़ शेष (डाक टिकट और अग्रदाय सहित)	-	0.01
(घ) अन्य		
– अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा	1,626.00	1,520.41
जोड़ (क+ख+ग+घ)	5,311.48	2,831.89
बैंकों में शेष राशि में निम्नलिखित शामिल है		
– बैंकों के पास जमा निर्धारित शेष		
– अप्रदत्त लाभांश के लिए	1.25	1.23
– आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए	325.50	246.11
– एजी एंड एसपी अनुदान के लिए	4.81	7.52
– अन्य अनुदान के लिए	3.96	3.98
– करमुक्त बांड पब्लिक इश्यू खाता	3,000.00	-

शेष बैंकों में आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए निर्धारित निधि में शून्य (पिछले वर्ष 626.06 करोड़ रुपए) शामिल है।

14.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान प्रत्येक 1,000/– रुपए अंकित मूल्य के कुल 3,000 करोड़ रुपए के कर–मुक्त बांडों का पब्लिक इश्यू जारी किया है। बांड दिनांक 27.03.2012 को आबंटित किए गए और इस की बिक्री से प्राप्त आय को नामित पब्लिक इश्यू खाते में रखा गया है। इश्यू की बिक्री से आय, तुलन–पत्र की तारीख तक प्रयोग नहीं की जा सकी, क्योंकि अर्जित निधियों की बिक्री से प्राप्त आय दिनांक 04.04.2012 को बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) में बांडों का सूचीकरण किए जाने पर ही कंपनी को उपलब्ध हो पाई।

15. अल्पावधि ऋण और पेशगियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
– अन्य ऋण और पेशगियां		
(ए) प्रतिभूत ऋण		
– राज्य विद्युत बोर्डों/ निगमों को ऋण (संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों की सामग्री/परिसंपत्तियों का आडमान करके प्रतिभूत)		
(क) शोध्य समझा गया	1,737.50	900.00
उप–जोड़	1,737.50	900.00
(बी) अप्रतिभूत ऋण		
– राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों/सकारी समितियों को ऋण (संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा)		
(ख) शोध्य समझा गया	830.00	-
– अन्यों को ऋण		
(क) शोध्य समझा गया	400.00	300.00
उप–जोड़	1,230.00	300.00
कुल जोड़ (क+ख)	2,967.50	1,200.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क) दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का वसूली योग्य चालू	8,450.13	7,329.46
(ख) कर्मचारी पेशगियों का वसूलीयोग्य चालू	6.63	2.49
(ग) उपचित और देय नहीं ब्याज		
– आवधिक जमा	27.90	9.22
उप–जोड़	27.90	9.22
(घ) ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित और देय ब्याज	86.11	80.29
(ड.) ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित और देय नहीं ब्याज	549.61	493.45
(च) कर्मचारी पेशगियों पर उपचित ब्याज का चालू अंश	0.36	0.29
(छ) भारत सरकार से वसूलीयोग्य		
– आरजीजीवीवाई व्यय	6.78	4.64
उप–जोड	6.78	4.64
प्राप्त किए जाने वाले रोकड़ या वस्तु या मूल्य में वसूलीयोग्य पेशगियां*	5.25	15.17
(ज) राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी विभागों/अन्यों से वसूलीयोग्य	21.58	5.06
(ट) अग्रिम आयकर और टीडीएस	1,916.94	2,722.65
घटाएं: आयकर के लिए प्रावधान	1,887.74	2,699.82
	29.20	22.83
(ठ) वसूलीयोग्य आयकर	-	24.59
(ड़) अपरिशोधित व्यय का चालू अंश		
– बांड के इश्यू पर बट्टा:	4.83	4.70
जोड़ (क+ख+ग+घ+ड़+च+छ+ज+झ+ट+ठ+ड़)	9,188.38	7,992.19

*उपर्युक्त (ज) के अधीन उल्लिखित रकम में सहायक कंपनियों से प्राप्त की जाने वाली 2.09 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.44 करोड़ रुपए) की रकम भी शामिल है। कृपया टिप्पणी 36 भी देखें।

17. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

17.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
क– कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	59.84	26.88
– गारंटियां		
ख– अन्य		
– लैटर ऑफ कंफर्ट	4,696.95	1,352.70

उपर्युक्त "क" में उल्लिखित रकम में 7.75 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.99 करोड़ रुपए) की रकम भी शामिल है, जो माध्यस्थम के मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित है और न्यायालय/माध्यस्थम के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है और इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की 52.09 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 21.75 करोड़ रुपए) की रकम भी शामिल है।

17.2 निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबद्धता और जिनके लिए प्रावधान नहीं है

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
– पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेके	8.02	13.32
– अन्य प्रतिबद्धताएं		
– असंवितरित सीएसआर प्रतिबद्धता	5.91	4.79
– पट्टा प्रतिबद्धता	12.72	13.72

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18. प्रचालनों से आय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज				
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	**9,684.32**		7,673.20	
घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने के लिए छूट	**6.17**	**9,678.15**	7.85	7,665.35
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण		**585.87**		443.42
जोड़: ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (क)		**10,264.02**		8,108.77
(ख) अन्य वित्तीय सेवाओं से आय				
(i) प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		**47.15**		60.38
(ii) प्रीपेमेंट प्रीमियम		**3.02**		40.55
(iii) आरजीजीवीवाई कार्यान्वयन/अन्यों के लिए एजेंसी/रखरखाव प्रभार		**23.40**		47.21
जोड़: अन्य प्रचालन आय (ख)		**73.57**		148.14
जोड़ (क+ख)		**10,337.59**		8,256.91

19. अन्य आय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
(क) ब्याज आय (प्रचालन आय से भिन्न)				
– जमा राशि से ब्याज		**86.16**		44.76
– सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज		**62.25**		69.80
– आयकर वापसी से ब्याज		**4.02**		-
– कर्मचारी पेशगियों से ब्याज		**0.53**		0.28
– सहायक कंपनियों से ब्याज		**0.12**		0.18
उप–जोड़(क)		**153.08**		115.02
(ख) लाभांश आय				
– सहायक कंपनियों से लाभांश		**0.05**		0.05
– म्युचुअल निधि लाभांश		**-**		3.47
– दीर्घावधि निवेशों से लाभांश		**0.13**		0.12
उप–जोड़(ख)		**0.18**		3.64
(ग) निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ				
– दीर्घावधि निवशों की बिक्री पर लाभ		**0.84**		1.78
– चालू निवेशों की बिक्री पर लाभ		**10.91**		0.50
उप–जोड़ (ग)		**11.75**		2.28
(घ) अन्य गैर–प्रचालन आय				
– विदेशी मुद्रा विनिमय लोच लाभ		**-**		85.33
– परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		**0.05**		0.01
– रिटन बैक प्रावधान		**4.44**		29.24
– विविध आय		**1.98**		2.83
उप–जोड़ (घ)		**6.47**		117.41
जोड़ (क+ख+ग+घ)		**171.48**		238.35

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20. वित्तीय लागतें

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
(क) ब्याज व्यय		
– सरकारी ऋणों पर	**2.31**	3.17
– आरईसी के बांडों पर	**5,064.14**	3,643.88
– बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋणों पर	**611.59**	838.51
– बाह्य वाणिज्यिक उधार पर	**578.71**	203.80
– कमर्शियल पेपर पर	**-**	83.28
– एआरईपी सब्सिडी पर	**0.33**	0.41
– अग्रिम आयकर पर ब्याज	**0.25**	-
उप–जोड़ (क)	**6,257.33**	4,773.05
(ख) अन्य उधार लागत		
– गारंटी शुल्क	**11.46**	7.87
– पब्लिक इश्यू व्यय	**14.25**	-
– बांड रखरखाव प्रभार	**1.12**	1.98
– बांडों की दलाली	**15.99**	9.00
– बांडों पर स्टाम्प शुल्क	**0.04**	0.31
– ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	**78.61**	58.80
उप–जोड़ (ख)	**121.47**	77.96
जोड़ (क+ख)	**6,378.80**	4,851.01

21. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
(क) वेतन और भत्ते	**134.34**	81.65
(ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**8.41**	19.07
(ग) उपदान	**2.38**	2.91
(घ) सेवा–निवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**12.17**	12.42
(ड.) कर्मचारी कल्याण व्यय	**13.67**	11.42
जोड़ (क+ख+ग+घ+ड)	**170.97**	127.47

22. अन्य व्यय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
– किराया और भाड़ा प्रभार		**2.02**		1.80
– दर और कर		**5.95**		1.86
– बिजली और ईंधन		**0.87**		0.70
– बीमा प्रभार		**0.04**		0.03
– मरम्मत और अनुरक्षण				
– भवन	**1.27**		1.46	
– मशीनरी ईआरपी और डेटा केंद्र	**3.10**		1.71	
– अन्य	**0.43**	**4.80**	0.95	4.12
– प्रिंटिंग और लेखन–सामग्री		**0.09**		1.46
– यात्रा और सवारी		**7.88**		6.61
– डाक टिकट, टेलीग्राम, टेलीफोन		**1.22**		1.01
– प्रचार और प्रोन्नयन व्यय		**4.59**		4.40
– लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**0.61**		0.44
– परामर्शी प्रभार		**1.46**		1.33
– कारपोरेट सामाजिक दायित्व		**12.99**		1.23
– दान और धर्मार्थ		**0.06**		0.22
– परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**0.23**		0.02
– विविध व्यय		**15.54**		8.79
जोड़		**58.35**		34.02

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.1 लेखा–परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है:

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
– लेखापरीक्षा शुल्क	**0.26**	0.19
– कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.05**	0.04
– सीमित समीक्षा शुल्क	**0.05**	0.03
– अन्य सेवाओं के लिए अदायगी#	**0.25**	0.17
– व्यय की प्रतिपूर्ति	**-**	0.02
जोड़	**0.61**	0.45

इसमें कर–मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू की विवरणिका के प्रमाणन के लिए 0.15 करोड़ रुपए का प्रमाणन शुल्क और वित्त वर्ष 2011–12 के ईसीबी प्रलेखन के प्रमाणन के लिए 0.09 करोड़ रुपए का प्रमाणन शुल्क और वित्त वर्ष 2010–11 के ईसीबी प्रलेखन के लिए 0.15 करोड़ रुपए का प्रमाणन शुल्क शामिल है।

22.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
अर्जन	-	-
व्यय		
– रॉयल्टी, नो–हाउ, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	**1.34**	-
– ब्याज	**192.95**	31.27
– वित्त प्रभार	**65.45**	50.24
– अन्य व्यय	**0.69**	0.77
जोड़	**260.43**	82.28

22.3 निगम ने कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थल तथा आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए स्थल पट्टे पर लिया है। इन्हें संचालन संबंधी पट्टे के रूप में लिया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा केंद्र के संबंध में 2.38 करोड़ रुपए की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारी आवास के संबंध में 1.27 करोड़ रुपए की पट्टा अदायगी टिप्पणी 21–'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ों में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया अदायगियां	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
	डेटा केंद्र	कार्यालय और आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय और आवास
अधिकतम एक वर्ष	**0.39**	**2.30**	0.50	1.41
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	**0.77**	**7.08**	1.16	6.50
5 वर्ष से अधिक	**-**	**2.18**	-	4.15
जोड़	**1.16**	**11.56**	1.66	12.06

23. पिछली अवधि की मदें

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
– ब्याज और वित्त व्यय	**-**	3.23
जोड	-	**3.23**

24. प्रति शेयर अर्जन

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
गणक		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर–पश्चात लाभ (रुपए करोड़ों में)	**2,817.03**	2,569.93
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या	**98,74,59,000**	98,74,59,000
10/– रुपए के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटिड अर्जन (रुपए में)	**28.53**	26.03

लेखा संबंधी टिप्पणियां

25. 13 दिसंबर, 2006 को हमारे निदेशक मंडल ने कारपोरेशन के विवेकपूर्ण मानदंडों को अनुमोदित किया तथा 21 फरवरी, 2009 और 25 सितंबर, 2010 को इनमें संशोधन अनुमोदित किए गए थे। तथापि, सभी 'व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण' सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदंडों के ढांचे के अधीन लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसंबर, 2006 को हमारे निगम को सलाह दी थी कि एनबीएफसी को शासित करने वाले विनियमों के विभिन्न घटकों के अनुपालन के लिए 'रूपरेखा' प्रस्तुत की जाए। निगम ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 29 जून, 2010 के पत्र द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2012 तक विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय और राज्य संस्थाओं के संबंध में विवेकपूर्ण प्रकटन मानदंडों से छूट प्रदान कर दी है। कम से कम 12वीं योजना के अंत तक छूट अवधि को आगे बढ़ाने के निगम के अनुरोध, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 के पत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित किया गया था, के उत्तर में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के पत्र के जरिए 31 मार्च, 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने से छूट की अवधि बढ़ाने पर सहमति दे दी है, बशर्ते कि 01 अप्रैल, 2013 से शुरू होने वाले तीन वर्ष के अंदर, समय–समय पर यथासंशोधित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैर जमा स्वीकृति या धारण) विवेकपूर्ण मानदंड (भारतीय रिजर्व बैंक संबंधी निर्देश, 2007 में निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में 30 जून, 2012 तक एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। एक आईएफसी के रूप में प्राइवेट सेक्टर को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों के स्वामित्व का 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों के स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा। आरईसी को 15% का पूंजी–जोखिम भारित संपत्ति अनुपात रखना होता है (न्यूनतम टियर–I पूंजी का 10%)। तदनुसार 25 सितंबर, 2010 को बोर्ड के अनुमोदन से विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन किया गया है। विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय एवं राज्य संस्थाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए इन यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्ति के 50% से 250% तक भिन्न–भिन्न हैं जो संस्था के मूल्यांकन तथा संबंधित राज्य यूटिलिटियों की स्थिति पर निर्भर करती है।

26. यह निगम वर्ष 1997–98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरबीआई की दिनांक 13/01/2000 की अधिसूचना सं डीएनबीएस(पीडी), सीसी सं.12/डी2.01/99–2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 617 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(आई) सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

27. लेखाकरण नीति में परिवर्तन

27.1 कंपनी ने निपटान की तारीख को ब्याज लागत की समायोजन की पिछली लेखाकरण नीति के स्थान पर महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 1(क) के अनुरूप उपचय के आधार पर घरेलू उधार पर ब्याज दर विनिमय संबंधी लाभ या हानि को हिसाब में लिया है। लेखाकरण नीति में इस परिवर्तन के कारण, दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष का लाभ 2.42 करोड़ रुपए (करों का निवल) अधिक है।

27.2 कंपनी में लेखाकरण मानक 11 'विदेशी मुद्रा में घट बढ़ का प्रभाव' के पैरा 46–क के अनुसार विदेशी मुद्रा अंतरण अंतरों के लेखाकरण व्यवहार के संबंध में दिनांक 01.04.2011 से अपनी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं.14.1 में परिवर्तन कर दिया है और मदों की शेष अवधि में दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक पर विदेशी मुद्रा लोच हानि/(लाभ) के परिशोधन किया है। तदनुसार 27.14 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लोच हानि के परिशोधन को हानि एवं लाभ के विवरण में 'विदेशी मुद्रा लोच हानि' शीर्ष के अधीन शामिल किया गया है। लेखाकरण नीति में इस परिवर्तन के कारण दिनांक 31.03.2012 और समाप्त वर्ष का लाभ 135.50 करोड़ रुपए (करों का निवल) अधिक है।

27.3 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं.4.1 को और व्याख्यात्मक/सुस्पष्ट बनाने के लिए इसमें आशोधन किए गए हैं। लेकिन ऐसे आशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

28. कुछ आरई सहकारी समितियों द्वारा 5.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.68 करोड़ रुपए) की रकम की विशेष निधि का सृजन करने में कमी (सकल) पाई गई है और अपेक्षित विशेष निधि का सृजन करने के लिए इन समितियों से कहा जा रहा है।

29. कारपोरेशन के अधिकांश उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है।

30. बांडों पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आय कर, बांडधारकों को ब्याज की वास्तविक अदायगी करते समय स्रोत पर कटौती की जाती है, क्योंकि ऐसे बांडों का मुक्त रूप से हस्तांतरण किया जा सकता है।

31. लेखाकरण नीति सं.10.2 के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंकों में रखे गए ब्याज वारंट लेखों का शेष दिनांक 31.03.2012 को 14.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 23.76 करोड़ रुपए) है।

32. प्रबंधक वर्ग की राय में तुलन–पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियों, ऋणों और पेशगियों का मूल्य उसमें उल्लिखित रकम के बराबर है, बशर्ते कि यह सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त हो जाए और सभी चालू देयताओं का प्रावधान किया गया हो।

33. लेखाकरण मानक 28 'परिसंपत्तियों की हानि' के अधीन यथा अपेक्षित अपसामान्य हानि के लिए प्रावधान आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रबंधक वर्ग की राय में लेखाकरण मानक–28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों को कोई हानि नहीं हुई है।

34. निगम की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के प्रति कोई बाकी देयता नहीं है।

35. प्रतिरक्षा कार्यनीति के भाग के रूप में कंपनी ने, कुछ मामलों में, ब्याज की स्थिर दर के स्थान पर ब्याज की अस्थिर दर का ब्याज दर विनिमय निष्पादित किया है। जिस बाकी उधार पर विनिमय का प्रयोग किया गया है, उसका मूल्य भारतीय रुपए में 7,150.00 करोड़ रुपए है। दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान, निगम ने रुपए के उधार से संबद्ध इन विनिमय लेन–देनों के कारण उधार की लागत को 20.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 41.15 करोड़ रुपए) तक कम किया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रकटन की प्रतिरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विनिमय (क्रॉस करेंसी स्वैप) निष्पादित किया है। दिनांक 31.03.2012 को बाकी विदेशी मुद्रा प्रकटन की स्थिति इस प्रकार है:

मुद्रा	कुल		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य* भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य* भारतीय रुपए
जापानी ¥	35,669.38	1,969.21	23,144.38	1,187.28	12,525.00	781.93
पिछले वर्ष	47,697.36	1,995.53	44,316.43	1,812.90	3,380.93	182.63
यूरो €	121.58	818.03	51.58	339.65	70.00	478.38
पिछले वर्ष	58.95	384.84	58.95	384.84	-	-
यूएसडी $	1,470.00	6,778.29	1,220.00	5,499.38	250.00	1,278.91
पिछले वर्ष	1,170.00	5,225.53	200.00	894.48	970.00	4,331.05
सीएचएफ (स्विस फ्रेंक)	200.00	1,132.56	-	-	200.00	1,132.56
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-
जोड़		10,698.09		7,026.31		3,671.78
पिछले वर्ष		7,605.90		3,092.22		4,513.68

*भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा उधार का भाग विनिमय लेन—देनों में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष के अंत दर पर अंतरित किया गया है।

35.1 लेखाकरण नीति 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत के अनुसार, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है:

क्रम सं.	विनिमय दर	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार	दिनांक 31.03.2011 के अनुसार
1	यूएसडी/भारतीय रुपया	**51.1565**	44.6500
2	जापानी /भारतीय रुपया	**0.6243**	0.5402
3	यूरो/भारतीय रुपया	**68.3403**	63.2400
4	सीएचएफ/भारतीय रुपया	**56.6279**	-

36. संबंधित पक्षकार का प्रकटन

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

डॉ ज.मो. फाटक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 16.04.2011 के पूर्वाह्न तक)
श्री एच.डी. खुंटेटा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 16.04.2011 के अपराह्न से 29.11.2011 पूर्वाह्न तक) और निदेशक (वित्त)
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 29.11.2011 के अपराह्न से)
श्री पी.जे. ठक्कर	निदेशक (तकनीकी) (दिनांक 02.05.2011 के अपराह्न से)

(2) अन्य संबंधित पक्षकार

1. **सहायक कंपनियां**
   आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
   आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
2. **आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियां**
   वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड – दिनांक 21.04.2011 को निगमित
   विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड – दिनांक 30.11.2011 को निगमित
3. **संयुक्त उद्यम**
   इनर्जी एफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

दिनांक 31.03.2012 को संबंधित पक्षकारों से/को (–) देय रकम का विवरण

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार	दिनांक 31.03.2011 के अनुसार
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**1.57**	-
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**0.52**	0.44

लेखा संबंधी टिप्पणियां

संबंधित पक्षकारों सहित वर्ष के दौरान अंतरण

(रुपए करोड़ों में)

नाम	सहायक कंपनियां		मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
	दिनांक 31.03.12 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए	**दिनांक 31.03.12 को समाप्त वर्ष के लिए**	दिनांक 31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए
नकद/वस्तु/मूल्य के रूप में वसूलीयोग्य पेशगियां प्राप्त की जाएंगी	**4.71**	14.88	**-**	-
ऋण और पेशगियां	**-**	-	**0.01**	0.08
पारिश्रमिक	**-**	-	**1.36**	1.75

37. लेखाकरण मानक–26 'अमूर्त परिसंपत्तियां' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरण

परिशोधन की दर	20% 100% यदि परिसंपत्ति की कुल लागत 5,000 रुपए या कम हो।
परिशोधन की विधि	सीधी पंक्ति

अमूर्त परिसंपत्तियों का समाशोधन टिप्पणी 8 में पहले ही प्रकट कर दिया गया है। इसके अलावा, अमूर्त परिसंपत्तियों पर किसी अपसामान्य हानि को 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान स्वीकार/प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

38. निगम ने लेखाकरण मानक–15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी हितलाभ' को अंगीकृत किया है। परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजना इस प्रकार हैः

क. कर्मचारी भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना होता है। प्रबंधन अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 2012 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित निधि की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

निगम एक अलग न्यास में पूर्व–निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान अदा करता है जो बीमाकर्ता के पास उस निधि का निवेश करता है। बीमाकर्ता न्यास के सदस्य के खाते में जमा पड़े शेष पर ब्याज की दर तय करता है। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है। निगम द्वारा देय परिभाषित अंशदान के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में इस व्यय को मान्यता दी गई है।

ग. उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

घ. सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति या पत्नी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ड. कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनःस्थापन योजना

यदि कोई कर्मचारी कंपनी की सेवा के दौरान स्थायी रूप से पूर्णतः अशक्त हो जाता है/यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को आर्थिक लाभ और सहायता देने के लिए कारपोरेशन की एक योजना है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में मान्यताप्राप्त है।

च. कर्मचारी की लंबी सेवा के लिए पुरस्कार योजना

निगम में कर्मचारियों की एक लंबी सेवा पुरस्कार योजना है जो निगम में लगातार 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में मान्यताप्राप्त है।

छ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम के पास कर्मचारी तथा आश्रितों हेतु एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यताप्राप्त है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन–पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति है:

लाभ एवं हानि खातों में मान्यताप्राप्त व्यय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
चालू सेवा लागत	**1.69**	1.55	**0.62**	0.60	**0.04**	0.01
ब्याज लागत	**2.90**	2.59	**3.18**	2.19	**0.02**	0.01
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.82**	2.77	**-**	-	**-**	-
लाभ एवं हानि खातों में मान्यताप्राप्त बीमांकित (लाभ)/ और हानि	**0.61**	1.53	**8.37**	9.63	**0.88**	0.02
पूर्व सेवा लागत	**-**	-	**-**	-	**-**	-
लाभ एवं हानि खातों में मान्यताप्राप्त व्यय	**2.38**	2.90	**12.17**	12.42	**0.94**	0.04

तुलन–पत्र में मान्यताप्राप्त रकम

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**36.47**	34.15	**46.82**	37.41	**1.12**	0.21
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**31.24**	31.30	**-**	-	**-**	-
मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्तियां (देयता) (उपदान–न्यास के उपदान के लिए)	**(5.23)**	(2.85)	**(46.82)**	(37.41)	**(1.12)**	(0.21)

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
वर्ष के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**34.15**	32.44	**37.41**	27.42	**0.21**	0.19
ब्याज लागत	**2.90**	2.59	**3.18**	2.19	**0.02**	0.01
पूर्व सेवा लागत	**-**	-	**-**	-	**-**	-
चालू सेवा लागत	**1.69**	1.55	**0.62**	0.60	**0.04**	0.01
प्रदत्त हितलाभ	**2.88**	3.61	**2.76**	2.43	**0.03**	0.03
दायित्वों पर बीमांकित लाभ/हानि	**0.61**	1.17	**8.37**	9.63	**0.88**	0.02
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**36.47**	34.15	**46.82**	37.42	**1.12**	0.21

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (उपदान–न्यास के उपदान के लिए)	**31.30**	32.44	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.81**	2.77	**-**	-	**-**	-
कंपनी का वास्तविक अंशदान	**0.01**	0.05	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**2.88**	3.61	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**-**	(0.35)	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (उपदान–न्यास के उपदान के लिए)	**31.24**	31.30	**-**	-	**-**	-

वर्ष के दौरान निगम ने उपदान न्यास में 2.38 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.90 करोड़ रुपए), पीआरएमएफ में 12.17 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 12.42 करोड़ रुपए) और ओडीआरबी में 0.94 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रुपए) के अंशदान की देयता का प्रावधान किया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

अन्य कर्मचारी हितलाभ

वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी नकदीकरण के लिए 5.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.70 करोड़ रुपए), बीमारी की छुट्टी के लिए 2.18 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.16 करोड़ रुपए), आर्थिक पुनःस्थापन योजना के लिए 0.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.06 करोड़ रुपए) और दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए 3.91 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.37 करोड़ रुपए) का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और उसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में 1% बिंदु की वृद्धि/कमी का प्रभाव

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
सेवा और ब्याज लागत	**0.66**	0.41	**(0.60)**	(0.35)
पीबीओ (अंत में)	**5.80**	5.01	**(5.31)**	(4.38)

बीमा संबंधी पूर्व धारणा

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
प्रयुक्त विधि	**प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)**	प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)	**प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)**	प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)	**प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)**	प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)
बट्टा दर	**8.50%**	8.00%	**8.50%**	8.00%	**8.50%**	8.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर	**9.00%**	8.54%	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.50%**	6.00%	**6.50%**	6.00%	**6.50%**	6.00%

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की पूर्व–अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट पर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार लाभ है जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

39. कुछ पूर्व राज्य बिजली बोर्डों को, जिनकी ओर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए प्रतिष्ठानों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य बिजली बोर्डों की देयताएं नए प्रतिष्ठानों में अंतरित कर दी गई हैं और कुछ मामलों में इस निगम, नए प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

40. पुनः अनुसूचित ऋणों का संचलन इस प्रकार हैः

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	खातों की संख्या	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार	खातों की संख्या	दिनांक 31.03.2011 के अनुसार
आरंभिक शेष	16		14	
मूलधन		**8,223.94**		7,005.02
ब्याज		**717.37**		784.46
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए खाते)	4		3	
आरंभिक शेष				
मूलधन		**8,565.48**		1,011.46
उपचित ब्याज		**1.18**		8.31
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
मूलधन		**4,145.01**		590.50
उपचित ब्याज		**2,169.67**		995.62
वर्ष के दौरान प्राप्त*				
मूलधन		**553.14**		383.03
ब्याज		**2,217.31**		1,071.01
अंतशेष	20		16	
मूलधन		**20,381.29**		8,223.94
ब्याज		**670.91**		717.37

*इसमें पूर्ण पूर्व–प्रदत्त मामला शून्य भी शामिल है (पिछले वर्ष 1)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

41. निगम का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण करना है। तदनुसार, निगम के पास भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक–17 के अनुसार सूचना देने के लिए एक से अधिक पात्र खंड नहीं हैं।

42. निगम का दिनांक 31.03.2012 को पूंजीगत पर्याप्त अनुपात 16.00% है (पिछले वर्ष 19.09%)।

43. कंपनी के पास दिनांक 31.03.2012 को रियल इस्टेट क्षेत्र का कोई प्रकटन नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

44. ऋण परिसंपत्तियों और उधार की परिपक्वता का दिनांक 31.03.2012 के अनुसार विवरण

(रुपए करोड़ों में)

वित्त वर्ष	ऋण परिसंपत्तियों की वसूली	उधार की प्रतिदेयता
2012-13	11,439	13,503
2013-14	10,123	13,325
2014-15	9,920	10,063
2015-16	9,669	9,410
2016-17	9,413	9,525
2017-18	8,862	2,171
2018-19	8,260	4,055
2019-20	7,650	6,303
2020-21	7,106	7,048
2021-22	5,872	9,440
2022-23	4,507	-
2022–23 के बाद	8,541	5,213
जोड़	101,362	90,056

45. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण तत्समय लागू कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्व संशोधित अनुसूची–6 के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन संशोधित अनुसूची–6 की अधिसूचना के परिणामतः दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण संशोधित अनुसूची–6 के अनुसार तैयार किया गया है। तदनुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनः वर्गीकृत किया गया है।

46. जब तक स्पष्ट रूप से न कहा गया है, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ों में पूर्णांकित किया गया है। दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में रुपए के अंकों को निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित किया गया था। अतः आंकड़ों को तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष के रुपयों के आंकड़ों को भी जहां कहीं अपेक्षित था, समायोजित करके निकटतम करोड़ पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर किए गए हस्ताक्षर और लेखा संबंधी टिप्पणियां वित्तीय विवरण के भाग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 006747एन

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 001113एन

के.एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070276

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और कंपनी सचिव

हरिदास खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर–पूर्व निवल लाभ	3,792.86		3,476.28	
निम्नलिखित के लिए समायोजनः				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	0.18		0.01	
2. मूल्यहास	3.27		3.03	
3. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	49.09		0.22	
4. पुनः अनुसूचित ऋण के लिए प्रावधान	3.18		-	
5. बट्टे खाते डाला गया अतिरिक्त प्रावधान	-		-29.21	
6. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	-11.75		-2.28	
7. विनिमय दर लोच पर हानि/लाभ (–)	52.55		-85.33	
8. सहायक कंपनियों से लाभांश	-0.05		-0.05	
9. निवेशों से लाभांश	-0.13		-3.59	
10. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	0.25		-	
11. बट्टे खाते डाले गए बांडों पर बट्टा	4.71		0.85	
12. शून्य कूपन बांडों पर उपचित ब्याज	55.46		14.48	
13. प्रावधान से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	-		0.01	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	3,949.62		3,374.42	
वृद्धि/कमी				
1. **ऋण परिसंपत्तियां**	-19,703.14		-15,746.71	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियां	30.29		171.98	
3. प्रचालन देयताएं	940.47		377.99	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	-14,782.76		-11,822.32	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	-981.21		-964.23	
2. आयकर वापसी	1.48		-	
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		-15,762.49		-12,786.55
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.17		0.02	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी और विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां भी शामिल हैं)	-13.84		-1.22	
3. 8% मध्य प्रदेश सरकार विद्युत बांड–II का विमोचन	94.32		94.32	
4. 'स्माल इज ब्यूटीफुल' की यूनिटों का विमोचन	0.90		3.11	
5. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	11.75		2.28	
6. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में निवेश	-		-24.38	
7. यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयरों में निवेश	-16.00		-	
8. सहायक कंपनियों से लाभांश	0.05		0.05	
9. निवेशों से लाभ	0.13		3.59	
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		77.48		77.77
ग. वित्त संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बांडों का निर्गम (विमोचन का निवल)	20,108.21		10,334.23	
2. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण/एसटीएल लेना (प्रतिदेयता का निवल)	-3,227.60		677.71	
3. विदेशी मुद्रा ऋण लेना (विमोचन का निवल)	2,857.01		5,591.43	
4. ब्याज सहित भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (वापसी का निवल)	2,238.28		4,841.31	
5. अनुदानों का संवितरण	-2,766.93		-4,025.42	
6. सरकारी ऋण की वापसी	-11.49		-13.29	
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	-394.98		-345.61	
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	-493.73		-345.61	
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	-144.17		-114.80	
10. शेयरों के निर्गम पर प्रतिभूति प्रीमियम	-		0.41	
11. कमर्शियल पेपर्स से लाभ	-		-2,450.00	
वित्त संबंधी क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		18,164.60		14,150.36
नकदी/नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		2,479.59		1,441.58
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		2,831.89		1,390.31
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		5,311.48		2,831.89
नकदी और नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि और कमी		2,479.59		1,441.58

टिप्पणी जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ो को पुनः व्यवस्थित और पुनः समूहीकृत किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 006747एन

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 001113एन

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और कंपनी सचिव

हरिदास खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के.एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070276

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के साथ नत्थी किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर–बैंकिंग वित्तीय (गैर–जमा स्वीकृति या नियंत्रक) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के पैरा 13, जो आरईसी लिमिटेड पर लागू है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	बाकी रकम	अतिदेय रकम
देयता पक्षः एनबीएफसी द्वारा उपलब्ध ऋण और पेशगियां, जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल है		
(क) डिबेंचर / बांड		
(i) प्रतिभूत	43,041.79	-
(ii) अप्रतिभूत	28,331.65	-
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	10,679.46	-
(ग) भारत सरकार से सावधिक ऋण	24.64	-
(घ) वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण	4,370.00	-
(ड.) बैंकों से सावधिक ऋण	1,091.54	-
(च) बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
(छ) बैंकों से नकद क्रेडिट	2,500.00	-
(ज) कमर्शियल पेपर	-	-
परिसंपत्ति पक्षः प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा		
(क) प्रतिभूत	76,283.20	-
(ख) अप्रतिभूत	25,328.75	-
निवेश दीर्घावधि निवेश अनकोटेड		
(i) शेयर ; (क) इक्विटी	42.36	
(ख) अधिमान्य	-	
(ii) डिबेंचर और बांड	-	
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	7.83	
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	707.40	
(v) अन्य		

सभी पट्टा परिसंपत्तियों, भाड़े के स्टॉक तथा ऋण एवं पेशगियों का उधारकर्ता समूह–वार वर्गीकरण

(रुपए करोड़ों में)

श्रेणी	प्रावधानों की निवल रकम		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	जोड़
1. संबंधित पक्षकार			
(क) सहायक कंपनियां	-	2.09	2.09
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	0.09	0.09
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	76,283.20	25,326.57	101,609.77
जोड़	76,283.20	25,328.75	101,611.95

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

शेयरों और प्रतिभूतियों (कोटेड और अनकोटेड दोनों) में निवेशों (वर्तमान और दीर्घावधि) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण

(रुपए करोड़ों में)

श्रेणी		प्रावधानों की निवल रकम	
		बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1.	**संबंधित पक्षकार**		
	(क) सहायक कंपनियां	0.10	0.10
	(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-
	(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	25.00	25.00
2.	**संबंधित पक्षकारों से भिन्न पक्षकार**	732.49	732.49
	जोड़	**757.59**	**757.59**

अन्य सूचना

ब्योरे		(रुपए करोड़ों में)
(i)	**सकल गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां**	
	(क) संबंधित पक्षकार	
	(ख) संबंधित पक्षकार से भिन्न पक्षकार	490.40
(ii)	**निवल गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां**	
	(क) संबंधित पक्षकार	-
	(ख) संबंधित पक्षकार से भिन्न पक्षकार	425.86
(iii)	**ऋण के समाधान के लिए अधिग्रहित परिसंपत्तियां**	**-**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 006747एन

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 001113एन

के.एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070276

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070811

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और कंपनी सचिव

हरिदास खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स
7, लोदी रोड
नई दिल्ली – 110003

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा जारी गैर–बैंकिग फाइनेंशियल कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट निदेशों में यथाअपेक्षित और जिस हद तक ये नियम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन पर लागू हैं, तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा जैसे ये अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार लागू हैं, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

1. इस कारपोरेशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 (1934 का 2) के अनुसार धारा 45–1ए के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है और उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिनांक 10.02.1998 के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र मंजूर किया गया है, और उनकी पंजीकरण संख्या 14,000011 है। आरबीआई ने पहले वर्गीकृत आरईसी को एक इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी के बदले मे दिनांक 17 सितम्बर 2010 का प्रमाण पत्र जारी किया है जो आरबीआई सरकुलर संख्या सीसी 168 दिनांक 12 फरवरी 2010 में निहित निदेशों के अनुसार है। यही नहीं, यह कंपनी अपनी परिसम्पतियों/आय 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार यह पंजीकरण जारी रखने की हकदार है।

2. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 (परिसम्पतियां और आरक्षित कोष अनुरक्षण) के अनुच्छेद 4 से 7 के अनुसरण में और गैर–बैंकिग वित्तीय कंपनियों के विवेकपूर्ण मापदंडों (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 दिनांक 1 जुलाई 2011 के आरबीआई के सरकुलर संख्या 2010–11/22डीएनबीएसपीडी सीसी 228/03/02004/2011–12 दिनांक जुलाई 1, 2011 धारा 45–1बी और 45–1सी के अनुसार ये निदेश किसी उस कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जिसका उल्लेख एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में किया गया है। तदनुसार, आरईसी को केंद्रीय और राज्य एनटिटियों में अपना पैसा लगाने संबंधी विवेकपूर्ण मापदंडों में 31 मार्च 2012 तक छूट प्रदान की गई है। इसका अपवाद सिर्फ अनुच्छेद 13–ए है जो आरबीआई को पते, निदेशकों और लेखापरीक्षकों आदि में परिवर्तन के बारे में सूचना देने से संबंधित है।

3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा के बारे में आरबीआई निदेश इस कारपोरेशन पर लागू नहीं है। इसलिए इस कंपनी के निदेशक मंडल ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने के बारे में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है।

4. वर्ष 2011–12 के दौरान इस निगम ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की हैं।

5. 31 मार्च 2012 को समाप्त वित वर्ष के लिए इस कारपोरेशन ने लेखाकरण मानकों, आय मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों के बारे में प्रावधान, क्षमता पर्याप्तता और प्रकटन मापदण्ड संबंधी विवेकपूर्ण मापदंडों का पालन किया है। यह इस निगम की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुरूप है और 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय बयानों का अभिन्न अंग है।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000113एन

(आर. सी. पांडे)
भागीदार
एम नम्बर 070811

कृते–पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 006747एन

(के. एस. पोन्नुसवामी)
भागीदार
एम नम्बर 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 जून, 2012

रूरल इलेक्ट्रीफिकाशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के खातें के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

रूरल इलेक्ट्रीफिकाशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत के सनदी लेखाकार संस्थान नामक व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। बताया गया कि दिनांक 23 मई, 2012 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंधित कागजपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों और कार्मिकों से पूछताछ तथा तदनुसार कुछ चुने हुए लेखाकरण रिकार्ड की जांच तक ही मुख्य रूप से सीमित रही है। लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में नहीं आई है, जिसके आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दे सकूं या पूरक लेखापरीक्षा कर सकूं।

कृते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(प्रवीण कुमार सिंह)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–III

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24.07.2012

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरण संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

1. हमने **मैसर्स रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों** के 31 मार्च, 2012 के संलग्न समेकित तुलन–पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाते तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधक वर्ग का है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजना अनुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि वित्तीय विवरण में गलतबयानी न हो। लेखापरीक्षा में परख के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया कराती है।

3. हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी के प्रबंधक वर्ग ने यह समेकित विवरण कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के लेखाकरण मानक (एएस) 21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखाकरण मानक (एएस) 27 ''संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है

4. हम कंपनी की सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं करते। इनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी रिपोर्टें हमें भेजी गई थीं। इन कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, कुल संपत्तियां 82.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष की 57.73 करोड़ रुपए) तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष को कुल राजस्व 44.55 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष का 36.94 करोड़ रुपए) दर्शाया गया है। हमारी राय में जहां तक इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल की गई रकम का संबंध है, यह सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर पूर्णतः आधारित है।

5. हमारी टिप्पणियों के अधीन और हमारी लेखापरीक्षा तथा सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरण संबंधी अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करने पर और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारा यह मत है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण, इनसे संबंधित टिप्पणियां एवं लेखाकरण नीतियों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अपेक्षित सूचना यथापेक्षित ढंग से और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष विचार प्रकट करते हैं।

(क) समेकित तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के कार्यों की स्थिति के बारे में;

(ख) समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के लाभ के बारे में; और

(ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के नकदी प्रवाह के बारे में।

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.006747एन

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं.070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.001113एन

(आर.सी.पांडे)
भागीदार
सदस्यता सं.070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार समेकित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2012 की स्थिति	31.03.2011 की स्थिति
I इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	2	987.46	987.46
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	13,818.42	11,839.98
उप–जोड़ (1)		14,805.88	12,827.44
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालिक उधार	4	76,553.68	61,173.02
(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	26.50	0.29
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	6	61.78	49.76
उप–जोड़ (2)		76,641.96	61,223.07
(3) चालू देयताएं			
(क) अल्पकालिक उधार	7	2,501.71	375.00
(ख) व्यापार देयं	8	4.23	3.87
(ग) अन्य चालू देयताएं	9	14,517.14	11,640.27
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	6	339.68	500.75
उप–जोड़ (3)		17,362.76	12,519.89
जोड़ (1+2+3)		108,810.60	86,570.40
II परिसंपत्तियां			
(1) गैर चालू संपत्तियां			
(क) अचल परिसंपत्तियां	10		
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		68.60	62.49
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		2.24	3.09
(iii) पूंजीगत चालू कार्य		7.92	3.01
(iv) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		0.10	-
		78.86	68.59
(क) गैर–चालू निवेश	11	685.32	789.55
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	10.02	12.76
(ग) विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद के अंतर का अंतरण लेखा	13	181.88	-
(घ) दीर्घकालिक ऋण और पेशगियां	14	89,985.40	73,206.66
(ङ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	15	247.92	364.18
उप–जोड़ (1)		91,189.40	74,441.74
(2) चालू संपत्तियां			
(क) चालू निवेश	11	47.26	47.16
(ख) व्यापार प्राप्य	16	38.01	18.10
(ग) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	17	5,375.36	2,866.79
(घ) अल्पकालिक ऋण और पेशगियां	18	2,967.50	1,200.00
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	9,193.07	7,996.61
उप–जोड़ (2)		17,621.20	12,128.66
जोड़ (1+2)		108,810.60	86,570.40
आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं	20		

महत्वपूर्ण लेखाकरणनीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 50 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्या: 006747एन

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्या: 001113एन

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और कंपनी सचिव

हरिदास खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के.एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070276

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
I. प्रचालनों से राजस्व	21	10,337.59	8,256.91
II. अन्य आय	22	216.03	275.29
III. कुल राजस्व (I+II)		10,553.62	8,532.20
IV. व्यय			
(i) वित्तीय लागत	23	6,378.84	4,851.11
(ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	174.62	130.21
(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन	10	3.34	3.06
(iv) अन्य व्यय	25	66.02	45.52
(v) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		49.09	0.22
(vi) पुनः अनुसूचित ऋणों का प्रावधान		3.18	-
(vii) विदेशी मुद्रा विनिमय लोच हानि		52.55	-
कुल व्यय (IV)		6,727.64	5,030.12
V. पिछली अवधि की मदों और कर पूर्व लाभ (III-IV)		3,825.98	3,502.08
VI. पिछली अवधि की मदें	26	0.18	3.28
VII. कर पूर्व लाभ (V-VI)		3,825.80	3,498.80
VIII. कर व्यय			
(i) चालू वर्ष		985.33	915.62
(ii) पिछले वर्ष/(वापसियां)		-0.97	3.70
(iii) आस्थगित कर		2.78	-5.41
कुल कर व्यय (i+ii+iii)		987.14	913.91
IX. सतत प्रचालन अवधि का लाभ (VII-VIII)		2,838.66	2,584.89
X. प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)		-	-
XI. इस अवधि का लाभ (IX+X)		2,838.66	2,584.89
XII. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर के लिए रुपए में)			
(1) मूल	27	28.75	26.18
(2) डायल्यूटिड	27	28.75	26.18

महत्वपूर्ण लेखाकरणनीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 50 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 006747एन

के.एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 001113एन

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और कंपनी सचिव

हरिदास खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण समेकित लेखाकरण नीतियां

1. समेकन के सिद्धांत

ये समेकित विवरण आरईसी लिमिटेड ('कंपनी'), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित हैं। ये समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

इस कंपनी और इसकी कंपनियों के वित्तीय विवरण लेखाकरण मानक (एएस) 21 – "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार अंतर–समूह शेष और अंतर–समूह लेनदेनों को पूरी तरह हटाने के बाद परिसंपत्तियों की समान मदों के खाता मूल्य, देयताएं, आय और व्यय को साथ जोड़कर प्रत्येक पंक्ति के आधार पर सम्मिश्रित किया गया है।

संयुक्त उद्यम एनटिटि के वित्तीय विवरणों को लेखाकरण मानक(एएस) 27–संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार प्राप्त नहीं किए गए लाभों या हानियों के आनुपातिक शेयरों को कम करने के बाद परिसंपत्तियों की समान मदों के खाता मूल्य, देयताओं, आय और व्यय को साथ जोड़कर प्रत्येक पंक्ति के आधार पर आनुपातिक समेकन विधि अपनाकर मिश्रित किया गया है।

जहां तक संभव है, समेकित वित्तीय विवरण समान लेनदेनों और अन्य समान परिस्थितियों की अन्य घटनाओं से संबंधित एकसमान लेखाकरण नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं और उन्हें निगम के पृथक वित्तीय विवरण के रूप में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

2. अन्य महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

इन्हें रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के उत्कृष्ट वित्तीय विवरणों में दिए गए "महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों" के अधीन दर्शाया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखों के समेकन को दर्शाया गया है जिनका विवरण इस प्रकार हैः

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व के हितों का अनुपात	लेखों की स्थिति
सहायक कंपनियों का नाम			
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	लेखापरीक्षित
- आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	लेखापरीक्षित
संयुक्त उद्यम का नाम			
- एनर्जी एफीशियेनसी सर्विसिस लिमिटेड	भारत	25%	लेखापरीक्षित

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) की स्थापना इस उद्देश्य से ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए एसपीवी के रूप में पूर्णतः स्वामित्व की सहायक कंपनी के रूप में की गई थी कि ये एसपीवी बोली प्रक्रिया के पूरा होने पर सफल बोलीदाताओं को सौंप दी जाएंगी। लेखाकरण मानक–21 के पैरा 11 के अनुसार सहायक कंपनी को उस स्थिति में समेकन से पृथक रखा जाना चाहिए जब नियंत्रण अस्थायी किया जाना हो क्योंकि सहायक कंपनियां निकट भविष्य में अपने अनुवर्ती कार्यों का निपटान करते समय अपना पृथक स्थान अर्जित/धारित करती हैं। अतः आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (अर्थात वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम्स लिमिटेड और विज़ाग ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड) की सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को इस कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया गया है।

2. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	दिनांक 31.3.2012 की स्थिति		दिनांक 31.3.2011 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	रकम	शेयरों की संख्या	रकम
प्राधिकृत				
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर	**1,200,000,000**	**1,200.00**	1,200,000,000	1,200.00
जारी अभिदत्त और प्रदत्त				
प्रत्येक 10 रुपये के पूर्णतः इक्विटी शेयर	**987,459,000**	**987.46**	987,459,000	987.46
जोड़	**987,459,000**	**987.46**	987,459,000	987.46

2.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को कंपनी अधिनियम के अधीन, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीकरण करारों के अनुसार और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था अंतर्नियमों के अनुसार उपलब्ध ऐसे सभी अधिकार होते हैं।

2.2 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकः

नाम	दिनांक 31.3.2012 की स्थिति		दिनांक 31.3.2011 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	659,607,000	66.80%	659,607,000	66.80%

3. आरक्षित और अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	दिनांक 31.3.2012 की स्थिति रकम	दिनांक 31.3.2011 की स्थिति रकम
आरक्षित पूंजी	**105.00**	105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणीयां 3.1 देखें)		
वर्ष के शुरू में शेष	**3,222.43**	3,222.02
जोड़ेः वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**	0.46
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	**-**	0.05
वर्ष के अंत में शेष	**3,222.43**	3,222.43
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 3.2 देखें)		
वर्ष के शुरू में शेष	**-**	-
जोड़ेः अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**113.99**	-
वर्ष के अंत में शेष	**113.99**	-
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि		
वर्ष के शुरू में शेष	**3,905.94**	3,295.83
जोड़ेंः अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**681.70**	610.11
वर्ष के अंत में शेष	**4,587.64**	3,905.94

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	दिनांक 31.3.2012 की स्थिति रकम	दिनांक 31.3.2011 की स्थिति रकम
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि		
वर्ष के शुरू में शेष	**595.38**	451.29
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**159.59**	144.09
वर्ष के अंत में शेष	**754.97**	595.38
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष के शुरू में शेष	**2,452.42**	2,189.42
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**289.73**	263.00
वर्ष के अंत में शेष	**2,742.15**	2,452.42
संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि		
वर्ष के शुष में शेष	**0.20**	-
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**0.43**	0.20
वर्ष के अंत में शेष	**0.63**	0.20
अधिशेष लेखा		
वर्ष के शुरू में शेष	**1,559.15**	853.24
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ	**2,838.66**	2,584.89
घटाएं: विनियोजन		
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**681.70**	610.11
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**159.59**	144.09
- लाभांश		
- अंतरिम लाभांश	**493.73**	345.61
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**246.86**	395.03
- लाभांश वितरण कर		
- अंतरिम लाभांश	**80.09**	57.39
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**40.08**	64.09
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**113.99**	-
- संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**0.43**	0.20
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**289.73**	263.00
वर्ष के अंत में शेष	**2,291.61**	1,558.61
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि	**13,818.42**	11,839.98

3.1 वर्ष 2011–12 के दौरान ऐसे इक्विटी शेयरों के हाल के अनुवर्ती पब्लिक ऑफरिंग के संबंध में इस वर्ष खर्च की गई शुल्क/कमीशन की रकम की 29,791.50 रुपए की कटौती की गई है, जिसे ऊपर दर्शाई गई गतिविधियों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उसे करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है। वित्त वर्ष 2010–11 के प्रतिभूति प्रीमियम लेखे में परिवर्धन आरईसी के शेयरों को जारी करने का वह व्यय दर्शाया गया है जिसका पहले प्रावधान किया गया था और जो शेयरों का अनुवर्ती पब्लिक ऑफर देने के संबंध में एनएसई/बीएसई/सेबी द्वारा समायोजित किया गया है/से वापस प्राप्त हुआ है और वित्त वर्ष 2010–11 की कटौतियों में इक्विटी शेयरों के अनुवर्ती पब्लिक इश्यू के संबंध में इस वर्ष के दौरान खर्च की गई शुल्क/कमीशन की रकम दर्शाई गई है।

3.2 सेबी ऋण विनियम के विनियम 16 और कंपनी अधिनियम की धारा 117–ग के अनुसरण में, कंपनी ने ऐसे बांडों/डिबेंचरों की परिपक्वता की अवधि के दौरान, सेबी के दिशानिर्देशों के अधीन पब्लिक इश्यू के माध्यम से जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों के मूल्य के 50% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है। तदनुसार, इस वर्ष के दौरान कंपनी ने 113.99 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) के डीआरआर सृजित की है।

कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार ने पत्र संख्या 6/3/2001–सीएल.वी दिनांक 18.04.2002 के जरिए जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा प्राइवेट रूप से रखे गए डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि सृजित नहीं की जानी है।

3.3 प्रस्तावित लाभांश

इस वर्ष के प्रस्तावित लाभांश इस प्रकार हैं

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
10 रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर		
- प्रस्तावित लाभांश की रकम (रुपए करोड़ों में)	**246.86**	394.98
- लाभांश की दर	**25.00%**	40.00%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए)	**2.50**	4.00

समेकित लेखा टिप्पणियां

4. दीर्घावधि उधार

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(ए) प्रतिभूत उधार		
(क) बांड		
- संस्थागत बांड	**21,123.70**	26,699.52
- 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांड	**10,283.25**	8,101.53
- कर–मुक्त बांड	**3,000.00**	-
(ख) आवधिक ऋण		
- बैंकों से	**38.80**	547.08
- वित्तीय संस्थाओं से	**4,020.00**	4,370.00
(ग) अन्य ऋण और पेशगियां		
- बांड आवेदन–पत्र धनराशि	**-**	1.72
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि उधार (क+ख+ग)	**38,465.75**	39,719.85
(बी) अप्रतिभूत उधार		
(क) बांड		
- संस्थागत बांड	**25,756.10**	9,770.50
- बुनियादी सुविधा बांड	**376.32**	216.80
(ख) आवधिक ऋण		
- बैंकों से	**750.00**	4,161.01
- भारत सरकार से	**15.14**	24.65
(ग) अन्य ऋण और पेशगियां		
- विदेशी मुद्रा उधार	**10,471.14**	6,616.08
- जीरो कूपन बांड	**719.23**	663.77
- बांड आवेदन–पत्र धनराशि	**-**	0.36
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि उधार (क+ख+ग)	**38,087.93**	21,453.17
कुल दीर्घावधि उधार (ए+बी)	**76,553.68**	61,173.02

4.1 उधार का विवरणः

उधार के गैर–चालू अंश को उपर्युक्त दीर्घावधि उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और टिप्पणी 9 "अन्य चालू देयताओं" में उधार के चालू अंश को "दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रतिभूत दीर्घावधि उधार का विवरणः

(प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 4.3 देखें)

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.1.1 बांड (संचयी और गैर–संचयी)

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
		गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
4.1.1.1	संस्थागत बांड				
	92–II श्रृंखला 8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	945.30	-	945.30	-
	91–II श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2019 को विमोचनीय	995.90	-	995.90	-
	90–ग–II श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2019 को विमोचनीय	1,040.00	-	1,040.00	-
	90वीं–ख–II श्रृंखला 8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	868.20	-	868.20	-
	90वीं श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	2,000.00	-	2,000.00	-
	88वीं श्रृंखला 8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय	1,495.00	-	1,495.00	-
	87–क–II श्रृंखला 11.20% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय	36.40	-	36.40	-
	87–क–III श्रृंखला 11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय	61.80	-	61.80	-
	87–II श्रृंखला 10.85% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2018 को विमोचनीय	657.40	-	657.40	-
	86–ख–III श्रृंखला 10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय	432.00	-	432.00	-
	86–क श्रृंखला 10.70% सममूल्य पर दिनांक 29.07.2018 को विमोचनीय	500.00	-	500.00	-
	85वीं श्रृंखला 9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय	500.00	-	500.00	-
	83वीं श्रृंखला 9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय	685.20	-	685.20	-
	82वीं श्रृंखला 9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय	883.10	-	883.10	-
	81वीं श्रृंखला 8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय	314.80	-	314.80	-
	80वीं श्रृंखला 8.20% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2016 को विमोचनीय	500.00	-	500.00	-
	79वीं श्रृंखला 7.85% सममूल्य पर दिनांक 14.03.2016 को विमोचनीय	500.00	-	500.00	-
	78वीं श्रृंखला 7.65% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2016 को विमोचनीय	1,795.70	-	1,795.70	-
	93–II श्रृंखला 8.45% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2015 को विमोचनीय	443.10	-	443.10	-
	90–ख–I श्रृंखला 8.35% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2014 को विमोचनीय	883.90	-	883.90	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
90 क–II श्रृंखला 8.00% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2014 को विमोचनीय	**1,000.00**	**-**	1,000.00	-
89–II श्रृंखला 7.70% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2014 को विमोचनीय	**255.00**	**-**	255.00	-
87–ग–III श्रृंखला 11.50% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2013 को विमोचनीय	**860.00**	**-**	860.00	-
87–I श्रृंखला 10.90% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2013 विमोचनीय	**370.20**	**-**	370.20	-
86–ख–II श्रृंखला 10.90% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2013 को विमोचनीय	**354.10**	**-**	354.10	-
86वीं श्रृंखला 10.75% सममूल्य पर दिनांक 24.07.2013 को विमोचनीय	**727.90**	**-**	727.90	-
84वीं श्रृंखला 9.45% सममूल्य पर दिनांक 04.04.2013 को विमोचनीय	**1,000.00**	**-**	1,000.00	-
93–I श्रृंखला 7.65% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2013 को विमोचनीय	**-**	**141.50**	141.50	-
69वीं श्रृंखला 6.05% सममूल्य पर 133.84 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 23.01.2013 को देय	**133.84**	**133.84**	267.68	133.84
92–I श्रृंखला 7.60% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2013 को विमोचनीय	**-**	**924.60**	924.60	-
91–I श्रृंखला 7.75% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2012 को विमोचनीय	**-**	**943.00**	943.00	-
73वीं श्रृंखला 6.90% सममूल्य पर 46.78 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 08.10.2012 को देय	**93.56**	**46.78**	140.34	46.78
90–ग–I श्रृंखला 7.90% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2012 को विमोचनीय	**-**	**1,417.50**	1,417.50	-
75वीं श्रृंखला 7.20% सममूल्य पर 50.00 करोड़ रुपए की समान छमाही किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 17.09.2012 को देय	**200.00**	**100.00**	300.00	100.00
90–क–I श्रृंखला 7.15% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2012 को विमोचनीय	**-**	**1,000.00**	1,000.00	-
77वीं श्रृंखला 7.30% सममूल्य पर 197.10 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 30.06.2012 को देय	**591.30**	**197.10**	788.40	197.10
89–I श्रृंखला 7.00% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2012 को विमोचनीय	**-**	**671.50**	671.50	-
87–ख श्रृंखला 11.75% सममूल्य पर दिनांक 03.11.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	940.90
72वीं श्रृंखला 6.60% सममूल्य पर दिनांक 18.08.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	113.70
86–ख–I श्रृंखला 10.95% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	924.20
87–क–I श्रृंखला 11.35% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	249.70
जोड़ – संस्थागत बांड	**21,123.70**	**5,575.82**	26,699.52	2,706.22

4.1.1.2 54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांड (टिप्पणी 4.4 देखें)

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
श्रृंखला–VIII (2011-12) 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान विमोचनीय	**5,239.36**	**-**	-	-
श्रृंखला–VIII (2010-11) 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विमोचनीय	**5,043.89**	**-**	5,043.75	-
श्रृंखला–VIII (2009-10) 6.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान विमोचनीय	**-**	**3,057.78**	3,057.78	-
श्रृंखला–VIII 5.75%/6.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विमोचनीय	**-**	**-**	-	2,525.23
श्रृंखला–IV 5.60% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विमोचनीय	**-**	**-**	-	0.97
श्रृंखला–VI 5.50% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विमोचनीय	**-**	**-**	-	468.91
जोड़ – 54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांड	**10,283.25**	**3,057.78**	8,101.53	2,995.11
4.1.1.3 कर–मुक्त बांड				
श्रृंखला 2011–12 हर वर्ष देय 7.93% से 8.32% तक ब्याज वाले रु. 839.67 करोड़ के बांड 27.03.2022 को और रु.2,160.33 करोड़ के बांड 27.03.2027 को विमोचनीय हैं।	**3,000.00**	**-**	-	-
जोड़ – करमुक्त बांड	**3,000.00**	**-**	-	-

4.1.2 आवधिक ऋण

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
बैंक से आवधिक ऋण				
– स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	**38.80**	**19.40**	58.20	19.40
9.70 करोड़ रुपए की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय अगली किस्त दिनांक 24.09.2012 को देय				
– सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**50.00**	50.00	50.00
50.00 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय अगली किस्त दिसंबर 2012 में देय				
– बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**-**	**33.34**	33.34	33.33
33.34 करोड़ रुपए की समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय अगली किस्त दिनांक 12.12.2012 को देय				
– स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	**-**	**-**	97.50	57.50
– सिंडीकेट बैंक	**-**	**-**	37.50	50.00
– केनरा बैंक	**-**	**-**	100.00	150.00
– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**-**	56.25	106.25
– स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	**-**		114.29	28.57
वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण				
– भारतीय जीवन बीमा निगम	**2,150.00**	**350.00**	2,500.00	350.00
दिनांक 01.10.2008 और दिनांक 01.10.2010 से शुरू 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय क्रमशः 1500.00 करोड़ रुपए (अब 900.00 करोड़ रुपए शेष) और 2000.00 करोड़ रुपए (अब 1,600.00 करोड़ रुपए)				
– आईआईएफसीएल	**1,870.00**	**-**	1,870.00	-
दिनांक 19.03.2014 और दिनांक 21.01.2014 को प्रतिदेय क्रमशः 870.00 करोड़ रुपए 1,000.00 करोड़ रुपए का ऋण				
कुल आवधिक ऋण	**4,058.80**	**452.74**	4,917.08	845.05

4.1.3 अन्य ऋण और पेशगियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
बांड आवेदन धनराशि				
पूंजी लाभ बांड	-	-	1.72	-
जोड़: बांड आवेदन धनराशि	-	-	1.72	-

4.2 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधार

4.2.1 बांड

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
4.2.1.1 **संस्थागत बांड**				
95–II श्रृंखला 8.75% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2025 को विमोचनीय	**1,800.00**	**-**	1,800.00	-
94वीं श्रृंखला 8.75% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2025 को विमोचनीय	**1,250.00**	**-**	1,250.00	-
105वीं श्रृंखला 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	**3,922.20**	**-**	-	-
101वी–III श्रृंखला 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	**3,171.80**	**-**	-	-
100वीं श्रृंखला 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	**1,500.00**	**-**	-	-
98वीं श्रृंखला 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
97वीं श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2020 को विमोचनीय	**2,120.50**	**-**	2,120.50	-
96वीं श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 25.10.2020 को विमोचनीय	**1,150.00**	**-**	1,150.00	-
95वी–I श्रृंखला 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	**200.00**	**-**	200.00	-
106वीं श्रृंखला 9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय	**1,500.00**	**-**	-	-
104वीं श्रृंखला 9.30% सममूल्य पर दिनांक 03.11.2016 को, दिनांक 03.05.2013 को पुट–कॉल विकल्प सहित विमोचनीय	**1,025.00**	**-**	-	-
103–I श्रृंखला 9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को, दिनांक 19.10.2013 को पुट–कॉल विकल्प सहित विमोचनीय	**915.00**	**-**	-	-
103–II श्रृंखला 9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को, दिनांक 19.10.2013 को पुट–कॉल विकल्प सहित विमोचनीय	**500.00**	**-**	-	-
102वीं श्रृंखला 9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय	**2,216.20**	**-**	-	-
101–II श्रृंखला 9.45% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय	**394.60**	**-**	-	-
74वीं श्रृंखला 7.22% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2014 को विमोचनीय	**250.00**	**-**	250.00	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
		गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
	101–I श्रृंखला 9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2014 को विमोचनीय	**395.60**	**-**	-	-
	99–II श्रृंखला 9.75% सममूल्य पर दिनांक 07.06.2014 को विमोचनीय	**445.20**	**-**	-	-
	99–I श्रृंखला 9.70% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2012 को विमोचनीय	**-**	**1,480.00**	-	-
	23–II श्रृंखला 12.00% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2012 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	30.35
	23–I श्रृंखला 12.00% सममूल्य पर दिनांक 05.12.2011 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	22.65
	जोड़: संस्थागत बांड	**25,756.10**	**1,480.00**	9,770.50	53.00
4.2.1.2	**बुनियादी सुविधा बांड**				
	श्रृंखला–II **सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.5 देखें**	**157.59**	**-**	-	-
	श्रृंखला–I **सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.5 देखें**	**218.73**	**-**	216.80	-
	जोड़: बुनियादी सुविधा बांड	**376.32**	**-**	216.80	-

4.2.2 आवधिक ऋण

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
		गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
4.2.2.1	**बैंकों से आवधिक ऋण**				
	– सेंट्रल बैंक	**500.00**	**-**	500.00	-
	दिनांक 27.02.2014 को प्रतिदेय				
	– बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**250.00**	**200.00**	450.00	-
	दिनांक 18.08.2012 और दिनांक 31.10.2012 को प्रतिदेय 100.00 करोड़ –100 करोड़ रुपए के दो आवधिक ऋण, 50.00 करोड़ रुपए का एक आवधिक ऋण दिनांक 29.06.2014 और दिनांक 29.06.2015 को समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय है और 200.00 करोड़ रुपए का एक आवधिक ऋण दिनांक 27.07.2014 और 27.07.2015 को दो समान किस्तों में प्रतिदेय है।				
	– केनरा बैंक	**-**	**-**	-	40.00
	– बैंक ऑफ बड़ौदा	**-**	**-**	1,000.00	175.00
	– यूको बैंक	**-**	**-**	350.00	-
	– इलाहाबाद बैंक	**-**	**-**	76.01	76.00
	– एचडीएफसी बैंक	**-**	**-**	-	500.00
	– आंध्रा बैंक	**-**	**-**	-	100.00
	– पंजाब एंड सिंध बैंक	**-**	**-**	435.00	-
	– यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**-**	850.00	-
	– बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**-**	500.00	-
4.2.2.2	**– भारत सरकार से**	**15.14**	**9.50**	24.65	11.48
	मूलधन के संबंध में 30 वर्ष की मूल अवधि और पांच वर्ष के ऋण स्थगन सहित विभिन्न खंडों में ऋण और अवरोही छठी वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय।				
	जोड़ – आवधिक ऋण	**765.14**	**209.50**	4,185.66	902.48

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.2.3 अन्य ऋण और पेशगियां

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
		गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
4.2.3.1	**विदेशी मुद्रा उधार**				
	सीएचएफ बांड – सीएचएफ 200 मिलियन 3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय	1,132.56	-	-	-
	रेग्ग एस बांड के बारे में – 500 मिलियन अमरीकी डालर 4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचनीय	2,417.73	-	2,232.50	-
	जेआईसीए ऋण – भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत जेआईसीए–I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 20.09.2012 को देय हो रही है और जेआईसीए–II ऋण दिनांक 20.03.2013 से शुरू होकर दिनांक 20.03.2023 तक ¥995.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय	1,059.02	128.26	1,080.07	45.20
	केएफडब्ल्यू ऋण – भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत दिनांक 30.12.2018 तक €3.68 मिलियन की छमाही किस्तों में प्रतिदेय अगली किस्त दिनांक 30.06.2012 को देय है।	294.09	45.55	310.48	74.36
	ईसीबी– बैंक–II से सिंडिकेट ऋण 400 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 22.09.2015 को प्रतिदेय	1,788.96	-	1,787.48	-
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण – मारीशस – 70 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 28.10.2015 को प्रतिदेय	311.36	-	312.55	-
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण – मिजुहो – 100 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय	446.50	-	446.50	-
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण – बीटीएमयू– 100 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय	446.50	-	446.50	-
	सिंडिकेटेड ऋण – अप्रतिभूत – 300 मिलियन अमरीकी डालर दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय	1,367.24	-	-	-
	केएफडल्यू–II ऋण–भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत दिनांक 30.06.2012 से शुरू होने वाली 18 छमाही किस्तों में प्रतिदेय	425.24	53.14	-	-
	सिंडिकेटेड ऋण – अप्रतिभूत – ¥12.525 बिलियन दिनांक 27.03.2017 को प्रतिदेय	781.94	-	-	-
	ईसीबी – बैंकों से सिंडिकेटेड ऋण दिनांक 26.03.2012 को प्रतिदेय	-	-	-	870.26
	जोड़ः विदेशी मुद्रा उधार	10,471.14	226.95	6,616.08	989.82
4.2.3.2	**जीरो कूपन बांड**				
	जैडसीबी–श्रृंखला–II दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय (दिनांक 03.02.2021 को प्रत्येक 30,000 रुपए के अंकित मूल्य सहित 89,510 बांडों के सममूल्य पर निवल परिशोधित बट्टा) सममूल्य पर विमोचनीय	127.97	-	117.66	-
	जैडसीबी–श्रृंखला–I दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय (दिनांक 15.12.2020 को प्रत्येक 30,000 रुपए के अंकित मूल्य सहित 3,92,700 बांडों के सममूल्य पर निवल परिशोधित बट्टा)पर सममूल्य पर विमोचनीय	591.26	-	546.11	-
	जोड़ः जीरो कूपन बांड	719.23	-	663.77	-
4.2.3.3	**बांड आवेदन–पत्र धनराशि** बुनियादी सुविधा बांड	-		0.36	
	जोड़ः बांड आवेदन–पत्र धनराशि	-	-	0.36	-

4.3 प्रतिभूत उधार की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बांडों के बांड श्रृंखला 69,73,75 को (क) 51 और 52/58–ख, 5वी मंजिल, मित्तल टावर, ब्लॉक–II, बैकवे स्कीम, नरीमन पॉइट, मुंबई–400005, महाराष्ट्र, भारत के परिसरों को बंधक रखकर और (ख) दिनांक 24 सितंबर, 2010 के संयुक्त आडमान करार के आधार पर हमारी कंपनी के वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त होने वाली रकम प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

संस्थागत बांडों और सभी 54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांडों की बांड श्रृंखला 77 से 93 को (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड खेल गांव, नई दिल्ली–110049, भारत, को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी के वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त होने वाली रकम को प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है, लेकिन दिनांक 24 सितंबर, 2010 के संयुक्त आडमान करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पास आडमान रखी गई रकम इसमें शामिल नहीं है।

कर–मुक्त बांडों को शॉप संख्या 12, भूतल, ब्लॉक सं.35, चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नै–600004 के परिसरों को प्रथम सममूल्य पर प्रभारित करके और आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में 4,998.66 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की कुछ विशिष्ट प्राप्त होने वाली रकम को आडमान करके प्रतिभूत किया गया है।

सभी आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त होने वाली रकम को प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। लेकिन दिनांक 24 सितंबर, 2010 को अद्यतन किए गए संयुक्त आडमान करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पास आडमान रखी गई रकम इसमें शामिल नहीं है।

4.4 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांड वार्षिक रूप से देय 5.50% से 6.25% की ब्याज दर पर 3/5/7 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। इन बांडों का 3/5 वर्ष पर पुट/कॉल का विकल्प होगा। चालू वर्ष 2011–12 में 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड–श्रृंखला–VIII 2011–12 वार्षिक रूप से देय 6.00% की ब्याज दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए थे। ये बांड 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के अंत में स्वतः विमोचित हो जाएंगे।

4.5 बुनियादी सुविधा बांडों का विवरण इस प्रकार है

(रुपए करोड़ों में)

दिनांक 31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला 2010–11

ब्याज दर	रकम	विमोचन का विवरण
8.00%	**61.60**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक द्वारा पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	**151.74**	
8.10%	**1.61**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	**3.78**	
	218.73	

दिनांक 15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला 2011–12

ब्याज दर	रकम	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	**95.23**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक द्वारा पुनः खरीद का विकल्प
8.95% वार्षिक	**32.85**	
9.15% संचयी	**13.43**	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बांडधारक द्वारा पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	**5.01**	
8.95% संचयी	**5.73**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	**1.38**	
9.15% संचयी	**2.83**	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	**1.13**	
	157.59	

5. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
– उपचित लेकिन उधारकर्ताओं को देय नहीं ब्याज का गैर–चालू अंश	**23.01**	-
– पुनः अनुसूचीबद्ध ऋण के लिए छूट	**3.18**	-
– अन्य	**0.31**	0.29
जोड़	**26.50**	0.29

5.1 विवेकपूर्ण उपाय के रूप में मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत दो पुनः अनुसूचीबद्ध बुनियादी सुविधा ऋणों के संबंध में 3.18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त छूट दी गई है

समेकित लेखा टिप्पणियां

6. दीर्घावधि और अल्पावधि संबंधी प्रावधान

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
		गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
(क)	**कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान**				
	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**-**	**23.45**	-	21.50
	सेवा–निवृत्ति के बाद स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान	**45.39**	**1.43**	36.06	1.35
	चिकित्सा छुट्टी के लिए प्रावधान	**10.84**	**1.15**	9.60	1.02
	निपटान भत्ते के लिए प्रावधान	**1.02**	**0.10**	0.19	0.02
	आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए प्रावधान	**1.95**	**0.24**	1.84	0.22
	दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	**2.58**	**0.43**	2.07	0.30
	उप–जोड़	**61.78**	**26.80**	49.76	24.41
(ख)	**अन्य**				
	प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	**-**	**25.10**	-	16.40
	अनुग्रह के लिए प्रावधान	**-**	**0.10**	-	0.10
	धन कर के लिए प्रावधान	**-**	**0.38**	-	0.36
	एफबीटी के लिए प्रावधान	**-**	**0.36**	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	**-**	**246.86**	-	395.03
	कारपोरेट लाभांश कर के लिए प्रावधान	**-**	**40.05**	-	64.09
	उप–जोड़	**-**	**312.88**	-	476.34
	जोड़	**61.78**	**339.68**	49.76	500.75

6.1 एएस–29 के अधीन यथाअपेक्षित प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है

(रुपए करोड़ों में)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त समायोजित	अंतशेष
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	21.50	5.00	3.05	**23.45**
पिछले वर्ष	18.34	4.70	1.54	**21.50**
सेवा–निवृत्ति के बाद स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान	37.40	12.18	2.76	**46.82**
पिछले वर्ष	27.41	12.42	2.43	**37.40**
चिकित्सा छुट्टी के लिए प्रावधान	10.62	2.18	0.81	**11.99**
पिछले वर्ष	8.65	2.16	0.19	**10.62**
निपटान भत्ते के लिए प्रावधान	0.22	0.94	0.04	**1.12**
पिछले वर्ष	0.19	0.05	0.02	**0.22**
आरईसी के कर्मचारियों की पेंशन योजना के लिए प्रावधान	13.31	2.96	13.00	**3.27**
पिछले वर्ष	-	13.31	-	**13.31**
आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए प्रावधान	2.06	0.27	0.14	**2.19**
पिछले वर्ष	-	2.06	-	**2.06**
दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	2.37	3.91	3.27	**3.01**
पिछले वर्ष	-	2.37	-	**2.37**
देय उपदान के लिए प्रावधान	2.90	2.38	2.90	**2.38**
पिछले वर्ष	4.65	2.90	4.65	**2.90**
प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	16.40	23.60	14.90	**25.10**
पिछले वर्ष	33.36	16.40	33.36	**16.40**
अनुग्रह राशि अदायगी के लिए प्रावधान	0.10	-	-	**0.10**
पिछले वर्ष	6.39	-	6.29	**0.10**
धन कर के लिए प्रावधान	0.36	0.40	0.38	**0.38**
पिछले वर्ष	0.36	0.35	0.35	**0.36**
एफबीटी के लिए प्रावधान	0.36	-	-	**0.36**
पिछले वर्ष	0.36	-	-	**0.36**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(रुपए करोड़ों में)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त समायोजित	अंतशेष
अंतरिम लाभांश के लिए प्रावधान	-	493.73	493.73	**-**
पिछले वर्ष	-	345.61	345.61	**-**
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	395.03	246.86	395.03	**246.86**
पिछले वर्ष	345.66	395.03	345.66	**395.03**
कारपोरेट लाभांश कर के लिए प्रावधान	64.09	120.15	144.19	**40.05**
पिछले वर्ष	57.40	121.48	114.80	**64.08**
आयकर के लिए प्रावधान	2,717.85	986.13	1,789.35	**1,914.63**
पिछले वर्ष	1,802.44	915.67	0.59	**2,717.52**
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	-	12.99	12.99	**-**
पिछले वर्ष	-	-	-	**-**

7. अल्पावधि उधार

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क)	बैंकों से अल्पावधि ऋण – प्रतिभूत (आवधिक जमा के द्वारा प्रतिभूत)	**1.71**	-
(ख)	बैंकों से अल्पावधि ऋण, अप्रतिभूत	**2,500.00**	375.00
	जोड़ (क+ख)	**2,501-71**	375.00

8. व्यापार अदायगियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
व्यापार अदायगियां	**4.23**	3.87
जोड़	**4.23**	3.87

9. अन्य चालू देयताएं

(रुपए करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क)	दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता		
	– संस्थागत बांड	**7,055.82**	2,759.22
	– पूंजीगत लाभ बांड	**3,057.78**	2,995.11
	– बैंकों और अन्यों से आवधिक ऋण	**662.24**	1,747.53
	– विदेशी मुद्रा उधार	**226.95**	989.82
	उप–जोड़(क)	**11,002.79**	8,491.68
(ख)	उधार पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज	**2,934.39**	2,043.09
(ग)	उधार पर उपचित और देय ब्याज	**1.24**	1.20
(घ)	अग्रिम रूप में प्राप्त आय	**10.10**	13.95
(ड.)	अप्रदत्त लाभांश	**1.25**	1.23
(च)	अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर और उन पर ब्याज	**113.98**	153.24
(छ)	अन्य देय रकम		
	– भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/अनुदानः	**26,661.76**	24,445.22
	जोड़ेः सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज	**82.79**	61.05
	घटाएंः हिताधिकारियों को संवितरित	**-26,390.56**	-23,623.63
	असंवितरित सब्सिडी/अनुदान	**353.99**	882.64
	– भविष्य निधि और टीडीएस सहित देय सांविधिक रकम	**11.87**	10.96
	– फंडेड स्टाफ हितलाभ के संबंध में देय	**5.65**	16.21
	– अन्य देयताएं	**81.88**	26.07
	उप–जोड़(छ)	**453.39**	935.88
	जोड़ (क+ख+ग+घ+ड़+च+छ)	**14,517.14**	11,640.27

समेकित लेखा टिप्पणियां

9.1 त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन सब्सिडी (एजीएंडएसपी):

कारपोरेशन एक ब्याज सब्सिडी निधि लेखा रखता है और उसे भारत सरकार के पत्र अ.शा.सं.32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और का.ज्ञा. सं.32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.03 के अनुसार, सूचक दर और वर्ष पर अभिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एण्ड एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरित करने के लिए) दी गई थी, भले ही वास्तविक प्रति अदायगी अनुसूची, परिशोधित वर्ष और पात्र योजनाओं की प्रति अदायगी की अवधि कुछ भी हो। आहरण के समय सुनिश्चित सूचक दर और वर्ष के बीच अंतर के प्रभाव और वास्तविक प्रभाव को संबंधित योजना की समाप्ति के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

शीर्ष 'अनुदान' – (एजी एंड एसपी) प्राप्त ब्याज सब्सिडी' और 'अनुदान (एजी एंड एसपी) संवितरित ब्याज सब्सिडी' के अधीन 4.24 करोड़ रुपए (गत वर्ष 5.53 करोड़ रुपए) की निवल रकम में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सब्सिडी की शेष रकम दर्शाई गई है, जो त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अधीन भविष्य में पैदा होने वाली उनकी ब्याज देयता के अनुसार उधारकर्ताओं को दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का प्रारंभिक शेष	5.53	32.06
जोड़ः वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण उधारकर्ता द्वारा की गई वापसी	-	-
घटाएंः उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	1.29	2.15
विद्युत मंत्रालय को वापस की गई सब्सिडी	-	24.38
ब्याज सब्सिडी निधि का अंत शेष	4.24	5.53

9.2 भारत सरकार ने आरईसी को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियां एक अलग बैंक खाते में रखी जाती । ऐसी योजनाओं और अन्य अनुदानों की असंवितरित निधियों और उन पर अर्जित ब्याज को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

चालू वर्ष के दौरान शून्य टीडीएस (पिछले वर्ष शून्य) सहित 22.59 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 11.43 करोड़ रुपए) का अर्जित ब्याज को आरजीवीवीवाई सब्सिडी खाते में रखा गया ।

समेकित लेखा टिप्पणियां

10. 31 मार्च, 2012 को अचल परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ों में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2011 को	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31.03.2012 को बंद	31.03.2011 तक	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2012 को मूल्यह्रास	31.03.2012 की स्थिति	31.03.2011 की स्थिति
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.17	0.58	-	34.75	-	-	-	-	34.75	34.17
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	1.45	0.17	0.01	-	0.18	1.27	1.28
भवन	22.27	2.17	-	24.44	5.67	0.38	-	6.05	18.39	16.60
फर्नीचर और जुड़नार	6.21	1.33	0.22	7.32	3.65	0.52	0.19	3.98	3.34	2.56
वाहन	0.68	-	0.11	0.57	0.53	0.02	0.10	0.45	0.12	0.15
ईडीपी उपस्कर	11.40	3.05	0.56	13.89	5.63	1.35	0.31	6.67	7.22	5.72
कार्यालय उपस्कर	4.42	1.76	0.10	6.08	2.41	0.18	0.02	2.57	3.51	2.01
जोड़	**80.60**	**8.89**	**0.99**	**88.50**	**18.06**	**2.46**	**0.62**	**19.90**	**68.60**	**62.49**
पिछले वर्ष	79.34	1.29	0.10	80.53	18.07	2.20	2.21	18.06	62.47	0.26
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	4.36	0.01	-	4.37	1.25	0.88	-	2.13	2.24	3.09
जोड़	**4.36**	**0.01**	**-**	**4.37**	**1.25**	**0.88**	**-**	**2.13**	**2.24**	**3.09**
पिछले वर्ष	4.34	-	-	4.34	0.39	0.86	-	1.25	3.09	0.01
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	3.01	5.49	0.58	7.92	-	-	-	-	7.92	3.01
पिछले वर्ष	3.01	-	-	3.01	-	-	-	-	3.01	-
विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	-	0.10	-	0.10	-	-	-	-	0.10	-
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10.1 कारपोरेशन द्वारा 4.59 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.59 करोड़ रुपए) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं की जा रही हैं

समेकित लेखा टिप्पणियां

11. निवेश

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	सं.	रकम	सं.	रकम
लागत पर मूल्यांकित				
(1) गैर–चालू निवेश				
(क) व्यापार निवेश (अनकोटेड)				
(i) इक्विटी लिखतों में निवेश				
– संयुक्त उद्यम				
– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	625,000	-	625,000	0.63
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
– अन्य				
– इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	1,250,000	1.25	1,250,000	1.25
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
– यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	16,000,000	16.00	-	-
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
–8% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड–II	14	660.24	16	754.56
दिनांक 01.04.05 से प्रत्येक एक बांड 30 समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहे हैं				
(प्रत्येक 47.16 करोड़ रुपए अंकित मूल्य के बांड)*				
(iii) म्युचुअल फंड में निवेश				
– केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड				
10.00 रुपए प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर "स्माल इज ब्यूटीफुल" निधि के यूनिट	7,825,127	7.83	8,733,787	8.73
10.33 रुपए प्रति यूनिट के एनएवी (पिछले वर्ष 10.08 रुपए)				
(iv) आवंटन होने तक आवेदन–पत्र धनराशि		-		24.38
जोड़ गैर–चालू निवेश(1)		685.32		789.65
(2) चालू निवेश				
(क) इक्विटी लिखतों में निवेश (अनकोटेड)				
– अनुषंगी कंपनियां				
– वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	50,000	0.05		-
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
– विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05		-
प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनकोटेड)				
–8% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड–II				
दिनांक 01.04.05 से प्रत्येक एक बांड 30 समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहे हैं (प्रत्येक 47.16 करोड़ रुपए अंकित मूल्य के बांड)*	1	47.16	1	47.16
जोड़: चालू निवेश (2)		47.26		47.16
जोड़		732.58		836.71

*चालू अंश में बांडों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 मास के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर–चालू अंश है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे		दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
(i)	उल्लिखित निवेशों की कुल रकम और उसका बाजार मूल्य	-	-
(ii)	अनकोटेड निवेशों की कुल रकम		
	– गैर–चालू निवेश	685.32	789.65
	– चालू निवेश	47.16	47.16
(iii)	निवेश की लागत में गिरावट की रकम	-	-

11.1 निवेश में 7.83 करोड़ रुपए (पहले वाले वर्ष 8.73 करोड़ रुपए) शामिल हैं, जो केएसके इनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत 'स्माल इज ब्यूटीफुल' (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड' के यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है। वर्ष के दौरान, 9,08,660 यूनिटों (पिछले वर्ष 33,51,613 यूनिटें) को विमोचित किया गया था।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास का देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके इनर्जी केएसआईबी निधि	₹ 7.83 करोड़	भारत	9.74%

11.2 भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक–27 के अधीन यथा अपेक्षित संयुक्त उद्यम में कारपोरेशन के हित से संबंधित सूचना:

1. इनर्जी ऐफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

हित का अनुपात	25%
निगमन का देश	भारत

दिनांक 31.03.2012 को परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं और पूंजीगत प्रतिबद्धता और संयुक्त उद्यम के संबंध में उनके लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर कंपनी का हिस्सा नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ों में)

कुल परिसंपत्तियां	31.17
कुल देयताएं	4.37
कुल आरक्षित और अधिशेष	1.80
आकस्मिक देयताएं	शून्य
पूंजीगत प्रतिबद्धता	शून्य
कुल आय	3.17
कुल व्यय	1.17

कंपनी ने 24.38 करोड़ रुपए के और इक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए आवेदन–पत्र दिया है, जिसके संबंध में अभी शेयरों का आबंटन किया जाना है।

12. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
अर्जित छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	7.61	7.14
बीमारी की छुट्टी के लिए प्रावधान	3.48	3.11
सेवा–निवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभों के लिए प्रावधान	2.51	2.57
पेंशन योजना के लिए प्रावधान	1.06	4.42
जोड़	14.66	17.24
आस्थगित कर देयता		
मूल्यह्रास	4.64	4.48
जोड़	4.64	4.48
आस्थगित कर संपत्ति (निवल)	10.02	12.76

12.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित कोष से आहरण का कंपनी का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रत्यावर्तन योग्य नहीं है और इस प्रकार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक–22 के अनुसार यह स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार कंपनी उक्त आरक्षित निधि के संबंध में किसी आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं कर रही है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

13. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरा का अंतर लेखा

लेखाकरण मानक 11 "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के पैरा 46–क के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि में दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विदेशी मुद्रा लोच हानि (लाभ) के लिए कंपनी ने अप्रतिसंरणीय विकल्प का चयन किया है। 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण के अंतर लेखे' में परिशोधित किए जाने के लिए शेष रकम 181.88 करोड़ रुपए है।

14. दीर्घावधि ऋण और पेशगियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क) पूंजीगत पेशगियां (अप्रतिभूत, शोध्य समझी गई)	**24.54**	24.24
(ख) प्रतिभूति जमा (अप्रतिभूत शोध्य समझी गई)	**3.96**	0.85
(ग) संबंधित पक्षकारों को ऋण और पेशगियां		
– निदेशकों को	**0.05**	0.05
	0.05	0.05
घ) अन्य ऋण और पेशगियां		
– कर्मचारियों को ऋण और पेशगियां (निदेशकों से भिन्न)	**12.74**	3.29
– दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियां	**89,944.11**	73,178.23
	89,956.85	73,181.52
जोड़ (क+ख+ग+घ)	**89,985.40**	73,206.66

संबंधित पक्षकारों को ऋण और पेशगियों और अन्य ऋण और पेशगियों का विवरण

14.1 कर्मचारी ऋण और पेशगियां

कर्मचारी ऋण और पेशगियों के गैर–चालू अंश को उपर्युक्त "दीर्घावधि ऋण और पेशगियों" में वर्गीकृत किया गया है और कर्मचारी ऋण और पेशगियों के चालू अंश को टिप्पणी 19 "अन्य चालू परिसंपत्तियों" के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
कर्मचारियों को ऋण और पेशगियां (प्रतिभूत, शोध्य समझी गई)				
– कर्मचारियों को (निदेशकों से भिन्न)	**1.64**	**0.64**	2.12	0.53
उप–जोड़	**1.64**	**0.64**	2.12	0.53
कर्मचारियों को ऋण और पेशगियां (अप्रतिभूत, शोध्य समझी गई)				
– निदेशकों को	**0.05**	**0.04**	0.05	0.03
– कर्मचारियों को (निदेशकों से भिन्न)	**11.10**	**5.95**	1.17	1.93
उप–जोड	**11.15**	**5.99**	1.22	1.96
जोड़	**12.79**	**6.63**	3.34	2.49

समेकित लेखा टिप्पणियां

14.2 दीर्घावधिक ऋण परिसंपत्तियां

दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों के गैर–चालू अंश को "दीर्घावधि ऋण और पेशगियों" के अधीन वर्गीकृत किया गया है और दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी 19 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति		दिनांक 31.03.2011 की स्थिति	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
(क) प्रतिभूत ऋण				
(क1) राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों की सामग्री/परिसंपत्तियों का आडमान करके प्रतिभूत)				
(क) शोध्य समझी गईं	57,402.83	4,814.02	45,778.95	3,964.49
(क2) अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों का आडमान करके प्रतिभूत)				
(क) शोध्य समझी गईं	10,803.99	1,099.90	7,014.43	827.58
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	427.71	62.69	-	17.22
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	42.77	21.77	-	17.22
	384.94	40.92	-	-
उप–जोड़ (क1+क2)	68,591.76	5,954.84	52,793.38	4,792.07
(ख) अप्रतिभूत ऋण				
(ख1) राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों/ सहकारी समितियों को ऋण (संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत				
(क) शोध्य समझी गई	17,664.20	2,266.46	16,194.56	2,242.71
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	-	-	-	2.21
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	-	-	0.44
	-	-	-	1.77
(ख2) राज्य सरकारों को ऋण				
(क) शोध्य समझी गई	3,350.91	223.60	3,294.45	172.43
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	-	-	-	0.10
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	-	-	0.10
	-	-	-	-
(ख3) अन्यों को ऋण				
(क) शोध्य समझी गईं	337.24	5.23	895.84	120.48
उप–जोड़ (ख1+ख2+ख3)	21,352.35	2,495.29	20,384.85	2,537.39
जोड़ (क+ख)	89,944.11	8,450.13	73,178.23	7,329.46

15. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क) कर्मचारी पेशगियों पर उपचित ब्याज का गैर–चालू अंश	2.24	2.21
(ख) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर उपचित ब्याज	231.88	344.08
(ग) अपरिशोधित व्यय का गैर–चालू अंश:		
– बांड के निर्गम पर बट्टा	13.80	17.89
जोड़ (क+ख+ग)	247.92	364.18

समेकित लेखा टिप्पणियां

16. व्यापार वसूलीयोग्य

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क) अदायगी के लिए देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि से बाकी पड़ी रकम		
– अप्रतिभूत, शोध्य समझी गई	9.71	1.90
(ख) अदायगी के लिए देय होने की तारीख से छह माह से कम अवधि से बाकी पड़ी रकम		
– अप्रतिभूत, शोध्य समझी गई	28.30	16.20
जोड़ (क+ख)	38.01	18.10

17. नकदी और नकदी समतुल्य

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क) बैंकों में शेष	3,690.74	686.24
(ख) चैक/ड्राफ्ट हाथ में	0.89	626.06
(ग) नकद हाथ में (डाक टिकट और अग्रदाय सहित)	-	0.01
(घ) अन्य		
– अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा	1,683.73	1,554.48
जोड़ (क+ख+ग+घ)	5,375.36	2,866.79
बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल है		
– बैंकों के पास जमा निर्धारित शेष		
– अप्रदत्त लाभांश के लिए	1.25	1.23
– आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए	325.50	246.11
– एजीएंडएसपी अनुदान के लिए	4.81	7.52
– अन्य अनुदान के लिए	3.96	3.98
– करमुक्त बांड पब्लिक इश्यू लेखा	3,000.00	-
अनुसूचित बैंकों के पास 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाले आवधिक जमा	-	13.91

शेष बैंकों में आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए निर्धारित निधि में शून्य (पिछले वर्ष 626.06 करोड़ रुपए) शामिल है।

17.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान प्रत्येक 1,000/– रुपए अंकित मूल्य के कुल 3,000 करोड़ रुपए के कर–मुक्त बांडों का पब्लिक इश्यू जारी किया है। बांड दिनांक 27.03.2012 को आबंटित किए गए और इस की बिक्री से प्राप्त आय को नामित पब्लिक इश्यू खाते में रखा गया है। इश्यू की बिक्री से आय, तुलन–पत्र की तारीख तक इस्तेमाल नहीं की जा सकी, क्योंकि अर्जित निधियों की बिक्री से प्राप्त आय दिनांक 04.04.2012 को बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) में बांडों का सूचीकरण किए जाने पर ही कंपनी को उपलब्ध हो पाएगी।

18. अल्पावधि ऋण और पेशगियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
अल्पावधि ऋण और पेशगियां		
– अन्य ऋण और पेशगियां		
(ए) प्रतिभूत ऋण		
– राज्य विद्युत बोर्डों/ निगमों को ऋण (संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों की सामग्री/परिसंपत्तियों का आडमान करके प्रतिभूत)		
(क) शोध्य समझी गई	1,737.50	900.00
उप–जोड़	1,737.50	900.00
(बी) अप्रतिभूत ऋण		
– राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों/सहकारी समितियों को ऋण (संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा)		
(ख) शोध्य समझा गया	830.00	-
– अन्यों को ऋण		
(क) शोध्य समझा गया	400.00	300.00
उप–जोड़	1,230.00	300.00
कुल जोड़ (क+ख)	2,967.50	1,200.00

समेकित लेखा टिप्पणियां

19. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
(क) दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का वसूली योग्य चालू	8,450.13	7,329.46
(ख) कर्मचारी पेशगियों का वसूलीयोग्य चालू	6.63	2.49
(ग) उपचित और देय नहीं ब्याज		
– आवधिक जमा	30.59	10.36
उप–जोड़	30.59	10.36
(घ) ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित और देय ब्याज	86.11	80.29
(ङ.) ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित और देय नहीं ब्याज	549.61	493.45
(च) कर्मचारी पेशगियों पर उपचित ब्याज का चालू अंश	0.36	0.29
(छ) भारत सरकार से वसूलीयोग्य		
– आरजीजीवीवाई व्यय	6.78	4.64
उप–जोड	6.78	4.64
(ज) प्राप्त किए जाने वाले रोकड़ या वस्तु या मूल्य में वसूलीयोग्य पेशगियां	4.70	16.50
(झ) सरकारी विभागों/अन्यों से वसूली योग्य	22.07	5.50
(ञ) अग्रिम आयकर और टीडीएस	1,945.89	2,741.86
घटाएं: आयकर के लिए प्रावधान	1914.63	2,717.52
	31.26	24.34
(ट) वसूलीयोग्य आयकर	-	24.59
(ठ) अपरिशोधित व्यय का चालू अंश		
– बांड के इश्यू पर बट्टा:	4.83	4.70
जोड़ (क+ख+ग+घ+ड़+च+छ+ज+झ+ट+ठ)	9193.07	7996.61

20. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

20.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
क– कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	59.84	26.88
ख– अन्य		
– लैटर ऑफ कंफर्ट	4,696.95	1,352.70

उपर्युक्त "क" में उल्लिखित रकम में 7.75 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.99 करोड़ रुपए) की रकम भी शामिल है, जो माध्यस्थम के मामले सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित है और न्यायालय/माध्यस्थम के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है और इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की 52.09 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 21.75 करोड़ रुपए) की रकम भी शामिल है।

20.2 निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबद्धता और जिनके लिए प्रावधान नहीं है

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति
– पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेके	8.02	13.32
– अन्य प्रतिबद्धताएं		
– असंवितरित सीएसआर प्रतिबद्धता	5.91	4.79
– पट्टा प्रतिबद्धता	12.72	13.72

समेकित लेखा टिप्पणियां

21. प्रचालनों से आय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज				
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	9,684.32		7,673.20	
घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने के लिए छूट	6.17	9,678.15	7.85	7,665.35
(ii) अल्पावधि वित्त–व्यवस्था		585.87		443.42
जोड़: ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (क)		10,264.02		8,108.77
(ख) अन्य वित्तीय सेवाओं से आय				
(i) प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		47.15		60.38
(ii) प्रीपेमेंट प्रीमियम		3.02		40.55
(iii) आरजीजीवीवाई कार्यान्वयन/अन्यों के लिए एजेंसी/रखरखाव प्रभार		23.40		47.21
जोड़: अन्य प्रचालन आय (ख)		73.57		148.14
जोड़ (क+ख)		10,337.59		8,256.91

22. अन्य आय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
(क) ब्याज आय (प्रचालन आय से भिन्न)				
– जमा राशि से ब्याज		91.53		45.99
– सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज		62.25		69.80
– आयकर वापसी से ब्याज		4.02		-
– कर्मचारी पेशगियों से ब्याज		0.53		0.28
– सहायक कंपनियों से ब्याज		0.13		0.25
उप–जोड़(क)		158.46		116.32
(ख) लाभांश आय				
– सहायक कंपनियों से लाभांश		0.05		0.05
– म्युचुअल निधि लाभांश		-		3.47
– दीर्घावधि निवेशों से लाभांश		0.13		0.12
उप–जोड़(ख)		0.18		3.64
(ग) निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ				
– दीर्घावधि निवेशों की बिक्री पर लाभ		0.84		1.78
– चालू निवेशों की बिक्री पर लाभ		10.91		0.50
उप–जोड़ (ग)		11.75		2.28
(घ) अन्य गैर–प्रचालन आय				
– विदेशी मुद्रा विनिमय लोच लाभ		-		85.33
– परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		0.05		0.01
– रिटन बैक के लिए प्रावधान		4.44		29.24
– विविध आय		41.15		38.47
उप–जोड़ (घ)		45.64		153.05
जोड़ (क+ख+ग+घ)		216.03		275.29

समेकित लेखा टिप्पणियां

23. वित्त लागत

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
(क) वित्तीय लागत		
– सरकारी ऋणों पर	**2.31**	3.17
– आरईसी के बांडों पर	**5,064.14**	3,643.88
– बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋणों पर	**611.63**	838.61
– विदेशी वाणिज्यिक उधार पर	**578.71**	203.80
– कमर्शियल पेपर्स पर	**-**	83.28
– एआरईपी सब्सिडी पर	**0.33**	0.41
– अग्रिम आयकर पर ब्याज	**0.25**	-
उप–जोड़ (क)	**6,257.37**	4,773.15
(ख) अन्य उधार लागत		
– गारंटी शुल्क	**11.46**	7.87
– पब्लिक इश्यू व्यय	**14.25**	-
– बांड रखरखाव प्रभार	**1.12**	1.98
– बांडों की दलाली	**15.99**	9.00
– बांडों पर स्टाम्प शुल्क	**0.04**	0.31
– अन्य बांड/ऋण लिखत निर्गम व्यय	**-**	-
– ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	**78.61**	58.80
उप–जोड़ (ख)	**121.47**	77.96
जोड़ (क+ख)	**6,378.84**	4,851.11

24. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
(क) वेतन और भत्ते	**137.97**	84.39
(ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**8.43**	19.07
(ग) उपदान	**2.38**	2.91
(घ) सेवा–निवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**12.17**	12.42
(ड.) कर्मचारी कल्याण व्यय	**13.67**	11.42
जोड़ (क+ख+ग+घ+ड़)	**174.62**	130.21

समेकित लेखा टिप्पणियां

25. अन्य व्यय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
– किराया और भाड़ा प्रभार		**3.26**		2.34
– दर और कर		**5.96**		1.86
– बिजली और ईंधन		**0.94**		0.76
– बीमा प्रभार		**0.04**		0.03
– मरम्मत और अनुरक्षण				
– भवन	**1.27**		1.46	
– मशीनरी –ईआरपी और डेटा केंद्र	**3.10**		1.71	
– अन्य	**0.48**	**4.85**	0.95	4.12
– प्रिंटिंग और लेखन–सामग्री		**0.25**		1.73
– यात्रा और सवारी		**8.21**		7.14
– डाक टिकट, टेलीग्राम, टेलीफोन		**1.24**		1.01
– प्रचार और प्रोन्नयन व्यय		**4.60**		4.40
– लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**0.62**		0.45
– परामर्शी प्रभार		**6.84**		10.65
– कारपोरेट सामाजिक दायित्व		**13.01**		1.23
– दान और धर्मार्थ		**0.06**		0.22
– परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**0.24**		0.02
– विविध व्यय		**15.90**		9.56
जोड़		**66.02**		45.52

25.1 लेखा–परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैः

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
– लेखापरीक्षा शुल्क	**0.28**	0.21
– कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.05**	0.04
– सीमित समीक्षा शुल्क	**0.05**	0.03
– अन्य सेवाओं के लिए अदायगी#	**0.25**	0.17
– व्यय की प्रतिपूर्ति	**-**	0.02
जोड़	**0.63**	0.47

इसमें कर–मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू की विवरणिका के प्रमाणन के लिए 0.15 करोड़ रुपए का प्रमाणन शुल्क और वित्त वर्ष 2011–12 के ईसीबी प्रलेखन के प्रमाणन के लिए 0.09 करोड़ रुपए का प्रमाणन शुल्क और वित्त वर्ष 2010–11 के ईसीबी प्रलेखन के लिए 0.15 करोड़ रुपए का प्रमाणन शुल्क शामिल है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

25.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
अर्जन	**0.02**	**-**
व्यय		
– रॉयल्टी, नो–हाउ, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	**1.34**	-
– ब्याज	**192.95**	31.27
– वित्त प्रभार	**65.45**	50.24
– अन्य व्यय	**0.69**	0.77
जोड़	**260.43**	82.28

25.3 निगम ने कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थल तथा आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए स्थल पट्टे पर लिया है। इन्हें संचालन संबंधी पट्टे के रूप में लिया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा केंद्र के संबंध में 2.35 करोड़ रुपए की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारी आवास के संबंध में 1.27 करोड़ रुपए की पट्टा अदायगी टिप्पणी 24–'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ों में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया अदायगियां	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
	डेटा केंद्र	कार्यालय और आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय और आवास
अधिकतम एक वर्ष	**0.39**	**2.30**	0.50	1.41
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	**0.77**	**7.08**	1.16	6.50
5 वर्ष से अधिक	**-**	**2.18**	-	4.15
जोड़	**1.16**	**11.56**	1.66	12.06

26. पिछली अवधि की मदें

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
– ब्याज और वित्त व्यय	**-**	3.23
अन्य	**0.18**	0.05
जोड	0.18	**3.28**

27. प्रति शेयर अर्जन

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष
गणक		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर–पश्चात लाभ (रुपए करोड़ों में)	**2,838.66**	2,584.89
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या	**98,74,59,000**	98,74,59,000
10/– रुपए के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटिड अर्जन (रुपए में)	**28.75**	26.18

समेकित लेखा टिप्पणियां

28. 13 दिसंबर, 2006 को हमारे निदेशक मंडल ने कारपोरेशन के विवेकपूर्ण मानदंडों को अनुमोदित किया तथा 21 फरवरी, 2009 और 25 सितंबर, 2010 को इनमें संशोधन अनुमोदित किए गए थे। तथापि, सभी 'व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण' सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदंडों के ढांचे के अधीन लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसंबर, 2006 को हमारे निगम को सलाह दी थी कि एनबीएफसी को शासित करने वाले विनियमों के विभिन्न घटकों के अनुपालन के लिए 'रूपरेखा' प्रस्तुत की जाए। निगम ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 29 जून, 2010 के पत्र द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2012 तक विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय और राज्य संस्थाओं के संबंध में विवेकपूर्ण प्रकटन मानदंडों से छूट प्रदान कर दी है। कम से कम 12वीं योजना के अंत तक छूट अवधि को आगे बढ़ाने के निगम के अनुरोध, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 के पत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित किया गया था, के उत्तर में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के पत्र के जरिए 31 मार्च, 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने से छूट की अवधि बढ़ाने की सहमति दे दी है, बशर्ते कि 01 अप्रैल, 2013 से शुरू होने वाले तीन वर्ष के अंदर, समय–समय पर यथासंशोधित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैर जमा स्वीकृति या धारण) विवेकपूर्ण मानदंड (भारतीय रिजर्व बैंक संबंधी निर्देश, 2007 में निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में 30 जून, 2012 तक एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। एक आईएफसी के रूप में प्राइवेट सेक्टर को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों के स्वामित्व का 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों के स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा। आरईसी को 15% का पूंजी–जोखिम भारित संपत्ति अनुपात रखना होता है (न्यूनतम स्तर–I पूंजी का 10%)। तदनुसार 25 सितंबर, 2010 को बोर्ड के अनुमोदन से विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन किया गया है। विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय एवं राज्य संस्थाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए इन यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्ति के 50% से 250% तक भिन्न–भिन्न हैं जो संस्था के मूल्यांकन तथा संबंधित राज्य यूटिलिटियों की स्थिति पर निर्भर करती है।

29. यह निगम वर्ष 1997–98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरबीआई की दिनांक 13/01/2000 की अधिसूचना सं डीएनबीएस(पीडी), सीसी सं.12/डी2.01/99–2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 617 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(आई) सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

30. लेखाकरण नीति में परिवर्तन

30.1 कंपनी ने निपटान की तारीख को ब्याज लागत की समायोजन की पिछली लेखाकरण नीति के स्थान पर महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 1(क) के अनुरूप उपचय के आधार पर घरेलू उधार पर ब्याज दर विनिमय संबंधी लाभ या हानि को हिसाब में लिया है। लेखाकरण नीति में इस परिवर्तन के कारण, दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष का लाभ 2.42 करोड़ रुपए (करों का निवल) अधिक है।

30.2 कंपनी में लेखाकरण मानक 11 'विदेशी मुद्रा में परिवर्तन का प्रभाव' के पैरा 46–क के अनुसार विदेशी मुद्रा अंतरण अंतरों के लेखाकरण व्यवहार के संबंध में दिनांक 01.04.2011 से अपनी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं.14.1 में परिवर्तन कर दिया है और मदों की शेष अवधि में दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक पर विदेशी मुद्रा लोच हानि/(लाभ) के परिशोधन का विकल्प चुना है। तदनुसार 27.14 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लोच हानि के परिशोधन को हानि एवं लाभ के विवरण में 'विदेशी मुद्रा लोच हानि' शीर्ष के अधीन शामिल किया गया है। लेखाकरण नीति में इस परिवर्तन के कारण दिनांक 31.03.2012 और समाप्त वर्ष का लाभ 135.50 करोड़ रुपए (करों का निवल) अधिक है।

30.3 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं.4.1 को और व्याख्यात्मक/सुस्पष्ट बनाने के लिए इसमें आशोधन किए गए हैं। लेकिन ऐसे आशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

31. आरईसी सहकारी समितियों द्वारा 5.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.68 करोड़ रुपए) की रकम की विशेष निधि का सृजन करने में कमी (सकल) पाई गई है और अपेक्षित विशेष निधि का सृजन करने के लिए इन समितियों से कहा जा रहा है।

32. कारपोरेशन के अधिकांश उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है।

33. बांडों पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आय कर, बांडधारकों को ब्याज की वास्तविक अदायगी करते समय स्रोत पर कटौती की जाती है, क्योंकि ऐसे बांडों का मुक्त रूप से हस्तांतरण किया जा सकता है।

34. लेखाकरण नीति सं.10.2 के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंकों में रखे गए ब्याज वारंट लेखों का शेष दिनांक 31.03.2012 को 14.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 23.76 करोड़ रुपए) है।

35. प्रबंधक वर्ग की राय में तुलन–पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियों, ऋणों और पेशगियों का मूल्य उसमें उल्लिखित रकम के बराबर है, बशर्ते कि यह सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त हो जाए और सभी चालू देयताओं का प्रावधान किया गया हो।

36. लेखाकरण मानक 28 'परिसंपत्तियों की हानि' के अधीन यथा अपेक्षित अपसामान्य हानि के लिए प्रावधान आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रबंधक वर्ग की राय में लेखाकरण मानक–28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों को कोई हानि नहीं हुई है।

37. निगम की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के प्रति कोई बाकी देयता नहीं है।

38. प्रतिरक्षा कार्यनीति के भाग के रूप में कंपनी ने, कुछ मामलों में, ब्याज की स्थिर दर के स्थान पर ब्याज की अस्थिर दर का ब्याज दर विनिमय निष्पादित किया है। जिस बाकी उधार पर विनिमय का प्रयोग किया गया है, उसका मूल्य भारतीय रुपए में 7.150 करोड़ रुपए है। दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान, निगम ने रुपए के उधार से संबद्ध इन विनिमय लेन–देनों के कारण उधार की लागत को 20.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 41.15 करोड़ रुपए) तक कम किया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रकटन की प्रतिरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विनिमय (क्रॉस करेंसी स्वैप) निष्पादित किया है। दिनांक 31.03.2012 को बाकी विदेशी मुद्रा प्रकटन की स्थिति इस प्रकार है:

मुद्रा	कुल		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए*	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए*
जापानी ¥	35,669.38	1,969.21	23,144.38	1,187.28	12,525.00	781.93
पिछले वर्ष	47,697.36	1,995.53	44,316.43	1,812.90	3,380.93	182.63
यूरो €	121.58	818.03	51.58	339.65	70.00	478.38
पिछले वर्ष	58.95	384.84	58.95	384.84	-	-
यूएसडी $	1,470.00	6,778.29	1,220.00	5,499.38	250.00	1,278.91
पिछले वर्ष	1,170.00	5,225.53	200.00	894.48	970.00	4,331.05
सीएचएफ (स्विस फ्रैंक)	200.00	1,132.56	-	-	200.00	1,132.56
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-
जोड़		10,698.09		7,026.31		3,671.78
पिछले वर्ष		7,605.90		3,092.22		4,513.68

*भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा उधार का भाग विनिमय लेन–देनों में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष की अंत दर पर अंतरित किया गया है।

38.1 लेखाकरण नीति 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत के अनुसार, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है:

क्रम सं.	विनिमय दर	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार	दिनांक 31.03.2011 के अनुसार
1	यूएसडी/भारतीय रुपया	**51.1565**	44.6500
2	जापानी येन/भारतीय रुपया	**0.6243**	0.5402
3	यूरो/भारतीय रुपया	**68.3403**	63.2400
4	सीएचएफ/भारतीय रुपया	**56.6279**	-

39. सहायक कंपनियां पूर्णतः नियंत्रक कंपनी के स्वामित्व में हैं। इन कंपनियों के मुख्य प्रबंधन कार्मिक नियंत्रक कंपनी के कर्मचारी हैं जिन्हें अंशकालिक आधार पर इनमें तैनात किया गया है।

ऐसे मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं:

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

क्रम. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पृथक होने की तारीख
1	डॉ. ज.मो. फाटक	अध्यक्ष एवं निदेशक	15.6.2010	16.4.2011
2	श्री एच.डी. खुंटेटा	अध्यक्ष एवं निदेशक	16.4.2011	29.11.2011
3	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं निदेशक	29.11.2011	जारी
4	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक	27.12.2008	जारी
5	श्री प्रकाश जे. ठक्कर	निदेशक	08.01.2007	जारी

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

क्रम. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पृथक होने की तारीख
1.	डॉ ज.मो. फाटक	अध्यक्ष एवं निदेशक	15.6.2010	16.4.2011
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	अध्यक्ष एवं निदेशक	16.4.2011	29.11.2011
3.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं निदेशक	29.11.2011	जारी
4.	श्री प्रकाश जे. ठक्कर	निदेशक	23.04.2010	जारी
5.	श्री संजीव गर्ग	निदेशक	27.08.2010	जारी

समेकित लेखा टिप्पणियां

40. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को भारत सरकार ने चार ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता (विकासकर्ता) के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। इस प्रयोजन के लिए वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) और विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल) नामक दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए परियोजना विशेष सहायक कंपनी (एसपीवी), को आरईसी ट्रांसमिशन परियोजना कंपनी के अधीन गठित किया गया है। अन्य आबंटित ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए परियोजना विशेष सहायक कंपनियां यथासमय गठित की जाएंगी। वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) के संबंध में बोली प्रक्रिया के अनुसरण में सफल बोलीदाताओं के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरकर आया है। सफल बोलीदाता ने दिनांक 18.04.2012 को समाप्त तारीख को वीटीएसएल की संबंधित परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ शेयरों का 100% अधिग्रहित कर लिया है।

41. लेखाकरण मानक–26 'अमूर्त परिसंपत्तियां' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरण

परिशोधन की दर	20% 100% यदि परिसंपत्ति की कुल लागत 5,000 रुपए या कम हो।
परिशोधन की विधि	सीधी पंक्ति

अमूर्त परिसंपत्तियों का समाशोधन टिप्पणी 10 में पहले ही प्रकट कर दिया गया है। इसके अलावा, अमूर्त परिसंपत्तियों पर किसी अपसामान्य हानि को 31. 03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान स्वीकार/प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

42. निगम ने लेखाकरण मानक–15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी हितलाभ' को अंगीकृत किया है। परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजना इस प्रकार हैः

क. कर्मचारी भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना होता है। प्रबंधन अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 2012 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित निधि की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

निगम एक अलग न्यास में पूर्व–निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान अदा करता है जो बीमाकर्ता के पास उस निधि का निवेश करता है। बीमाकर्ता न्यास के सदस्य के खाते में जमा पड़े शेष पर ब्याज की दर तय करता है। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है। निगम द्वारा देय परिभाषित अंशदान के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में इस व्यय को मान्यता दी गई है।

ग. उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

घ. सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति या पत्नी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ड. कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनःस्थापन योजना

यदि कोई कर्मचारी कंपनी की सेवा के दौरान स्थायी रूप से पूर्णतः अशक्त हो जाता है/यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को आर्थिक लाभ और सहायता देने के लिए कारपोरेशन की एक योजना है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

च. कर्मचारी की लंबी सेवा के लिए पुरस्कार योजना

निगम में कर्मचारियों की एक लंबी सेवा पुरस्कार योजना है जो निगम में लगातार 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में मान्यताप्राप्त है।

छ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम के पास कर्मचारी तथा आश्रितों हेतु एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यताप्राप्त है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन–पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नलिखित हैः

लाभ एवं हानि खातों में मान्यताप्राप्त व्यय

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
चालू सेवा लागत	**1.69**	1.55	**0.62**	0.60	**0.04**	0.01
ब्याज लागत	**2.90**	2.59	**3.18**	2.19	**0.02**	0.01
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.82**	2.77	**-**	-	**-**	-
लाभ एवं हानि खातों में मान्यताप्राप्त बीमांकित (लाभ)/ और हानि	**0.61**	1.53	**8.37**	9.63	**0.88**	0.02
पूर्व सेवा लागत	**-**	-	**-**	-	**-**	-
लाभ एवं हानि खातों में मान्यताप्राप्त व्यय	**2.38**	2.90	**12.17**	12.42	**0.94**	0.04

तुलन–पत्र में मान्यताप्राप्त रकम

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**36.47**	34.15	**46.82**	37.41	**1.12**	0.21
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**31.24**	31.30	**-**	-	**-**	-
मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्तियां (देयता) (उपदान–न्यास के उपदान के लिए)	**(-5.23)**	2.85	**-46.82**	-37.41	**-1.12**	-0.21

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
वर्ष के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**34.15**	32.44	**37.41**	27.42	**0.21**	0.19
ब्याज लागत	**2.90**	2.59	**3.18**	2.19	**0.02**	0.01
पूर्व सेवा लागत	**-**	-	**-**	-	**-**	-
चालू सेवा लागत	**1.69**	1.55	**0.62**	0.60	**0.04**	0.01
प्रदत्त हितलाभ	**2.88**	3.61	**2.76**	2.43	**0.03**	0.03
दायित्वों पर बीमांकित लाभ/हानि	**0.61**	1.17	**8.37**	9.63	**0.88**	0.02
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**36.47**	34.15	**46.82**	37.42	**1.12**	0.21

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (उपदान–न्यास के उपदान के लिए)	**31.30**	32.44	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.81**	2.77	**-**	-	**-**	-
कंपनी का वास्तविक अंशदान	**0.01**	0.05	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**2.88**	3.61	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**-**	(0.35)	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (उपदान–न्यास के उपदान के लिए)	**31.24**	31.30	**-**	-	**-**	-

वर्ष के दौरान निगम ने उपदान न्यास में 2.38 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.90 करोड़ रुपए), पीआरएमएफ में 12.17 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 12.42 करोड़ रुपए) और ओडीआरबी में 0.94 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रुपए) के अंशदान की देयता का प्रावधान किया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

अन्य कर्मचारी हितलाभ

वर्ष के दौरान अर्जित छुट्‌टी नकदीकरण के लिए 5.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.70 करोड़ रुपए), बीमारी की छुट्‌टी के लिए 2.18 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.16 करोड़ रुपए), आर्थिक पुनःस्थापन योजना के लिए 0.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.06 करोड़ रुपए) और दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए 3.91 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.37 करोड़ रुपए) का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और उसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में 1% बिंदु की वृद्धि/कमी का प्रभाव

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
सेवा और ब्याज लागत	**0.66**	0.41	**(0.60)**	(0.35)
पीबीओ (अंत में)	**5.80**	5.01	**(5.31)**	(4.38)

बीमा संबंधी पूर्व धारणा

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2012	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011	**31.03.2012**	31.03.2011
प्रयुक्त विधि	**प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)**	प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)	**प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)**	प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)	**प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)**	प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)
बट्‌टा दर	**8.50%**	8.00%	**8.50%**	8.00%	**8.50%**	8.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर	**9.00%**	8.54%	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.50%**	6.00%	**6.50%**	6.00%	**6.50%**	6.00%

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की पूर्व–अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट पर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार लाभ है जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

43. कुछ पूर्व राज्य बिजली बोर्डों को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए प्रतिष्ठानों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य बिजली बोर्डों की देयताएं नए प्रतिष्ठानों में अंतरित कर दी गई हैं और कुछ मामलों में इस निगम, नए प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

44. पुनः अनुसूचित ऋणों का संचलन इस प्रकार हैः

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	खातों की संख्या	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार	खातों की संख्या	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
आरंभिक शेष	16		14	
मूलधन		**8,223.94**		7,005.02
ब्याज		**717.37**		784.46
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए खाते)	4		3	
आरंभिक शेष				
मूलधन		**8,565.48**		1,011.46
उपचित ब्याज		**1.18**		8.31
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
मूलधन		**4,145.01**		590.50
उपचित ब्याज		**2,169.67**		995.62
वर्ष के दौरान प्राप्त*				
मूलधन		**553.14**		383.03
ब्याज		**2,217.31**		1,071.01
अंतशेष	20		16	
मूलधन		**20,381.29**		8,223.94
ब्याज		**670.91**		717.37

*इसमें पूर्ण पूर्व–प्रदत्त मामला शून्य भी शामिल है (पिछले वर्ष 1)।

समेकित लेखा टिप्पणियां

45. निगम का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण करना है। तदनुसार, निगम के पास भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक–17 के अनुसार सूचना देने के लिए एक से अधिक पात्र खंड नहीं हैं।

46. दिनांक 31.03.2012 को निगम का पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 16.00% है (पिछले वर्ष 19.09%)।

47. कंपनी के पास दिनांक 31.03.2012 को रियल इस्टेट क्षेत्र का कोई प्रकटन नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

48. दिनांक 31.03.2012 को ऋण परिसंपत्तियों और उधार की परिपक्वता का विवरण

(रुपए करोड़ों में)

वित्त वर्ष	ऋण परिसंपत्तियों की वसूली	उधार की वापसी
2012-13	11,439	13,503
2013-14	10,123	13,325
2014-15	9,920	10,063
2015-16	9,669	9,410
2016-17	9,413	9,525
2017-18	8,862	2,171
2018-19	8,260	4,055
2019-20	7,650	6,303
2020-21	7,106	7,048
2021-22	5,872	9,440
2022-23	4,507	-
2022–23 के बाद	8,541	5,213
जोड़	101,362	90,056

49. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण तत्समय लागू कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्व संशोधित अनुसूची–6 के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन संशोधित अनुसूची–6 की अधिसूचना के परिणामतः दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण संशोधित अनुसूची–6 के अनुसार तैयार किया गया है। तदनुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनः वर्गीकृत किया गया है।

50. जब तक स्पष्ट रूप से न कहा गया हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ों में पूर्णांकित किया गया है। दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में रुपए के अंकों को निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित किया गया था। अतः आंकड़ों को तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष के रुपयों के आंकड़ों को भी जहां कहीं अपेक्षित था, समायोजित करके निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर किए गए हस्ताक्षर और लेखा संबंधी टिप्पणियां वित्तीय विवरण के भाग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 006747एन

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 001113एन

के.एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070276

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और कंपनी सचिव

हरिदास खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे		दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह					
कर–पूर्व निवल लाभ		3,825.80		3,498.80	
निम्नलिखित के लिए समायोजनः					
1.	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	0.19		0.01	
2.	मूल्यह्रास	3.33		3.06	
3.	पुनः अनुसूचित ऋण के लिए प्रावधान	3.18		-	
4.	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	49.09		0.22	
5.	बट्टे खाते डाला गया अतिरिक्त प्रावधान	-		-29.21	
6.	निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	-11.75		-2.28	
7.	विनिमय दर लोच पर हानि/लाभ (–)	52.55		-85.33	
8.	ब्याज आय	-5.65		-1.43	
9.	ब्याज व्यय	0.04		0.10	
10.	सहायक कंपनियों से लाभांश	-0.05		-0.05	
11.	निवेशों से लाभांश	-0.13		-3.59	
12.	अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	0.25		-	
13.	बट्टे खाते डाले गए बांडों पर बट्टा	4.71		0.85	
14.	शून्य कूपन बांडों पर उपचित ब्याज	55.46		14.48	
15.	प्रावधान से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	-		0.01	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		3,977.02		3,395.64	
वृद्धि/कमी					
1.	ऋण परिसंपत्तियां	-19,703.14		-15,746.71	
2.	अन्य प्रचालन परिसंपत्तियां	9.45		200.25	
3.	प्रचालन देयताएं	940.52		365.79	
	प्रचालनों से नकदी प्रवाह	-14,776.15		-11,785.03	
1.	प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	-993.01		-971.89	
2.	आयकर वापसी	1.50		-	
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह			-15,767.66		-12,756.92
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह					
1.	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.17		0.03	
2.	अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी और विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां भी शामिल हैं)	-13.92		-1.30	
3.	8% मध्य प्रदेश सरकार विद्युत बांड–II विमोचन	94.32		94.32	
4.	'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिटों का विमोचन	0.90		3.11	
5.	निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	11.75		2.28	
6.	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में निवेश	-		-24.38	
7.	यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयरों में निवेश	-16.00		-	
8.	वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के शेयरों में निवेश	-0.05		-	
9.	विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड के शेयरों में निवेश	-0.05		-	
10.	सहायक कंपनी के शेयरों का विमोचन	-		0.15	
11.	ब्याज आय	5.65		1.43	
12.	सहायक कंपनियों से लाभांश	0.05		0.05	
13.	निवेशों से लाभांश	0.13		3.59	
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह			82.95		79.28

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
ग. वित्त संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बांडों का निर्गम (विमोचन का निवल)	**20,108.21**		10,334.23	
2. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण/एसटीएल लेना (प्रतिदेयता का निवल)	**-3,225.89**		677.71	
3. विदेशी मुद्रा ऋण लेना (विमोचन का निवल)	**2,857.01**		5,591.43	
4. ब्याज सहित भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (वापसी का निवल)	**2,238.28**		4,841.31	
5. अनुदानों का संवितरण	**-2,766.93**		-4,025.42	
6. सरकारी ऋण की वापसी	**-11.49**		-13.29	
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	**-395.03**		-345.66	
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	**-493.73**		-345.61	
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	**-144.18**		-114.81	
10. शेयरों के निर्गम पर प्रतिभूति प्रीमियम	**-**		0.41	
11. कमर्शियल पेपर्स पर वापसी	**-**		-2,450.00	
12. प्रदत्त ब्याज	**-0.02**		-0.10	
वित्त संबंधी क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**18,166.23**		14,150.20
नकदी/नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**2,481.52**		1,472.56
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**2,893.84**		1,394.23
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**5,375.36**		2,866.79
नकदी और नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि और कमी		**2,481.52**		1,472.56

टिप्पणी जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ो को पुनः व्यवस्थित और पुनः समूहीकृत किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 006747एन

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सदस्यता सख्याः 001113एन

राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और कंपनी सचिव

हरिदास खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के.एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070276

आर.सी. पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या : 070811

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2012

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में विवरण/सूचना

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अंतर्गत नियंत्री कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के तुलन पत्र में अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक लेखे संलग्न करने से कंपनियों को सामान्य छूट देने वाले कारपोरेट मामले मंत्रालय के सामान्य पत्र सं.2/2011/दिनांक 08 फरवरी, 2011 के सुझाव अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लि.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटे	विजाग ट्रांसमिशन लि.
(क)	पूंजीगत	0.05	0.05	0.05	0.05
(ख)	आरक्षित	42.31	16.08	-	-
(ग)	कुल परिसंपत्तियां	45.93	36.39	17.96	0.41
(घ)	कुल देयताएं	45.93	36.39	17.96	0.41
(ड.)	निवेश के विवरण (अनुषंगी कंपनियों में निवेश का मामला के अलावा)	-	-	-	-
(च)	टर्न–ओवर	18.10	23.28	-	-
(छ)	कराधान पूर्व लाभ	18.09	12.86	-	-
(ज)	कराधान के लिए प्रावधान	6.38	4.19	-	-
(झ)	कराधान पश्चात लाभ	11.71	8.67	-	-
(ण)	प्रस्तावित लाभांश	0.10	0.05	-	-

आरईसी कार्यालयों के पते

क्र. सं.	आरईसी कार्यालय	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई.मेल
1	2	3	4	5
	कारपोरेट आफिस	कोर,4 स्कोप कांप्लेक्स 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	41020101	फैक्स : 011–24360644 ई–मेल : reccorp@recl.nic.in
	आंचलिक कार्यालय			
क्र. सं.	आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों/राज्य एवं संघशासित क्षेत्र का अंचल/स्थान	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई.मेल
1.	**दक्षिणी अंचल, हैदराबाद** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी एवं तमिलनाडु	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं–7 हैदराबाद–500052	24014034 24016023 24018587	फैक्स : 040–24014235 ई–मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2.	**पूर्वी अंचल, कोलकाता** पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और ओड़ीसा	आईसीएमएआरडी बिल्डिंग, 7वां तल, ब्लॉक 14/2 सीआईटी स्कीम–VIII (एम) उल्टाडंगा, कोलकाता–700067	23566989 23567017 23567018	फैक्स : 033–23566991 ई–मेल : zmkolkata@recl.nic.in
3.	**पूर्व मध्य अंचल, पटना** बिहार, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल और झारखंड	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक .सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना–800001	2221131 2224596	फैक्स : 0612–2224596 ई–मेल : recpatna@yahoo.co.in popatna@recl.nic.in
4.	**पश्चिमी अंचल, मुंबई** महाराष्ट्र, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़, गोवा, दमन एवं दीव	51.बी, मित्तल टावर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021	22833035 22833068 22833055	फैक्स : 022–22831004 ई–मेल : zmmumbai@recl.nic.in
5.	**उत्तरी अंचल, पंचकुला** हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश	बे सं. 7.8, सेक्टर–2, पंचकुला–134112	2563864 2563863 2563822	फैक्स : 0172. 2567692 ई–मेल : popanchkula@recl.nic.in zmpanchkula@recl.nic.in
	परियोजना कार्यालय			
1.	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं–7 हैदराबाद–500052	24014034 24016023 24018587	फैक्स : 040–24014235 ई–मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2.	असम, नगालैंड, एवं अरुणाचल प्रदेश	''श्रद्धा'' एम.जी.रोड–जी.एस.रोड क्रासिंग (सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट) क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी–781005	2450485	फैक्स : 0361 – 2343712 ई–मेल : cpmpog@sify.com poguwahati@ recl.nic.in
3.	बिहार	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक .सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना–800001	2221131 2224596	फैक्स : 0612–2224596 ई–मेल : recpatna@yahoo.co.in popatna@recl.nic.in

क्र. सं.	आरईसी कार्यालय	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई.मेल
1	2	3	4	5
4.	झारखंड	ए–101 एवं डी–104, ओम श्री एन्क्लेव, लोयोला स्कूल के पास,एयरपोर्ट रोड, हीनू रांची–834002	2253123	फैक्स : 0651–2251320 ई–मेल : rec_.ranchi@yahoo.com poranchi@recl.nic.in
5.	गुजरात,दादर व नगर हवेली	प्लॉट नं–585, टी.पी. स्कीम नं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, वी.एम.सी. वार्ड आफिस के सामने, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा–390023	2386760 2397487 2387375 (नि)	फैक्स : 0265–2397652 ई–मेल : recvadodara@gmail.com povadodara@recl.nic.in
6.	हरियाणा, दिल्ली, चंड़ीगढ एव पंजाब	बे नं–7–8,सेक्टर.2, पंचकुला–134112	2563864 2563863 2563822	फैक्स : 0172–2567692 ई–मेल : popanchkula@recl.nic.in zmpanchkula@recl.nic.in
7.	हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेस ।। प्रथम तल, दि रिज, शिमला–171001	2653411 2804077	फैक्स : 0177–2804077 ई–मेल : poshimla@recl.nic.in
8.	जम्मू एवं कश्मीर	157–ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू–180004	2450868 2450800	फैक्स : 0191–2450868 ई–मेल : pojammu@recl.nic.in
9.	कर्नाटक	नं.1/5,अलसूर रोड, बंगलौर–560042	25598035 25598244 25550240	फैक्स : 080–25598243 ई–मेल : pobanglore@ recl.nic.in ruralblr_cpm@dataone.in
10.	केरल एवं लक्षदीप	'ओ' चतुर्थ तल,'सफालियम 'कमर्शियल कांप्लेक्स,ट्रिडा बिल्डिंग पलायम, तिरूवनंतपुरम–695034	2328662 2328579	फैक्स : 0471–2328579 ई–मेल : tvmrec@dataone.in recpotvm@dataone.in potrivandrum@recl.nic.in
11.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	ई.3/15,अरेरा कालोनी, भोपाल–462016	2460006 2460061	फैक्स : 0755–2460008 ई–मेल : reccentralzone@yahoo.com
12.	महाराष्ट्र,गोवा,दमन व दीव	51–बी, मित्तल टावर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट मुंबई.400021	22833035 22833068 22833055	फैक्स : 022–22831004 ई–मेल : zmmumbai@recl.nic.in
13.	मेघालय,मणिपुर एवं मिजोरम	रिनाडी ओल्ड जोबाई रोड लाचुमियर, शिलांग–793001	2210190 2225687 2536860(नि.)	फैक्स : 0364–2225687 ई–मेल : poshillong@recl.nic.in

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

क्र. सं.	आरईसी कार्यालय	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स / ई.मेल
1	2	3	4	5
14.	उड़ीसा	दीन दयाल भवन, पांचवां तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर–751009	2536649 2393206	फैक्स : 0674–2536669 ई–मेल : recpobbsr@yahoo.co.in pobhubaneswar@recl.nic.in
15.	राजस्थान	जे–4–ए, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर–302004	2706986 2707840	फैक्स : 0141–2706986 ई–मेल : pojaipur@recl.nic.in
16.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं. 12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, लूज चर्च रोड, 180, (लूज कॉर्नर) माइलापोर, चेन्नै–600004	24672376 24987960	फैक्स : 044–24670595 ई–मेल : pochennai@recl.nic.in
17.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	19 / 8, इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ–226016	2716324 2717376 2716446	फैक्स : 0522–2716815 ई–मेल : recuppo@yahoo.co.in zmlucknow@recl.nic.in
18.	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	आईसीएमएआरडीबिल्डिंग, 7वां तल, ब्लॉक 14 / 2, सीआईटी स्कीम–VIII (एम), उल्टाडंगा, कोलकाता–700067	23566989 23567017 23567018	फैक्स : 033–23566991 ई–मेल : zmkolkata@recl.nic.in
	उप कार्यालय			
1.	छत्तीसगढ़	केएच सं. 185 / 17, शांति विहार कालोनी, (विवेकानंद स्कूल के सामने) दाऊगनिया रायपुर–492013	2241055	फैक्स : 0771–2241055
2.	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कालेज के सामने, देहरादून–248001	2650766 2650799	फैक्स : 0135–2650799
	प्रशिक्षण केंद्र			
	सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं.–7, हैदराबाद–500052	24018583 24015901	फैक्स : 040–24015896 ई–मेल : cire@recl.nic.in

आरईसी की सीएसआर पहल...

आरईसी अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा उच्चीकृत आदर्श वयस्क शिक्षा केन्द्र पर साक्षर भारत झंडा फहराते हुए। यह केन्द्र आरईसी की सहायता से भारत सरकार के साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ के महासमुंद जिले में नया परकला गांव में चल रहा है

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन
कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

PRINTED AT THOMSON PRESS